lpuk dk vf/kdkj vf/kfu;e&2005

Hkkx& nks

jktLo foHkkx]

ftyk dk;kZy;] gfj}kj

ikDdFku

प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्वों के संवर्द्धन के लिए लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचनाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने तथा नागरिकों के सूचना के अधिकार की व्यावहारिक पद्धति स्थापित करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 प्रभावी किया गया है। इस अधिनियम की धारा–4 में प्रत्येक लोक प्राधिकारी को 17 मैनुअल तैयार कर प्रकाशित करने का प्राविधान है। प्रत्येक मैनुअल में वर्गीकृत सूचना उपलब्ध रहेगी, ताकि नागरिकों द्वारा सूचना प्राप्त करने हेतु जब भी आवेदन किया जाएगा तो आधारभूत सूचनाएं इन मैनुअल्स में ही उपलब्ध हो जाएगी तथा शेष सूचनाओं के लिए अन्य स्रोतों का आश्रय लेना होगा।

राजस्व विभाग जिला कार्यालय हरिद्वार द्वारा अधिनियम की धारा–4 में निर्धारित 17 मैनुअलों के अंतर्गत विभागीय विभिन्न सूचनाओं को एक स्थान पर केंद्रित कराने का पूर्ण प्रयास किया गया है। यद्यपि प्रारंभिक स्तर पर यह कार्य एक अभिनव तथा चुनौतीपूर्ण कार्य है तथापि सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के प्राविधानों के अनुरूप 17 मैनुअलों को तैयार करने में सहभाग करना एक सुखःद अनुभव भी है। जिला कार्यालय हरिद्वार से संबंधित 17 मैनुअलों को निम्नवत् भागों में विभाजित किया गया है।

1– भाग– एक मैनुअल संख्या –1, 2, 3 एवं 4
2– भाग– दो मैनुअल संख्या – 5
खंड –।, ।।, ।।।, IV
3– भाग–तीन मैनुअल संख्या – 6, 7, एवं 8।
4– भाग–4 मैनुअल संख्या– 9, 10, 11 एवं 12
5– भाग–5 मैनुअल संख्या– 13, 14, 15, 16 एवं 17।

उल्लेखनीय है कि वर्तमान में तैयार किए गए उक्तानुसार मैनुअल्स का स्वरूप एक प्रारंभिक अवस्था है, जिसको भविष्य में निरंतर अद्याविधक किया जाएगा तथा मैनुअलस को कम्प्यूटरीकृत कर बेबसाइट में भी उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि जन सामान्य को संबंधित जानकारियां / सूचनाएं सुगमतापूर्वक उपलब्ध हो सके।

सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत उपरोक्त 17 मैनुअल्स को उत्तराखण्ड शासन के निर्देशों तथा मा0 उत्तराखण्ड सूचना आयोग के मार्गदर्शन में तैयार करवाया जा सका। मैनुअल्स की सामग्री एकत्रित करने, उन्हें लिपिबद्ध करवाने एवं वर्तमान स्वरूप में उन्हें प्रस्तुत करने में श्री एस0 एन0 पाण्डेय, अपर जिलाधिकारी, हरिद्वार तथा श्री गोपालदत्त डंगवाल, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, श्री पंकज राजपूत, राजस्व सहायक–द्वितीय का प्रशंसनीय योगदान रहा। इसके अलावा सभी उप जिलाधिकारियों, कलेक्ट्रेट के अनुभागीय प्रमुखों एवं अन्य कर्मचारियों के सहयोग की भी सराहना की जाती है।

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम)
जिला अधिकारी,
हरिद्वार।

स्थानः हरिद्वार।
दिनांकः अक्टूबर, 2009

tuin gfj}kj ,d nf"V e

tuin gfj}kj dh LFkkiuk fnukd 28-12-1988 dk gbi FkhA tuin xBu d i'pkr rglhy yDlj dh LFkkiuk fnukd 03-08-1989 dk gbi FkhA

Ø0l0	lpuk dk fooj.k	tuin dh lefdr fLFkfr	rglhy gfj}kj ls lEcfU/kr lpuk	rglhy :Mdh ls lEcfU/kr lpuk	rglhy yDlj ls lEcfU/kr lpuk
1	2	3	4	5	6
1.	तहसील	03	हरिद्वार	रूड़की	लक्सर
2.	विकास खण्ड	06	बहादराबाद	भगवानपुर, रूड़की, नारसन	लक्सर, खानपुर
3.	थाना	15	हरिद्वार,रानीपुर,ज्वालापुर, कनखल,श्यामपुर, पथरी, बहादराबाद	रूड़की, गंगनहर, मंगलौर,, भगवानपुर, बुग्गावाला, झबरेड़ा	लक्सर, खानपुर
4.	नगर पंचायत	04	बी0एच0ई0एल0	लंढौरा, झबरेड़ा	लक्सर
5.	नगर पालिका परिषद	03	हरिद्वार	रूड़की, मंगलौर	—
6.	न्याय पंचायत	46	09		11
7.	ग्राम सभा	299	65	167	67
8.	छावनी	01	—	रूड़की	—
9.	कुल ग्राम	639	147	326	166
10.	आबाद ग्राम	497	119	251	127
11.	गैर आबाद ग्राम	143	31	71	31
12.	लेखपाल क्षेत्र	156	40	84	32
13.	राजस्वनिरीक्षक क्षेत्र	08	02	04	02
14.	भौगोलिक क्षेत्रफल	170756है0	51602है0	81512है0	37642है0
15.	कृषित क्षेत्रफल	131717है0	30434है0	70463है0	30320है0
16.	सिंचित क्षेत्रफल	119285है0	27242है0	62449है0	29594है0
17.	असिंचति क्षेत्रफेल	11932है0	3192है0	8014है0	726है0
18.	वन क्षेत्र	12095है0	11146है0	237है0	712है0
19.	जनगणना वर्ष 2001 के अनुसार	14,44,213	7,73,173 पुरूष	6,71040 महिला	ग्रामीण—9,98,550 नगरीय—11,24,488
20.	जनसंख्या घनत्व	612			

iLrkouk

tuin dk fooj.k

जनपद हरिद्वार जीवनदायिनी, मोक्षदायिनी गंगा नदी के दाहिने तट पर शिवालिक पर्वत श्रृंखलाओ की तलहटी में 29.58 उत्तरी अक्षांश तथा 79.10 पूर्वी देशान्तर में बसा हुआ है। शिवालिक पर्वतमाला के छोर पर ''बिल्व'' पर्वत और ''नील'' पर्वत के मध्य लम्बाई में बसा यह छोटा सा खूबसूरत नगर अपनी प्राकृतिक सुषमा, मनोहारी गंगा तटो, वहां होने वाली पूजा आरतियों के सुन्दर नयनाभिराम दृश्यों, शिवालिक की वन और पहाड़ी वाली प्राकृतिक विरासतों, मन्दिरो आश्रमों और अखाड़ों के कारण यह प्राचीन काल से यायावरो घुमक्कड़ों, तीर्थयात्रियों और गंगा भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है।

gfj}kj dk HkkSxksfyd Lo:i

मन्दिरों, घाटों और धार्मिक मान्यताओं के प्रसिद्ध हरिद्वार उत्तर पूर्व में उत्तराखण्ड के देहरादून व पौड़ी जिले की सीमाओं के साथ शिवालिक पर्वत श्रृंखलाओं और दक्षिण–पूर्व में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और बिजनौर जिलों की सीमा से लगा हुआ है। 20 दिसम्बर 1988 को अस्तित्व में आये इस जनपद का सृजन सहारनपुर जिले को विभाजित कर बिजनौर और मुजफ्फरनगर के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर किया गया।

gfj}kj dk /kkfeZd Lo:i

हरिद्वार केवल चार धामों का ही प्रवेश द्वार नही है, बल्कि प्रकृति ने यहां दिल खोलकर कई रमणीक पर्यटन स्थल, आध्यात्मिक केन्द्र और मोक्ष प्रदायिनी गंगा के घाटों का निर्माण किया है। यह पवित्र नगर जीवनदायिनी गंगा के दाहिने तट पर बिल्व और नील पर्वत के मध्य लम्बाई में बसा है। देशी विदेशी पर्यटक यहां के मनोहारी दृश्य तथा श्रद्धालुओ की अटूट आस्था पर हमेशा मंत्र मुग्ध रहते है। इसे पुलो की नगरी के नाम से भी जाना जाता है।

{ks=Qy ,oa iz'kklfud foHkktu

जनपद हरिद्वार का भौगोलिक क्षेत्रफल 2360 वर्ग कि0मी0 है। प्रशासनिक दृष्टि से जनपद को हरिद्वार रूडकी व लक्सर तीन तहसीलों तथा छः विकास खण्ड–बहादराबाद, रूडकी,नारसन, भगवानपुर, लक्सर व खानपुर में बांटा गया है।

जनगणना वर्ष 2001 के अनुसार जनपद की कुल जनसंख्या 1444213 है, जिनमें 773173 पुरूष एवं 671040 महिलाएं है। प्रति हजार पुरूष पर महिलाओ की संख्या 866 है। जनसंख्या का घनत्व 612 है। ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या 998550 है जबकि नगरीय क्षेत्र के अनुसार कुल जनसंख्या 1124488 थी जिनमें से 242658 अनुसूचित जाति के एवं 2026 अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या थी।

———

[kM& IV
vuØef.kdk
foHkkx& 30 ¼m|kx½

क्रम सं0	शासनादेश संख्या व दिनांक	विवरण	पृष्ठ सं0
1	संख्या–304/1–11–98–2/98 दिनांक 19.01.1998 दिनांक 19 जनवरी 1998	वन(सरक्षंण)अधिनियम 1980 के तहत भारत सरकार की पूर्वानुमति लिए बिना वन क्षेत्रो में किये जा रहे खनन एंव अन्य गैर वानिकी कार्यो को रोके जाने के सम्बंध में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) संख्या–202/95 टी0एन0 गोडाबर्मन थिरूमलकपाद बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 12.12.1996 का अनुपालन किया जाना ।	8
2	संख्याः1031/औ0वि0/2001 दिनॉक,30.04.2001	उत्तरॉचल राज्य खनिज नीति–2001 ।	9–10
3	अधिसूचना सं0:1187/ औ0 वि0/2001–22ख/2001 दिनॉक, 30.04.2001	उत्तरॉचल उपखनिज(परिहार)नियमावली–2001 (अनुकूलन एवं उपान्तरण) आदेश 2001	11
4	संख्याः1249/औ0वि0/2001–22 ख/2001दिनॉक, 08.05.2001	उत्तरॉचल राज्य खनिज नीति–2001	12
5	संख्याः1178/औ0वि0/2001–22 ख/2001दिनॉक,09.05.2001	उपखनिजों के खनन/चुगान के सम्बंध में।	13
6	संख्याः3498/औ0वि0–22 ख/2001 दिनॉक,17.10.2002	खनिज नीति–2001 में संशोधन।	14–16
7	संख्याः3673/औ0वि0–1/22 –ख टी.सी./2001 दिनॉक ,20.12.2002	उपखनिजों की रायल्टी निर्धारित किये जाने विषयक।	17–19
8	अधिसूचना संख्याः (1678/04)40/नौ–3–ऊ0/2004 दिनॉक, 17.04.2004	विद्युत अधिनियम,2003 की धारा 166(4) के अनुसार समन्वय मंच का गठन।	20
9	संख्या (1590/चार) 205/9–3–ऊ0/परि0अनु0स0 /02 दि0 5.4.04	उत्तरांचल में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं के संबंध में राज्य स्तरीय पर्यावरणीय अनुश्रवण समिति का गठन	21–22
10	संख्याः834/औ0वि0/88–ख/2003 दिनॉक,07.01.2004	उत्तरॉचल राज्य की खनिज सम्पदा के अन्तर्गत मुख्य खनिज सोपस्टोन के प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस एवं खनन पट्टों को स्वीकृत किये जाने की प्रक्रिया के सम्बंध में।	23–24
11	कार्यालय ज्ञाप संख्याः88 / 1/2004–01(3)/ 10/03 दिनॉक,11.10.2004	वी0एण्ड एल0 फार्म बुकलेट का मूल्य नियत किये जाने के सम्बंध में।	25
12	संख्याः2010/सात/2004–58–उद्योग/04 दिनॉक,23.08.2004	उत्तरॉचल हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद का गठन।	26–27
13	अधिसूचना संख्याः76/1/2004–02(3)/11/ 2003 दिनॉक,1.11.2004	विद्युत अधिनियम,2003 की धारा 152 की उपधारा(1) में अपराधों के शमन के निर्वहन हेतु कलक्टर को प्राधिकृत करने की स्वीकृति प्रदान किया जाना।	28
14	संख्याः1706/सात/17–उद्योग/04 दनॉक,02.11.2004	उत्तरॉचल सचिवालय से इतर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों/राजकीय वाहन चालकों को ग्रीष्मकालीन तथा शीतकालीन वर्दी अनुमन्य कराये जाने के सम्बंध में।	29–30
15	संख्याः926/औ0वि0/2004–05 दिनॉक,25.11.2004	व्यवसायिक कुक्कुट पालन को उद्योग का दर्जा दिये जाने के सम्बंध में अधिसूचना।	31
16	संख्याः968/औ0वि0/07–उद्योग/04–05 दिनॉक,25.11.2004	निजी क्षेत्रों में औद्योगिक आस्थानों /क्षेत्रों के विकास के लिये भूमि की न्यूनतम सीमा निरन्तरता में 30 एकड होने पर राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों/आस्थानों को चिन्हित/घोषित किये जाने के सम्बंध में नीति।	32
17	अधिसूचना संख्याः418/ विधायी एवं संसदीय कार्य/2005 दिनॉक,27.01.	उत्तरॉचल (उ0प्र0 विद्युत सुधार अधिनियम–1999) अनुकूलन एवं उपरान्तरण आदेश,2001(निरसन) अधिनियम,2005(उत्तरॉचल अधिनियम	33

	2005	संख्या:08,2005)	
18	संख्या :500 / औ0वि0–204 ख / 2004 दिनॉक,08.02.2005	पर्वतीय क्षेत्रों में निजी भवनों के निर्माण / मरम्मत आदि के लिये निर्माण सामग्री के निशुल्क खदान / चुगान के स्वीकृति के सम्बंध में	34–35
19	संख्या:3322 / सात / 259–ख / 2004 दिनॉक,23.02.2005	05 हैक्टेअर से अधिक मुख्य खनिज के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा जारी नोटिफिकेशन के सम्बंध में।	36
20	संख्या:749 / सात–1 / 05–158–ख / 2004 दिनॉक,16.03.2005	उत्तरॉचल खनिज (अवैध खनन,परिवहन,एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली,2005 को उत्तरॉचल राज्य में लागू किये जाने के सम्बंध में।	37–40
21	अधिसूचनासंख्या:1725 / 1 / 004–02(3) / 04 / 2004 दिनॉक,16. 04.2005	उत्तरॉचल राज्य सरकार विद्युत अधिनियम,2003 की धारा 126 की उप धारा(2) सपठित धारा 180 की उपधारा (2) के खण्ड (ट) के अधीन अनन्तिम निर्धारण आदेश की तामीली की रीति सम्बंधी नियम।	41–43
22	अधिसूचना संख्या: 2413 / सात–औ0वि0 / 05 / 182–उद्योग / 04 दिनॉक,12.07. 2005	सार्वजनिक निगमों / उपक्रमों में कार्यरत् कार्मिकों की अधिवर्षता आयु 60 वर्ष किये जाने की स्वीकृति।	44
23	संख्या :501 / खनन / 05– 06 दिनॉक,11.08.2005	उपखनिजों के चुगान से सम्बंधित अपरिहार्य भाटक एवं पट्टा विलेख निष्पादित किये जाने के सम्बंध में।	45–48
24	संख्या:2752 / सात–औ0वि0 / 14–ख / 2005 दिनॉक ,22.08.2005	नदी तल से लगी निजी नाप भूमि में खनन परिहार पर रोक लगाये जाने के सम्बंध में।	49
25	संख्या:2508 / सात–औ0वि0 / 124–ख I / 05 दिनॉक, 16.08.2005	मुख्य खनिजों के पी0एल0 एवं एम0एल0 आवेदन हेतु निर्धारित प्रारूप।	50

foHkkx& 31 vH;Fkuk@;kpuk l lcf/kr dk;l

(1)	(2)	(3)	(4)
26	सख्या–2–48 / चौतीस–विविध–1 / 1970,दिनांक , 7.03.1970	जनता से प्राप्त याचिकाओं पर शीध्र कार्यवाही करने की आवश्यक	51
27	संख्या–क–6 / चौतीस–विविध–1 / 0दिनांक:, 20 जनवरी 1972	जनता से प्राप्त याचिकाओं पर शीध्र कार्यवाही करने की आवश्यक	52

foHkkx& 32 oKkfud vu|l/kku@efnj

(1)	(2)	(3)	(4)
29	संख्य I938 / आठ / 1991 दिनांक 27 सितम्बर,1991	उत्तर प्रदेष हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपब्यय निवारण), अधिनियम ,1962 का अनुपालन	53–54
30	*संख्या– 658 / ध0का0–3(11) / 1990 दिनांक 12 अप्रेल,1990*	उत्तर प्रदेष हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पतित अपब्यय निवारण)अधिनियम, 1962 का अनुपालन ।	55–56
31	*संख्या 62 / मु.स. / आई.टी. / 2005, दिनांक जनवरी 16,2005*	*मैनुअल टंकण मषीनों की जगह कम्प्यूटर प्रयोग में लाए जाने के सम्बल्ध में*	57
34	*संख्या– 16 / पी0एस0 / स.प.डे.आ. / 05. दिनांक देहरादून नवम्बर 28,2005*	विभिन्न विभागो द्वारा कम्प्यूटर प्रयोग न लाये व इ–मैल का अधिकारियों से सूचना आदना प्रदान के लिए प्रयोग में न लाए जाने विषयक	58–59
35	*सं0– 218 / स.पर्य. / 2004, दिनांक 12 अप्रेल ,2004*	मा0 केन्द्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जी का पत्र में उल्लिखित सुझावों का अनुपालन सुनिष्चित किये जाने बावत।	60–61
36	*संख्या– 196 / पेंतीस (3) / 2005 दिनांक देहरादून 7 जून, 2005*	अधिसूचना	62
37	*संख्या–1137 / अप– प / 2005 देहरादूनः दिनांक 29 सितम्बर,2005*	धार्मिक प्रतीकों के अनुचित प्रयोग पर अंकुष लगाने हेतु विधिक ब्यवस्था की रुपरेखा तैयार किये जाने विषयक (कार्यालय ज्ञाप)	63
38	संख्या– 415 / पेंतीस ं3)–01 वि0को0 / 2005 देहरादून 13सितम्बर, 2005	उत्तरांचल मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोश (संषोधन) नयमावली,2005 (अधिसूचना)	64
39	सख्या–289 / पेंतीस(3) / 2006 देहरादून दिनांक 23जून,2006	मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोश से स्वीकृत धनराषि लाभार्थी को भुगतान किये जाने एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के संबध में ।	65–66

foHkkx& 33 fu;kstu

foHkkx&34

40	संख्या–1631/41–95–10/94 दिनांक 25–7–1995	प्रदेश में विभिन्न मेले/उत्सव एवं त्यौहारों का आयोजन।	67–70
41	संख्या–297/41–96–63/96 दिनांक 1 मार्च, 1996	पर्यटन से सम्बन्धित प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन।	71
42	संख्या–349/234/2002 दिनांक 29 अप्रैल, 2002	पर्वतीय क्षेत्र में स्वीकृत रैन बसेराओं की साज–सज्जा का कार्य करवाये जाने हेतु समिति का पुर्नगठन।	72–73
43	संख्या–611 प0अ0/ 2003–369 पर्य/2002 दिनांक 15–10'2003	श्री अनुसुयाप्रसाद मैखुरी, मा0 सदस्य विधान सभा को चारधाम विकास परिषद का उपाध्यक्ष नियुक्त करने के सम्बन्ध में।	74
44	संख्या–612 प0अ0/ 2003–231 पर्य0टी0सी0/2002, दिनांक 15–10'2003	श्री गणेश गोदियाल, मा0 सदस्य विधान सभा को गढ़वाल मण्डल विकास निगम लि0 का निदेशक एवं अध्यक्ष नियुक्त करने के सम्बन्ध में।	75
45	संख्या–657/परि0/02 –598(परि0)/03 दिनांक 31 अक्टूवर, 2003	उत्तराँचल राज्य के लिए उत्तराँचल परिवहन निगम की स्थापना।	76
46	संख्या–587/मु0स0/ 2004 दिनांक 14 मई, 2004	राज्य स्तर पर अर्न्तराजीय मेला/प्रदर्शनियों का आयोजन हेतु उत्तरॉचल जैविक उत्पाद परिषद को नोडल एजेन्सी नामित किया जाना।	77–79
47	संख्या–910/VI/ 2005– 3 (42)2005 दिनांक 20–8–2005	उत्तरॉचल राज्य में निजी निवेशकों द्वारा पर्यटन प्रयोजन हेतु भूमि कय की अनुमति के सम्बन्ध में।	80–83
48	संख्या–6550/IX/569/2005दिनांक 14–12–2005	वाहनों पर लाल बत्ती/नीली बत्ती तथा हूटर/सायरनों का प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में।	84–85
49	संख्या–109/VI / 2006 –3(60)2005 देहरादून दिनांक 28 जनवरी,2006	कार्यालय ज्ञाप	86–88

foHkkx& 35 lgdkfjrk¼'kklukns'k vikIr½

foHkkx& 36 lekt dY;k.k

(1)	(3)	(4)	
50	265/सत्रह(1)–2/05–321(समाज कल्याण) /02 दिनॉक21.7.05	भिक्षावृत्ति के निराकरण के संबंध में।	89
51	2840/सत्रह (2)/ 05 –90/05दिनॉक 22.8.05	विशाखा बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य रिट याचिका सं0 666/1992 में उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनॉक 13 अगस्त, 97 का अनुपालन के क्रम में जनपद स्तर पर समिति का गठन	90–91
52	310/XVII(1)–2/2005–144(समाज कल्याण) /2005 देहरादून दिनांक 23 जुलाई,2005	वृद्वजन हितार्थ कानूनी प्रावधानों के प्रचार प्रसार के संबंध में।	92

foHkkx& 37 ¼Je½ ¼'kklukns'k vikIr½

(1)	(2)	(3)	(4)
53	514/श्रम सेवा/105–रिट /04 दिनॉक 20 जुलाई, 04	सर्तकता समिति के गठन विषयक	93–94
54	/8/680–श्रम/2005 दिनॉक 23 नवंबर, 2005	उपजिलाधिकारियों को उनकी अधिकारिता की सीमा के भीतर नियमों के संगत उपबंधों के प्रयोजनार्थ निर्धारण अधिकारी और विहित प्राधिकारी नियुक्त करने विषयक।	95
55	/8/463–सेवा/02 दिनॉक 23 नवंबर, 2005	रोजगार नीति 2005	96–101

foHkkx& 38 df"k ¼'kklukns'k vikIr½

foHkkx& 39 i'kqikyu ¼'kklukns'k viklr½

foHkkx&40 ¼[kk|½

(1)	(2)	(3)	(4)
56	140 / चौदह / एससीपीसी / 2005 दिनॉक 15 अक्तूबर 2005	राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन।	102—103
57	137 / चौदह / डी0सी0 पी0सी0 / 2005 दिनॉक 15 अक्तूबर 2005	जिलाधिकारी को जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद का अध्यक्ष नियुक्त करने विषयक।	104

foHkkx& 41 iuokl ¼'kklukns'k viklr½

foHkkx&42 ¼ vkcdkjh½

(1)	(2)	(3)	;
58	संख्या 110—122 / सात—लाईसेंस / बार—नीति / 2001—2002 / उत्तरांचल। दिनांक दिनांक मार्च 06 2001	होटल एवं रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञापनों को वर्ष 2001—2002 हेतु व्यवस्थित किये जाने के सम्बन्ध में।	105—106
59	संख्या— 370 / गगपपप / 06 / 115 / 2005 दिनांक : दिनांक 06 मार्च, 2006	उत्तरांचल राज्य में देशी एवं विदेशी मदिरा एवंबियर की फुटकर बिक्री को विनियमित करने की दृष्टि से वित्तीय वर्ष 2006—07 के लिए निम्नवत् आबकारी नीति	107—112
60	संख्या 72 / सात लाई0—1टैक्स / 30 ए देहरादून 10 अप्रैल,2006	वर्ष 2006—07 की उत्तरांचल प्रदेश की लाईसेसिंग प्रणाली के अन्तर्गत अनुज्ञापन शुल्क ,उत्पाद शुल्क, निर्या,आयात,एसेस्ट फीस आदि का संक्षिप्त विवरण	113—116

foHkkx&43 lpuk ,oa tulaidZ foHkkx

61	सं0—952 / सू0ए0 ज0सं0 वि0 (विज्ञापन) दिनॉक 24—2—1982	उत्तर प्रदेश विज्ञापन मान्यता समिति लखनऊ की संस्तुति के आधार पर स्वीकृत साप्ताकि /पाक्षिक पत्रों के लिए प्रकाशन शर्तों के संबंध में।	117—118
62	सं0—भा0स0—76 / तीन—97—34 (1) / 96 दिनॉक 31—7—1997	गणतंत्र / स्वतंत्रता दिवस तथा अन्य राजकीय समारोहों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के संबंध में राष्ट्रीय ध्वज संहिता का अनुपालन	119
63	सं0—432 / सूचना / 2001 दिनॉक 28—3—2001	उत्तरांचल राज्य के सूचना एवं लोक संपर्क निदेशालय की स्थापना देहरादून में होगी की स्थापना तथा सूचना विभाग के पुनर्गठन की स्वीकृति संबंधी।	120—122
64	सं0—79 / सू0लो0सं0 / 53—सूचना / 2002 दिनॉक 16—12—2002	उत्तरांचल में आपदाग्रस्त पत्रकारों एवं उनके आश्रितों के लिए उत्तरांचल पत्रकार कल्याण कोष से वित्तीय सहायता की नियमावली का प्रख्यापन।	123—127
65	सं0—17 / सू0लो0सं0 / 2004—34 सूचना / 2003दिनांक 11.2.2004	अधिसूचना	128
66	सं0—530 / 18(1) / 2005 दिनॉक 6 अगस्त, 2005	राजस्व विभाग के अंतर्गत धारा 5(1) के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं धारा 5(2) सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं धारा 19 के अंतर्गत विभागीय अपील अधिकारी नामित करने विषयक।	129
67	सं0—188 / ग्ग्प् / 2005 दिनॉक 6—8—2005	सूचना का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु जनपदों में जिला सूचना अधिकारियों को समन्वय कार्यों हेतु नोडल अधिकारी नामित किए जाने के संबंध में।	130
68	संख्या—252 / XXII / 05 —01 (20) 2005 दिनॉक 3—10—2005	डा0 आर0एस0टोलिया को राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्ति की अधिसूचना।	131
69	सं0—266 / XXII / 2005—9 (31) 2005 दिनॉक 13—10—2005	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन पांच बिन्दुओं पर नियम	132—136
70		अध्याय—जन सामान्य तक सूचनाओं एवं अभिलेखों की पहुंच	137—179

foHkkx& 44 lkaf[;dh ¼'kklukns'k viklr½

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

विभाग– 30

संख्या–304 / 1–11–98–29 / 98 दिनांक 19.01.1998

प्रेषक,

श्री रोहित नन्दन,
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

उधोग अनुभाग–11 लखनऊ दिनांक 19 जनवरी 1998

विषयः– वन(सरक्षंण)अधिनियम 1980 के तहत भारत सरकार की पूर्वानुमति लिए बिना वन क्षेत्रो में किये जा रहे खनन एंव अन्य गैर वानिकी कार्यो को रोके जाने के सम्बंध में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) संख्या–202 / 95 टी0एन0 गोडाबर्मन थिरूमलकपाद बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 12.12.1996 का अनुपालन किया जाना ।

महोदय,

उपयुर्क्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासन के संज्ञान में यह बात लायी गयी है कि अभी भी कतिपय क्षेत्रो में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशो का अनुपालन नही हो पा रहा है और वन क्षेत्रो में अवैधानिक खनन की शिकायते भी प्राप्त हो रही है । शासन द्वारा विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में खनिजों के परिहार स्वीकृत करने एंव खनिज की निकासी के लिए परिवहन सवन्ना जारी करने में निम्नवत कार्यवाही सुनिश्चित की जाये–

(1) वन सरंक्षण अधिनियम,1990 की धारा2 में उल्लिखित वन भूमि के अर्न्तगत न केवल शब्दकोश के अर्थ (डिक्सनरी सेन्स) में वन आयेगें चाहे इसका स्वामित्वच किसी का क्यो न हो । अतः वन भूमि के अर्न्तगत सभी प्रकार के विधिक रूप में मान्यता प्राप्त(स्टच्यूटरी रिकगनाइज्ड)वन सम्मिलित होगें,चाहे वह आरक्षित,सरंक्षित या किसी अन्य नाम से(डिजिग्नेटेड)हो। इस प्रकार वन भूमि की परिभाषा में आयेगी । किसी भी प्रकार की भूमि में वन सरंक्षण 1980 के अर्न्तगत भारत सरकार की अनुमति प्राप्त किये बिना कोई भी खनिज परिहार स्वीकृत नही किये जायेगें । उक्त इंगित वन भूमि के क्षेत्रो में किसी भी प्रकार के खनन कार्य की सूचना प्राप्त होती है तो उसे तत्काल बन्द कराये जाने हेतु सम्बन्धित वन अधिकारी को निर्देशित कर दिया जाये ।

(2) पैरा–1 में परिभाषित वन भूमि की सीमा के सौ मीटर की परिधि में यदि खनिज परिहार के लिए कोई भी आवेदन पत्र प्राप्त होता तो उस आवेदन पत्र के साथ सम्बन्धित वन बन्दोबस्त अधिकारी की अनापत्ति प्रमाण पत्र,जिसमें यह उल्लिखित हो कि आवेदित भूमि वन भूमि की परिभाषा में नही आता है तथा आवेदित क्षेत्र पर वन सरंक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधान लागू होते है ।

(3) जिन पटटेदारो को खनिज परिहार स्वीकृत है उन्है परिवहन के लिए रवन्ना जारी करने के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक द्वारा कराकर यह सत्यापित करा लिया जाये कि वास्तव में क्षेत्र में खनन कार्य किया जा रहा है तथा इस बात की भी पुष्टि करा ली जाये कि निर्गत होने वाले रवन्नो का प्रयोग अवैधानिक रूप से किये गये खनिज के निकासी में उपयोग तो नही किया जा रहा है । यह प्रक्रिया नियमित अन्तराल पर क्षेत्रीय परीक्षण कराकर सत्यापित किया जाये कि खनिज ले जाने वाले के लिए जारी किये गये रवन्ना का उपयोग वैधानिक रूप से स्वीकृत क्षेत्र से निकाले गये खनिज के परिवहन के लिए ही उपयोग किया जा रहा है । इस कार्य में जिलाधिकारी / नामित अधिकारी उत्तरदायी होगें । कृपया उपरोक्त निर्देशो का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

भवदीय,
ह0 / –
(रोहित नन्दन)
सचिव ।

संख्या– 1031 / औ0वि0 / 2001

प्रेषक,

श्री दया राम,
अपर सचिव
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तरांचल ।

औधोगिक विकास विभाग देहरादून दिनांक 30 अप्रेल–2001

विषयः– उत्तरांचल राज्य खनिज नीति–2001।

महोदय,

उत्तरांचल राज्य में विभिन्न प्रकार के अपलब्ध चानिजो का दोहन आधुनिक तथा वैज्ञानिक विधि द्वारा सुनिश्चित करने,पर्यावरण का सरंक्षण एंव ,खनिज क्षेत्रो की पुर्नस्थापना करने,चानिज भण्डारो का आधुनिक तकनीक द्वारा विस्तृत अन्वेंषण का कार्य करने तथा खनिजो के दोहन एंव चुगान के कार्यो में माफियाओं के एकाधिकार को समाप्त करने हेतु शासन द्वारा उत्तरांचल राज्य खनिज नीति–2001 प्रख्यापित की गयी है । अतः उत्तरांचल राज्य के आर्थिक एंव औधोगिक विकास में वांछित आवश्यकताओ की पूर्ति एंव मानव संसाधनो को प्रोत्साहित करने के उद्वेश्य से निम्नलिखित निर्णयो को चरणबद्व व समयबद्व किये जाने का निर्णय लिया गया हैः–

मुख्य खनिज–

मुख्य खनिजो का विकास एंव विनिमय खान एंव खनिज(विकास एंव विनियमन)अधिनियम–1957 की धाराओं एंव खनिज परिहार नियमावली–1960 के प्राविधानो के अर्न्तगत किया जाता है । उक्त अधिनियम व नियमावली भारत–सरकार द्वारा प्रवृत्त की गयी है । उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूचि के भाग–ए एंव बी में स्पेसिफाइड मिनरल्स अंकित हे, जिसको रिकोनाइज्ड परमिट पी0एल0 / एम0एल0 पर स्वीकृत करने से पूर्व राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होता है । अन्य मुख्य खनिज जो उक्त अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में अंकित है को रिकोनाइज्ड / पी0एल0 / एम0एल0 पर स्वीकृत करने के लिए राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से पूर्वानुमति लेने की आवश्यकता नही पड़ती है । प्रदेश के अर्न्तगत सतही एंव भूगर्भ में पाये जाने वाले खनिज प्रदेश की सम्पत्ति होती है तथा सतही अधिकार प्रदेश में निहित है,इसलिए खनिज पर देय रायल्टी प्रदेश सरकार द्वारा ही वसूल की जायेगी ।

मुख्य खनिजो के सुनियोजित विकास के लिए निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी–

1– शासन द्वारा सचिव,औधोगिक विकास की अध्यक्षता में एक कार्यकारी दल का गठन किया जायेगा । कार्यकारी दल द्वारा मुख्य खनिजो के खनन में अपनाई जा रही तकनीक उनका पर्यावरण पर प्रीााव तथा खनन से सम्बन्धित प्रचलित कार्यप्रणाली को व्यवहारिक बनाने के सम्बंध में उपाय एंव सुझाव तैयार कराये जायेगें । मुख्य खनिजो के खनन से सम्बन्धित खान एंव खनिज(विकास एंव विनियमन) अधिनियम–1957 के सम्बंध में सुझाव देने का भी होगा ।

2– मुख्य खनिजो के खनन हेतु निजी क्षेत्र के ऐसे उधमियो को प्रोत्साहित किया जायेगा,जिनके पास यह कार्य करने हेतु पर्याप्त पूंजी एंव आधुनिक तकनीक उपलब्ध हो ।

3– खनिज युक्त क्षेत्रो में अवस्थापना की सुविधा उपलब्ध कराते हुए राज्य सरकार द्वारा खनिज स्टेट स्थापित किये जायेगें ।

4– खनिज विकास एंव अन्वेषण कार्यो के लिए खनिज विकास निधि की स्थापना की जायेगी । मुख्य खनिजो के खनन से प्राप्त रायल्टी का 5 प्रतिशत इस निधि में जमा किया जायेगा।

5– खनिज परिहार,खनिज पर आधारित उधोग तथा खनिज सम्बन्धी अन्वेषण कार्य को सुगम बनाने हेतु खनिज निदेशालाय में एकल मेज व्यवस्था(सिगंल विडो सिस्टम)की स्थापना की जायेगी ।

6– निम्न श्रेणी,सीमांत श्रेणी,खनन मलवा एंव खनिज आधारित उधोगो के सह उत्पादो को उपयोग में लाने का यथा सम्भव प्रयास किया जायेगा ।

उप खनिज–

वर्तमान में वन क्षेत्रो के बाहर उपखनिजो का खनन/चुगान का कार्य मुख्य रूप से निजी पटटाधारको के द्वारा ही किया जा रहा है । ऐसा अनुभव किया गया है कि इस प्रक्रिया के अर्न्तगत उप खनिजो की रायल्टी के सम्बंध में सम्प्रति सामान्य आंकलन के आधार पर वर्तमान में प्रचलित दरो में 20 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की जायेगी । रायल्टी का अंतिम रूप से निर्धारण विभिन्न बिन्दुओ पर विचारोपरान्त तकनीकी दृष्टिकोण से प्रशासनिक दृष्टिकोण से,एंव राजस्व हित को देखते हुए किया जायेगा औद तदनुसार निर्णयोपरान्त शासनादेश शीध्र ही निर्गत कर दिया जायेगा । वन विकास निगम एंव अन्य सरकारी विभाग/निगम जो उप खनिजो के खनन कार्य के लिए अधिकृत होगें,वे प्राप्त राजस्व की सूचना हर माह खनिज निदेशालय को उपलब्ध करायेगें । प्रश्नगत निगम/विभाग रायल्टी का 10 प्रतिशत सर्विस चार्ज प्राप्त करने के अधिकारी होगें ।

उप खनिजो के खनन से प्राप्त राजस्व का 5 प्रतिशत धनराशि को खनिज निधि में इस उद्वेश्य से रखा जायेगा,जिसका उपयोग उप खनिजो के खनन क्षेत्रो में भू–भाग पुर्नस्थापना हेतु किया जायेगा।

उप खनिजो के चुगान/खनन की संक्रियाये उत्तरांचल उप खनिज(परिहार) नियमावली–2001 के प्राविधानो के अर्न्तगत की जायेगी ।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें,और कृत–कार्यवाही से समय–समय पर शासन को अवगत कराने का कष्ट करें ।

भवदीय,
ह0/–
(दया राम)
अपर सचिव ।

पृष्ठांकन संख्या 1031/औ0वि0/2001 तददिनांकित ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1–सभी सरकार निगमो के प्रबनध निदेशक को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
2–निदेशक,भूतत्व एंव खनिकर्म विभाग,उत्तरांचल ।
3–नोडल अधिकारी/उप निदेशक, भूतत्व एंव खनिकर्म विभाग देहरादून ।
4–प्रभारी अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय भूतत्व एंव खनिकर्म विभाग देहरादून/हल्द्वानी ।
5–गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
ह0/–
(दया राम)
अपर सचिव ।

उत्तरांचल शासन
औधोगिक विकास विभाग
संख्या–: 1187 / औ0वि0 / 2001–22–ख / 2001

सचिवालय,देहरादून दिनांक 30 अप्रेल 2001

अधिसूचना

चूंकि उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली 1963 उत्तर प्रदेश पुर्नगठन अधिनियम 2000 की धारा–86 के अधीन उत्तरांचल राज्य मं लागू है । अतः अब उत्तर प्रदेश पुर्नकठन अधिनियम 2000(अधिनियम संख्या–29 सन 2000) की धारा–87 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए महामहिम श्री राज्यपाल उत्तरांचल सहर्ष निर्देश देते है कि उत्तर प्रदेश उप–खनिज(परिहार) नियमावली–1963 उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों की अधीन अध्यधीन लागू रहेगाः–

उत्तरांचल उप–खनिज(परिहार)नियमावली 2001(अनुकुलन एंव उपरान्तरण आदेश–2001)

1– संक्षिप्त शीर्षक एंव प्रारम्भ

(1) यह आदेश उत्तरांचल उप–खनिज(परिहार) नियमावली 2001 अनुकूलन एंव उपरान्तरण आदेश 2001 कहलायेगा ।

(2) यह तत्काल लागू होगा ।

2– उत्तर प्रदेश के स्थान पर उत्तरांचल पड़ा जाना

उततर प्रदेश उप खनिज(परिहार) नियमावली 1963 में जहां–जहां शब्द''उत्तर प्रदेश' आया है,वहां शब्द उत्तरांचल के रूप में पढ़ा जायेगा ।

3– उपरोक्तानुसार प्रख्यापित उत्तरांचल उप–खनिज(परिहार)नियमावली 2001 के नियम–1 में उपधारा–5 निम्नवत जोड़ दिया जायेगा–

' यह नियमवली राज्य सरकार द्वारा सरकारी विभागो,सरकारी निगमो या कानूनी निगमो से खनन कार्य को कराने के अधिकार को प्रभावित नही करेगी ।उपरोक्तानुसार प्रख्यापित उत्तरांचल उप खनिज (परिहार) नियमावली'2001 के नियम–3 के उपनियम–2 में कोई से पहले निम्नवत जोड़ दिया जायेगाः–

'' जहां पर खनन कार्य सरकारी विभाग,सरकारी निगम या कानूनी निगमो द्वारा किया जा रहा हो को छोड़कर''

आज्ञा से
एन0एन0 प्रसाद
सचिव ।

पृष्ठाकनं संख्या 1187(1) / औ0वि0 / 2001 तददिनांकितः

प्रतिलिपि–

1– अधीक्षक,मुद्रण एंव लेखन सामाग्री राजकीय मुद्रणालय,रूड़की जिला हरिद्वार को सरकार गजट में प्रकाशनार्थ ।
2– समस्त जिलाधिकारी,उत्तराचल ।
3– निदेशक,भूतत्व एंव खनिकर्म विभाग उत्तरांचल ।
4– गार्ड फाइल ।

आज्ञा से
ह0 / –
(दया राम)
अपर सचिव।

संख्या–1249 / औ0वि0 / 2001–22–ख / 2001

प्रेषक,

श्री दया राम,
अपर सचिव
उत्तरांचल शासन ।

सेवामें,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल ।

औधोगिक विकास शाखा देहरादून दिनांक 08 मई 2001

विषयः– उत्तरांचल राज्य खनिज नीति–2001

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या–1031 / औ0वि0 / 2001 दिनांक 30 अप्रेज 2001 के क्रम में मुझे यह करने का निर्देश हुआ है कि उत्तरांचल राज्य के खनिज एंव औधोगिक विकास में वाछित आवश्यकता की पूर्ति एंव मानव संसाधनो को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित प्रक्रियाये अपनाये जाने का निर्णय लिया गया है :–

1– 1. उत्तरांचल के पर्वतीय क्षेत्रो में (उत्तरांचल के मैदानी क्षेत्रो को छोड़कर) जिन सीनो पर नदी का तट व्यवसायिक खनन के लिये उपयुकत हो,वही पर स्थानीय(केवल स्थानीय) लोगो को खनन चुगान हेतु पटटे दिये जायें ।

2. जिन सीनो पर चटटान उपलब्ध हो वहां पर चटटान तोड़कर स्टोन क्रेशर लगाये जायें।

2– उपरोक्त दोनो बिन्दुओ पर पटटे स्वीकृत करने का अधिकार सम्बन्धित क्षेत्रो के जिलाधिकारियो में निहित होगा । जिलाधिकारी उपरोक्त बिन्दुओ पर पटटे स्वीकृति उत्तरांचल उप–खनिज(परिहार) निमयावली 2001 के अधीन सुनिश्चित करेंगें ।

3– अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें, और कृत कार्यवाही से समय–समय पर शासन को अवगत कराने का कष्ट करें ।

भवदीय,

ह0 / –
(दया राम)
अपर सचिव ।

संख्या–1178 / औ0वि0 / 2001–22–ख / 2001

प्रेषक,

श्री दयाराम,
अपर सचिव
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल ।

औधोगिक विकास शाखा देहरादून दिनांक 09 मई 2001

विषयः– उपखनिजो के खनन / चुगान के सम्बंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या–1178 / औ0वि0 / 2001–22–ख / 2001 दिनांक 30.4.2001 के सम्बंध में मुझे यह करने का निर्देश हुआ है कि उप–खनिजो(बालू,बोल्डस,बजरी,मोरम आदि) के चुगान / खनन हेतु कुमायूं मण्डल विकास निगम / गढ़वाल मण्डल विकास निगम / वन विकास निगम,उत्तरांचल खनन कार्य प्रारम्भ करने से पहले कोई अग्रिम धनराशि यथा अपरिहार्य भाटक (डेड रेन्ट) जमा करने की स्थिति में न हो तो उन्है इससे छूट प्रदान कर दी जाये । इस सम्बंध में यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि निगम हर 15 दिन में उपखनिजो की निकासी पर देय रायल्टी का भुगतान करते रहेगें ।

2– कृपया तदनुसार कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करने का कष्ट करें,और कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें ।

भवदीय
ह0 / –
(दया राम)
अपर सचिव ।

पृष्ठाकंन संख्याः 1178(1) / औ0वि0 / 2001–22–ख / 2001 तददिनांकित ।
प्रतिलिपि– निम्नलिखित के सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1– प्रबन्ध निदेशक,वन विकास निगम,उत्तरांचल ।
2– प्रबन्ध निदेशक,गढ़वाल मण्डल विकास निगम देहरादून ।
3– प्रबन्ध निदेशक कुमांयू मण्डल विकास निगम नैनीताल ।
4– निदेशक भूतत्व एंव खनिकर्म विभाग उत्तरांचल ।
5– उप–निदेशक / नोडल अधिकारी भूतत्व एंव खनिकर्म विभाग देहरूदन
6– क्षेत्रीय कार्यालय,भूतत्व एंव खनिकर्म विभाग देहरादून / हल्द्वानी ।
7– गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
ह0 / –
(दया राम)
अपर सचिव ।

संख्या–3498 / औ0वि0–22–ख / 2001

प्रेषक,

श्री एस0 कृष्णन,
प्रमुख सचिव ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल ।

औधोगिक विकास देहरादून दिनांक अक्टूबर 17,2002

महोदय,

उत्तरांचल राज्य में विभिन्न प्रकार के उपलब्ध खनिजो का दोहन आधुनिक विधि द्वारा सुनिश्चित करने,पर्यावारण का सरंक्षण एंव खनिज भण्डारो का आधुनिक तकनीकी से विस्तृत अन्वेषण का कार्य करने के साथ ही साथ उपखनिजो के खुदान / चुगान कार्यो में एकाधिकार समाप्त किये जाने के उदेश्य से खनिज नीति–2001 दिनांक 30.4.2001 प्रख्यापित की गयी थी ।

2– राज्य की खनिज नीति–2001 के पुनरावलोकन की आवयकताओ को महसूस करते हंए नीति का विस्तृत परीक्षण पर्यावरण सरंक्षण,राजस्व प्राप्ति उपभोक्ताओ तथा निमार्ण सस्थाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने के उदेश्य को सज्ञांन में रखते हुए किया गया । राज्य की वर्तमान खनिज नीति को अधिक प्रभावशाली एंव विकारोन्मुखी बनाये जाने के परिप्रेक्ष्य में राज्य में उपलब्ध उपखनिज सम्पदा का खदान / चुगान कराये जाने हेतु शासन द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैः–

2.1 उप खनिजो से आच्छादित खनन क्षेत्रो में एकाधिकार की सम्भावनाओ को समाप्त करने एंव खदान / चुगान का कार्य पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए वैज्ञानिक विधि से सुनिश्चित करने हेतु यह कार्य गत वर्ष की भांति सरकारी निगमा द्वारा ही कराया जायेगा ।

2.2 यथासम्भव सरकारी निगमा को नदीवार खदान / चुगान के पटटे स्वीकृत किये जायेगें ताकि इस कार्य में बेहतर समन्वय एंव नियत्रंण सुनिश्चित हो सकें। इस हेतु जनपद देहरादूर के समस्त क्षेत्रो में गढ़वाल मण्डल विकार निगम द्वारा उन खनिजो का खदान / चुगान किया जायेगा । परन्तु हरिद्वारा में उप खनिज आहुल्य क्षेत्र की अधिकता के कारण वन क्षेत्रो में उप खनिज का खदान / चुगान उत्तरांचल वन विकास निगम एंव राजस्व क्षेत्रो में उप खनिजो के खदान / चुगान का कार्य गढ़वाल मण्डल विकास निगम द्वारा किया जायेगा ।

2.3 खनिज नीति 2001 के अर्न्तगत मैदानी क्षेत्रो की श्रेणी में से कतिपय छूटे हुए सीनो यथा टनकपुर(शारदा) रामनगर,कोटद्वार,सतपुली एंव श्रीनगर(अलकनंदा) में भी उपयुक्त निगम के माध्यम से खदान,चुगान की व्यवस्था की जायेगी । सम्बन्धित जिलाधिकारी इन नदियो / क्षेत्रो तथा इस प्रकार के यदि कोई नदियां / क्षेत्र हो के सम्बंध में वन विकास निगम / गढ़वाल मण्डल विकास निगम / कुमांयू मण्डल विकास निगम के अधिकारियो से विचार विमर्श के उपरान्त तुरन्त प्रस्ताव शासन को उपलब्ध करायेगें ।

2.4 पर्वतीय एंव मैदानी क्षेत्रो की विभिन्न नदियों के छोटे–छोटे लाटो में जहां उप खनिजो का खदान,चुगान होता था / हो सकता है,परन्तु वन सरक्षंण अधिनियम 1980 के अर्न्तगत अनुमति न मिलने के कारण सम्भव नही हो रहा है के जनपदवार समग्र प्रस्ताव सम्बन्धित निगमो या उत्तरांचल राज्य सहकारी विपणन संध द्वारा तेयार कर जिलाधिकारी के माध्यम से भारत सरकार को अनुमति हेतु प्रेषित किये जायेगें । इस प्रकार भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम–1980 के अर्न्तगत चुगान की अनुमति प्राप्त होने पर उक्त क्षेत्रो में चुगान का कार्य सरकारी निगम / उत्तराचंल राज्य सहाकारी विपणन संध स्वय करेंगें । यदि किन्ही परिस्थितिवश उपरोक्त संस्थाये उक्त कार्य स्वंय करने में असमर्थ हो तो यह कार्य उपरोक्त संस्थाआं की देख–रेख में स्थानीय व्यक्तियो / संस्था से कराये जाने की वैकल्पिक व्यवस्था शासन की अनुमति से सुनिश्चित करेगें ।

2.5 उपरोक्त प्रस्तर 2.2 एंव 2.3 के अतिरिक्त निजी नाप भूमि पर अथवा किन्ही अन्य परिस्थितियों में जिला स्तर से उप खनिजो के खदान / चुगान के पटटे अल्पावधि के खनन अनुज्ञा पत्र स्वीकृत किये जाने से पूर्व शासन की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।

2.6 उप खनिजो के दुरूपयोग तथा राजस्व की क्षति रोकने के उदेश्य से स्टोन क्रेशर्स में आने वाले उप खनिजो की मात्रा एंव उनके द्वारा तैयार माल को समय–समय पर चैक किया जाना

एंव स्टोन क्रेशर से उप खनिजो की निकासी पर भी प्रभावी पर्यवेक्षण जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा ।

2.7 उत्तरांचल मं स्टोन क्रेशर्स की स्थापना के सम्बंध में निम्नलिखित निर्णय लिये गये है :–

(1) स्टोन क्रेशस स्कूल,कालेज/चिकित्सालय/मंदिर/पुल/नहर से कम से कम 500 मी0 दूर होने चाहिए ।

(2) प्रदुषण मुक्त होने के लिए प्रदुषण नियत्रंण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा।

(3) राजस्व विभाग से इस आशय का अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा कि प्रस्तावित स्टोन क्रेशस नदी तट,आरक्षित वन क्षेत्र एंव मुख्य सड़क मार्ग(राष्ट्रीय राजमार्ग एंव राज्यीय राजमार्ग) से कम से कम 500 मी0 की दूरी पर हो तथा दो स्टोन क्रेशरो के बीच की दूरी कम से कम 500 मीटर होनी चाहिए ।

2.8 दड़ा(आर0बी0एम0)की रायल्टी रेट मिश्रण में पाये जाने वाले अधिकतम रायल्टी वाले उप खनिज अर्थात बजरी के रायल्टी रेट के बराबर होगी ।

2.9 निगमो के क्षेत्रो में उप खनिजो के खदान/चुगान,छनाई एंव लदान कार्य में लगे श्रमिको की वांछित मजदूरी का नियमिति भुगतान सुनिश्चित कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाये । इसी क्रम में चुगान क्षेत्र से अवैध खनन एंव निकासी पर प्रभारी नियत्रंण रखना भी सुनिश्चित किया जाये ।

2.10.1 राजकीय निर्माण कार्यो हेतु निर्माण सामाग्री उचित मूल्य पर उपलब्ध कराये जाने के उदेश्य से चिन्हित सीलो पर(जनपद देहरादून,ऊधमसिंह नगर,हिरद्वार व जनपद नैनीताल की हलद्वानी व रामनगर तहसीलो को छोडकर) उप खनिजो के चुगान के पटटे निर्माण विभागो द्वारा आवेदन करने पर जिलाधिकारी द्वारा दिये जायेगें ।

2.10.2 जहां किन्ही कारणोवश ऐसी व्यवस्था उपलब्ध/सम्भव न हो वहां सम्बन्धित निर्माण संस्था के अधिशासी अभियन्ता के प्रमाण पत्र पर निगम के प्रख्यापित मूल्यो पर निर्माण सामाग्री सम्बन्धित निगम द्वारा कार्यदायी संस्था के अधिकृत व्यक्ति को उपलब्ध करायी जायेगी ताकि सरकारी निर्माण संस्थाओ को उनकी न्यनूतम आवश्यकतानुसार निर्माण सामाग्री न्यूनतम दूरी से उचित मूल्य पर उपलब्ध हो सकें। इस प्रकार की व्यवस्था प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए भी लागू रहेगी ।

2.10.3 उपरोक्त सरकारी महत्व के कार्यो में निर्माण सामाग्री की उपलब्धता के सम्बंध में सम्बन्धित मण्डलायुक्त आपूर्ति व्यवस्था की लगातार समीक्षा कर समय–समय पर आने वाली कठिनाईयो का निराकरण अपने स्तर से करेगें । आवश्यकतानुसरीर प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया जायेगा ।

मुझे यह कहने का भी निर्देश हुआ है कि शासन द्वारा लिये गये उपरोक्त निर्णयो
का अनुपालन एंव क्रियान्वयन प्रभावी ढ़ग से किया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें ।

भवदीय,
ह0/–
(एस0 कृष्णन)
प्रमुख सचिव ।

पृ0स0 3498/औ0वि0–22–ख/2001 देहरादून दिनांक अक्टूबर 17,2002

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तरांचल शासन ।
2– निदेशक उधोग,उधोग निदेशालय उत्तराचंल देहरादून ।
3– मण्डलायुक्त गढ़वाल/कुमांयू उत्तरांचल ।
4– प्रबन्ध निदेशक, गढ़वाल मण्डल विकास निगम/कुमांयू मण्डल विकास निगम/उत्तरांचज वन विकास निगम ।
5– स्टाफ आफीसर मुख्य सचिव उत्तरांचल शासन ।
6– अपर निदेशक,भूतत्व एंव खनिकर्म इकाई देहरादून ।
7– निजी सचिव,मा0 औधोगि विकास मंत्री ।

8— गोपन अनुभाग ।

9— उप निदेशक,राजकीय मुद्रणालय रूड़की जनपद हरिद्वारा को आगामी गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

आज्ञा से,
ह0/—
(पुनित कंसल)
अपर सचिव ।

संख्या–3673 / औ0वि0–1 / 22–ख टी.सी. / 2001

प्रेषक,

अपर सचिव,
औधोगिम विकास विभाग
उत्तरांचल ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल ।

औधोगिक विकास विभाग–1 देहरादून दिनांक 20.12.2002

विषयः– उप–खनिजो की रॉयल्टी निर्धारित किये जाने विषयक ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश सं0–1031 / औ0वि0 / 2001 दिनांक 30.4.2001 जो उत्तरांचल राज्य खनिज नीति–2001 से सम्बन्धित है तथा जिसके अन्तिम पृष्ठ के प्रस्तर–1 में उप–खनिलो की रॉयल्टी के सम्बंध में तत्कालीन प्रचलित दरो में 20 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी किये जाने का निर्णया लिया गया था,के क्रम मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासन द्वारा विचारोपरान्त दिनांक 28.3.2001 को प्रचलित उप–खनिजो की रॉयल्टी दरो का पुर्ननिर्धारण निम्नवत किया जाता है :–

स्तम्भ–1 दिनांक 30.4.2001 के पूर्व प्रचलित दरें प्रथम अनुसूची(नियम–22)

स्तम्भ–2 एतदद्वारा दिनांक 30.4.2001 से पुर्ननिर्धारित दरे प्रथम अनुसूची (नियम–22)

खनिज	स्थामित्व(रॉयल्टी) की दर	खनिज	स्थामित्व (रॉयल्टी)की दर
1	2	3	4
1. चूना पत्थर	रू0 35.00 प्रति मैट्रिकटन रू0 63.00 प्रति घनमीटर	1. चूना पत्थर	रू0 42.00 प्रति मैट्रिकटन रू0 75.00 प्रति घनमीटर
2. मार्बल या मार्बल चिप्स (संगमरमर)	रू0 50.00 प्रति मैट्रिकटन रू0 90.00 प्रति घनमीटर	2. मार्बल या मार्बल चिप्स (संगमरमर)	रू0 60.00 प्रति मैट्रिकटन रू0 108.00 प्रति घनमीटर
3. ईट बनाने की मिटटी	रू0 12.00 प्रति हजार बनी ईट	3. ईट बनाने की मिटटी	रू0 14.40 प्रति हजार बनी ईट
4. शीरा (साल्ट पीटर)	रू0 0.50 प्रति कि.ग्रा. या रू0 50.00 प्रति कुन्तल	4. शीरा (साल्ट पीटर)	0.60 प्रति कि.ग्रा. या रू0 60.00 प्रति कुन्तल
5. हमारती पत्थर(बिल्डिंग स्टोन) 1. स्लैब्स अशलर सहित साईज्ड डायमेंशनल स्टोन(सेंड स्टोन,क्वाटर साईज्ड) 2. मिल्स स्टोन व हथचक्की (सेंडस्टोन,क्वाटरसाईज्ड) 3. खण्डास और बोल्डर्स– 4. (क) ग्रेनाईट एंव डोलोस्टोन (25ग25ग 25सेमी0साईज तक)	रू0 120.00 प्रति घनमीटर रू0 135.00 प्रति घनमीटर रू0 25.00 प्रति घनमीटर	5. हमारती पत्थर(बिल्डिंग स्टोन) 1.स्लैब्स अशलर सहित साईज्ड डायमेंशनल स्टोन(सेंड स्टोन,क्वाटर साईज्ड) 2. मिल्स स्टोन व हथचक्की (सेंडस्टोन,क्वाटरसाईज्ड) 3. खण्डास और बोल्डर्स– 4. (क) ग्रेनाईट एंव डोलोस्टोन (25ग25ग 25सेमी0साईज तक)	रू0 144.00 प्रति घनमी0 रू0 162.00 प्रति घनमी0 रू030.00 प्रति घनमी0 रू0 24.00 प्रति घनमी0

(ख) सेण्डस्टोन,क्वाटरसाईज्ड (25ग25ग25सेमी0 साईज तक) 5. मिटटी बैलास्ट– (क) ग्रेनाईट एंव डोलोस्टोन) (ख) सेंडस्टोन क्वाटरसाईज्ड 6. ग्रेनाइट(साईज्ड डायमेंशनल स्टोन) (क) 1 मी0 या उससे बड़ा (ख) 1 मी0 या उससे छोटा	रू0 20.00 प्रति घनमीटर रू0 30.00 प्रति घनमीटर रू0 23.00 प्रति घनमीटर रू0 600.00 प्रति घनमी0 रू0 400.00 प्रति घनमी0	(ख) सेण्डस्टोन,क्वाटरसाईज्ड (25ग25ग25सेमी0 साईज तक) 5. मिटटी बैलास्ट– (क) ग्रेनाईट एंव डोलोस्टोन) (ख) सेंडस्टोन क्वाटरसाईज्ड 6. ग्रेनाइट(साईज्ड डायमेंशनल स्टोन) (क) 1 मी0 या उससे बड़ा (ख) 1 मी0 या उससे छोटा	रू0 36.00 प्रति घनमी0 रू0 27.60 प्रति घनमी0 रू0 720.00 प्रति घनमी0 रू0 480 प्रति घनमी0
6. मोरम– 1. नदी तल में उपलब्ध 2. पहाड़ो के क्षरण के फलस्वरूप उत्पन्न लाल मोरम	रू0 17.00 प्रति घनमी0 रू0 12.00 प्रति घनमी0	6. मोरम– 3. नदी तल में उपलब्ध 4. पहाड़ो के क्षरण के फलस्वरूप उत्पन्न लाल मोरम	रू0 20.40 प्रति घनमी0 रू0 14.40 प्रति घनमी0
7. विहित प्रयोजन के लिए प्रयुक्त होने वाले बालू से भिन्न साधारण बालू– 1. प्रथम श्रेणी(अनुसूची 2 में उल्लेखित जनपदो में उपलब्ध बालू) 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. श्रेणी(अनुसूची 2 में उल्लेखित	रू0 15.00 प्रति घनमी0	7. विहित प्रयोजन के लिए प्रयुक्त होने वाले बालू से भिन्न साधारण बालू– 1.प्रथम श्रेणी(अनुसूची 2 में उल्लेखित जनपदो में उपलब्ध बालू) 9. 10. 11. 12. 13. 14. श्रेणी(अनुसूची 2 में उल्लेखित	रू0 18.00 प्रति घनमी0
2.द्वितीय श्रेणी (अनुसूची 2 में उल्लेखित जनपदो में उपलब्ध बालू)	रू0 10.00 प्रति घनमी0	2.द्वितीय श्रेणी (अनुसूची 2 में उल्लेखित जनपदो में उपलब्ध बालू)	रू0 12.00 प्रति घनमी0
8. ककड़	रू0 8.00 प्रति घनमी0	8. ककड़	रू0 9.60 प्रति घनमी0
9. बजरी (सिगंल)	रू0 25.00 प्रति घनमी0	9. बजरी (सिगंल)	रू0 30.00 प्रति घनमी0
10. साधारण मिटटी	रू0 4.00 प्रति घनमी0	10. साधारण मिटटी	रू0 4.80 प्रति घनमी0
11. कोई अन्य उप खनिज जिनके लिए स्वामित्व की दर निर्धारित नही है ।	खान पर बिक्री मूल्य का 10 प्रतिशत	11. कोई अन्य उप खनिज जिनके लिए स्वामित्व की दर निर्धारित नही है ।	खान पर बिक्री मूल्य का 12 प्रतिशत

स्तम्भ–1
दिनांक 30.4.2001 से पूर्व प्रचलित दरें
द्वितीय अनुसूची (नियम 22)

स्तम्भ–2
एतदद्वारा दिनांक 30.4.2001 से पुर्ननिर्धारित दरें
द्वितीय अनुसूची (नियम–22)

उप खनिजो के नाम	जिले/नदी का नाम	प्रति एकड़ वार्षिक उपरिहार्य भाटक की दर	उप खनिजो के नाम	जिले का नाम	प्रति एक़ड वार्षिक उपरिहार्य भाटक
1	2	3	4	5	6
1–मार्बल और मार्बल चिप्स	देहरादून,अल्मोड़ा,टिहरी गढ़वाल और अन्य जिले यदि कोई हो	3000.00	1–मार्बल और मार्बल चिप्स	उत्तरांचल के सभी जिलो के लिए	3000.00
2– चूना पत्थर (लाइम स्टोन)	देहरादून,अल्मोड़,टिहरी, गढ़वाल,नैनीताल अन्य जिले यदि कोई हो	3000.00	2– चूना पत्थर (लाइम स्टोन)	उत्तरांचल के सभी जिलो के लिए	3000.00
3–इमारती पत्थर एक सेंडस्टोन और क्वाईजाइट	उत्तरांचल के सभी जिले	6000.00	3–इमारती पत्थर एक सेंडस्टोन और क्वाईजाइट	उत्तरांचल के सभी जिले	6000.00
4–ऐसे इमारती पत्थर मिटटी(बेलास्ट) बजरी और साधारण मिली जुली अवस्था में नदी के तल पर मिलते हो	उत्तरांचल के सभी जिले	बोल्डर्स 6000.00 बजरी 6000.00 साधारण बालू 3000.00 प्रत्येक खनिज पर अलग दर लगेंगी ।	4–ऐसे इमारती पत्थर मिटटी(बेलास्ट) बजरी और साधारण मिली जुली अवस्था में नदी के तल पर मिलते हो	उत्तरांचल के सभी जिले	बोल्डर्स 6000.00 बजरी 6000.00 साधारण बालू 3000.00 प्रत्येक खनिज पर अलग दर लगेंगी ।
5–मोरम (एक) नदी तल (दो) पहाड़ो के क्षरण के फलस्वरूप जमा तल मौरम	उत्तरांचल के सभी जिले उत्तरांचल के समस्त जिले जहां उपलब्ध हो	6000.00 2000.00	5–मोरम (एक) नदी तल (दो) पहाड़ो के क्षरण के फलस्वरूप जमा तल मौरम	उत्तरांचल के सभी जिले उत्तरांचल के समस्त जिले जहां उपलब्ध हो	6000.00 2000.00
6– साधारण मिटटी	उत्तरांचल में किसी भी स्थान का	1000.00	6– साधारण मृदा(आर्डिनरी क्ले) अथवा साधारण मिटटी (आर्डिनरी अर्थ)	उत्तरांचल में किसी भी स्थान का	1000.00
7–अन्य उप खनिज	उत्तरांचल के सभी जिले	1000.00	7–अन्य उप खनिज	उत्तरांचल के सभी जिले	1000.00

2–उक्त व्यववस्था अग्रिम आदेशो तक यथावत लागू रहेगी ।

भवदीय
ह0/–
(एस0 कृष्णन)

पृ0स0 /औ0वि0–1/22–ख0टी0सी0/2001 दिनांक 20.12.2002

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1– निदेशक उधोग उधोग निदेशालय देहरादून ।
2– प्रभारी अधिकारी भूतत्व एंव खनिकर्म इकाई देहरादून ।
3– समस्त औधोगि संगठन उत्तरांचल ।
4– समस्त सरकारी निगम उत्तरांचल ।
5– उप निदेशक राजकीय मुद्रणालय रूड़की को आगामी गजट में प्रकाशनार्थ ।

ह0/–
(पुनित कसंल)
अपर सचिव ।

mRrjkpy 'kklu

संख्या–(1678 / 04) 40 / नौ–3–ऊ / 2004

देहरादून दिनांक 17 अप्रेल 2004

vf/klpuk

विधुत अधिनियम 2003 की धारा–166(4) में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतदद्वारा सम्बन्वय मंच(ब्ववतकपदंजपवद थ्वतनउ) के गठन हेतु निम्नांकित आदेश पारित करते हैः–

1& leUo; ep dk xBu&

समन्वय मंच में निम्नांकित व्यक्ति होगें–

(क) अध्यक्ष,उत्तरांचल विधुत नियामक आयोग देहरादून । — अध्यक्ष
(ख) प्रमुख सचिव / सचिव ऊर्जा उत्तरांचल शासन । — सदस्य
(ग) सचिव,नियोजन उत्तरांचल शासन । — सदस्य
(घ) निदेशक उरेडा । — सदस्य
(ड) राज्य की पारेषण संस्थाएँ(ज्न्ैस्क्ब) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी — सदस्य
(च) राज्य के विधुत उत्पादन उपक्रम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी — सदस्य
(छ) राज्य में कार्यरत प्रत्येक अनुज्ञापी के मुख्य कार्यकारी — सदस्य
(ज) राज्य में स्थित प्रत्येक उत्पादन कम्पनी के मुख्य कार्यकारी — सदस्य
(झ) राज्य में स्थित प्रत्येक उत्पादन उपक्रमो द्वारा समय–समय पर नामित प्रतिनिधि– सदस्य
(य) पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इन्डिया लि0 के द्वारा समय–समय पर नामित प्रतिनिधि– — सदस्य

2& leUo; ep d dk;&

(1) निश्चित कालावधि में समीक्षा करते हुए राज्य में भविष्य में ऊर्जा की मांग एंव उत्पादन / उपलब्धता के दृष्टिगत उपलब्ध संसाधनो के ईष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने एंव राज्य की जल विधुत क्षमता,पारेषण तथा वितरण तंत्र और ऊर्जा तंत्र के अन्य संघटनो के समन्वित विकास के मध्य सन्तुलन के लिए मत नियत करना ।

(2) राज्य में विधुत क्षेत्र से सम्बन्धित विभिन्न हित साधको(विशेष रूप से उत्पादन कम्पनी,पारेषण यूटिलिटी एंव वितरण लाइसेंसी)के कार्यो के मध्य उचित समन्वय स्थापित करना ।

(3) राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर नियत किये गये अन्य कार्य ।

3& cBdk dh dkykof/k&

अध्यक्ष द्वारा यथा निश्चित बारम्बारता परन्तु प्रत्येक त्रेमास में कम से कम एक बार समन्वय मंच की बैठक की जायेगी ।

एस0 कृष्णन,
प्रमुख सचिव ।

संख्या– (1678 / 04)40 / नौ–3–ऊ / 2004 तददिनांक ।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अध्यक्ष,उत्तरांचल विधुत नियामक आयोग देहरादून ।
2– अध्यक्ष एंव प्रबन्ध निदेशक उत्तरांचल जल विधुत निगम लि0 / उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0 / प्रभारी एस एल डी सी ।
3– मुख्य कार्याकारी अधिकारी
4– मुख्य कार्याकारी अधिकारी पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इन्डिया ।
5– अपर मुख्य सचिव को मा0 मुख्यमंत्री के सज्ञांनार्थ ।
6– निजी सचिव मा0 ऊर्जा राज्यमंत्री को मा0 राज्य मंत्री के सज्ञांनार्थ ।
7– मुख्य सचिव / अपर मुख्य सचिव,उत्तरांचल शासन ।
8– समस्त प्रमुख सचिव / सचिव उत्तरांचल शासन ।
9– समस्त आयुक्त / जिलाधिकारी उत्तरांचल शासन ।
10– प्रभारी एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर देहरादून ।

ह0 / –(एम0सी0 जोशी)अपर सचिव ।

उत्तरांचल शासन
संख्या–(1590 / 04)205 / नौ–3–ऊ / परि0अनु0स0 / 02
दिनांक देहरादून 5 अप्रेल 2004
कार्यालय ज्ञाप

उत्तरांचल में निर्माणधनी जल विधुत परियोजनओ के सम्बंध में श्री राज्यपाल महोदय निम्नानुसार राज्य स्तरीय पर्यावरणीय अनुश्रवण समिति के गठन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

समिति का स्वरूपः–

1–	सचिव / प्रमुख सचिव सिचांई एंव ऊर्जा–	अध्यक्ष
2–	सचिव / प्रमुख सचिव वन एंव पर्यावरण–	सदस्य
3–	मुख्य अभियन्ता (ई0एम0ओ0)सी0डबलु0सी0 / निदेशक(ई0एम0) सी0डबलु0सी0–	सदस्य
4–	सचिव / प्रमुख सचिव राजस्व पुर्नवास आपदा प्रबन्धन अथवा उनके द्वारा नामित अपर सचिव / संयुक्त सचिव–	सदस्य
5–	निर्माणाधीन प्रत्येक परियोजना के मुख्य अभियन्ता–	सदस्य
6–	मुख्य अभियन्ता सिचांई विभाग–	सदस्य
7–	अध्यक्ष एंव प्रबन्ध निदेशक उत्तरांचल जल विधुत निगम लि0–	सदस्य
8–	अपर सचिव / संयुक्त सचिव समाज कल्याण कृषि,उधान,नियोजन,स्वास्थ्य विभाग–	सदस्य
9–	राज्य सरकार द्वारा नामित सम्बन्धित क्षेत्र के दो गैर सरकारी प्रतिनिधि–	सदस्य
10–	अपर सचिव / संयुक्त सचिव,ऊर्जा–	सदस्य / सचिव

राज्य स्तरीय समिति की बैठक तीन भागो में मुख्य रूप से की जायेगी । प्रथम भाग में प्रमुख सचिव / सचिव,सिचांई एंव ऊर्जा द्वारा सामान्य / अन्य बिन्दुओ पर अनुश्रवण किया जायेगा,द्वितीय भाग में प्रमुख सचिव / सचिव वन द्वारा पर्यावरणीय बिन्दुओ पर समीक्षा / अनुश्रवण किया जायेगा तथा यथा आवश्यकता तृतीय भाग में मुख्य सचिव द्वारा भौतिक / वित्तीय बिन्दुओ पर अनुश्रवण यिा जायेगा ।

यह समिति राज्य के सभी निर्माणाशीन जल विधुत परियोजनाओ के लिए एक साथ बैठक करेगी ताकि पर्यावरण व अन्य विषयो पर एक दूसरे की समस्याओ की जानकारी एंव अनुभवो का लाभ हो सकें ।

पूर्व में कार्यालय ज्ञाप संख्या–954 / नौ–3–ऊ / 2002 दिनांक 29.5.2002 तथा संख्या–1764 / नौ–3–ऊ / 2002 दिनांक 20.11.02 इस कार्यालय ज्ञाप से प्रतिस्थापित माने जायेगें।

डा0 एम0सी0 जोशी
अपर सचिव

संख्या–(1590 / 04)205 / नौ–3–ऊ / परि0अनु0स0 / 02 दिनांकित ।
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1– मुख्य सचिव उत्तरांचल शासन ।
2– प्रमुख सचिव / सचिव सिचांई एंव ऊर्जा उत्तरांचल शासन ।
3– प्रमुख सचिव / सचिव समाज कल्याण / कृषि / उधान / नियोजन / चिकित्सा उत्तरांचल शासन ।
4– अध्यक्ष एंव प्रबन्ध निदेशक उत्तरांचल जल विधुत निगम लि0 देहरादून ।

5— मुख्य अभियन्ता(ई0एम0ओ0) केन्द्रीय जल आयोग सेवा भवन आर0के0पुरम दिल्ली ।
6— निदेशक (ई0एम0) केन्द्रीय जल आयोग सेवा भवन आर0के0पुरम दिल्ली ।
7— मुख्य अभियन्ता एंव विभागाध्यक्ष सिचांई विभाग यमुना कालोनी देहरादून ।
8— निर्माणाधीन परियोजनाओ से सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता ।
9— आयुक्त गढ़वाल/कुमांयू पौड़ी/नैनीताल उत्तरांचल ।
10— परियोजनाओ से सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी ।
11— प्रभारी एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर को इस आदेश को राज्य सरकार की वेब साईट में सम्मिलित करने हेतु ।

आज्ञा से
ह0/—
(डा0 एम0 सी0 जोशी)
अपर सचिव ।

संख्या–834 / औ0वि0 / 88–ख / 2003

प्रेषक,

श्री संजीव चोपड़ा,
सचिव
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल ।

औधोगिक विकार विभाग देहरादून दिनांक 07 जनवरी 2004

विषयः– उत्तरांचल राज्य की खनिज सम्पदा के अर्न्तगत मुख्य खनिज सोपस्टोन के प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस एंव खनन पटटो को स्वीकृत किये जाने की प्रक्रिया के सम्बंध में ।

महोदय,

उर्पयुक्त विषयक के सन्दर्भ में मुझे यह करने का निर्देश हुआ है कि सोपस्टोन मुख्य खनिज के विकास हित एंव पर्यावरण को सुरक्षित रखे जाने के उदेश्य से शासन द्वारा सम्यक विचोरापरान्त यह निर्णय लिया गया है कि सोपस्टोन मुख्य खनिज के प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस / खनन पटटो को स्वीकृत किये जाने से पूर्व निम्नलिखित प्रक्रिया का कढ़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायः–

1– निजी नाप भूमि में सोपस्टोन खनिज के प्रोस्पेक्टिंग लाईसेंस / खनन पटटो की स्वीकृति में निजी पान भूमि धारको को वरियता दी जाये ।

2– सोपस्टोन खनिज के प्रोस्पेक्टिंग लाईसेंस / खनन पटटो के क्षेत्रफल को भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 10 अप्रेल 2003 में उल्लेखित व्यवस्था क अर्न्तगत निर्धारित किया जाय । अर्थात खनन पटटो हेतु क्षेत्रफल की न्यूनतम सीमा 1 हे0 है ।

3– खनन पटटाधारको को उनके द्वारा राज्य सरकार को दी जाने वाली रायल्टी का 10 प्रतिशत के बराबर की राशि उपयोग उनके धारित खनन पटटा क्षेत्र के विकास एंव उस क्षेत्र में रहने वाले नागरिको के जनहित में किया जाय ।

4– खनन तथा खनन प्रक्रिया से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव का ज्ञान रखने वाले उधमियो या इस प्रकार के आवेदको को प्रोस्पेक्टिंग लाईसेंस / खनन पटटा क्षेत्र आंवटन करने में प्राथमिकता दी जाय ।

5– भारत सरकार की अधिसूचना 10 अप्रेल 2003 से पूर्व के प्रोस्पेक्टिंग लाईसेंस / खनन पटटो के आवेदन पत्रो पर निर्णय भारत सरकार द्वारा दिये जाने वाले दिशा–निर्देशो के उपरान्त ही निस्तारित किये जायेगें ।

6– ऐसे क्षेत्र जो अधीसूचना 1893 से प्रभावित है अर्थात छोटे–छोटे खण्डो में बंट जाते है उनका नाप एंव बेनाप श्रेणी में पृथक–पृथक कर प्रोस्पेक्टिंग लाईसेंस / खनन पटटो हेतु संस्तुत की जाने वाली प्रक्रिया को समाप्त कर उक्त क्षेत्र को एक सतह खण्ड बनाकर इस शर्त के अधीन प्रस्तावित किया जाये की वन सरंक्षण अधिनियम 1980 के अर्न्तगत गैर वानकीय कार्य हेतु भारत सरकार के वन एंव पर्यावरण मत्रांलय से आवेदक स्वीकृति प्राप्त करें ।

7– बेनाप / वन भूमि पर प्रोस्पेक्टिंग लाईसेंस / खनन पटटो हेतु ऐसे उधमियों को वरियता दी जाये जो मुख्य खनिज सोपस्टोन पर आधारित उधोग लगाने की इच्छा एंव अनुभव रखते हो साथ ही साथ ऐसे प्रस्तावो में यह शर्त भी लगाई जाये कि उक्त क्षेत्र में गैर वानकीय कार्य हेतु भारत सरकार के वन सरंक्षण अधिनियम 1980 के अर्न्तगत अनुमति प्राप्त की जायें ।

8– खान अधिनियम 1952 एंव मैटलीफरेस माइन्स रेगूलेशन 1961 के अर्न्तगत खानो की सुरक्षा का दायित्व माईन्स मैनेजर के द्वारा कराया जाय,साथ ही साथ भूतत्व एंव खनिकर्म विभाग के वरिष्ठ खान अधिकारी / खान अधिकारी / खान निरीक्षक के सरंक्षण में खानो की सुरक्षा एंव खनन पटटो का सम्प्रेषण किया जाय ।

9– खनिज के खनन के उपरान्त खनन पिटटो(गढढो)को लाइसेंस धारक / पटटा धारक से भरवाकर समतल कराया जायेगा ।

10— पज्पालाईजर और खनिज भण्डार कत्ताआं को खान एंव खनिज विकास एंव विनियमन अधिनियम की धारा—23 सी के अर्न्तगत लाते हुए उनके द्वारा खनिज के श्रेणीवार विक्रय मूल्य पर 4 प्रतिशत धनराशि खनन विकास हेतु निर्धारित की जाय ।

कृपया उपरोक्त उल्लेखित दिशा—निर्देशो का पालन सुनिश्चित करते हुए कृत काय्रवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें ।

भवदीय,
ह0/—
(संजीव चोपड़ा)
सचिव ।

पृष्ठांकन संख्या—834/औ0वि0/99—ख/2003 तददिनांकित ।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक काय्रवाही हेतु प्रेषितः—

1— अपर निदेशक/प्रभारी अधिकारी भूतत्व एंव खनिकर्म इकाई उधोग निदेशालय देहरादून।
2— क्षेत्रीय खान नियत्रंक भारतीय खान व्यूरो नेहरू नगर देहरादून ।
3— नोडल अधिकारी भूमि सर्वेक्षण निदेशालय इन्द्रानगर देहरादून ।
4— गार्ड फाईल ।

आज्ञा से
(उमाकान्त पंवार)
अपर सचिव ।

उत्तरांचल शासन
ऊर्जा विभाग
संख्या–88 / आई / 2004–01(3) / 10 / 03
देहरादून दिनांक 11 अक्टुबर 2004

<u>dk;ky; Kki</u>

भारतीय विधुत अधिनियम 1956 के नियम–45 के अर्न्तगत अधिसूचना संख्या–356 / नौ–ऊ / वि0सु0ठे0लाई0 / 03 दिनांक 24.5.2004 द्वारा वी एण्ड एल0 फार्म बुकलेट का निर्धारित मूल्य 50 / – के स्थान पर 90 / – नियत किये जाने की री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।

उक्त अधिसूचना दिनांक 24.5.2004 इस सीमा तक संशोधित समझी जाये तथा अन्य शर्ते पूर्ववत रहेगी ।

एस0 कृष्णन
प्रमुख सचिव ।

संख्या–88 / आई / 2004–01(3) / 10 / 03 तददिनांक ।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– उपनिदेशक राजकीय फोटो लिथो प्रेस रूड़की को गजट में प्रकाशनार्थ
2– महालेखाकार उत्तरांचल देहरादून ।
3– सचिव लोग सेवा आयोग उत्तरांचल ।
4– सचिव केन्द्रीय विधुत बोर्ड सेवा भवन आर0के0पुरम नई दिल्ली ।
5– अध्यक्ष एंव प्रबन्ध निदेशक यू0पी0सी0एल0 / यू0जे0वि0एज0एल0 देहरादून ।
6– समस्त अनुभाग उत्तरांचल सचिवालय ।
7– समस्त जिलाधिकारी उत्तरांचल ।
8– समस्त कमीशनर उत्तरांचल ।
9– समस्त विभागाध्यक्ष एंव आफिसेज उत्तरांचल ।
10– विधुत निरीक्षक हल्द्वानी (नैनीताल) ।

आज्ञा से
ह0 / –
(डा0 एम0सी0जोशी)
अपर सचिव ।

संख्या–2010 / सात / 2004–58–उधोग / 04

प्रेषक,

श्री संजीव चोपड़ा,
सचिव
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
उधोग
उधोग निदेशालय
उत्तरांचल देहरादून ।

औधोगिक विकास विभाग देहरादून दिनांक 23 अगस्त 2004

विषयः– उत्तरांचल हथकरघा एंव हस्तशिल्प विकास परिषद का गठन ।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह करने का निर्देश हुआ है कि उत्तरांचल राजय में हथकरघा,हस्तशिल्प एंव छीपी उधोग के विकास हेतु समुचित रणनीति तैयार कर उसे क्रियान्वित करने हथकरघा और हस्तशिल्प एंव छीपी उधोग की प्राचीन धरोहर एंव विभिन्न शिल्पो के सरंक्षण सर्वधन,प्रदर्शन एंव विपणन की समुचित व्यवस्था करने प्रदेश के शिल्प प्रधान ग्रामो को शिल्पग्राम रूप में चयन कर परम्परागत हथकरधा एंव शिल्पो का सरंक्षण,सर्वधन व प्रचार प्रसार तथा इन्है पर्यटन से जोड़ने प्रदेश के शिल्पकला / हथकरघा को श्रेणीबद्व करके उनका प्रलेखीकरण करने, जिससे कि ''उत्पादित माल'' का उसकी सरंचना के अनुरूप विभिन्न शिल्प / व्यापार मेलो की व्यवस्था एंव भाग लिये जाने,विभिन्न शिल्प व्यापार मेलो में भाग लिया जा सकें,प्रदेश की इकाईयो द्वारा किया जा रहे उत्पादन के बाजार को बढ़ाने के लिए देश व विदेशो में शिल्प / व्यापार मेलो की व्यवस्था करने,देश एंव विदेश में परिषद द्वारा लगाये जा रहे मेलो का प्रचार / प्रसार करने वाली सामाग्री उपलब्ध कराने तथा उन्है प्रदेश क मेलो / प्रदर्शनी में आमंत्रित करने,परिषद के कार्यकलापो के सहायतार्थ विभिन्न संस्थाओ एंव शासन के प्रतिभूतियो,ग्रान्टस,चन्दा,दान आदि नकद या अन्य रूपो में यथा चल या अचल सम्पत्ति आदि हो,सहायता प्राप्त करने आदि हेतु ''उत्तरांचल हथकरधा एंव हस्ताशिल्प विकास परिषद'' का गठन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

2– उत्तरांचल हथकरघा एंव हस्तशिल्प विकास परिषद के गठन का मुख्य उदेश्य सम्बंधित क्षेत्रो में रोजगार के अवसरो में वृद्वि किया जाना है ।

3– मुझे यह भी कहने का निर्देश हुआ है कि विभिन्न प्रकार के स्थानीय हस्तशिल्पो की पहचान की जाये और उत्पादन और ''मार्केटिंग'' के क्षेत्रो में उनको समुचित सहायता दिया जाना सुनिश्चित किया जाये । उदाहरणार्थ प्रदेश की सीमान्त व अन्य क्षेत्रो में कालीन बुनने के कार्य के क्षेत्र में निर्माण और मार्केटिंग में सहायता सुनिश्चित की जाये जिससे उत्तरांचल में निर्मित कालीन विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्धा के स्तर के हो सकें ।

उपरोक्तानुसार गठित उत्तरांचल हथकरघा एंव हस्तशिल्प विकास परिषद का मुख्यालय उधोग निदेशालय देहरादून में स्थापित कर दिया जाये और इस परिषद का कार्यक्षेत्र देश व प्रदेश में तथा आवश्यकतानुसार विदेश में भी रखा जायें ।

4– उत्तरांचल हथकरघा एंव हस्तशिल्प विकास परिषद के सरंक्षक राज्य सरकार में पदासीन मा0 लधु उधोग मंत्री जी होगें ।

5– उत्तरांचल हथकरघा एंव हस्तशिल्प विकास परिषद की कार्यकारिणी निम्न रूप से गठित की गयी हैः–

(1)	मुख्य सचिव उत्तरांचल शासन	अध्यक्ष
(2)	सचिव,औधोगिक विकास	उपाध्यक्ष
(3)	अपर सचिव औधोगिक विकास	सदस्य
(4)	प्रतिनिधि वित्त विभाग उत्तरांचल	सदस्य
(5)	प्रतिनिधि ग्राम्य विकास विभाग	सदस्य
(6)	प्रतिनिधि वन विभाग	सदस्य
(7)	प्रतिनिधि पर्यटन विभाग	सदस्य
(8)	प्रतिनिधि कृषि विभाग	सदस्य
(9)	प्रतिनिधि पशुपालन विभाग	सदस्य

(10)	कार्यकारी निदेशक सूचना एंव जनसर्म्पक विभाग	सदस्य
(11)	शासन द्वारा हथकरघा/हस्तशिल्प क्षेत्र के राष्ट्रीय या राज्य पुरस्कार प्राप्त शिल्पी अथवा इस क्षेत्र में जाने पहचाने विशेषज्ञ (7)	सदस्य
(12)	कुमांयू/गढ़वाल मण्डल विकास निगम के प्रबन्ध निदेशक	सदस्य
(13)	कुमांयू/गढ़वाल जनजाति विकास निगम के महा–प्रबन्धक	सदस्य
(14)	विकास आयुक्त(हस्तशिल्प) भारत सकरार द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
(15)	विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) भारत सरकार द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
(16)	अपर निदेशक उधोग,उधोग निदेशालय	सदस्य/सचिव

6– इस सम्बंध में परिषद का मेमोरेन्डम ऑफ एसोसिएशन एंव नियमावी की प्रतिलिपि सलग्ंन करते हुए आपसे अनुरोध है कि परिषद का पंजीकरण सुनिश्चित कर परिषद के कार्यकलापो को कार्यरूप में परिणीत करने के लिये शीध्राताशीत आवश्यक काग्रवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

भवदीय,
ह0/–
(संजीव चोपड़ा)
सचिव ।

पृष्ठाकनं संख्या–2010/सात/2004–58–उधोग/04 तददिनांकित ।
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तरांचल शासन ।
2– परिषद के सभी पदाधिकारी/सदस्य ।
3– आयुक्त गढ़वाल मण्डल विकास निगम/कुमांयू मण्डल विकास निगम ।
4– समस्त जिलाधिकारी उत्तरांचल ।
5– गोपन अनुभाग ।
6– गार्ड फाइल ।

आज्ञा से
ह0/–
(संजीव चोपड़ा)
सचिव ।

उत्तरांचल शासन
ऊर्जा विभाग
संख्या–76 / 1 / 2004–02(3) / 11 / 2003
देहरादून दिनांक 1 नवम्बर 2004
अधिसूचना

विधुत अधिनियम 2003 की धारा 152 की अपधारा (1) में वर्णित शक्ति का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल एतदद्वारा अपराधो के शमन क सम्बंध में उक्त धारा में उल्लिखित कार्यो के निर्वहन हेतु सम्बन्धित जनपद के कलक्टर को प्राधिकृत करने की स्वीकृति प्रदान करते है ।

आज्ञा से

एस0कृष्णन
प्रमुख सचिव

संख्या–76 / 1 / 2004–02(3) / 11 / 2003 तददिनांक ।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखागार उत्तरांचल ।
2– समस्त जिलाधिकारी उत्तरांचल ।
3– सचिव,उत्तरांचल विधुत नियामक आयोग उत्तरांचल ।
4– अध्यक्ष एंव प्रबंध निदेशक उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0 देहरादून।
5– प्रबन्ध निदेशक पावर ट्रासंमिशन कारपोरेशन आफ उत्तरांचल जि0 देहरादून ।
6– अध्यक्ष एंव प्रबन्ध निदेशक उत्तरांचल जल विधुत निगम लि0 देहरादून।
7– प्रभारी एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर देहरादून ।
8– निदेशक राजकीय फोटो लिथो प्रेस रूड़की को अंग्रेजी अनुवाद की प्रति सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि अधिसूचना को गजट की आगामी अंक में प्रकाशन कर 50 प्रतियां शासन को उपलब्ध करायी जाये ।
9– गार्ड फाइल ।

आज्ञा से
ह0 / –
(डा0 एम0सी0 जोशी)
अपर सचिव ।

संख्या–1706 / सात / 17–उधोग / 04

प्रेषक,

श्री संजीव चोपड़ा
सचिव
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

1–समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तरांचल शासन ।
2– समस्त विभागाध्यक्ष,
कार्यालयाध्यक्ष व जिलाधिकारी उत्तरांचल ।

औधोगिक विकास अनुभाग देहरादून दिनांक 2 नवम्बर 2004

विषयः– उत्तरांचल सचिवालय से इतर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियो / राजकीय वाहन चालको को ग्रिष्मकालीन तथा शीतकाली वर्दी अनुमन्य कराये जाने के सम्बंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया हे कि सचिवालय स्रे इतर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियो / राजकीय वाहन चालको जिन्है कि ग्रीष्मकालीन तथा शीतकालीन वर्दी की सुविधा अनुमन्य है,मे समान सुविधि समान आवर्तिता पर इस शर्त के साथ अनुमन्य कराइ जाये कि अधीनस्थ कार्यालयो के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियो / राजकीय वाहन चालको को निम्नलिखित दरो पर अनुमन्य किये जाने का निर्णय लिया गया हैः–

ग्रीष्मकालीन वर्दी

क्रमांक	मद	दर
1–	पेंट काली(टेरीकाट)	रू0 147.31 प्रति मीटर
2–	कमीज आसमानी	रू0 36.40 प्रति मीटर
3–	पैंट	रू0 100.00 प्रति मीटर
4–	कमीज	रू0 50.00 प्रति मीटर
5–	मौजा	रू0 24.25

शीतकालीन वर्दी

1–	नेवी ब्लू रंग का ब्लेजर चौड़ाई 137 सेमी0	रू0 186.24 प्रति मीटर
2–	कम्बल	रू0 180.00
3–	वर्दी सिलाई अस्तर बटन हुक सहित	रू0 450.00
4–	जूता	रू0 224.00

(व्यापार कर अतिरिक्त)

2– ग्रीष्मकालीन वर्दी के लिये उत्तरांचल सचिवालय से इतर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियो / राजकीय वाहन चालको को टेरीकाट की प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार दो पेंट तथा दो बुर्शट की सुविधा अनुमन्य होगी । इसी प्रकार शीतकालीन वार्दी के लिये उत्तरांचल सचिवालय से इतर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियो / राजकीय वाहन चालको को यह सुविधा प्रत्येक दो वर्ष में एक बार अनुमन्य होगी ।

3– यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से जीरी किये जा रहे है ।

कृपया उपरोक्तानुसार तत्काल अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

भवदीय,
ह0 / –
(संजीव चोपड़ा)

सचिव ।

पृष्ठाकनं संख्या–1706(1)/सात–17–उधोग/04 तददिनांकित ।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार उत्तरांचल ।

2– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी,उत्तरॉचल।

3– वित्त अनुभाग–3,उत्तरॉचल शासन,देहरादून।

4– गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,
(मदन सिंह)
अपर सचिव ।

उत्तरांचल शासन
औधोगि विकास विभाग
संख्या–926 / औ0वि0 / 2004–05
दिनांक नवम्बर 25,2004 देहरादून

व्यवसायिक कुक्कुट पालन उधोग का दर्जा दिये जाने के सम्बंध में निर्गत अधिसूचना

व्यवसायिक कुक्कुट पालन म्रें जहां उधम द्वारा विधुत का उपयोग बायलर / लेयर / अण्डा उत्पादन हेतु केन्द्रीत रूप से किया जाता हो,को उत्तरांचल राज्य में प्रोत्साहान दिये जाने के उदेश्य से उधोग का दर्जा अनुमन्य करने हेतु राज्यपाल महोदय निम्नवत स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1– न्यूनतम 5,000 पैरेन्ट (बायलर / लेयर / ऐग(प्रजनन वाले परिक्षेत्र)
2– न्यूनतम 5,000 कमर्शियल (बायलर / लेयर / ऐग(प्रजनन वाले परिक्षेत्र)

उक्तानुसार व्यवसायिक कुक्कुट पालन को उधोग का दर्जा निर्गत होने के फलस्वरूप उधोगो को प्राप्त होने वाली समस्त सुविधाये तत्कालिक प्रभाव से अनुमन्य होगी ।

ह0 / –
(संजीव चोपड़ा)
सचिव,
औधोगिक विकास ।

संख्या– 926 / औ0वि0 / 2004–05 दिनांक नवम्बर 25,2004 देहरादून ।
प्रतिलिपि–

1– प्रमुख सचिव वन एंव ग्रामीण विकास विभाग उत्तरांचल शासन ।
2– प्रमुख सचिव वित्त उत्तरांचल शासन ।
3– सचिव,सस्थांगत वित्त उत्तराचल शासन ।
4– समस्त प्रमुख सचिव / सचिव उत्तरांचल शासन ।
5– मण्डलायुक्त गढ़वाल एंव कुमांयू मण्डल ।
6– समस्त जिलाधिकारी उत्तरांचल ।
7– निदेशक उधोग,उधोग निदेशालय उत्तरांचल देहरादून ।
8– प्रबन्ध निदेशक उत्तरांचल राज्य औधोगि विकास विभाग जि0 देहरादून
9– समस्त महाप्रबन्धक जिला उधोग केन्द्र उत्तरांचल ।

ह0 / –
(मदनसिंह)
अपर सचिव,
औधोगिक विकास ।

संख्या–968 / औ0वि0 / 07–उधोग / 04–05

प्रेषक,

संजीव चोपड़ा,
सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

निदेशक उधोग,
उत्तरांचल ।

औधोगिक विकास विभाग देहरादून दिनांक 25 नवम्बर 2004

विषयः– निजी क्षेत्रो में औधोगिक आस्थानो / क्षेत्रो के विकास के लिये भूमि की न्यूनतम सीमा निरन्तरता में 30 एकड़ होने पर राज्य सरकार द्वारा औधोगिक क्षेत्रो / आस्थानो को चिन्हित / घोषित किये जाने के सम्बंध में नीति ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर शासन के पत्र संख्या–940 / औ0वि0 / 07–उधोग / 2004–05 दिनांक 9 / 10 नवम्बर 2004 से जारी नीति / दिशा–निर्देश के प्रस्तर–4 में स्थापित शब्दो एंव अंशो को शासन द्वारा निम्नवत संशोधित कर शुद्विपत्र जारी करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गई है :–

'' इसके अतिरिक्त वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में गैर औधोगिक क्षेत्रो में पूर्व स्थापित उधोगो को लाभ पहुंचाने के लिए खसरा नंबरो को अधिसूचित किया गया हे । सीमा शुल्क एंव इनकम टैक्स की माफी का लाभ उठाने हेतु इन्है भी औधोगिक क्षेत्र घोषित करना आवश्यक है। अतएव इन क्षेत्रो को भी विशेश औधोगिक क्षेत्र घोषित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

भवदीय,
ह0 / –
(संजीव चोपड़ा)
सचिव ।

पृष्ठांकन संख्या– / उक्त / तददिनाकित ।

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– स्टाफ आफिसर,मुख्य सचिव उत्तरांचल शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ ।
2– स्टाफ आफिसर अपर मुख्य सचिव उत्तरांचल शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ ।
3– प्रमुख सचिव / सचिव उत्तरांचल शासन ।
4– संयुक्त सचिव वाणिज्य एंव उधोग मंत्रालय (औधोगिक नीति संवद्वर्न विभाग) उधोग भवन नई दिल्ली ।
5– आयुक्त कुमांयू व गढ़वाल मण्डल ।
6– अध्यक्ष एंव प्रबन्ध निदेशक उत्तरांचल राज्य ऊर्जा निगम ऊर्जा भवन देहरादून।
7– मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग देहरादून ।
8– अध्यक्ष समस्त उधोग संध उत्तरांचल ।
9– समस्त जिलाधिकारी उत्तरांचल ।
10– प्रबन्ध निदेशक,सिछकुल देहरादून
11– मुख्य नगर एंव ग्राम नियोजक उत्तरांचल देहरादून ।
12– सचिव,उत्तरांचल पर्यावरण सरंक्षण एंव प्रदूषण नियंत्रण परिषद देहरादून ।
13– समस्त महाप्रबन्धक,जिला उधोग केन्द्र ।
14– ए0आई0सी0 उत्तरांचलः इस अनुरोध के साथ की अधिसूचना को वेबसाईट पर प्रसारित कर दें ।

ह0 / –
(संजीव चोपड़ा)
सचिव ।

ljdkjh xtV] mRrjkpy

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

vlk/kkj.k

fo/kk;h ifjf'k"V

Hkkx&1 [k.M ¼d½

(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून बृहस्पतिवार 27 जनवरी 2005 ई0

माध 07 1962 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

विधायी एंव संसदीय कार्य/2005

संख्या–418/विधायी एंव संसदीय कार्य/2005

देहरादून 27 जनवरी 2005

अधिसूचना

विविध

भारत का संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभी द्वारा पारित उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश विधुत सुधार अधिनियम 1999) अनुकुलन एंव उपरान्तरण आदेशे 2001 (निरसन) विधेयक 2005 पर दिनांक 27.1.2005 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या–08 सन 2005 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

उत्तरांचल(उत्तर प्रदेश विधुत सुधार अधिनियम 1999) अनुकूलन एंव उपरान्तरण आदेश 2001(निरसन) अधिनियम 2005

(उत्तरांचल अधिनियम सं0–8 सन 2005)

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश विधुत सुधार अधिनियम 1999) अनुकूलन एंव उपरान्तरण आदेश 2001 का निरसन करने के लिये–

vf/kfu;e

भारत के गणराज्य के पचपनवें वर्ष में उत्तरांचल विधान सभा द्वारा अधिनियमितः–

सक्षिप्त नाम

1– यह अधिनियम उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश विधुत सुधार अधिनियम 1999) अनुकूलन एव उपान्तरण आदेश 2001 (निरसन) अधिनियम 2005 कहा जायेगा।

मूल अधिनियम सं0–24 वर्ष 1999 का निरसन

2– उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश विधुत सुधार अधिनियम 1999) अनुकूलन एंव उपरान्तरण आदेश 2001 के एतदद्वारा निरसित किया जाता है ।

आज्ञा से
आई0 जे0 मल्होत्रा,
प्रमुख सचिव ।

संख्या– 500 / औ0वि0–204 ख / 2004

प्रेषक,

संजीव चोपड़ा,
सचिव
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल ।

औधोगिक विकास अनुभाग–1 देहरादून दिनांक 08 फरवरी,2005

विषयः– पर्वतीय क्षेत्रो में निजी भवनो के निर्माण / मरम्मत आदि के लिए निर्माण सामाग्री के निःशुल्क खदान / चुगान के लिए स्वीकृति के सम्बंध में ।

महोदय,

औधोगिक विकास विभाग द्वारा पूर्व में जारी शासनादेश संख्या–1031 / औ0वि0 / 2001 दिनांक 30 अप्रेल 2001 एंव 3498 / औ0वि0–22–ख / 2001 दिनांक 17 अक्टूबर 2002 के क्रम में तथा शासनादेश संख्या–3032 / औ0वि0 / 2003 दिनांक 08 मई 2003 का अतिक्रमण करते हुए पर्वतीय खेत्रो में स्थानीय निवासियों को उनके निजी भवनो के निर्माण / मरम्मत आदि के लिये निर्माण सामाग्री सरलता तथा सहजता से निःशुल्क उपलब्ध करने की दृष्टि से उपखनिज नीति 2001 में निम्नानुसार संशोधन जारी किये जाते हैः–

1– पर्वतीय क्षेत्रो में रहने वाले ग्रामवासी अपनी निजी भवन निर्माण एंव उनकी मरम्मत आदि के लिए आवश्यक अधिकतम 150 घनमी0 निर्माण सामाग्री का खदान / चुगान निःशुल्क कर सकेंगें अर्थात इसके लिए उन्है राज्य सरकार को किसी भी प्रकार की परमिट फीस एंव रायल्टी आदि का कोई भुगतान नही करना होगा ।

2– उक्त निर्माण सामाग्री निर्माणकर्ता द्वारा उसकी सुविधा अनुसार किसी भी क्षेत्र से एकत्र की जा सकेगी ।

3– खदान / चुगन प्रारम्भ करने से पूर्व ऐसे ग्रामवासियो को जिलाधिकारी कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करने के बजाय केवल अपनी ग्राम पंचायत के प्रधान को सलग्न प्रारूप में सूचित करना होगा ।

4– ये अदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगें तथा उपरोक्त सुविधा प्रदान किये जाने हेतु संशोधित खनिज नीति 2001 के शासनादेश संख्या–3498 / औ0वि0– 22–ख / 2001 दिनांक 17 अक्टूबर 2002 के प्रस्तर 2.5 की बाध्यता नही होगी ।

5– इस सम्बंध में उत्तरांचल उपखनिज परिहार नियमावली 2001 के अध्याय–6 नियम–52 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये ।

भवदीय,

ह0 / –
(संजीव चोपड़ा)
सचिव ।

पृष्ठाकंन संख्या–500(1) / औ0वि0–22–ख / 2001 तददिनांक ।

प्रतिलिपि–निम्नांकित के सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त प्रमुख सचिव / सचिव उत्तरांचल शासन ।
2– निदेशक उधोग,उधोग निदेशालाय उत्तरांचल देहरादून ।
3– मण्डलायुक्त गढ़वाल / कुमांयू उत्तरांचल ।
4– समस्त विभागाध्यक्ष उत्तरांचल ।
5– प्रबन्ध निदेशक गढ़वाल मण्डल विकास निगम / कुमायूं मण्डल विकास निगम / उत्तरांचल वन विकास निगम ।
6– निदेशक पंचायती राज उत्तरांचल ।
7– स्टाफ आफिसर मुख्य सचिव उत्तरांचल शासन ।
8– निजी सचिव,अपर मुख्य सचिव उत्तरांचल शासन ।
9– अपर निदेशक भूतत्व एंव खनिकर्म इकाई उधोग निदेशालय उत्तरांचल देहरादून ।

10— निजी सचिव मा0 औधोगिक विकास मंत्री (मा0 मुख्यमंत्री) उत्तरांचल ।
11— समस्त उप जिलाधिकारी /तहसीलदार उत्तरांचल ।
12— गोपन अनुभाग ।
13— उप निदेशक राजकीय मुद्रणालय रूड़की जनपद हरिद्वार को आगामी गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

आज्ञा से,
(आलोक कुमार)
अपर सचिव ।?

संख्या–3322 / सात / 259–ख / 2004

प्रेषक,

आलोक कुमार,
अपर सचिव
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

1–समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल ।
2– संयुक्त निदेशक,
भूतत्व एंव खनिकर्म इकाई
252 फेज–2 बसन्त विहार
देहरादून ।

औधोगिक विकास अनुभाग–1 देहरादून दिनांक 23 फरवरी 2005

विषयः– 5 हैक्टेयर से अधिक मुख्य खनिज के पर्यावारण एंव वन पंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा जारी नोटिफिकेशन के सम्बंध में ।

महोदय,

उर्पयुक्त विषयक पर्यावरण एंव वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के नोटिफिकेशन पत्र दिनांक 10.8.2004 की प्रति सलग्ंन करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि सलग्ंन नोटिफिकेशन के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

सलग्ंन–यथोपरि ।

भवदीय,
(आलोक कुमार)
अपर सचिव ।

संख्या–749 / सात–1 / 05 / 158–ख / 2004

प्रेषक,

संजीव चोपड़ा,
सचिव
उत्तरांचल शासन ।

प्रेष्य,

1– निदेशक,
उधोग(भूतत्व एंव खनिकर्म इकाई)
उधोग निदेशालय
उत्तरांचल देहरादून ।
2– मण्डलायुक्त,
कुमांयू एंव गढ़वाल मण्डल
उत्तरांचल ।
3– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल ।

औधोगिक विकास अनुभाग–1 देहरादून दिनांक 16 मार्च,2005

विषयः– उत्तरांचल खनिज (अवैध खनन,परिवहन एंव भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2005 को उत्तरांचल राज्य में लागू किये जाने के सम्बंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तरांचल खनिज (अवैध खनन,परिवहन एंव भण्डारण का निवारण) नियमावली 2005 से संबंधित अधिसूचना की छायाप्रति सलग्न करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि नियमावली में उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार अग्रेत्तर काग्रवाही तात्कालिक प्रभाव से सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

सलग्न–यथोक्त ।

भवदीय,
ह0 / –
(संजीव चोपड़ा)
सचिव ।

पृष्ठाकंन संख्या–749(1) / सात–1 / 05 / 158–ख / 2004 तददिनांकित ।

प्रतिलिपि– निम्नलिख्रित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) संयुक्त निदेशक भूतत्व एंव खनिकर्म इकाई उधोग निदेशालय उत्तरांचल देहरादून।

(2) उप निदेशक राजकीय मुद्रणालय उत्तरांचल रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना(अंग्रेजी प्रतिलिपि सहित) को राजकीय असाधारण गजठ में प्रकाशित करने का कष्ट करें तथा 500 प्रतियां औधोगिक विकास अनुभाग–1 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

(3) सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

(4) एन0आई0सी0 उत्तरांचल ।

आज्ञा से
ह0 / –
(संजीव चोपड़ा)
सचिव ।

उत्तरांचल सरकार
औधोगिक विकास विभाग
संख्या–617 / सात / 05 / 158–ख / 2004
अधिसूचना

खान एंव खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957(अधिनियम संख्या–67 सन 1957) की धारा–23 ग के अधीन शक्ति का प्रयोग करके,श्री राज्यपाल खनिजो के अवैध खनन,परिवहन और भण्डारण को निवारित करने की दृष्टि से,निम्नलिखित नियमावली बनाते है,अर्थात–

उत्तरांचल खनिज(अवैध खनन,परिवहन एंव भण्डारण का निवारण) नियमावली 2005

1–(1) यह नियमावली उत्तरांचल खनिज(अवैध खनन,परिवहन एंव भण्डारण का निवारण) नियमावली 2005 की जायेगी ।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत होगी ।

2–(1) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,इस नियमावली में:–

(क) अधिनियम का तात्पर्य खान और खनिज(विकास और विनियमन) अधिनियम 1957(अधिनियम संख्या–67 सन 1957)से है,

(ख) '' प्राधिकृत अधिकारी'' का तात्पर्य ऐसे अधिकारी,जिसे राज्य सरकार द्वारा इस नियमावली के अधीन सरकारी गजट में अधिसूचना में विनिर्दिष्ट ऐसे क्षेत्र के लिए और ऐसे कृत्यो का पालन करने के लिए जिसके लिए उसे अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत किया गया हो,से है और वह भारतीय दण्ड संहिता 1860 (अधिनियम संख्या–45 सन 1860)की धारा 21 के अर्न्तगत लोक सेवक समझा जायेगा,

(ग) ''वाहक'' का तात्पर्य किसी रीति,सुविधा या वाहन से है जिसके द्वारा खनिज का परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान को किया जाय और जिसमें यांत्रिक युक्ति,व्यक्ति, पशु या गाड़ी भी सम्मिलित है,

(घ) ''अनुसंधान कार्य'' का तात्पर्य बिना किसी वाणिज्यिक उदेश्य के वैज्ञानिक अध्ययन के प्रयोजन के लिए और उधोग में उपयोग हेतु खनिज के लाभार्थ और उच्चीकरण के लिए उसकी उपयुक्तता के परीक्षण के लिये किये गये किसी कार्य से है,

(ड़) ''नियमावली 1960'' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 13 के अधीन बनाई गई खनिज रियायत नियमावली 1960 से है,

(च) ''नियमावली 2001'' का तात्पर्य अधिनियम की धारा–15 की उपधारा(1) के अधीन बनाई गयी''उत्तरांचल उप खनिज(परिहार) नियमावली 2001(अनुकूलन एंव उपरान्तरण आदेश 2001)से है,

(छ) ''वैज्ञानिक परीक्षण'' का तात्पर्य बिना किसी वाणिज्यिक उदेश्य के वैज्ञानिक अध्ययन के प्रयोजन के लिए खनिज के रासायनिक या खनिजिय विश्लेषण और उसके रासायनिक एंव खनिजिय घटको एंव गुणो के निर्धारण के लिए किये गये किसी परीक्षण से है,

(झ) ''अभिवहन पास'' का तात्पर्य अधिनियम या तदधीन बनाई गई नियमावली के उपबन्धो के अनुसार निकाले गये किसी खनिज के विधिपूर्ण परिवहन हेतु खनन पटटाधारक या खनन हेतु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जारी किये गये पास से है ।

(2) शब्द और पद जो परिभाषित नही है परन्तु अधिनियम में परिभाषित है,के वही अर्थ होगें जो उनके लिए अधिनियम में दिये गये है ।

3– कोई भी व्यक्ति,खनन पटटाधारक या खनन अनुज्ञा पत्र धारक का पूर्वक्षण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जारी अभिवहन पास के बिना किसी खनिज का उसके खनन किये जाने के स्थान से किसी अन्य स्थान पर न परिवहन करेगा,न उसे ले जायेगा अथवा न परिवहन करायेगा और न ले जाने का कार्य करायेगा ।

4– (1) यथास्थिति,खनन पटटाधारक या खनन अनुज्ञापत्र धारक या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तिधारी या खनिज के भण्डारण हेतु अनुज्ञप्तिधारी,जिलाधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस निमित प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष किसी खनिज के परिवहन हेतु अभिवहन पास बुक प्राप्त करने के लिए के राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर यथा निर्धारित फीस के साथ एंव रीति के अनुसार आवेदन प्रस्तुत करेगें ।

(2) अभिवहन पासबुक का प्रदाय सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस निमित अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा इस नियमावली या अधिनियम या तदधीन बनाई गई किसी अन्य नियमावली के अधीन किया जायेगा ।

5– (1) अभिवहन पास खनन पटटाधारी या खनन अनुज्ञा–पत्रधारी या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इस नियमावली के साथ सलग्न प्रपत्र–एन में मुख्य खनिज के लिए और नियमावली 2001 के साथ सलग्न प्रपत्र एम0एम0–11 में उपखनिज के लिए जारी किया जायेगा ।

(2) खनिजो के भण्डारण हेतु अनुज्ञाप्तिधारी,भण्डारण से विधिपूर्ण परिवहन के लिए प्रपत्र ''जे'' में अभिवहन पास जारी करेगा ।

अध्याय–दो

खनिजो का परिवहन

6 (1) यदि राज्य सरकार निकाले गये खनिजो के अवैध परिवहन को रोकने की दृष्टि से जांच चौकी की स्थापना को आवश्यक समझे तो वह राज्य के भीतर किसी स्थान या सीनो पर जांच चौकी की स्थापना की अधिसूचना कर सकती है ।

(2) किसी स्थान पर जांच चौकी की स्थापना गजट में अधिसूचित की जायेगी ।

(3) जांच चौकी का भारसाधक अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी जिसके पाय यह विश्वास करने का पर्यापत कारण हो कि ले जाया जा रहा खनिज अभिवहन पास के अनुसार नही है,तो ऐसा अधिकारी उप नियम (4) के अनुसार कार्यवाही करेगा ।

(4) (क) जांच चौकी का भारसाधक अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को खनिज तथा वाहन का अभिग्रहण करने का अधिकार होगा ।

(ख) जांच चौकी का भारसाधक अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी,ऐसे खनिज और वाहन की जो उसके द्वारा अभिगृहीत किये गये है,प्राप्ति रसीद उस व्यक्ति को देगा जिसके कब्जे या नियंत्रध से उसे अभिगृहीत किया गया है।

(ग) जांच चौकी का भारसाधक अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी वाहन वाहक के भारसाधक व्यक्ति को उप नियम (1) और (2) के अधीन स्थापित निकटतम जांच चौकी या निकटतम पुलिस स्टेशन पर खनिज को ले जाने के लिए निर्देश दे सकता है ।

7– (1) खनन पटटाधारी/खनन अनुज्ञा–पत्रधारी या पूर्वक्षण अनुज्ञाप्तिधारी द्वारा वाहन द्वारा खनिजो के सभी प्रेषण के साथ एक अभिवहन पास दो प्रतियो में सलग्न होगा । वाहन वाहक का भारतसाधक व्यक्ति उक्त प्रयोजन के लिए जांच चौकी पर या राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी की मांग पर अभिवहन पास प्रस्तुत करेगा ।

(2) खनिज को ढोने वाले सभी वाहन वाहक जांच चौकी पर रूकेगें और सम्बन्धित जांच चौकी द्वारा रवन्ना दिये जाने के उपरान्त ही प्रस्थान करेगें । जांच चौकी का भारसाधक व्यक्ति अभिवहन पास की प्रथम प्रति पर आवश्यक पृष्ठांकन करेगा और उसे तत्काल ऐसे वाहन के संचालक को वापस करेगा और अभिवहन पास की द्वितीय प्रति जांच चौंकी के अभिलेखो में रखी जायेगी ।

अध्याय–तीन

खनिजो का भण्डारण

8– (1) इस नियमावली के उपबन्धो के अधीन रहते हुए खनिजो के भण्डारण हेतु अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन सम्बन्धित जिलाधिकारी को प्रपत्र ''एच'' में किया जायेगा ।

(2) ऐसे प्रत्येक आवेदन के साथ 500.00 रू0 के अप्रतिदेय शुल्क पूर्ण पते सहित भण्डारण के स्वामी का नाम भण्डारण स्थल का विवरण,खनिज का नाम,भण्डारित किये जाने वाले खनिज की मात्रा,अनुज्ञप्ति की अवधि तथा भण्डारण का प्रयोजन सलग्न किया जायेगा ।

9– जिलाधिकारी इस नियमावली के उपबन्धो के अधीन रहते हुए और ऐसी जांच जो वह आवश्यक समझे,करने के पश्चात ऐसी मात्रा के लिए जो उसके द्वारा उचित और उपयुक्त समझी जाय दो वर्ष की अवधि के लिए प्रपत्र ''आई'' में अनुज्ञप्ति अनुदत्त कर सकता है ।

10– खनिज के भण्डार के लिए अनुज्ञप्ति के नवीकरण हेतु आवेदन अनुज्ञप्ति की अवधि के समाप्त होने के दिनाक से कम से कम दो माह पूर्व 500.00 रू0 की शुल्क और पूर्व अनुज्ञप्ति के विवरण सहित जिलाधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा । अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण एक समय में दो वर्ष तक के लिए किया जा सकेगा ।

11– कोई व्यक्ति–

(क) अनुज्ञप्ति प्राप्त किये बिना किसी स्थान पर किसी खनिज का भण्डारण नही करेगा ।

(ख) किसी सार्वजनिक सड़क,रेलमार्ग या किसी सार्वजनिक परिसर से 50 मीटर के भीतर किसी खनिज का भण्डारण नही करेगा ।

(ग) किसी ऐसे भूमि जो उसकी नही या उसके/उसकी वैध किरायेदारी में नही है का उपयोग खनिजो के भण्डारण के लिए नही करेगा ।

(घ) खनिजो का परिवहन इस नियमावली से सलग्न प्रपत्र''जे'' में अभिवहन पास जारी किये बिना भण्डारण परिसर से किसी अन्य स्थान को नही करेगा ।

12– (1) ऐसा अनुज्ञप्तिधारी हर समय क्रय किये गये भण्डारित किये गया या निर्गमित किये गये खनिजो का ठीक एंव बोधगम्य लेखा–जोखा इस नियमावली के साथ सलग्न प्रपत्र ''के'' में रखेगा।

(2) खनिज के भण्डारण हेतु अनुज्ञप्तिधारी स्वंय द्वारा भण्डारित और परिवहन किये गये खनिजो के सही लेखा की एक प्रति प्रत्येक माह उस जिलाधिकारी को जिसकी अधिकारिता के भीतर भण्डार परिसर पर स्थित है इस नियमावली के साथ सलग्न प्रपत्र ''एल'' में प्रस्तुत करेगा।

13 (1) भण्डारित किये गये खनिजो की जांच के प्रयोजन से या अधिनियम या तदधीन बनाई गयी नियमावली से सम्बन्धित किसी अन्य प्रयोजन से जिलाधिकारी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारीः–

(क) किसी ऐसे भण्डारण परिसर में प्रवेश कर सकता है और उसका निरीक्षण कर सकता है ।

(ख) भण्डार में पड़े हुए खनिजो के स्टाक को तौल सकता है और माप सकता है या उसकी माप ले सकता है ।

(ग) कब्जे में रखे गये किसी भी दस्तावेज,बही,रजिस्टर या अभिलेख का परीक्षण कर सकता है ।

(घ) ऐसे दस्तावेज,बही,रजिस्टर या अभिलेख से उद्वहरण ले सकता है या उसकी प्रतिलिपिया बना सकता है ।

(ड़) खण्ड(ग) में यथा निर्दिष्ट दस्तावेज,बही,रजिस्टर या अभिलेख को मंगा सकता है या उसे प्रस्तुत करने की आज्ञा दे सकता है ।

(च) किसी ऐसे व्यक्ति को जिसका ,खनिज के किसी स्टाक पर नियंत्रण हो या जो उससे सम्बद्व हो,बुला सकता है या उसका परीक्षण कर सकता है ।

(छ) ऐसी सूचना या विवरण मांग सकता है जो आवश्यक समझी जाय ।

(2) यदि खनिज के स्टाक में कोई अवैधता पाई जाती है तो जिला अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इवस निमित प्राधिकृत अधिकारी ऐसे अनुज्ञप्तिधारी को नोअिस दे सकता है कि वह नोटिस की प्राप्ति के दिनांक स्रे तीस दिन के भीतर अपना पक्ष स्पष्ट करें और यदि नियम समय के भीतर कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नही होता है या इस प्रकार प्रस्तुत किया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक नही पाया जाता है तो जिलाधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति का पर्यवसान किया जा सकेगा और यदि इस प्रकार जांच किया गया स्टाक बिना किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के पास पाया जाता है तो उसे अधिगृहीत और समपहृत कर लिया जायेगा ।

अध्याय–चार
प्रकीर्ण

14– राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा किसी व्यक्ति या व्यक्तियो के वर्ग को इस नियमावली की परिधि से छूट प्रदान कर सकती है परन्तु खनिज को मात्र वैज्ञानिक परीक्षण और शोध कार्य के लिए ही भण्डारित किया या ले जाया जाय ।

15– जिलाधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस निमित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिये गये किसी आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति इस नियमावली द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करकेः–

(क) आदेश की संसूचना के दिनांक से नब्बे दिन के भीतर राज्य सरकार के समक्ष प्रपत्र–''एम'' में अपील प्रस्तुत कर सकता है ।

(ख) प्रत्येक अपील के साथ 500 रू0 फीस,ऐसे रीति व शीर्ष के अधीन जमा की जायेगी जैसा राज्य सरकार आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करें ।

(ग) राज्य सरकार अपील किये गये आदेश की जैसा वह उचित और उपयुक्त समझे,पुष्टि,उपान्तरित या अपास्त कर सकती है ।

आज्ञा से
ह0/–
(संजीव चोपड़ा)
सचिव ।

उत्तरांचल शासन
ऊर्जा विभाग

संख्या–1725 / 1 / 2004–02(3) / 4 / 2004

देहरादून : दिनांक 16 अप्रेल 2005

अधिसूचना

उत्तरांचल राज्य सरकार विधुत अधिनियम 2003 की धारा–126 की उपधारा(2) सपठित धारा–180 उपधारा–(2) खण्ड (ट) के अधीन प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए अनन्तिम निर्धारण आदेश की तामील की रीति क लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैः–

1– सक्षिप्त नाम एंव प्रारम्भः–

(1) इन नियमो का नाम उत्तरांचल विधुत(अनन्तिम निर्धारण आदेश के तामील की रीति) नियम 2005 है ।

(2) ये नियम उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारिख से प्रभावी होगें ।

2– परिभाषायेंः–

(1) इन नियमो में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न होः–

(क) '' अधिनियम'' से विधुत अधिनियम 2003 अभिप्रेत है,

(ख) ''निर्धारण अधिकारी'' से अधिनियम की धारा 126 के अधीन राज्य सरकार द्वारा पदाभिहित व्यक्ति से अभिप्रेत है,

(ग) ''आयोग'' से उत्तरांचल विधुत विनियामक आयोग अभिप्रेत है,

(घ) ''वितरण अनुज्ञापी'' से अधिनियम की धारा 14 के अधीन अनुज्ञापी से है और जिसमें उत्तरांचल पावर कारपोरेशन भी है,

(ड़) ''अपन्तिम आदेश'' से निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 126 की उपधारा(1) के अधीन पारित आदेश से अभिप्रेत है,

(च) ''राज्य सरकार'' से उत्तरांचल राज्य सरकार अभिप्रेत है,

(छ) '' विधुत का अनाधिकृत उपयोग'' से अधिनियम की धारा–126 के स्पष्टीकरण में समनुदेशित अर्थ अभिप्रेत है,

(2) उन शब्दो एंव पदो के,जो इन नियमो में प्रयुक्त है और परिभाषित नही है किन्तु अधिनियम में परिभाषित है क्रमशः वही अर्थ होगें जो उनके अधिनियम में है ।

3– अनन्तिम निर्धारण आदेश के तामील की रीतिः–

(1) अनन्तिम निर्धारण आदेश की तामील,विधुत का अनधिकृत रूप से उपयोग करने वाले व्यक्ति पर निम्नलिखित में से किसी एक किसी रीति द्वारा किया जायेगाः–

( ) अनन्तिम निर्धारण आदेश प्राप्तकर्ता व्यक्ति से पावती लेते हुए हाथो–हाथ ।

( ) पावती सहित पंजीकृत डाक द्वारा ।

( ) पावती सहित कूरियर के माध्यम से परिदान द्वारा ।

( ) किसी अन्य रीति से,जैसा आयोग सामान्य या विशेष द्वारा विहित करें ।

(2) यदि परिसर में कोई ऐसा व्यक्ति न हो जिसे युक्तियुक्त श्रम से तामील किया जा सकें अथवा ऐसा कोई व्यक्ति अनन्तिम निर्धारण आदेश को उक्त रीति से प्राप्त करने से मना करें या बचना चाहे तो आदेश दो साक्षियो की उपस्थिति में सेसे परिसर में सहजदृष्य स्थान पर चस्पा किया जायेगा ।

(3) यदि निर्धारण अधिकारी का समाधान हो जाय कि अनन्तिम निर्धारण आदेश को उपरोक्त नियम 3 के उपनियम (1) व (2) में उल्लिखित रीति से व्यक्ति पर तामील करना युक्तियुक्त रूप से व्यवहारिक नही है तो अनन्तिम निर्धारण आदेश ऐसे समाचार–पत्र में प्रकाशित कर तामील किया जा सकेगा,जिसका उक्त परिसर या स्थान पर जहां विधुत का अनाधिकृत उपयोग किया जा रहा है,परिचालन हो । क्रमशः–2

(4) यदि वह व्यक्ति जिसे अनन्तिम आदेश की तामील की जानी है,वितरण अनुज्ञापी का उपभोक्ता है तो आदेश उपभोक्त के उस पते पर प्रेषित किया जायेगा जो वितरण अनुज्ञापी के पास रजिस्ट्री है एंव अन्य मामलो में उस स्थान पर भेजा जायेगा जहां वह व्यक्ति साधारणतः निवास करता है अथवा लाभ हेतु कार्य करता है ।

4– अनन्तिम आदेश का फार्मेटः–

अनन्तिम आदेश इन नियमो की अनुसूची में दिये गये प्रारूप में होगा जिसमें अन्य अतिरिक्त विवरण भी होगें जिन्है निर्धारण अधिकारी उचित समझे ।

5– कठिनाई दूर करने की शक्तिः–

यदि इन नियमो के किसी उपबन्ध को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा निर्धारण अधिकारी को ऐसी समुचित कार्यवाही करने के निर्देश दे सकेगी जो इस अधिनियम के उपबन्धो के असंगत न हो और जो कठिनाइयां दूर करने के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा आवश्यक और समीचीन समझे जाये ।

6– संशोधन करने की शक्तिः–

राज्य सरकार किसी भी समय इन नियमो के किसी उपबन्ध में परिवर्तन,उपान्तरण अथवा संशोधन कर सकेगी ।

आज्ञा से
एन0रविशंकर
सचिव ।

संख्या–1725/1/2005–2(3)/4/2004 तददिनांक ।
प्रतिलिपि–

1– सचिव ऊर्जा भारत सरकार ।
2– प्रमुख सचिव मा0 मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के सज्ञानार्थ ।
3– निजी सचिव मा0 राज्यमंत्री को मा0 मत्री जी के सज्ञानार्थ ।
4– महालेखाकार देरादून उत्तरांचल ।
5– मुख्य सचिव/अपर मुख्य सचिव उत्तरांचल ।
6– समस्त मुख्य सचिव/सचिव उत्तरांचल ।
7– आयुक्त गढ़वाल/कुमांयू ।
8– समस्त विभागाध्यक्ष उत्तरांचल ।
9– समस्त जिलाधिकारी उत्तरांचल ।
10– सचिव उत्तरांचल विधुत नियामक आयोग देहरादून ।
11– अध्यक्ष एंव प्रबन्धक निदेशक यू0पी0सी0एल0/यू0जे0वी0एज0 देहरादून ।
12– विधुत निरीक्षक विधुत सुरक्षा विभाग हल्द्वानी ।
13– प्रबन्ध निदेशक राजकी लीथो प्रेस रूड़की (हरिद्वार) को अंग्रेजी अनुवाद की प्रति सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि अधिसूचना को गजट के आगामी अंक में प्रकाशन कर 50 प्रतियां शासन को उपलब्ध करायी जाये ।
15– प्रभारी एन0आई0सी0 अचिवालय परिसर देहरादून ।
16– गार्ड फाइल ।

आज्ञा से
ह0/–
(डा0 एम0सी0 जोशी)
अपर सचिव ।

अनुसूची
अनन्तिम आदेश का प्रारूप

1– संख्या
2– आदेश की तारीख
3– परिसर/स्थान/बहियां जिनका निरीक्षण किया गया
4– विधुत संयोजन की विशिष्टियां
(क) मीटर संख्या
(ख) संयोजित भार
5– उपभोक्ता का नाम
6– अध्यासी का नाम
7– निरीक्षण की तारीख
8– निरीक्षण अधिकारी का नाम व पदनाम
9– विधुत के अनधिकृत उपयोग का प्रकार
(विधुत के अनधिकृत उपयोग का विवरण दें। निरीक्षण अधिकारी की निरीक्षण टिप्पणी की प्रति सलग्न)
10– विधुत के अनधिकृत उपयोग करने वाले व्यक्तियो के नाम व पते
11– उन व्यक्तियों का नाम व पता जिन्होने ऐसे अनधिकृत विधुत उपयोग के लिए लाभ उठाया।
12– निम्नांकित ब्योरे सहित अनन्तिम निर्धारण के अधीन ऐसे अनधिकृत विधुत उपयोग के लिये संदेय विधुत प्रभार की मात्रा–
(क) सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर अवधारित अनधिकृत रूप से उपयोग की जा रही विधुत की मात्राः
(ख) यह अवधारणा कि ऐसा अनधिकृत उपयोग घरेलू व कृषि सेवा की दशा में निरीक्षण की तारीख से ठीक पूर्व तीन माह की अवधि के लिये तथा अन्य सेवाओ की दशा में निरीक्षण की तारीख से ठीक पूर्व छः माह के लिये किया जाता रहा है ।
(ग) उपभोक्ताओ का सुसंगत प्रवर्ग जिसके अधीन निर्धारण किया जा रहा है ।
(घ) ऐसी प्रवर्ग का लागे दर का डेढ़ गुना तथा उसकी गणना ।
13– विधुत के अनधिकृत उपयोग के सवौत्तम निर्णय के समर्थन में कारण(कारणो का विस्तृत विवरण दें)
14– दस्तावेज जिस पर अनन्तिम निर्धारण द्वारा विश्वास किया गया ।
15– निम्नांकित विवरण–
(क) विधुत के अनधिकृत उपयोग के लिये संदेय विधुत प्रभार का अवधारण इस अवधारण पर किया है कि ऐसा अनधिकृत उपयोग 3 माह/6 माह जैसी भी स्थिति हो की अवधि से लगातार किया गया था जैसा कि विधुत अधिनियम 2003 की धारा 126 की उपधार(5) के अधीन उपबन्धित है और उपधार (6) के अधीन यथा उपबन्धित डेढ प्रतिशत की दर की गणना की गयी है,उपधाराये निम्नवत हैः–
''(5) यदि निर्धारण अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि विधुत का अनधिकत उपयोग किया गया है तो यह मान लिया जायेगा कि विधुत का ऐसा अनधिकृत उपयोग घरेलू और कृषि सेवा मामले में निरीक्षण के दिनांक से तत्काल 3

(तीन) मास पूर्व की अवधि के लिए और सेवा की अन्य सभी श्रेणियो के लिए निरीक्षण के दिनांक के ठीक पूर्ववर्ती 6 मास की अवधि में जारी था जब तक कि ऐसे परिसर या स्थान के अधिभोगी या कब्जाधारी व्यक्ति द्वारा इस दायित्व का खण्डन नही किया जाता है ।

''(6) इस धारा के अधीन निर्धारण उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट सेवा की सुसंगत श्रेणियो के लिए लागू शुल्क दर की डेढ़ गुना दर से किया जायेगा ।

स्पष्टीकरण– इस धारा के प्रयोजनो के लिए–

(क) ''निर्धारण अधिकारी'' से राजय सरकार या बोर्ड का ऐसा अधिकारी या अनुज्ञप्तिधारी यथास्थिति है जो राज्य सरकार द्वारा उस रूप में अभिप्रेत है पदाभिहित हो–

(ख) ''विधुत का अनधिकृत उपयोग'' से तात्पर्य विधुत का ऐसा उपयोग अभिप्रेत है जो–

(1) किसी कृतिम ढ़ग द्वारा या–

(2) ऐसे ढ़ग द्वारा,जो सम्बद्व व्यक्ति या प्राधिकारी या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्राधिकृत न किया गया हो

(3) मीटर से गड़बड़ी कर,या

(4) अनधिकृत प्रयोजन से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन के लिए विधुत का उपयोग किया गया हो ।

(ख) परिसर या स्थान के अधिभोगी या कब्जाधारी व्यक्ति द्वारा जिसके विरूद्व अनन्तिम निर्धारण किया गया है उपरोक्त अनुमान का खण्डन किया जा सकेगा ।

(ग) पारित आदेश अनन्तिम निर्धारण है तथा निर्धारण अधिकारी द्वारा अनन्तिम निर्धारण का आदेश उस व्यक्ति को सुनने के बाद पारित किया जायेगा जिसके विरूद्व विधुत के अनधिकृत उपयोग के लिये कार्यवाही की गई है ।

(घ) जिस व्यक्ति के विरूद्व अनन्तिम निर्धारण आदेश पारित किया गया है वह अपनी आपत्तिया/प्रतिवेदन निर्धारण अधिकारी को ऐसी अवधि में प्रस्तुत कर सकता है जैसा निर्धारण अधिकारी अनुमति दे(जो अनन्तिम निर्धारण आदेश की तामील की तारीख से 15 दिन से कम नही होगी)

(ड) जिस व्यक्ति के लिये अनन्तिम निर्धारण किया गया है उसको यह विकल्प होगा कि वह अनन्तिम निर्धारण आदेश स्वीकार कर निर्धारित धनराशि ऐसे अनन्तिम आदेश की तामील के 7 दिन में जमा कर दे,ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति की कोई अतिरिक्त देयता नही होगी अथवा उसके विरूद्व कोई कार्यवाही नही की जायेगी,जैसा कि विधुत अधिनियम 2003 की धारा 126 की उपधार(4) में उपबन्धित है जो उपधार निम्नवत हैः–

''(4) कोई व्यक्ति जिस पर अनन्तिम निर्धारण का आदेश तामील किया गया है ऐसे निर्धारण को स्वीकार कर सकेंगा और निर्धारित धनराशि ऐसे अनन्तिम परन्तु उपबन्ध यह है कि यदि वह व्यक्ति निर्धारित धनराशि जमा कर देता हे तो उसकी कोई अतिरिक्त देयता नही होगी अथवा किसी भी प्राधिकारी द्वारा उसके विरूद्व कोई कार्यवाही नही की जायेगी ।

(च) विधुत अधिनियम 2003 की धारा 127 के अधीन अन्तिम निर्धारण आदेश के विरूद्व प्राधिकारी से की जायेगी । धारा–127 जो निम्नवत हैः–

(1) धारा–126 के अधीन किये गये अन्तिम आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उक्त आदेश के 30 दिनांक के भीतर अपील प्राधिकारी को ऐसे प्रारूप में अपील प्रस्तुत कर सकेगा,जो ऐसे ढ़ग से सत्यापित हो और ऐसा फीस के साथ हो जैसा कि आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये ।

(2) यदि निर्धारित धनराशि की एक–तिहाई धनराशि नगद या बैंक ड्राफट द्वारा अनुज्ञप्तिधारी के पास जमा नही की जामी और ऐसी धनराशि दस्तावेजी का साक्ष्य अपील के साथ सलग्न नही किया गया है तो उपधार(1) के अधीन निर्धारण के आदेश के विरूद्व कोई अपील स्वीकार नही की जाएगी ।

(3) उपधारा(1) में निर्दिष्ट अपील प्राधिकारी पक्षकारो को सुनने के बाद अपील का निस्तारण करेगा और समुचित आदेश पारित करेगा और आदेश की प्रतिलिपि निर्धारण अधिकारी तथा अपीलार्थी को भेजेगा ।

(4) उपधारा (3) के अधीन पारित उपधारा(1) में निर्दिष्ट अपील प्राधिकारी का आदेश अन्तिम होगा ।

(5) पक्षकारो की सहमति से किए गये अन्तिम आदेश के विरूद्व कोई अपील उपधारा(1) में निर्दिष्ट अपील प्राधिकारी का नही होगी ।

(6) यदि कोई व्यक्ति निर्धारित धनराशि का भुगतान करने में चूक करता है तो वह निर्धारित धनराशि के अतिरिक्त निर्धारण के आदेश की तारीख से 30 दिन समाप्त होने पर 16 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से जो प्रति छमाही चक्रवृद्वि हो जाएगा धनराशि का संदाय करने के लिये दायी होगा ।

.....0.....

सरकारी गजट, उत्तरांचल
उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
देहरादून मंगलवार 12 जुलाई 2005 ई0
आषाढ़ 21 1927 शक सम्वत

उत्तरांचल शासन
औधोगिम विकास अनुभाग –1
संख्या–2413 / सात–औ0वि0 / 05 / 182–उधोग / 04
देहरादून 12 जुलाई 2005

अधिसूचना

सार्वजनिक निगमो / उपक्रमो में कार्यरत कार्मिको की अधिवर्षता आयु लोकहित में 58 वर्ष के स्थान पर 60 वर्ष करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।

2– यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगें ।

3– उर्पयुक्त से सम्बन्धित आवश्यक उपबन्धो के बारे में विस्तृत दिशा–निर्देश पृथक स्रे जारी किये जायेगें ।

आज्ञा से
संजीव चोपड़ा
सचिव ।

प्रेषक,

अपर निदेशक,
भूतत्व एंव खनिकर्म इकाई
उधोग निदेशालय उत्तरांचल
देहरादून ।

सेवा में,

1– समस्त जिलाधिकारी ।
2– प्रबन्ध निदेशक गढवाल मण्डल ।
3– प्रबन्ध निदेशक कुमांयू मण्डल विकास निगम लि0 देहरादून ।
4– प्रबन्ध निदेशक उत्तरांचल वन विकास निगम देहरादून ।

संख्या– 501 /खनन/05–06 दिनांक 11.अगस्त 2005

विषयः– उपखनिजो के चुगान से सम्बन्धित अपरिहार्य भाटक एंव पटटा विलेख निष्पादित किये जाने के सम्बंध में ।

महोदय,

कृपया शासनादेश सं0–2390/सात–औ0वि0/05/117–ख/2003 दिनांक 2.8.2005 में दिये गये निर्देशानुसार खनन पटटे के प्रारूप की प्रति इस पत्र के साथ सलग्न कर आपके अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है । सलग्न–उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,
ह0/–
(ए0आर0कोठे)
ज्येष्ठ खान अधिकारी,
कृते–अपर निदेशक ।

संख्या– /खनन/05–06 तददिनांक ।

प्रतिलिपि– अपर सचिव,औधोगिक विकास विभाग,उत्तरांचल शासन को शासकीय आदेश सं0–2390/सात–औ0वि0/05/117–ख/2003 दिनांक 2.8.2005 के अनुपालन में सूचनार्थ प्रेषित।

(ए0आर0कोठे)
ज्येष्ठ खान अधिकारी,
कृते–अपर निदेशक ।

प्रपत्र एम0एम0–3

खनन पटटे का आदर्श प्रपत्र(नियम–14)

यह अनुबन्ध आज.....दिनांक.....को.....उत्तरांचल के राज्यपाल में यदि संदर्भ से ऐसा ग्राहय हो उत्तराधिकारी तथा अभिहस्तांकिती भी सम्मिलित समझे जायेगें)एक पक्ष और.....यदि पटटेदार ऐ से अधिक व्यक्ति होः(व्यक्ति का नाम तथा पता और व्यवसाय)तथा.....(व्यक्ति का नाम तथा पता और व्यवसाय)जिन्है आगे ''पटटेदार'' कहा गया है जिस पदावलि में,यदि संदर्भ से ऐसा ग्राहय हो उनके अपने–अपने दायाद,निष्पादक,प्रशासक और प्रतिनिध भी सम्मिलित समझे जायेगें ,दूसरा पक्ष यदि पटटेदार कोई रजिस्ट्रीकृत फर्म होः(भागीदार का नाम और)आत्मज.....निवासी.....जो सभी भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932(1932 का एक्ट सं0–9) के अधीन निबन्धित फर्म (फर्म का नाम) के नाम और रूप के अधीन भागीदारी में कारोबार कर रहे है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय.....नगर में.....पर है (जिन्है आगे पटटेदार कहा गया है,जिस पदावलि में,यदि संदर्भ से ऐसा ग्राहय हो उक्त समस्त भागीदार उनके अपने–अपने दायाद,निष्पादक और विधिक प्रतिनिधि भी सम्मिलित समझे जायेगें)दूसरा पक्ष

यदि पटटेदार रजिस्ट्रीकृत कम्पनी होः (कम्पनी का नाम).....(अधिनियम जिसके अधीन निगमित है के अधीन रजिस्ट्रीकृत कम्पनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय.....में है)(पता)(जिसे आगे) पटटेदार कहा गया है,जिस पदावलि में यदि संदर्भ से ऐसा ग्राहय हो,उनके उत्तराधिकारी भी सम्मिलित समझे जायेगे दूसरा पक्ष

चूंकि पटटेदार/पटटेदारो ने उत्तरांचल उपखनिज (परिहार) नियमावली 2001(जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है) के अनुसार राज्य सरकार को निम्नलिखित अनुसूची के भाग–1 में वर्णित भूमि.....एकड़ के निमित्त खनन पटटे के लिए खनन पटटे के लिए प्रार्थना पत्र दिया है और उसने/उन्होने राज्य सरकार के पास.....रू0 की धनराशि प्रतिभूमि के रूप में तथा.....रू0 की धनराशि खनन पटटे के हेतु आरम्भिक व्ययो की पूर्ति के लिये जमा कर दी गयी है ।

यह इस बात का साक्ष्य है कि उपस्थान पत्र और निम्नलिखित अनुसूची द्वारा रक्षित और उसमें दिये गये और पटटेदार/पटटेदारो की ओर से भुगतान किये जाने वाले पालन और सरकार द्वारा एतदद्वारा पटटेदार/पटटेदारो को निम्नलिखित प्रदान और पटटान्तरित करती है.....(यहां खनिज या खनिजो का उल्लेख कीजिये)(जिन्है आगे अभिदिष्ट अनुसूची में उक्त भाग–1 में अभिदिष्ट भूमि में या उसके नीचे स्थित हो,पड़ी हो या हो,उन स्वतत्रओं या अधिकारो तथा विशेषाधिकारो के साथ जिनको इसके सम्बंध में उन निबन्धो तथा शर्तो के अधीन रहते हुए प्रयोग या उपयोग किया जायेगा,जो ऐसी स्वतत्रंताओं,अधिकारो तथा विशेषाधिकारो के प्रयोग तााि उपयोग करने के बारे में हो.....सिवाय इसके और इसमें से आरक्षित उक्त नियमावली में उल्लिखित स्वतंत्रतायें,अधिकार तथा विशेषाधिकार राज्य सरकार में पटटान्तरित हो जायेगें । दिनांक.....200.....से.....वर्ष

की आगामी अवधि के लिए पटटेदार/पटटेदारो का एतदद्वारा दिये और पटटान्तरति ऐसे भू–गृहादि धारण करना जिसमें खनिज निकलने लगे और

राज्य सरकार को उक्त अनुसूची के भाग–2 में उल्लिखित कई किरायो और स्वामित्वो का भुगतान उसमें विनिर्दिश्ट भिन्न–भिन्न समयो पर होने लगे किन्तु प्रतिबंध यह है कि ऐसा उक्त भाग में उपबंधो के अधीन हो,और पटटेदार एतदद्वारा राज्य सरकार के साथ प्रसंविदा करता है/करते है और राज्य सरकार एतदद्वारा पटटेदार/पटटेदारो के साथ प्रसंविदा करती है जैसा कि उक्त नियमावली में अभिव्यक्त है ।

और एतदद्वारा इसके साथ दिये गये पक्षो के बीच में परस्पर सहमत हुआ है और जैसा कि उक्त अनुसूची के भाग–3 में अभिव्यक्त है ।

(ऊपर अभिदिष्ट अनुसूची)

भाग–1

इस पटटे का क्षेत्रफल और स्थान.....जो जिला.....वह समस्त भूखण्ड.....
.....तहसील.....और.....थाना.....के अर्न्तगत (परगना).....
.....में स्थान.....पर (क्षेत्र अथवा क्षेत्रो का विवरण).....स्थित है और उसकी भूकर सर्वेक्षण संख्या.....है तथा जिसमें.....क्षेत्र है जो यहां सलग्न नक्शे में चिन्हित है और उसे.....से रंजित किया गया है और जिसकी सीमायें निम्पलिखित हैः–
उत्तर में.....दक्षिण में.....
पूर्व में.....पश्चिम में.....
एतदपश्चात जिसे'उक्त भूखण्ड' कहा गया है ।

भाग–2

इस पटटे द्वारा आरक्षित अपरिहार्य भाटक और स्वामित्व

अपरिहार्य भाटक या स्वामित्व का जो इनमें से अधिकारी हो,भुगतान करना है–

(1) पटटेदार पटटे के प्रत्येक वर्ष के लिये प्रत्येक खनिज के सम्बंध में इस भाग के खण्ड (2) में विनिर्दिष्ट अपरिहार्य भाटक का वार्षिक भुगतान करेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि पटटेदार प्रत्येक खनिज के सम्बंध में अपरिहार्य भाटक या स्वामित्व का जो धनराशि इसमें से अधिक हो,देनदार होगा,किन्तु दोनो का नही ।

(2) अपरिहार्य भाटक की दर और उसका भुगतान करने की रीतिः

इस भाग के खण्ड (1) के उपबंध के अधीन रहते हुए पटटे की अवधि में पटटेदार राज्य सरकार को इस अनुसूची के भाग–1 में वर्णित और पटटान्तरति भूमि के प्रति खनिज प्रति एकडत्र वार्षिक अपरिहार्य भाट निम्नलिखित दर/दरो पर या ऐसी संशोधित दर/दरो पर भुगतान करेगा/करेंगे जो पटटेदार/पटटेदारो को राज्य सरकार द्वारा लिखित रूप से संसूचित किया जायेगा/किये जायेगें :–

खनिज का नाम	प्रति एकड़ निश्चित किया गया अपरिहार्य भाटक	पटटान्तरित भूमि का क्षेत्रफल	देय अपरिहार्य भाटक	एक वर्ष में देय कुल अपरिहार्य भाटक
1	2	3	4	5
1 2 3				

(यहां पर रीति,जिसके अनुसार और वह समय जब अपरिहार्य भाटक का भुगतान किया जाना चाहिए,लिखिये)

अपरिहार्य भाटक का राज्य सरकार के प्रति भुगतान पटटा वर्ष के पूरा होने के एक माह के भीतर उस जिले के मुख्यालय के राजकीय कोषागार में जिसमें धृत पटटा स्थित हो,ऐसे लेखाशीर्षक के अर्न्तगत जमा करके जैसा कि समय–समय पर विनिर्दिष्ट किया जाये प्रति वर्ष किया जायेगा ।

(3) स्वामित्व की दर और उसके भुगतान की रीतिः–

इस भाग के खण्ड(1) के नियमो के उपबन्धो रहते हुए पटटेदार की अवधि में राज्य सरकार को ऐसे समयो पर और ऐसी रीति से जो राज्य सरकार विहित करें पटटे पर दिया हुये क्षेत्र से उसके/उनके द्वारा हटाया गया/हटाये गये किसी खनिज/किन्ही खनिजो के सम्बंध में उक्त नियमावली की प्रथम अनुसूची में तत्समय विनिर्दिष्ट दर पर स्वामित्व का भुगतान करेगा/करेंगें ।

(4) साधारण बालू,मोरम,बजरी एंव बोल्डर्स की पटटा धनराशि की दर एंव भुगतान की रीतिः–

साधारण बालू एंव मोरम के पटटेदार पटटे के आगामी वर्षो में पटटा धनराशि पूर्ववर्ती वर्ष में भुगतान की गयी धनराशि से 10 प्रतिशत की बढ़ी हुई दर से जमा करेगा । साधारण बालू,बजरी,बोल्डर्स जो मिली–जुली अवस्था में हो के पटटेदार पटटे के आगामी वर्षो में पटटा धनराशि का भुगतान पूर्ववर्ती वर्ष में भुगतान की गयी धनराशि से 25 प्रतिशत की बड़ी हुई दर से करेगा । यदि पटटा क्षेत्र से हटाये गये खनिज पर देया रायल्टी पटटा धनराशि से अधिक आती है तो पटटेदार द्वारा उस धनराशि का भुगतान करना होगा जो इनमें से अधिक होगी ।

(5) अपरिहार्य भाटक और स्वामित्व कटौती आदि मुक्त होगें:–

इस भाग में उल्लिखित अपरिहार्य भाटक और स्वामित्व का भुगतान बिना किसी कसौटी के राज्य सरकार को.. .....पर ऐसी रीति से किया जायेगा,जो राज्य सरकार विहित करें ।

(6) स्वामित्व के सगंणन की रीति:–

उक्त स्वामित्वो के संगणन करने के प्रयोजन के लिये पटटेदार का भुगतान खान से संग्रह किये गये खनिज/खनिजो का और उसको/उनको भेजने की रीति का सही–सही लेखा रखेगा,जिससे वह वे परिवहन की प्रणाली,वाहन की निबंधन संख्या,वाहन के प्रभारी व्यक्ति,वाहन द्वारा परिवहन किये गये खनिज/खनिजो का विवरण और परिभाषा का उल्लेख करेगा/करेंगें जो एम0एम0–11 में पास जारी करेगा और ऐसे अन्य विवरणे को उल्लेख करेगा/करेंगें जो राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करें । नियम 66 के अधीन प्राधिकृत अधिकारी या ऐसे अन्य अधिकारी जिन्है राज्य सरकार नियमावली के अधीन समय–समय पर प्राधिकृत करें स्टाक में रखे गये और निर्यात किये जाने वाले या प्रपत्र एम0एम0–11 में उल्लेखित खनिज/खनिजो के लेखा उसके/उनके भार का परिमाण की जांच कर सकता है । पटटेदार प्रति वर्ष जिला अधिकारी और भूतत्व एंव खनिकर्म इकाई के क्षेत्रीय कार्यालय को पूर्ववर्ती तिमाही विवरणी प्रस्तुत करेगा और यदि विवरणी नियत समय के भीतर प्रस्तुत नही की जाती है तो पटटेदार चूक के प्रत्येक अवसर पर 400.00 (चार सौ रू0) की धनराशि का भुगतान करेगा ।

(7) प्रपत्र एम0एम0–11 का भुगतान के आधार पर दिया जानाः

पटटेदार जिला अधिकारी के कार्यालय से प्रपत्र एम0एम0–11 की पुस्तिका जैसा नियमावली के नियम 70 के (1) के अपेक्षित है,भुगतान करने पर प्राप्त करेगा/करेगें ।

(8) यदि पटटेदार/पटटेदारो द्वारा इस उपस्थपन पत्र के निर्बन्धनो और शर्तो के अधीन किसी भाटक स्वामित्व या राज्य सरकार को देय किसी अन्य धनराशि का भुगतान विहित समय के भीतर नही किया जाता है तो वह ऐसे अधिकारी के प्रमाण–पत्र पर जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिश्ट करें,उसी प्रकार से वसूल की जा सकेगी,जिस प्रकार से मालगुजारी का बकाया वसूल की जाती है ।

भाग–3

सामान्य उपबन्ध

(1) नियमो,प्रसंविदाओ और शर्तो के भंग करने पर पटटा समाप्त किया जा सकता है :–

यदि पटटेदार उत्तरांचल उप खनिज (परिहार) नियमावली 2001 के किसी नियम या इस पटटे की किसी प्रसंविदा और शर्त को भंग करें/करें तो राज्य सरकार पटटा समाप्त कर सकती है और प्रतिभूमि जमा को पूर्णतः या अंशतः जब्त कर सकती है,किन्तु प्रतिबंध यह है कि पटटा समाप्त किये जाने के पूर्व पटटेदार/पटटेदारो को उक्त शर्त भंग करने का स्पष्टीकरण देने के लिये युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा । यदि पटटेदार यथास्थिति इस नियमावली या इस पटटे के अधीन किसी अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश से क्षुब्ध हे तो वह/वे इस नियमावली के नियम 77 और 78 के अधीन अपील/पुनरीक्षण दायर कर सकता है ।

(2) पटटेउार,पटटे की समाप्ति पर अपनी सम्पत्तियो को हटायेगा/हटायेगें:–

पटटेदार इस उपस्थापनापत्र(प्रजेन्टेशन) के आधार पर देय किराये और स्वामित्व का पहले भुगतान और उन्मोचन कर चुकने पर उक्त अवधि की समाप्ति पर या उसके शीध्रतर समाप्ति पर या तत्पश्चात तीन कलैण्डर मास के भीतर(जब तक पटटा इस भाग के खण्ड(1) के अधीन समाप्त न कर दिया जाये और उस दशा में किसी समय ऐसी समाप्ति के पश्चात कम से कम एक कलेण्डर मार में और अधिक से अधिक तीन कलेण्डर मास में)अपने लाभ के लिए ऐसे सभी या किसी इजंन,मशीन,संयत्र,भवन,सरंचनाओ और अन्य निर्माण कार्य,परिनिर्माण(एरेक्शन्स) और अस्थायी आवास–सीनो को उखाड़ सकता है /सकते है और हटा सकता है/सकते है,जो उक्त भूमि में या उस पर पटटेदार/पटटेदारो द्वारा खनन किया गया हो,खड़े किये गये हो,स्थापित किये गये हो या रखे गये हो और जिन्है पटटेदार राज्य सरकार को देने के लिए बाध्य नही है /है और जिन्है राज्य सरकार खरीदने के लिए इच्छुक न हो ।

(3) पटटे की समाप्ति के पश्चात तीन मास के अधिक समय तक छोड़ी गई सम्पत्ति की जब्तीः–

यदि उक्त अवधि की समाप्ति या उसके शीध्रतर समाप्ति के पश्चात तीन कलेण्डर मास के अन्त में,उक्त भूमि में या उस पर कोई इंजन,मशीन,संयत्र,भवन,सरंचाये तथा अन्य निर्माण कार्य परिनिर्माण और अस्थायी आवास–स्थान या अन्य सम्पत्ति रहे तो उनके सम्बंध में,यदि वे ऐसे लिखित नोटिस देने के पश्चात जिसमें जिला अधिकारी द्वारा पटटेदार/पटटेदारो से उन्है हटाने की अपेक्षा की गयी हो,एक कलेण्डर मार के भीतर पटटेदार/पटटेदारो द्वारा हटाये जाय,यह समझा जायेगा कि वे राज्य सरकार की सम्पत्ति हो गयी है और किसी प्रतिकर का भुगतान किये बिना या उसके सम्बंध में पटटेदार/पटटेदार को कोई हिसाब दिये बिना,उनकी बिक्री करके निस्तारण ऐसे रीति से किया जा सकता है जो राज्य सरकार उचित समझे ।

(4) ठेकेदार के माध्यम से स्वामित्व और परिहार्य भाट की वसूली करनाः–

यदि राज्य सरकार इस प्रकार निदेश दे,तो पटटेदार इस उपस्थापन पत्र द्वारा सरंक्षित स्वामित्वो और अपरिहार्य भाटक का भुगतान स्वामित्व की वसूली करेन वाले ठेकेदार को राज्य सरकार द्वारा नियत रीति से ऐसी अवधियो में करेगा जो विनिर्दिष्ट की जाये ।

(5) नोटिसेः–

इस उपस्थान पत्र द्वारा पटटेदार/पटटेदारो को दिये जाने के लिए अपेक्षित प्रत्येक नोटिस उक्त भूमि पर रहने वाले ऐसे व्यक्ति को लिखित रूप में दिया जायेगा,जिसे पटटेदार ऐसी नोटिस प्राप्त करने के लिए नियुक्त करें/करें और यदि इस प्रकार कोई नियुक्ति न की गयी हो ऐसी प्रत्येक नोटिस में ऐसे अन्य पते पर भेजी

जायेंगी,जिस पटटेदार समय–समय पर लिखित रूप से राज्य सरकार को नोटिसो को प्राप्त करने के लिए दे/दें और प्रत्येक ऐसी तामील पटटेदार/पटटेदारो पर उचित और वैध तामील समझी जायेगी और उसके सम्बंध में उसके/उसके द्वारा न तो आपत्ति की जायेगी और न उसे चुनौती दी जायेगी ।

(6) स्टाम्प शुल्कः–

स्टाम्प शुल्क के प्रयोजन के लिए पटटान्तरित भूमि से पूर्वानुमानित स्वामित्व प्रतिवर्ष रू0 है। इसके साक्ष्य के रूप में उपस्थापन पत्र–एतदधीन आयी हुई रीति से ऊपर उल्लिखित दिन और वर्ष को निष्पादित किया गया है ।

उत्तरांचल के राज्यपाल के लिए और उनकी ओर से–

1–

2–

3–

की उपस्थिति में.....द्वारा हस्ताक्षरित ।

1–

2–

की उपस्थिति में पटटेदार/पटटेदारो द्वारा हस्ताक्षरित ।

संख्या–2752 / सात–औ0वि0 / 14–ख / 2005

प्रेषक,

आलोक कुमार,
अपर सचिव
उत्तरांचल शासन ।

सेवामें,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल ।

औधोगिक विकास अनुभाग–1 देहरादून दिनांक 22 अगस्त 2005

विषयः– नदी तल से लगी निजी नाप भूमि से खनन परिहार पर रोक लगाये जाने के सम्बंध में ।

महोदय,

उर्पयुक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य में नदी तटो से लगी निजी नाप भूमि बाढ़ के कारण कट जाती है और उसके कुछ भाग में उपखनिज(साधारण बालू,बजरी,बोल्डर्स आदि) का जमाव हो जाता है । ऐसी भूमि का क्षेत्रफल बहुत कम होता है तथा जिस पर उपखनिज परिहार स्वीकृत किये जाने से परिहार धारको द्वारा परिहारपर स्वीकृत निजी नाप भूमि के साथ ही नदी तट से लगे अन्य क्षेत्र से ाी बड़ी मात्रा में उपखनिजो का चुगान / खनन कर लिया जाता है तथा परिहार पर स्वीकृत खनिज की मात्रा से कई गुना अधिक मात्रा में उपखनिजो का दोहन कर लिया जाता है । इस प्रकार उत्तरांचल उपखनिज परिहार नियमावली 2001 के नियमो का उल्लंधन तो होता ही है,साथ ही प्रदेश को प्राप्त होने वाले राजस्व का भी अपवंचन होता है ।

अतः शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि नदी तलो से लगी ऐसी निजी नाप भूमि पर अग्रिम आदेशो तक किसी भी प्रकार का स्थायी / अस्थायी अनुज्ञा पत्र निर्गत नही किये जायेगें । यह भी निर्णय लिया गया है कि जिन सीनो पर पूर्व से अनुज्ञा पत्र जारी हो उन पर अनुज्ञा / परमीट का नवीनीकरण नही किया जायेगा । यदि किसी स्थान पर अपरिहार्य कारणो से निजी नाप भूमि से उपखनिजो का विदोहन आवश्यक हो तो उसे सम्बन्धित जिला अधिकारी,सरकारी निगमो यथा कुमांयू मण्डल विकास निगम लि0,गढ़वाल मण्डल विकास निगम लि0 एंव उत्तरांचल वन विकास निगम के माध्यम से इस कार्य को करा सकते है ।

भवदीय,
ह0 / –
(आलोक कुमार)
अपर सचिव ।

पृष्ठांकन संख्या–2752(1) / सात–औ0वि0 / 14–ख / 2005 तददिनांकित ।

प्रतिलिपि– निदेशक भूतत्व एंव खनिकर्म इकाई,उधोग निदेशालय उत्तरांचल देहरादून को सूचनाथ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

आज्ञा से
(आलोक कुमार)
अपर सचिव

संख्या–2508 / सात–औ0वि0 / 124न्ख / 05

प्रेषक,

आलोक कुमार
अपर सचिव
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल ।

औद्योगिक विकास अनुभाग–1 देहरादून 16 अगस्त 2005

विषयः– मुख्य खनिजो के पी0एत0 एंव एम0एल0 आवेदन हेतु निर्धारित प्रारूप।

महोदय,

''प्रोस्पैक्टिंग लाइसेंस के आवेदन पत्रो पर जिलाधिकारी की आख्या / संस्तुति हेतु निर्धारित प्रपत्र (खनिज परिहार नियम 1960 के नियम 9 के अर्न्तगत)'' एंव ''मुख्य खनिजो के खनन पटटे हेतु आवेदन पत्रो पर जिलाधिकारी की आख्या / संस्तुति हेतु निर्धारित प्रपत्र (खनिज परिहार नियम 1960 के नियम 22 के अर्न्तगत)'' निर्धारित प्रारूपो को इस पत्र के साथ सलग्न करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया निर्धारित प्रारूपो पर ही आवेदक से आवेदन पत्र प्राप्त करना सुनिश्चित करें ।

सलग्न–यथोक्त

भवदीय,
ह0 / –
(आलोक कुमार)
अपर सचिव।

foHkkx&31

सख्या–2–48 / चौतीस–विविध–1 / 1970

प्रेषक,

श्री एम0लाल ,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष, डिवीजनों के कमिश्नर,
जिला अधिकारी तथा अन्य प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश ।

अम्यर्थना विभाग । दिनांक लखनउ, 7 मार्च, 1970 ।

बिषयः– जनता से प्राप्त याचिकाओं पर शीध्र कार्यवाही करने की आवश्यक ।

महोदय,

मुझे उपयुर्क्त विषय पर शासनादेश संख्या–क–1433 / चौतीस–458– ए–69, दिनांक 5 सितम्बर 1967 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने और इस बात पर पुनः जोर देने का निर्देश हुआ है कि हर सरकारी कर्मचारी को चाहिये कि वह जनता से आयी हुई शिकायतों तथा अर्जियों पर जितनी जल्दी हो सकें सहयोग तथा सेवा की भावना से कार्यवाही कर और इस सम्बन्ध में यथा सम्भव लाल फीतेशाही और अनुचित औपचारिकताओं को कम करें । यदि पर्याप्त कारणों से किसी प्रार्थना को स्वीकार करना या कथित शिकायत को दूर करना सम्भव न हो तो प्रार्थी को यह बात नम्रभाषा में शीध्र ही बता दी जानी चाहिये ।जनता से प्राप्त याचिकाओं को निपटाने के सम्बन्ध में मैनुअल आफ गवर्नमेंट आर्डर्स के पैरा –222 एवं 944 में दिये गये निर्देशों का भी कृपया ध्यान रखा जाय जनता के सामने सरकार की सही तस्वीर रखी जाने के लिये यह आवश्यक है कि ऐसी सभी शिकायतों पर जो सरकार के पास आती है और जिन्हें निपटाने के लिये विभिन्न प्राधिकारियों के पास भेजा जाता है और साथ ही ऐसी सभी शिकायतों पर भी जो पीडित व्यक्तियों से सीधे आती है, कारगर ढग से सहानुभूतिपूर्वक और तत्परता के साथ कार्य वाही की जाय ।

2–राष्ट्पति सचिवालय से जो अर्जिया और शिकायतें प्राप्त होती है वे सामान्यतः अभ्यर्थना विभाग द्वारा आपको समुचित कार्यवाही हेतु भेजी जाती है । इन सभी मामलों में अतिशीध्र कार्यवाही की जाने की आवश्यकता है और जिन मामलों में अभ्यर्थना विभाग द्वारा राष्ट्पति सचिवालय को अग्रसारित करने के लिये रिर्पोट मॉगी जाती है, वह रिर्पोट शासन को तुरन्त उपलब्ध करायी जानी आवश्यक है। अतः आप ऐसी याचिकाओ / प्रार्थना पत्र आदि के सम्बन्ध में विशेषरूप से व्यक्तिगत ध्यान दे और यह सुनिश्चित कर ले कि इनके सम्बन्ध में शासन को रिर्पोट अतिशीध्र उपलब्ध करा दी जाय ,तथा प्रार्थियों को भी की गयी कार्यवाही की यथोचित सूचना यथा सम्भव दे दी जाय ।

3–मुझे यह अनुरोध करना है कि सभी सम्बन्धित व्यक्ति जनता से प्राप्त याचिकाओं पर कार्यवाही करते समय इन निर्देशों को ध्यान में रखे एवं इनका पूरी तरह से पालन करें

भवदीय
एम0लाल
मुख्य सचिव

संख्या–क–6 / चौतीस–विविध–1 / 70

प्रेषक,

श्री अयोध्याप्रसाद दीक्षित,
मुख्य मंत्री जी के सचिव ।

सेवा मे,

समस्त विभागाध्यक्ष,
मण्डलों के आयुक्त,
जिला अधिकारी तथा
अन्य प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश ।

अभ्यर्थना अनुभाग दिनांकः लखनउ, 20 जनवरी 1972

विषयः– *जनता से प्राप्त याचिकाओं पर शीघ्र कार्यवाही करने की आवश्यकता* ।

महोदय,

मुझे उपर्युक्त विषय पर शासनादेश संख्या–2–48 / चौतीस–विविध– 1 / 1970, दिनांक 7 मार्च 1970 (प्रतिसंलग्न) की ओर आपका ध्यान पुनः आकर्षित करने का निर्देश हुआ है क्यों कि सरकार के समक्ष कुछ ऐसे मामले आये है कि उसमें निर्दिष्ट निर्देशों का पालन कठोरता से नही किया जा रहा है । यह आवश्यक है कि जनता से प्राप्त सभी शिकायतों और प्रार्थना पत्रों पर यथाशीध्र कार्यवाही की जाय और प्रार्थियों को समय से समुचित राहत प्रदान की जाय । जिन मामलों में शासन द्वारा प्रतिवेदन मॉगे जाते है उनमें यह अपेक्षित है कि वॉछित प्रतिवेदन शासन को अतिशीध्र उपलब्ध करा दिया जाय । अतः मुझे यह अनुरोध करना है कि अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों को यह निर्देश कर दिया जाय कि वे जनता से प्राप्त याचिकाओं पर कार्यवाही करते समय संलग्न शासनादेश में दिये गये निर्देशों को ध्यान में रखे और उनका पूरी तरह से पालन करें ।

भवदीय,
अयोध्याप्रसाद दीक्षित,
सचिव

,

संख्या–क–6(1) / चौतीस विविध–1 / 70 तदिनांक ।

प्रतिलिपि सचिवालय के समस्त अनुभागों को शासकीय पृष्ठाकन संख्या–2–48(1) / चौतीस–विविध–1 / 70, दिनांक 7 मार्च 1970 के सन्दर्भ में इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे कृपया उन सभी शिकायतों और प्रार्थना पत्रों पर जो उन्हें जनता से सीधे प्राप्त हो या अभ्यर्थना अनुभाग द्वारा भेजे जाय, उपरोक्तानुसार कार्यवाही करें ।

आज्ञा से,
आयोध्याप्रसाद दीक्षित,
सचिव

विभाग–32

संख्या938 / आठ / 1991

प्रेशक, –

सुबोध नाथ झा,
सचिव,
उत्तर प्रद्रेष षासन,

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेष ।

धर्माथ कार्य विभाग लखनऊ दिनांक 27 सितम्बर ,1991 ।

बिशयः– उत्तर प्रदेष हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपब्यय निवारण), अधिनियम ,1962 का अनुपालन

महोदय,

प्रदेष में अनेकों मठ या मंदिर आदि धार्मिक उद्देष्य से सार्वजनिक प्रयोजन के लिये स्थापित है । उनके साथ सम्बद्व चल या अचल सम्पतित उनके अनुरक्षण या सुधार के लिये अथवा उसमें परिवद्र्धन या उपासना के लिये अथवा उससे सम्बन्धित किसी सेवा या पूर्व के लिये दी जाती या निशद्ध की जाती है ओर उनमें श्रदयालु भक्तों द्वारा यढावा आदि भी इश्टदेव की भक्ता, संस्था के विकास और श्रद्यालु भक्तों के दर्षन आदि के लिये आवष्यक सुविधायें उपलब्ध कराने आदि की दृश्टि से चढाया जाता है । संस्था के उद्देष्यों या परम्पराओं के अथवा उसकी आय के अनुरुप ब्यय न होना अपब्यय माना जाता है । आप सहमत होंगे कि यदि संस्था की सम्पत्ति आदि का किसी के द्वारा निहित स्वार्थ का कोई अपब्यय होता है तो जनभावना को ठेस पहुंचती है । अतः कल्याणकारी राज्य का यह दायित्व हा जाता है कि ऐसी धार्मिक सार्वजनिक संस्थाओं की सम्पत्ति का दुरुपयोग न होने दें । इसलिये राज्य सरकार ने ऐसी हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं में, जिनमें जनता का हितबद्ध है,सम्पत्ति के दुरुप्योग एवं अपब्यय को रोकने और उनके सम्पत्ति क हस्तान्तरण को विनियमित करने क अभिप्राय से उत्तर प्रदेष हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपब्यय निवारण) अधिनियम,1962 बनाया है । षासन को समय–समय पर प्रदेष में स्थित अनेक हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थाआं की सम्पत्ति का दुरुपयोग तथा दुर्विनियोजन होने की षिकायतें प्राप्त होती रही हैं,जिन पर उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही के लिये आपको लिखा जाता रहा है ।

1. षासन को ऐसा अनुभव हो रहा है कि हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं की सम्पत्ति का दुरुपयोग एवं दुर्विनियोजन रोकने के लिये उक्त अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत समय से प्रभावी कार्यवाही नही हो रही है इसका लाभ उठाकर तस्कर तथा अन्य अवांछनीय तत्व उक्त संस्थाओं से लगे चल एवं अचल सम्पत्ति का अपहरण कर रहे हैं । उनकी भूमि पर नाजायज कब्जा, उक्त भूमि पर लगे वृक्षों का कटान, मंदिरों में स्थापित मूर्तियां की तस्करी तथा वहां रखे हुये कला एवं साहित्य से संबधित बहुमूल्य वस्तुओं की चोरी होने के समाचार आये दिन मिलते रहे हैं ।

2. आप सहमत होंगे कि मठ या मंदिरों से न कवल धार्मिक भावनाओं की पूर्ति होती है, बल्कि वे हमारी कला एवं संस्कृति के धरोहर भी हैं जिामें भक्तगणों को अपने पूर्वजों की श्रद्वा, भक्ति तथा ज्ञान के दर्षन भी होते हैं । यदि उनके संरक्षण हेतु इन संस्थाओं की सम्पत्ति के दुरुप्योग पर अंकुष नही लगाया गया तो उक्त सम्पतित असामाजिक तत्वां के हाथों पहुंच जायगी । इस संबध में तत्कालीन धर्मार्थ प्र विसो के सचिव श्री हर्शवर्धन सनवाल के गोपनीय षासनादेष संख्या– 658 / ध0का0– 3(11) / 1990, दनामक 12 अप्रेल,1990 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा विस्तृत निर्देष जारी किय जा चुके हैं ।

3. अनुरोध है कि आप कृपया अपने अधीनस्थ संबधित अधिकारियों के संज्ञान में उक्त पत्र में उल्लिखित तथ्यों को लाते हुये इस दिषा में प्रभावी कार्यवाही सुनिष्चित करने का कश्ट करें । इस संबध में कृत कार्यवाही तथा इस दिषा में हुई प्रगति से षासन को नियमित रुप से अवगत कराने का कश्ट करें ।

भवदीय,
ह0 / –
(सुबोध नाथ झा)

संख्या –938(1)/ आठ /1991, तद्दिनांक

उपर्युक्त मय (संलग्नक सहित) की प्रति मुख्य अरण्यपाल ,उत्तर प्रदेष लखनऊ तथा समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेष को इस अनुरोध के साथ प्रेशित कि कृप्या आप अपने विसो से संबधित विन्दुओं पर प्रभावी कार्यवाही सुनिष्चित कराने तथा इस दिषा में हुई प्रगति से षासन को भविश्य में अवगत करान का कश्ट करें ।

आज्ञा से
ह0/–
(सुबोध नाथ झा)
सचिव ।

संख्या– 658/ध0का0 –3(11)/1990

प्रेशक,

हर्शवर्द्वन सनवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेष षासन,

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेष ।

धमार्थ प्र विसो लखनऊः दिनांक 12 अप्रेल,1990

बिशयः– उत्तर प्रदेष हिन्दू सार्वजनिक धाम्रिक संस्था (सम्पतित अपब्यय निवारण)अधिनियम, 1962 का अनुपालन ।

महोदय,

मुझे आपसे यह कहने का निदेष हुआ है कि प्रदेष में अनेकों मठ या मंदिर आदि धार्मिक उद्देष्य से सार्वजनिक प्रयोजन के लिये स्थापित है । उनके साथ सम्बद्व चल या अचल सम्पत्ति उनके अनुरक्षण या सुधार के लिये अथवा उसमें परिवद्र्धन या उपासना के लिये अथवा उससे संबधित किसी सेवा या पूर्त के लिये दी जाती या निबद्ध की जाती है और उसमें श्रद्यालु भक्तों द्वारा चढावा आदि भी इश्टदेव की भक्ति,संस्था के विकास और श्रउ!यालु भक्तों के दर्षन आदि के लिये आवष्यक सुविधायं उपलब्ध कराने आदि की दृश्टि से चढाया जाता है । संस्था के उद्देष्यों या परम्पराओं के अथवा उसकी आय के अनुरुप ब्यय न होना अपब्यय माना जाता है । आप सहमत होंगे कि यदि संस्था की सम्पत्ति आदि का किसी के द्वारा निहित स्वार्थ का काई अपब्यय होता है तो जनभावना को ठेस पहुचती है। अतः कल्याणकारी राज्य का यह दायित्व हो जाता है कि ऐसी धार्मिक सार्वजनिक संस्थाओं की सम्पत्ति का दुरुपयोग न होने दें इसलिये राज्य सरकार ने ऐसी हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं में,जिनमे जनता का हितबद्ध है, सम्पतित के दुरुप्योग एवं अपब्यय को रोकने और उनके सम्पत्ति के हस्तान्तरण को विनियमित करने के अभिप्रयाय से उत्तर प्रदेष हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपब्यय निवारण) अधिनियम,1962 बनाया गया है । षासन को समय–समय पर प्रदेष में स्थित अनेक हिन्दू सार्वजनिक– धार्मिक संस्थाओं की सम्पत्ति का दृरुप्योग तथा दुर्विनियोजन होने की षिकायतें प्राप्त होती रहती हैं, जिन पर उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही के लिये आपको लिखा जाता रहा है।

2. षासन को ऐसा अनुभव हो रहा है कि हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं की सम्पत्ति का दुरुप्योग एवं दुर्विनियोजन रोकने के लिये उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत समय से प्रभावी कार्यवाही नहीं हो रही है ओर ऐसे मामलों में जहां निर्णय या कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त है, वहां भी निरन्तर स्मरण कराने के बाद अत्यधिक विलम्ब से अधिनियम के प्रावधानों के बाहर षासन को आख्या व प्रस्ताव भेजते हुये षासन से निर्देष की अपेक्षा की जाती है ।

3. अतः उत्तर प्रदेष हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपब्यय निवारण) अधिनियम, 1962 की धारा 13 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये राज्यपाल महोदय एतद्द्वारा यह निर्देष देते हैं कि प्रस्तर–1 में उल्लिखित षिकायतें, षासन के माध्यम से अथवा अन्य किसी भी श्रोत से प्राप्त होने पर अधिनियम में प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये प्रभावी कार्यवाही समय से सुनिष्चित करने के उपरान्त षासन को कृत कार्यवाही की सूचना भेजें । यदि किसी बिन्दु पर विधिक परामर्ष की आवष्यकता हो तो यह भी मुख्यालय पर स्थित जिला सरकारी अधिवक्ता से प्राप्त कर सकते हैं । षासन के निर्देषों अथवा परामर्ष की अपेक्षा केवल उन्हीं परिस्थितियों में की जानी चाहिये जहां अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत ऐसा किया जाना आवष्यक है ।

4. उपरोक्त को दृश्टिगत रखते हुये सुविधा के लिये ध्यान निम्न बातों की ओर विषेश रुप से आकृश्ट किया जाता हैः–

(1) अधिनियम की धारा 2 के अनुसार अधिनियम ऐसी समस्त हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं पर प्रवृत्त होता है जिनकी सकल वार्शिक आय 1200/– रुपये या उससे अधिक हो या जिनकी कुल सम्पत्ति का मूल्य 50हजार रुप्ये या अधिक हो ।अतः किसी हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था के बारे में षिकायत प्राप्त होने पर अधिनियम की धारा 3(ड.) में ''मठ'' 3(च) में ''मंदिर(ज) में ''हिन्दू तथा 3(झ) में ''हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था'' की परिभाशाओं तथा मंदिर की आय या सम्पत्ति का मूल्य दृश्टि में रखते हुये यह देख लिया जाये कि अधिनियम के प्रावधान संबधित संस्था पर लागू होते हैं या नहीं

। यदि संस्था की आय या सम्पत्ति का मूल्य कम हो और कार्यवाही अपेक्षित हो तो धारा 2 के प्रतिबंध तथा धारा 6(5) के अन्तर्गत षासन को विज्ञप्ति जारी करने का प्रस्ताव भेजा जा सकता है ।

(2) यदि संस्था की वार्शिक आय या सम्पत्ति के मूल्य के संबध में निष्चित जानकारी न हो तो अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत अनुसंधान अधिकारी को संस्था का सर्वेक्षण करने तथा उसमें उल्लिखित विन्दुओं पर उत्तर प्रदेष हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपब्यय निवारण) नियमावली 1966 में निर्धारित प्रपत्रों में विवरण उपलब्ध कराने का निदेष दिया जाता है ।

(3) उक्त अधिनियम की धारा–7 में किसी हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था की सम्पत्ति का हस्तान्तरण तब तक बैध नहीं माना गया है जबकि उक्त संस्था पर क्षेत्राधिकार रखने वाले आयुक्त की लिखित पूर्व स्वीकृति इस आधार पर न प्राप्त कर ली गई हो कि हस्तान्तरण आवष्यक अथवा संस्था के लिये लाभदायक है ।

(4) सर्वेक्षण के संबध में कार्यवाही के प्रसंग में आवष्यकता पडने पर आपके द्वारा धारा–8 में प्रदत्त निम्नलिखित अधिकारों का भी उपयोग किया जा सकता हैः–

(क) प्रदेष के समय, स्थान और रीति के संबध में संस्था के रुढिगत निर्वधनों के अधीन रहते हुये, संस्था के भूगृहादि अथवा उससे सम्बद्व किसी उपासनास्थल में प्रवेष करना,

(ख) संस्था की समस्त सम्पतित का तथा उससे सम्बद्व सभी अभिलेखों तथा लेख्यों का निरीक्षण करना,

(ग) संस्था की निधि, सम्पत्ति अथवा आय के संबध में प्रतिवेदन,विवरण, लेखे या अन्य सूचना ऐसे समय और आकार में मांगना जो आप आवष्यक समझें,

(घ) न्यासधारियों अथवा प्रबन्धक के पास की आवष्यकता से अधिक निधि के किसी मान्यता प्राप्त बैक अथवा प्रतिभूति में जमा किये जाने का निदेष देना,

(ड) संस्था की, तथा उसके आधिपत्य में, सम्पत्ति क संरक्षण के लिये कार्यवाही करना, जिसमें उसके रत्नाभूशणों तथा अन्य मूल्यवान वस्तुओं की सुरक्षित अभिरक्षा का प्रबन्ध करना भी सम्मिलित है, परन्तु इस प्रकार नहीं कि न्यासधारी प्रषासन के अधिकार से बंचित हो जाये,

(च) संस्था के लिये गत(सवेज) किसी सम्पत्ति की वसूली के लिये कार्यवाही करना,

खण्ड (घ), (ड) यर (च) के अधीन अन्तिम आदेष देने के पूर्व सम्बद्व ब्यक्ति को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना आवष्यक हैद ।

(5) उपर्युक्त धारा 8 की उपधारा (घ) में उल्लिखित निर्देष का पालन न किये जाने पर आपके द्वारा संस्था में रिसीवर नियुक्त किये जाने की काग्रवाही भी की जा सकती है । अधिनियम के उपबंधों अथवा उसक अधीन जारी किये गये आदेषों तथा निर्देषों को पालन न करने या उसके पालन से इंकार करने या कार्यवाही में बाधा डालने पर अधिनियम की धारा–9 में हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था के प्रषासन से सम्बद्व न्यासधारी, प्रबन्धक, अधिकारी,सेवक, अभिकर्ता अथवा अन्य किसी ब्यक्ति को कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किये जाने की भी ब्यवस्था है ।

भवदीय,
ह0 /–
(हर्शवर्द्वन सनवाल)
सचिव ।

संख्या –658 (1) /धवका0–3 (11) /90,तद्दिनांक

प्रतिलिपि समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेष को आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

आज्ञा से
ह0/–
(हर्शवर्द्वन सनवाल)
सचिव /

मुख्य सचिव — उत्तराचंल सचिवालय
बेपमा भिबतमजंतल — 4—सुभाश मार्ग,देहरादून ।

संख्या 62 / मु.स. / आई.टी. /2005
दिनांक जनवरी 16,2005

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल ।

मुझे जो दैनिक डाक प्राप्त होती है उसमें यह देखकर अत्यन्त आष्चर्य हुआ कि अब मात्र कलैक्ट्रेट ही एक ऐसा कार्यालय प्रदेष में रह गया है जहां आज भी मैनुअल टंकण मषीनों का उपयोग हो रहा है । समस्त ब्यवस्थाओं में सबसे पुराना कार्यालय कलक्ट्रेट है और अब जबकि दूरस्थ स्कूलों में भी कम्प्यूटर पहुंच गये हैं तब ऐसी परिसिथिति में कलैक्ट्रैट में मैनुअल टंकण मषीनों का प्रयोग होना अत्यन्त आपत्तिजनक है ।

स्वयं आयुक्त / जिलाधिकारियों से अपेक्षा थी कि जहां यह सीधे अन्य विभागों के आधुनिकीकरण के Þ देख रहे हैं, राजस्व अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण को कियान्वित कर रहे हैं और स्वयं अपने कैम्प कार्यालय में लैप—टाप और पी.सी. का प्रयोग कर रहे हैं वहीं प्रमुख कार्यालय कलैक्ट्रेट इस प्रकार से उपेक्षित है । कृपया तत्काल प्रभाव से एक Þ योजना इस प्रकार बनाये जिससे न्यूनतम समय में कलक्टैट Þ का कम्प्यूटरीकरण हा जाये ओर समस्त मैनुअल टंकण मषीनों से 2 सप्ताह में Þ बन्द हो जाय । समस्त जिलाधिकारी /आयुक्त इस संबध में इस महत्वपूर्ण Þ का नेतृत्व स्वयं अपने हाथ में लें और इसी प्रकार परगनाधिकारी कार्यालय और तहसील कार्यालय में भी मैनुअल मषीनों पर Þ तत्काल प्रभाव से बन्द करके उन्हें भी कम्प्यूटरीकृत करें ।

मै अपेक्षा करुगा कि भविश्य में मुझे इस प्रकार के पत्र लिखने की आवष्यकता न पडे । जिलाधिकारी/ आयुक्तों से आपेक्षित है कि वह आधुनिकीकरण और हववक हवअमतदंदबम संबधी कार्यों का नेतृत्व करें और मुझे अपने मासिक अर्द्वषासकीय पत्र से अवगत करायें कि किस प्रकार से वे अपने Þ क्षेत्र में आधुनिकीकरण और हववक हवअमतदंदबम ब्यवस्थाओं को सक्रिय कर रहे हैं ।

कृपया पत्र प्राप्ति स्वीकार करें और मुझे लौटती डाक से अवगत कराये कि कितने कम समय में उपरोक्त लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जायेगा ।

ह0/—
(आर0एस0टोलिया)
मुख्य सचिव ।

प्रतिलिपि—

1. मण्डलायुक्त, कुमाऊं एवं गढवाल मण्डल को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित ।
2. सचिव सूचना प्रौद्योगिकी को वार्तानुसार अत्यन्त प्रभावी कार्यवाही हेतु ।

ह0/—
(आर0एस0 टोलिया)
मुख्य सचिव ।

संख्या– 16 /पी0एस0 /स.प.डे.आ./05
दिनांक देहरादून नवम्बर 28,2005 ।

प्रेशक,

नवीन चन्द्र षर्मा,
सचिव,
उत्तरांचल षासन ।

सेवा में,

निबन्धक,
सहकारी समितियां,
उत्तरांचल ।

निदेषक,
दुग्ध विकास विभाग,
उत्तरांचल ।

अपर निदेषक,
पशुपालन, उत्तरांचल ।

संयुक्त आयुक्त,
आवकारी, उत्तरांचल ।

महोदय,

षासन द्वारा समय–समय पर कम्प्यूटरों के प्रयोग पर बल दिया जा रहा है । समस्त कार्यालयों को कम्प्यूअर उपलबध कराये गये हैं, जिन पर एक बडी धनराषि ब्यय की गई है। किन्तु बार–बार निर्देष देने के उपरान्त भी यह देखा जा रहा है कि कम्प्यूटरों का उपयोग नहीं के बराबर किया जा रहा है या केवल टंकण मषीन के रुप में किया जा रहा है ।

षासन द्वारा चाही गई निर्धारित सूचनाओं का उत्तर भेजने के लिये कम्प्यूटर में आलेख टंकित कर डाया प्रतियां तैयार कर फैक्स/ विषेश पत्र वाहक/डाक विभाग के माध्यम से प्रेशित की जा रही है । जिससे स्टेषनरी व यात्रा ब्यय आदि पर होने अनावष्यक ब्यय होता है । अधिकारियों द्वारा ई– मेल का प्रयोग नहीं किया जाता है। जिसकी सूचना समय पर प्राप्त नहीं होती है । यह स्थिति ठीक नहीं है। स्थिति में तत्काल सुधार लाने की आवष्यकता है । यदि भविश्य में ई–मेल द्वारा सूचनायें नहीं भेजी जाती हैं तो यह समझा जायेगा कि संबधित अधिकारी जानबूझ कर षासन की नीतियों/ आदेषों का पालन नहीं कर रही हैं तथा फिजूलखर्ची व समय की बरबादी कर रहे हैं। ऐसे अधिकारियों / कर्मचारियों को तथ्यात्मक प्रतिकूल वार्शिक प्रविश्टि देनी चाहिये ।

भविश्य में ई– मेल द्वारा ही सूचनाओं / पत्राचार का आदान–प्रदान हो । इस हेतु जिन कार्यालयों की ई–मेल आईडी नहीं बनी है तत्काल एन0आई0सी0 के माध्यम से ई–मेल आईडी बनाना सुनिष्चित करें। षासन स्तर के अधिकारियों की ई–मेल आई डी संलग्न कर प्रेशित की जा रही है । अधिकारियों से अपेक्षा है कि अपने विभाग से संबधित सूचनाओं का प्रेशण ई–मेल के माध्यम से अधिक से अधिक करना सुनिष्चित करें ।

(नवीन चन्द्र षर्मा)
सचिव ।

पृश्ठाकन संख्या उपरोक्त तद्दिनांकित ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. अपर सचिव पशुपालन / सहकारिता उत्तरांचल षासन ।
2. संयुक्त सचिव, आवकारी / अनु सचिव सहकारिता उत्तरांचल षासन ।
3. अनुभाग अधिकारी पशुपालन, आवकारी, सहकारिता उत्तरांचल षासन ।
4. समस्त जिला सहायक निबन्धक सहकारी समितियां उत्तरांचल ।
5. समस्त मुख्य पशु चिकित्साधिकारी उत्तरांचल ।
6. समस्त सहायक निदेषक, दुग्ध विकास उत्तरांचल ।

7. समस्त जिला आवकारी अधिकारी उत्तरांचल ।

ह0 /–
(नवीन चन्द्र षर्मा)
सचिव ।

एन0एन0प्रसाद, आई0ए0एस0,

पत्रांक– 218/ स.पर्य./2004, सचिव
पर्यटन,सूचना,संस्कृति,खेल,

एवं युवा कल्याण विभाग
उत्तरांचल षासन

देहरादून दिनांक 12 अप्रेल ,2004

1. आयुक्त,गढवाल एवं कुमाऊं मण्डल ।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल ।

कृपया मा0 मुख्यमंत्री जी को सम्बोधित मा0 केन्द्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जी का पत्र (प्रतिलिपि संलग्न) देखने का कश्ट करें । मा0 मुख्यमंत्रीजी ने निर्देष दिये हैं कि प्रष्नगत पत्र में उल्लिखित सुझावों का अनुपालन सुनिष्चित किया जाय ।
संलग्नः– यथोपरि।

ह0/–
(एन0एन0प्रसाद)

D.O. No 26-N/VFM/(T&C)/2004-()

MINISTRY FOR TOURISM & CULTURE
GOVERNMENT OF INDIA
TRANSPORT BHAWAN NEW DEHLI 110001

Dear Chief Minister,

I am writing to invite your personal attention to the provision fo the Ancient Monuments and Archaeological and Remain Act, 1958 and the rules made there after, Under these Laws/ Rules, no structure, however small or temporary, can be put up within the "prohibited area" , that is, within 100 meters of the 'protected monument' and ,regulated area', that is within 300 meters of the 'protected monument'.

The aforesaid provision are, unfortunately, being violated with impurity, despite various requests made by the circle and Local Officers of the Archaeological Survey of India, Ministry of Culture and Tourism. The infringement is particularly acute with regard to advertisements and poster-panels, billboards, stalls and so called 'tehbazari' structures. These structures stab the skyline, uglify the landscape and undermine the environment of the historic monument, thereby repelling sensitive tourists from these monuments and also creating unfavorable impression about India's civic life and cultural values.

. In view of the overwhelming need to boost tourism and to synthesis it with element of culture, clean civic life and healthy environment, I would request you to kindly issue instruction to the collector and other District Officers concerned to ensure strict compliance of the provision of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remain Act, 1958 and rules made there under, so that our cities and other habitats present an elevating and enchanting view to both foreign and domestic tourists, and thereby facilitate realization of our objective to use tourism as an effective instrument for alleviating poverty and employment generation and also for creating a favorable image about our civic and cultural life.

With kind regards.

Your sincerely,
Jagmohan.

Shri Narayan Dutt Tiwari,
Chief Minister,
Government of Uttaranchal,
Secretariat.

उत्तरांचल षासन
संस्कृति विभाग
संख्या– 196 / पेंतीस(3) / 2005
दिनांक देहरादून 7जून,2005

vf/kl puk

उत्तराचंल संस्कृति साहित्य कला परिशद के संबध में जारी अधिसूचना संख्या–217 / स0वि0 / 2003–62–संस्कृति / 2002, दिनांक 8नवम्बर,2003 एवं अधिसूचना संख्या–271 / स0वि / 2003–62 संस्कृति / 2002, दिनांक 30दिसम्बर,2003 के क्रम में परिशद की नियमावली के प्रस्तर 4–3 में उत्तरांचल क्षेत्र के प्रदेष राश्ट्रीय / अंतर्राश्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त साहित्यकार (स्थानीय भाशाओं / बोलियों के रचनाकारों सहित) संगीत / नृत्य / लोकसंगीत,नाटक ललित कला, पुरातत्व आदिसे जुडे विद्वानों की अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के अतिरिक्त अधिकतम संख्या 21 किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्श स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

ह0 / –
(एस0के0 मुट्टू)
प्रमुख सचिव

पृश्ठाकन संख्या– अप– प / 05–62(सं0) / 2002 तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित :–

1. सचिव विधान सभा, उत्तरांचल षासन को सूचनार्थ ।
2. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव उत्तरांचल षासन ।
3. महालेखाकार, उत्तरांचल देहरादून ।
4. आयुक्त गढवाल एवं कुमाऊं मण्डल ।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल ।
6. निदेषक, संस्कृति निदेषालय देहरादून ।
7. गोपन अनुभाग को उपरोक्त अधिसूचना के क्रम में सूचनार्थ ।
8. उप निदेषक राजकीय मुद्रणालय रुडकी को इस आषय से प्रेशित कि वे कृपया इस अधिसूचना को षासकीय गजटसाधारण गजट में प्रकाषित कराने का कश्ट करें ।
9. समस्त सदस्यगण,उ0प्र0स0 एवं क0 परिशद ।
10. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से
ह0 / –
(एस0के0 मुट्टू)
प्रमुख सचिव ।

उत्तरांचल षासन
पर्यटन /धर्मस्व कार्य विभाग
संख्या–1137/ अप– प /2005
देहरादूनः दिनांक 29 सितम्बर,2005
कार्यालय ज्ञाप

धार्मिक प्रतीकों के अनुचित प्रयोग पर अंकुष लगाने हेतु विधिक ब्यवस्था की रुपरेखा तैयार किये जाने के लिये निम्नानुसार समिति गठित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः–

1. अपर सचिव विधि एवं न्याय, उत्तरांचल शासन ।
2. *अपर सचिव, धर्मस्व उत्तरांचल षासन ।*
3. *श्री एन0के0पंत बरिश्ठ षोध अधिकारी विधायी विभाग ।*
4. *श्री एसवएल0 श्रीवास्तव, विषेश कार्याधिकारी विधायी विभाग ।*

उपरोक्त गठित समिति धार्मिक प्रतीकों के अनुचित प्रयोग पर अंकुश लगाने के लिये उपयुक्त विधिक ब्यवस्था की रुपरेखा तैयार किये जाने हेतु कार्यवाही करेगी एवं अपनी आख्या शासन को प्रस्तुत करेगी ।

ह0/–
(एस0के0मुट्टू)
प्रमुख सचिव ।

संख्या –1137/अप–प /2005 तद्दिनांकित
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित :–

1. *निजी सचिव मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तरांचल ।*
2. *अध्यक्ष श्री बदरीनाथ– केदारनाथ मंदिर समिति जोषीमठ चमोली ।*
3. *सचिव न्याय एवं विधायी विभाग एवं विधि परामर्षी उत्तरांचल षासन ।*
4. *मुख्य कार्याधिकारी कार्यालय श्री बदरीनाथ–केदारनाथ मंदिर समिति जोषीमठ ।*
5. *समस्त जिलाधिकारी उत्तरांचल ।*
6. *उपरोक्त समस्त अधिकारीगण ।*
7. *गार्ड फाइल ।*

आज्ञा से
ह0 /–
(बिजय ढौडियाल)
अपर सचिव

उत्तरांचल षासन
मुख्यमंत्री कार्यालस अनुभाग–3
संख्या– 415/ पेंतीस 3)–01 वि0को0/2005
देहरादून 13सितम्बर, 2005

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 283 के खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके श्री राज्यपाल उत्तरांचल मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष नियमावली,2000 में संशोधन करने की दृश्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तरांचल मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोश (संषोधन) नियमावली,2005

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) यह नियमावली उत्तरांचल मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोश (संषोधन) नियमावली 2005 कही जायेगी । (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।

3. उत्तरांचल मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोश नियमावली ,2000 के नियम 3के उपनियम(3) के खण्ड (घ) के सामने नीचे स्तम्भ 1 में उल्लिखित विद्यमान प्रविश्टि के स्थान पर स्तम्भ –2 में उल्लिखित प्रविश्टि रखी जायेगी अर्थात्

स्तम्भ–1	*स्तम्भ–2*
बर्तमान नियम	*एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम*
3(घ) अषासकीय षिक्षण रु0 1,00,000/–	*3(घ) अषासकीय षिक्षण रु0 1,00,000/–या अनुमानित संस्थाओं के भवन से अनधिक संस्थाओं को अवस्थापना आंकलन का 80 प्रतिषत जो भी निर्माण हेतु सुविधाओं हेतु कम हो, एक वर्श में एक बार से*

अनधिक

1. उत्तरांचल मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोश नियमावली,2000 के नियम 3के उपनियम(3) के खण्ड(च)के प्श्चात निम्न खण्ड जोडे जायेगे अर्थात्

(छ) निर्धन (बी0पी0एल0से आच्छादित) प्रतिभावान छात्रों को षिक्षा/ रु015,000.00से अनधिक ब्यावसायिक षिक्षा हेतु वर्श में एक बार ।

(ज) निर्धन(बी0पी0एल0 से आच्छादित) प्रतिभावान षेाध छात्रों को रु0 15,000. 00से अनधिक षोधपत्र टंकण/ प्रस्तुतीकरण हेतु वर्श में एक बार

(झ) निर्धन (बी0पी0एल0ो आच्छादित) प्रतिभावान छात्रो को षोध,षिक्षा रु0 40,000.00या विदेष यात्रा एवं ब्यावसायिक षिक्षा सम्मेलनों में विदेष जाने हेतु, विदेष यात्रा ब्यय का आधा, जो भी कम हो हेतु सहायता इस प्रतिबंध के साथ दी जायेगी कि विदेष से निमंत्रण अनधिक आने पर संबधित विभागाध्यक्ष एवं प्राचार्य की अनुमति प्राप्त कर ली जाय)

(य) वी0पी0एल0 से आच्छादित परिवारों की पुत्रियों के विवाह हेतु सहायता रु0 20,000.00प्रत्येक पुत्री हेतु इस प्रतिबंध के साथ कि उन्हें समाज – कल्याण विभाग द्वारा कोई एक बार से अनधिक सहायता न दी गई हो ।

(एम0 रामचन्द्रन)
अपर मुख्य सचिव
एवं
प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री ।

सख्या– 289/ पेंतीस(3)/2006

प्रेशक,

डी0के0कोटिया,
सचिव मुख्यमंत्री,
उत्तरांचल षासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल ।

मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग–3 देहरादून दिनांक 23जून,2006

बिशयः– मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोश से स्वीकृत धनराषि लाभार्थी को भुगतान किये जाने एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के संबध में ।

महोदय,

मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोश से स्वीकृत की जाने वाली आर्थिक सहायता के वितरण में पारदर्षिता लाने के संबध में मुझे यह कहने का निदेष हुआ है कि लाभार्थी को स्वीकृत धनराषि के भुगतान करने से पूर्व एवं भुगतान करने के पश्चात मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोश से स्वीकृत धनराषि/ अनुदान के षासनादेष एवं भुगतान हेतु प्रेशित लाभार्थियों की सूची में दी गई षर्तों के अनुसार वर्णित प्रक्रिया के साथ ही निम्नलिखित प्रक्रिया भी अनिवार्य रुप से अपना ली जाय –

(1) जिलाधिकारी भली प्रकार से यह सुनिष्चित कर लें कि अनुदान की धनराषि आवेदक जिसके नाम से धनराषि स्वीकृत हुयी है,को ही भुगतान की जाय तथा स्वीकृत धनराषि का भुगतान लाभार्थी/ अनुदान गृहिता को क्रास चैक या बैक ड्राप्ट के माध्यम से करके अनुदान की प्राप्ति स्टाम्पयुक्त रसीद प्राप्त कर षासन को प्त्र का संदर्भ देते हुए उपलब्ध करा दी जाय ।

(2) लाभार्थी /अनुदान गृहिता से इस आषय का प्रमाण–पत्र अनिवार्य रुप से प्राप्त कर लिया जाय कि उसने राज्य सरकार क किसी अन्य मंत्री के विवेकानुदान से सहायता हेतु अनुदान प्राप्त नहीं किया है अथवा संबधित वित्तीय वर्श में ऐसी कोई सहायता/अनुदान प्राप्त नहीं किया गया है ।

(3) रु0 25,000.00 (रु0 पच्चीस हजार मात्र) से अधिक की धनराषि के भुगतान से पूर्व लाभार्थी एवं अनुदान गृहिता से षासन द्वारा निर्धारित शपथ–पत्र प्राप्त कर लिया जाय, षपथ–पत्र पर लाभार्थी के परिवार के मुखिया की आजीविका (ब्यवसाय/सेवा आदि) का स्पश्ट उल्लेख करा लिया जाय ।

(4) धनराषि जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत की गई हो,लाभार्थी से धनराषि का उसी प्रयोजन में उपयोग किये जाने संबधी सदुपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर षासन को यथासमय उपलब्ध करा दिया जाय ।

(5) निर्माण कार्यों हेतु स्वीकृत धनराषि के उपयोग के संबध में सत्यापन कर सदुपयोगिता /उपयोगिता प्रमाण पत्र षासन को अनिवार्य रुप से उपलब्ध करा दिये जाये।

(6) उपचार हेतु स्वीकृत धनराषि के उपयोग के उपरान्त संबधित उपचार करने वाले ब्यक्ति/संस्था/ हांसपिटल से उपचार में ब्यय हुई धनराशि के बिल बाउचर्स मूल रुप से उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ षासन को उपलब्ध करा दिया जाय ।

(7) षिक्षा/ ब्यावसायिक षिक्षा हेतु स्वीकृत धनराषि के संबध में उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ संबधित षिक्षा संस्थान/संस्था, जिसमें लाभार्थी ने धनराषि का उपयोग किया हो, का प्रमाण पत्र षासन को उपलब्ध करा दिया जाय ।

(8) संस्थाओं को सामाजिक ,सांस्कृतिक आदि कार्यों हेतु दी जाने वाली धनराषि के संबध में यह सुनिष्चित कर लिया जाय कि जिस कार्य हेतु धनराषि /अनुदान दिया गया है, यह उसी कार्य हेतु उपयोग की जा रही है या नहीं के, संबध में संबधित संस्था के अध्यक्ष/ महामंत्री कार्यपालक अधिकारी से इस आषय का षपथ पत्र नियमानुसार प्राप्त कर उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रतिहस्ताक्षरित कर षासन को उपलब्ध करा दिया जाय ।

(9) स्वीकृत धनराषि जिसका भुगतान अधितम 3माह के अन्दर सम्भव न होसके, उस धनराषि का बैक ड्राप्ट, संयुक्त सचिव मुख्यमंत्री उत्तरांचल जो भारतीय स्टेट बैक मुख्य षाखा, देहरादून में देय हो, के नाम बनाकर वापस भेज दी जाय ।

(10) लाभार्थी /अनुदान गृहिता द्वारा स्वीकृत धनराषि प्राप्त किये जाने की तिथि से 6माह के अन्दर प्राप्त धनराषि/ अनुदान का यदि उपयोग नहीं किया जाता है तो अनुदान की कुल अथवा उपयोग न की गई धनराषि एकमुष्त प्राप्त कर षासन को भेज दी जाय ।

(11) स्वीकृत धनराषि/ अनुदान का अनुवर्ती वित्तीय वर्श के 30 सितम्बर तक षासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र संबधित अभिलेखों सहित यह उल्लेख करते हुये कि षर्तों और उद्देष्यों को पूरा कर लिया गया है, सहित अनिवार्य रुप से षासन को उपलब्ध करा दिया जाय ।

अतः आपको निर्देषित किया जाता है कि मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोश से स्वीकृत धनराषि/ अनुदान का लाभार्थी/ अनुदान गृहिता को भुगतान किये जाने से पूर्व एवं प्च्चात उक्त निर्देषों का कडाई से पालन सुनिष्चित करने का कश्ट करें। स्वीकृत धनराषि के बितरण, उपयोग आदि में निर्धारित षर्तों एवं दिये गये निर्देषों के तहत कार्यवाही न किये जाने की दषा में संबधित अधिकारी पूर्ण रुप से उत्तरादायी होंगे ।

भवदीय,
ह 0/–
(डी0के0कोटिया)
सचिव मुख्यमंत्री ।

संख्या 289/(1)पेंतीस(3)/2006–07 तद्दिनांक

प्रतिलिपि स्थानिक आयुक्त उत्तरांचल षासन 21 बाराखम्बा रोड नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित ।

आज्ञा से

ह0/–
(कुवरसिंह)
अपर सचिव मुख्यमंत्री ।

विभाग–33

विभाग–34

संख्या–1631 / 41–95–10 / 94

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक पर्यटन,
उ0प्र0,लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊः दिनांक 25 जुलाई, 1995

विषयः– प्रदेश में विभिन्न मेले / उत्सव एवं त्यौहारों का आयोजन।

महोदय,

वर्तमान समय में प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर मेले उत्सव तथा त्यौहार आयोजित किये जा रहे हैं। इनमें से कुछ पर्यटन विभाग के माध्यम से तथा कुछ सांस्कृतिक विभाग के माध्यम से आयोजित किये जा रहे हैं तथा कुछ पर्यटन एवं सांस्कृतिक दोनों ही विभागों से संयुक्त प्रयास से आयोजित किये जा रहे हैं। इनमें से कुछ के आयोजनों के ऊपर व्यय राज्य सैक्टर से तथा कुछ जिला सेक्टर से किया जा रहा है। इस प्रकार इन आयोजनों पर जो व्यय हो रहा है उसका समुचित लाभ प्रदेश को नहीं प्राप्त हो रहा है। अतः इस संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि पर्यटन विभाग एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग मिलकर कुछ ऐसे पर्वों को चिन्हित कर लें जिनका आयोजन बृहत रूप में किया जाय तथा उनका प्रचार / प्रसार प्रदेश के बाहर विभिन्न प्रदेशों तथा देशों में पर्याप्त रूप से किया जाय इससे इन आयोजनों में बड़ी संख्या में देशी तथा विदेशी पर्यटक आकर्षित होंगें जिससे रोजगार के अवसर बडेंगें तथा विदेशी मुद्रा भी अर्जित की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त इससे स्थानीय कला एवं संस्कृति को भी प्रोत्साहन मिलेगा साथ ही साथ स्थानीय महत्व की वस्तुओं का भी देश विदेश में प्रचार / प्रसार होगा। इस हेतु जिन महोत्सवों को चिन्हित किया गया है वे निम्न हैंः–

(1) ताज महोत्सव, आगरा
(2) योगा महोत्सव, ऋषिकेश
(3) गंगा महोत्सव, वाराणसी
(4) लखनऊ महोत्सव, लखनऊ
(5) झांसी महोत्सव, झांसी
(6) रंग गुलाल महोत्सव, मथुरा
(7) वृन्दावन शरदोत्सव
(8) बुद्ध महोत्सव, सारनाथ एवं कुशीनगर
(9) कुमायूं महोत्सव
(10)गढ़वाल महोत्सव,
(11) बद्री–केदार महोत्सव

उक्त उत्सवों के आयोजन के संबंध में राज्यपाल महोदय निम्न दिशा निर्देश / आदेश प्रसारित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान रकते हैं :–

1. सांस्कृतिक कार्य विभाग द्वारा रंग गुलाल महोत्सव मथुरा, शरदोत्सव वृन्दावन तथा बद्री–केदार उत्सव पूर्ण की भांति आयोजित किये जायेगें तथा पर्यटन विभाग द्वारा इन उत्सवों का देश में विदेश में प्रचार एवं प्रसार का कार्य कराया जायेगा।

2. पर्यटन विभाग द्वारा कार्यालय आदेश संख्या–4641/41–93 दिनांक 1–1–94 द्वारा ताज महोत्सव के आयोजन हेतु राज्य स्तरीय संचालन समिति का गठन किया गया है तथा कार्यालय आदेश संख्या–4641(1)/41–93, दिनांक 1–1–94 द्वारा एक स्टीयरिंग कमेठी आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा की अध्यक्षता में गठित की गई है। ताज महोत्सव के आयोजन हेतु उक्त समिति पूर्व की भांति कार्य करती रहेगी तथा इस महोत्सव का आयोजन भी पूर्व की भांति होता रहेगा।

3. अन्तर्राष्ट्रीय योगा सप्ताह ऋषिकेश का आयोजन पूर्व की भांति निदेशक पर्यटन द्वारा किया जायेगा।

4. गंगा महोत्सव वाराणसी, लखनऊ महोत्सव, लखनऊ झांसी महोत्सव, झांसी, बुद्ध महोत्सव सारनाथ एवं कुशीनगर, कुमायूं महोत्सव एवं गढ़वाल महोत्सव के आयोजन हेतु इस शासनादेश के संलग्नक ''क'' एवं ''ख'' में उल्लिखित विवरण के अनुसार राज्य स्तरीय समिति एवं स्थानीय स्तर की स्टीयरिंग कमेटी गठित की जाती है।

5. इन महोत्सवों के आयोजन हेतु निदेशक पर्यटन नोडल अधिकारी होंगें।

6. इन महोत्सवों के आयोजन हेतु वित्तीय व्यवस्था पर्यटन विभाग के राज्य सेक्टर की योजना के माध्यम से की जायेगी तथा इन महोत्सवों के अन्तर्गत सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिये वित्तीय व्यवस्था सांकृतिक कार्य विभाग द्वारा राज्य सेक्टर योजना के माध्यम से किया जायेगा।

7. जिन महोत्सवों में व्यय 5.00 लाख रू0 से कम होगा उसकी व्यवस्था जिला योजना के अन्तर्गत की जायेगी।

8. इन महोत्सवों के आयोजन के संबंध में वर्ष 2000 तक की तिथियां निदेशक पर्यटन द्वारा सांस्कृतिक कार्य विभाग के अधिकारी के साथ विचार–विमर्श करके अभी से निर्धारित कर ली जायेगी तथा उसका पर्याप्त प्रचार–प्रसार देश–विदेश में किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक संख्या में देशी–विदेशी पर्यटकों को इन आयोजनामें में आकर्षित किया जा सके।

भवदीय,
ह0/–
दुर्गा शंकर मिश्र,
विशेष सचिव।

संख्या–1631(1)/41–95–50/94 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

2– समस्त संबधित विभाग/राज्य स्तरीय समिति एवं स्टीयरिंग कमेटी के सदस्य

आज्ञा से,
ह0/–
दुर्गा शंकर मिश्र,
विशेष सचिव।

संलग्नक ''क''
संख्या–1631/41–95–10/94 दिनांक 25 जुलाई, 1996 का संलग्नक

राज्य स्तरीय समिति

1– प्रमुख सचिव पर्यटन, उत्तर प्रदेश शासन	अध्यक्ष
2– सचिव, उत्तरांचल विकास, उ0प्र0 शासन	सदस्य
3– सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
4– सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0, शासन	सदस्य
5– सचिव, निदेशक, संस्कृति विभाग	सदस्य
6– सम्बन्धित मण्डलायुक्त	सदस्य
7– निदेशक पर्यटन, उत्तर प्रदेश	संयोजक/सदस्य
8– अपर निदेशक पर्यटन (पर्वतीय)	सह संयोजक/सदस्य

ह0/–
दुर्गा शंकर मिश्र,
विशेष सचिव।

संलग्नक ''ख''

संख्या–1631/41–95–10/94 दिनांक 25 जुलाई, 1996 का संलग्नक

<u>स्थानीय स्तर की स्टीयरिंग कमेटी</u>

1– सम्बन्धित मण्डलायुक्त	अध्यक्ष
2– निदेशक पर्यटन, उत्तर प्रदेश	सदस्य
3– सम्बन्धित जिलाधिकारी	सदस्य
4– सम्बन्धित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक	सदस्य
5– सम्बन्धित मुख्य नगर अधिकारी	सदस्य
6– सम्बन्धित उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण	सदस्य
7– स्थानीय होटल एवं रेस्टोरेन्ट एसोशियेसन/ट्रैवल ट्रेड एसोशियेसन/पर्यटन गिल्ड	सदस्य
8– भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रतिनिधि (आवश्यकतानुसार)	सदस्य
9– महानिदेशक पर्यटन, भारत सरकार के प्रतिनिधि	सदस्य
10–ईटेक चैप्टर, गंगा महोत्सव,वाराणसी एवं बुद्ध महोत्सव सारनाथ हेतु केवल	सदस्य
11–सम्बन्धित उप निदेशक/सहा0 निदेशक/क्षे0प0अ0	संयोजक/सदस्य
12–प्रबन्धक, सम्बन्धित पर्यटक आवासगृह	सह संयोजक/सदस्य
13–स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुये आवश्यकतानुसार अन्य अधिकारियों/व्यक्तियों को इस समिति में मण्डलायुक्त द्वारा सम्बद्ध किया जा सकता है।	

ह0/–
दुर्गा शंकर मिश्र,
विशेष सचिव।

संख्या– 297 / 41–96–63 / 96

प्रेषक,

ललित मोहन सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक पर्यटन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 01 मार्च, 1996

fo"k; %& i;Vu l lEcfU/kr i'kklfud <kp e ifjoruA

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–92 / 41–96, दिनांक 22 जनवरी, 1996 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के द्वारा निदेशक पर्यटन के पद को उच्चीकृत करके महानिदेशक पर्यटन कर दिया गया है। इसी प्रकार अपर निदेशक पर्यटन (पर्वतीय) के पद को समाप्त करते हुये उसके स्थान पर निदेशक पर्यटन (पर्वतीय) का पद सृजित किया गया है। अतः जिन स्थलों पर निदेशक पर्यटन अंकित है वहां महानिदेशक पर्यटन पढ़ा जाय तथा अपर निदेशक पर्यटन (पर्वतीय) के स्थान पर निदेशक पर्यटन (पर्वतीय) पढ़ा जाय।

भवदीय,
ह0 / –
(ललित मोहन सिंह)
संयुक्त सचिव

संख्या–297 (1) / 41–96 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2– अतिरिक्त मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड, उ0प्र0,शासन।
3– समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4– मण्डलायुक्त, कुमायूं / गढ़वाल मण्डल, उत्तर प्रदेश।
5– आयुक्त पर्यटन एवं सांस्कृतिक कार्य उत्तराखण्ड, दिल्ली।
6– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 लखनऊ।
8– प्रबन्ध निदेशक, गढ़वाल मण्डल विकास निगम लि0 देहरादून।
9– प्रबन्ध निदेशक, कुमायूं मण्डल विकास निगम लि0 नैनीताल।
10–प्रधानाचार्य, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, उत्तरकाशी, उ0प्र0।
11–प्रधानाचाग्र, राजकीय होटल मैनेजमेन्ट एवं कैटरिंग संस्थान, देहरादून / अल्मोड़ा।
12–नियुक्ति अनुभाग–1

आज्ञा से
ह0 / –
(ललित मोहन सिंह)
संयुक्त सचिव।

उत्तरांचल शासन
संख्या'349 / 234 / 2002
देहरादून : दिनांक : 29 अप्रैल,2002
कार्यालय ज्ञाप

शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–77 / प0ए0प0 / 2001 दिनांक 25 जनवरी,2001 के आधार पर पर्वहतीय क्षेत्र में स्वीकृत रैन बसेराओं की साज–सज्जा का कार्य करवाये जाने हेतु गठित क्रय समिति में दो अतिरिक्त सदस्यों को नामित करते हुये निम्नवत् पुर्नगठन करने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

1– सचिव / निदेशक पर्यटन, उत्तरांचल — अध्यक्ष
2– महाप्रबन्धक, उघोग — सदस्य
3– वित्त एवं लेखाधिकारी, पर्यटन निदेशालय — सदस्य
4– क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, उत्तरकाशी (निदेशक पर्यटन द्वारा नामित विशेषज्ञ) — सदस्य / सचिव
5– श्री संजय ध्यानी, कोआर्डिनेटर रैन बसेरा, हे0नं0ब0 गढ़वाल विश्वविघालय — सदस्य

तद्नुसार पूर्व में निर्गत सम्बन्धित शासनादेशों को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय तथा उक्त समिति द्वारा प्रश्नगत सामग्रियों के क्रय हेतु नियमानुसार प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन शासन से प्राप्त किये जायेगें। शासनादेश संख्या–380रू 28–6–2000–28प0 / 2000 दिनांक 29 मार्च,2000 द्वारा स्वीकृत धनराशि को क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी,उत्तरकाशी के निस्तारण पर रखने की भी स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

समिति द्वारा रैन बसेराओं की साज–सज्जा का कार्य यात्रा काल प्रारम्भ होने के पूर्व सुनिश्चित करवाकर अनुपालन आख्या सचिव / निदेशक पर्यटन, उत्तरांचल को उपलब्ध कराई जाये।

ह0 / –
(एन0एन0प्रसाद)
सचिव पर्यटन।

पृ0पत्र0सं0 (1)2002 समदिनांकित

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– आयुक्त,गढवाल मण्डल, पौड़ी।
2– जिलाधिकारी, देहरादून / पौड़ी / चमोली / उत्तरकाशी / टिहरी / रूद्रप्रयाग।
3– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4– निदेशक पर्यटन, उत्तरांचल, देहरादून।
5– उप निदेशक पर्यटन, मसूरी / सहायक निदेशक पर्यटन,देहरादून।
6– महाप्रबन्धक, उघोग, देहरादून।
7– कुल सचिव, हे0नं0ब0गढ़वाल विश्वविघालय, श्रीनगर, गढ़वाल।
8– विभागाध्यक्ष, पर्यटन, हे0नं0ब0,गढ़वाल विश्वविघालय, श्रीनगर,गढ़वाल।
9– श्री संजय ध्यानी कोआर्डिनेटर, रैन बसेरा,हे0नं0ब0गढ़वाल विश्वविधालय श्रीनगर,गढ़वाल।
10– क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, पौड़ी / उत्तरकाशी।
11– कार्यपालक अध्यक्ष, सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस, आर्गेनाइजेशन, देहरादून।

12— उप निदेशक, अखिल भारतीय रचनात्मक संस्थान, आलमबाग, लखनऊ।
13— आदेश पंजिका।

आज्ञा से
ह0/—
(सी0एम0एस0बिष्ट)
संयुक्त सचिव,पर्यटन।

उत्तरांचल शासन
संख्या–611 / प0अ0 / 2003–369 पर्य0 / 2002
देहरादून : दिनांक : 15 अक्टूवर, 2003

dk;kZy; Kki

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि गोपन (मंत्रिपरिषद) अनुभाग के आदेश संख्या–551 / ग.मं0प0 / 2003 दिनांक 14 अक्टूवर 2003 एवं शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 168 / प0अ0 / 2003–396 पर्य0 / 2002 दिनांक 6 मई, 2003 के क्रम में श्री राज्यपाल सहर्ष श्री अनुसुयाप्रसाद मैखरी, मा0 सदस्य विघान सभा को चारधाम विकास परिषद् का उपाध्यक्ष नियुक्त करते हैं। अधोहस्ताक्षरी को यह भी कहने का निदेश हुआ है कि श्री अनुसुयाप्रसाद मैखुरी को राज्यमंत्री स्तर प्राप्त होगा तथा उन्हें तद्नुसार गोपन (मंत्रिपरिषद) अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या 14 / 1 / 2001, दिनांक 28 अप्रैल, 2001 में प्राविधानित सुविधायें अनुमन्य होंगी।

आज्ञा से
एन0एस0 प्रसाद
सचिव

उत्तरांचल शासन
संख्या–612 / प0अ0 / 2003–369 पर्य0 / 2002
देहरादून : दिनांक : 15 अक्टूबर, 2003

dk;kZy; Kki

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि गोपन (मंत्रिपरिषद) अनुभाग के आदेश संख्या–555 / गोमं0प0 / 2003 दिनांक 14 अक्टूबर 2003 एवं शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 396 / प0अ0 / 2002–231 पर्य0 / 2002 दिनांक 23 अप्रैल, 2002 के क्रम में गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड के मैमोरेन्डम एण्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसियेशन के आर्टिकल–75(1) एवं 80(1) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल सहर्ष श्री एन0एस0 प्रसाद, सचिव पर्यटन, उत्तरांचल के स्थान पर श्री गणेश गोदियाल, मा0 सदस्य विधान सभा को गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड का निदेशक एवं अध्यक्ष नियुक्त करते हैं। अधोहस्ताक्षरी को यह भी कहने का निदेश हुआ है कि श्री गणेश गोदियाल, को राज्यमंत्री स्तर प्राप्त होगा तथा उन्हें तद्नुसार गोपन (मंत्रिपरिषद) अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या 14 / 1 / 2001, दिनांक 28 अप्रैल, 2001 में प्राविधानित सुविधायें अनुमन्य होंगी।

आज्ञा से
एन0एस0 प्रसाद
सचिव।

उत्तरांचल शासन
परिवहन विभाग
संख्या 657 / परि02002–598(परि0) / 2003
देहरादून, 31 अक्टूवर,2003

vf/kl puk

प0आ0–161

सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 (अधिनियम संख्या 64, सन् 1950) की धारा 3 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके श्री राज्यपाल महोदय–

(क) सड़क परिवहन के विकास से जनता, व्यापार तथा उघोग को मिलने वाले लाभः

(ख) सड़क परिवहन की सुविधाओं के विस्तार और उसमें सुधार करने की वान्छनीयता, और

(ग) एक कुशल एवं मिव्ययी सड़क परिवहन सेवा प्रणाली की व्यवस्था,

करने की वान्छनीयता को ध्यान में रखते हुए दिनांक 31 अक्टूवर, 2003 से सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य के लिए उत्तरांचल परिवहन निगम, नामक परिवहन निगम की स्थापना करते हैं।

आज्ञा से
एन0एस0 नपलच्याल
प्रमुख सचिव।

उत्तरांचल शासन
संख्या–587 / मु0स0 / 2004
दिनांक : मई 14 , 2004

dk;kZy; Kki

प्रदेश के अन्तर्गत समय समय पर विभिन्न स्थानीय मेला / प्रदर्शनियों का आयोजन कियाजाता है, इसी प्रकार राज्य स्तर तथा अर्न्तराजीय मेला प्रदर्शनियों का भी आयोजन समय–समय पर राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा किया जिाता है। उक्त समस्त मेला एवं प्रदर्शनियों के आयोजन हेतु तत्काल प्रभाव से और अग्रिम आदेशों तक उत्तरॉचल राज्य जैविक उत्पाद परिषद को उत्तरॉचल ट्रेड फेयर अथारिटी के रूप में कार्य करने हेतु नामित किया जाता है। उत्तरॉचल जैविक उत्पाद परिषद समस्त प्रकार के मेलों का आयोजन कराने हेतु नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करेगा और प्रदेश के समस्त स्टेकहोल्डर की भागीदारी सुनिश्चित करेगा। भागीदारी / आयोजन हेतु चयनित मेलों की सूची संलग्न प्रेषित है।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

(डा0 आर0एस0टोलिया)
मुख्य सचिव।

पत्रांक 587 / मु0स0 / देहरादून / तद्दिनांक

प्रतिलिपि :–

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तरॉचल।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल।
3. कार्यकारी सचिव, उत्तरांचल राज्य जैविक उत्पाद परिषद।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
5. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरांचल।

ह0 / –
(डा0 आर0एस0टोलिया
मुख्य सचिव।

e;yk@ izn'kZfu;ksa dk fooj.k o"kZ 2004&05

जनपद	स्थान	मेला / पदर्शनी का नाम	समय
देहरादून	देहरादून	झण्डा मेला	होली के 6 दिन बाद
	चकराता	विशु का मेला	
	मसूरी	शरदोत्सव	जनवरी
उत्तरकाशी	उत्तरकाशी	माघ मेला	14 जनवरी से 22 जनवरी
पौड़ी	पौड़ी	शरदोत्सव	जनवरी
	श्रीनगर	वैकुण्ड चतुदर्शी मेला (उत्तरायणी)	
चमोली	गोचर	विकास मेला	14 नवम्बर से 21 नवम्बर
	गोपेश्वर	पर्यटन विकास मेला	नवम्बर
टिहरी	अंजनीसेंण	चन्द्रवदनी विकास मेला	अक्टूवर
नैनीताल	नैनीताल	शरदोत्सव	जनवरी
चम्पावत	पूर्णागिरी	पूर्णागिरी मेला	

संख्या–910/VI/2005–3(42)2005

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

पर्यटन अनुभाग देहरादून : दिनांक 20 अगस्त, 2005

विषय :– उत्तरांचल राज्य में निजी निवेशकों द्वारा पर्यटन प्रयोजन हेतु भूमि क्रय की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रकरण पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश 2001) (संशोधन अधिनियम, 2003) के तहत राज्य में निवेशकों द्वारा पर्यटन प्रयोजन हेतु भूमि क्रय के प्रस्ताव राजस्व विभाग के माध्यम से पर्यटन विभाग को प्राप्त हो रहे हैं। यह सुनिश्चित किये जाने हेतु कि निवेशक जिस प्रयोजन हेतु भूमि क्रय कर रहे हैं वह उस हेतु दृढ़ है, जिस भूमि के लिए आवेदन कर रहे हैं, परियोजना उसके अनुरूप है एवं पर्यटन विभाग में ऐसे प्रस्तावों की स्वीकृति देने में सरलीकृत प्रक्रिया अपनाये जाने व इस सन्दर्भ में समयबद्ध स्वीकृति शासन से निर्गत करने के उद्देश्य से संलग्न प्रारूप ''क'' एवं ''ख'' के विवरणानुसार एवं निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रक्रिया निर्धारण की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1– पर्यटन प्रयोजन हेतु निवेशक/आवेदनकर्ता से भूमि क्रय का प्रस्ताव संबंधित जिलाधिकारी को प्राप्त होने पर उनके द्वारा संलग्न प्रारूप ''क'' एवं ''ख'' जिसमें प्रारूप ''क'' में पर्यटन परियोजना से सम्बन्धित सभी आवश्यक सूचनायें आवेदनकर्ता को उपलब्ध करानी होगी तथा प्रारूप ''ख'' पर जिला पर्यटन विकास अधिकारी द्वारा स्थल निरीक्षण एवं सरसरी जांच के आधार पर अपनी संस्तुति देनी होगी, के साथ उनकी संस्तुति सहित शासन को प्रस्ताव प्रेषित करेंगे। प्रारूप ''ख'' जिला पर्यटन विकास अधिकारी की जांच हेतु सामान्यतया 20 दिन का समय निर्धारित किया जाता है। इसके अतिरिक्त भूमि क्रय करने वाले निवेशक को वित्तीय एवं तकनीकी विश्लेषण एवं फिजिबिलिटी सहित विस्तृत परियोजना रिर्पोट भूमि क्रय के प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत करना भी आवश्यक होगा जिससे आवेदित भूमि का औचित्य स्पष्ट हो सकें।

2– सम्बन्धित जिलाधिकारी प्रारूप ''क'' एवं ''ख'' के अनुरूप पर्यटन प्रयोजन के लिए भूमि क्रय के आवेदन प्राप्त होने पर आवेदनकर्ता से संशोधित भूमि अधिनियम की धारा–4(4)(3) की अन्य औपचारिकतायें पूर्ण करते हुये सुस्पष्ट प्रस्ताव अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित शासन के राजस्व विभाग को प्रेषित करेंगें एवं राजस्व विभाग द्वारा यह समस्त विवरण सहित प्रस्ताव पर्यटन विभाग को संस्तुति हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

3– पर्यटन अनुभाग में राजस्व विभाग से प्राप्त ऐसे सभी प्रस्तावों को एक अलग रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा जिसमें आवेदक, जनपद, भूमि का क्षेत्रफल, प्रस्तावित इकाई के पूर्ण होने की समयावधि आदि का उल्लेख किया जायेगा, जिसमें सभी मामलों का लगातार अनुश्रवण हो सके, अधिनियम की धारा 154(4)(3)(बी) के अन्तर्गत दो वर्ष के भीतर यदि उक्त भूमि के क्रेता द्वारा पर्यटन प्रयोजन हेतु भूमि का सही उपयोग नहीं किया जाता है तो अधिनियम के उपरोक्त प्राविधानों के अनुरूप अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु भी समय–समय पर अनुश्रवण हो सकें।

4– आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्तुत भूमि क्रय प्रस्ताव व संलग्न प्रारूप ''क'' व ''ख'' के विवरण की एक–एक प्रति जिला पर्यटन विकास अधिकारी द्वारा भी अपने अभिलेखों में संरक्षित की जायेगी।

5– उपरोक्त विवरणानुसार यदि सभी प्रपत्र उपलब्ध नहीं रहते हैं/सूचनायें उपलब्ध नहीं रहती हैं तब ऐसे त्रुटिपूर्ण प्रस्तावों को सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध कराने हेतु राजस्व विभाग/सम्बन्धित जिलाधिकारी को वापस कर दिया जायेगा।

कृपया तदनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,
ह0/–
(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव।

संख्या– /VI/2005–3(42)2005 तददिनांकित,

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तरांचल शासन।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद, देहरादून।
3. समस्त जिला पर्यटन विकास अधिकारी, उत्तरांचल।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से
(संतोष बडोनी)
अनु सचिव।

प्रारूप– ''क''

(आवेदनकर्ता/निवेशक द्वारा भरा जायेगा)

1. आवेदनकर्ता/निवेशक का नाम व पूर्ण पता अथवा कम्पनी व इकाई का पूर्ण नाम व पता।

2. प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल (खसरा संख्या सहित) व उसकी स्पष्ट स्थिति (लोकेशन,नजरी नक्शा या स्केच सहित)

3. किस प्रकार की पर्यटन इकाई प्रस्तावित है (होटल/रिजार्ट/स्पा/मनोरंजन पार्क/थीम पार्क/रोप–वे या अन्य)

4. प्रस्तावित पर्यटन इकाई के मुख्य अवयव (कक्षों की संख्या/हट्स की संख्या/अतिरिक्त आकर्षण यथा–रैस्टोरेंट, स्वीमिंग पूल, स्पा आदि)

5. (1) प्रस्तावित पर्यटन इकाई में अनुमानित पूंजी निवेश से सम्बन्धित विवरण :(क) योजना की लागत

(ख) वित्तीय स्रोत–निवेशक की अक्विटी या धनराशि तथा ऋण एवं अन्य स्रोत

(ग) आवेदनकर्ता/निवेशक की वित्तीय क्षमता (चार्टेड एकाउन्टेंट से प्रमाणित विवरण)

(11) परियोजना स्थापित होने/क्रियान्वयन की समय–सारिणी।

निवेशक को वित्तीय व तकनीकी विश्लेषण एवं फिजिबिलिटी सहित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भूमि क्रय के प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत करनी आवश्यक होगी।

6 इकाई की अनुमानित लाभ/हानि, प्रथम 10 वर्षों में।

क्र0सं0	वित्तीय वर्ष	सकल आय	सकल व्यय	सकल लाभ/हानि
1	2	3	4	5

7– आवेदनकर्ता/निवेशक का पर्यटन व्यवसाय में अनुभव, यदि कोई है।

8– आवेदनकर्ता के पक्ष में भूमि क्रय होने के उपरान्त इकाई को पूर्ण करने की प्रस्तावित/अनुमानित समयावधि।

9– इकाई से अनुमानित प्रत्यक्ष रोजगार सृजन।

10– पर्यटन विभाग से अपेक्षित सहयोग का विवरण।

11– अन्य कोई विवरण, जो निवेशक/आवेदनकर्ता आवश्यक समझें।

मैं प्रमाणित करता हूं कि उपरोक्त भूमि क्षेत्रफल.....पर्यटन इकाई (होटल, रोप–वे, रेस्टोरेंट आदि) स्थापित करने हेतु क्रय की जा रही है। इस इकाई का निर्माण कार्य भूमि मेरे/हमारे/कम्पनी के पक्ष में पंजीकृत हो जाने के उपरान्त दो वर्ष में पूरा कर लिया जायेगा एवं पूर्णता प्रमाण पत्र की प्रति जिला पर्यटन विकास अधिकारी.....जनपद.....(जिस जनपद में भूमि क्रय की जा रही है) को उपलब्ध करा दी जायेगी।

मैं यह भी प्रमाणित करता हूं कि उपरोक्त सभी सूचनाऐं मेरी जानकारी के अनुसार सच एवं सही हें और कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया है। मैं अवगत हूं, यदि मेरे आवेदन में कोई सूचना गलत पायी जाती है, तो शासन द्वारा मेरे आवेदन को निरस्त किया जा सकता है।

हस्ताक्षर

(नाम)

आवेदनकर्ता/निवेशक कम्पनी का पूरा पता

मोहर/सील

प्रारूप– ''ख''

(जिला पर्यटन विकास अधिकारी द्वारा भरा जायेगा)

1. जिस प्रयोजन हेतु आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन किया गया है, उसके लिये स्थल की उपयुक्तता, सूक्षम रिर्पोट सहित।

2. आवेदनकर्ता/ निवेशक, निवेश करने हेतु गंभीर है, इस सम्बन्ध में आख्या एवं उसका आधार।

3. जिला पर्यटक विकास अधिकारी की स्पष्ट संस्तुति या असहमति एवं उसके स्पष्ट कारण।

4. अन्य बिन्दु जो जिला पर्यटक अधिकारी आवश्यक समझें।

हस्ताक्षर
(नाम)

जिला पर्यटन विकास अधिकारी
जनपद का नाम

5. जिलाधिकारी की संस्तुति अथवा असहमति एवं कारण।

हस्ताक्षर
जिलाधिकारी
जनपद का नाम।

संख्या–6550 / IX / 569 / 2005

प्रेषक,

राजीव गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1–समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तरांचल शासन।
2–सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तरांचल।
3–आयुक्त, कुमायूं / गढ़वाल मण्डल।
4–समस्त विभागाध्यक्ष।
5–समस्त जिलाधिकारी / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / अधीक्षक।

परिवहन अनुभाग देहरादून : दिनांक 14 दिसम्बर,2005

विषय वाहनों पर लाल बत्ती / नीली बत्ती तथा हूटर / सायरनों का प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वाहनों की चैकिंग के दौरान ऐसे मामले संज्ञान में आये हैं कि वाहनों पर अनधिकृत रूप से लाल बत्ती / नीली बत्ती एवं ध्वनि विस्तारक संयंत्र यथा सायरन / हूटर का प्रयोग किया जा रहा है तथा कई वाहनों की नम्बर प्लेटों पर शासकीय विभागों का नाम / पदनाम आदि लिखे गये हैं। जो कि केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम / नियमावली के अन्तर्गत किये गये प्राविधानों के अनुरूप नहीं है। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर शासनादेश निर्गत किये गये हैं। जिनमें यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित कि वाहनों पर लाल / नीली बत्ती लगाये जाने व हूटर / सायरन लगाये जाने हेतु कौन–2 प्राधिकृत हैं। तद्संबंधी शासनादेशों

संख्या'–3–8 / परि0सं0 / उत्तरांचल / 2001 / 245,दिनांक5–2–2001,
संख्या–246 / 3–10 / स0 परि0 / कैम्प / 2001 दिनांक 5–2–2001,
संख्या– 56 / परि0 / 2003, दिनांक 7–2–2003,

की प्रति इस आशय से संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि कृपया शासनादेशों की मूलभावना के अनुरूप ठोस एवं प्रभावी कार्यवाही करने हेतु अपने नियंत्रणाधीन विभागों / कार्यालयों को दिशा निर्देश देने का कष्ट करें। आपके द्वारा प्रयोग में लाई जा रही वाहनों में भी इनका अनुपालन सुनिश्चित करायें। जिससे कि भविष्य में वाहनों की चैकिंग अभियान के दौरान संबंधितों को अन्यथा परेशानी का सामना ना करना पड़े।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,
ह0 / –
(राजीव गुप्ता)
प्रमुख सचिव।

संख्या 6550 / IX / 569 / 2005, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तरांचल, नैनीताल।
2. परिवहन आयुक्त, उत्तरांचल।

3. राज्य सम्पति अधिकारी को इसआशय से प्रेषित कि उनके नियंत्रणाधीन समस्त सरकारी वाहनों की नम्बर प्लेटर पर अंकित विभागीय नाम/पदनाम इत्यादि को तत्काल हटाये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।

भवदीय,

ह0/–
(राजीव चन्द्र जोशी)
अपर सचिव।

उत्तरांचल शासन
पर्यटन अनुभाग
संख्या–109/VI/2006–3(60)2005
देहरादून दिनांक 28 जनवरी,2006
dk;kZy; Kki

राज्य में पर्यटन को प्राथमिकता क्षेत्र का उद्योग माना गया है । राज्य के आर्थिक विकास,रोजगार सृजन एवं सकल घरेलू उत्पाद में पर्यटन की महत्वपूर्ण भूमिका है। पर्यटन व्यवसाय मुख्य रूप से निजी क्षेत्र द्वारा संचालित है। इस दृष्टि से राज्य की पर्यटन नीति में निजी निवेश आकर्षित करने को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। राज्य गठन के उपरान्त पर्यटन व्यवसाय में उल्लेखनीय निजी निवेश प्राप्त हुआ है। इसे और अधिक बढ़ाये जाने, पर्यटन उद्यमियों की समस्याओं के त्वरित निराकरण, उससे सत्त संवाद एवं नई पर्यटन इकाईयों की स्थापना हेतु समयबद्व कार्यवाही किये जाने की दृष्टि से राज्य के प्रत्येक जनपद में निम्नानुसार जनपद पर्यटन मित्र का गठन किये जानें की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

1	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक	सदस्य
3	मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
4	वाणिज्य कर विभाग का जनपद का वरिष्ठतम अधिकारी (नोडल अधिकारी)	सदस्य
5	विद्युत विभाग का जनपद का वरिष्ठतम अधिकारी	सदस्य
6	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (जनपदीय प्रतिनिधि)	सदस्य
7	महाप्रबनधक, जिला अद्योग केन्द्र	सदस्य
8	जनपद मुख्यालय के अग्निशमन अधिकारी	सदस्य
9	अधिशासी अभियन्ता पेयजल निगम	सदस्य
10	विकास प्राधिकरण /स्थानीय निकाय के वरिष्ठतम अधिकारी	सदस्य
11	जिले के वरिष्ठतम प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
12	होटल एशोसिएशन के पदाधिकारी	सदस्य
13	अग्रणी बैंक अधिकारी	सदस्य
14	नियत प्राधिकारी ,खाद्य निरीक्षक, मनोरंजनकर अधिकारी ,नगरपालिका/नगर निगम के अधिशासी एवं अन्य अपेक्षित अधिकारी आवश्यकतानुसार	सदस्य
15	जिला पर्यटन विकास अधिकारी	सदस्य सचिव

उपरोक्त के अतिरिक्त किसी विषय विशेषज्ञ उद्यमी अथवा जनप्रतिनिधि आदि को जिलाधिकारी द्वारा अपने विवेकानुसार इस संगठन की बैठक में आमंत्रित किया जा सकता है।

2– जनपद स्तरीय पर्यटन मित्र द्वारा अपनी बैठकों में निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी :–

1–जनपद स्तर पर नयी पर्यटन इकाईयों हेतु प्राप्त प्रस्तावों की विभिन्न स्वीकृति /अनापत्तियों /प्रमाण पत्रों को निर्धारित समयसीमा अथवा समयबद्ध आधार पर विभिन्न विभागों /संस्थाओं द्वारा जारी किये जाने की समीक्षा तथा इस कार्य के लिये एकल खिडकी व्यवस्था के रूप में कार्य करना।

2– पर्यटकों एवं पर्यटन उद्यमियों की सुरक्षा सहयोग एवं सद्व्यवहार एवं शांतिपूर्ण वातावरण सुनिश्चित किये जाने हेतु विभिन्न विभागों /संस्थाओं से समन्वय।

3– पर्यटन उद्यमियों से सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाये रखने तथा उनके व्यवसायिक समस्याओं के साथ–साथ उनकी व्यक्तिगत समस्याओं के निदान हेतु सम्यक कार्यवाही करना।

4– वीरचन्द्र सिंह गढवाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के लाभार्थियों को इकाई स्थापना तथा उसके उपरान्त आने वाली कठिनाईयो का निराकरण करना, इस योजना की प्रगति की समीक्षा करना तथा सफल उद्यमियों का अभिलेखन कर उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद को उपलब्ध कराना।

5– जिन विषयों पर जनपद पर्यटन मित्र स्तर पर कार्यवाही संभव न हो अथवा जिन विषयों पर नीतिगत निर्णय लिये जाने की आवश्यकता हो उनसे सम्बन्धित विस्तृत विवरण उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद को संदर्भित करना।

6– पर्यटन व्यवसाय से सम्बन्धित इकाईयों की स्थापना तथा स्थापित उघमियों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण हेतु सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं को प्रोएक्वि रोल अदा करने के लिये प्रेरित करना।

3– जनपद स्तरीय पर्यटन मित्र का सदस्य सचिव सम्बन्धित जिला पर्यटन विकास अधिकारी होगा एवं इस रूप में वह नई पर्यटन इकाईयों की विभिन्न समस्याओं/स्वीकृतियों क संबंध में आवेदन पत्रों को संकलित कर एक पंजिका में दर्ज करेगा तथा उनमें किन विभागों/संस्थाओं की भूमिका है तथा अन्य विवरण सहित जनपद स्तरीय पर्यटन मित्र की बैठक में प्रस्तुत करेगा।

4– पर्यटकों से प्राप्त फीडबैक, किसी स्थान विशेष में पर्यटकों को हो रही परेशानियों तथा ऐसी ही अन्य समस्याओं का विवरण इस बैठक में प्रस्तुत करेगा। पर्यटन मित्र के लिये इंगित उपरोक्त कार्यों से सम्बन्धित विवरण बैठक में प्रस्तुत करेगा। प्रत्येक बैठक का विवरण विलम्बतम 10 दिन में उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद को उपलब्ध करायेगा। नीति विषयक अथवा राज्य स्तर पर निर्णीत होने वाले विषय होंगें उनके संबंध में इस बैठक में पारित प्रस्ताव के साथ समस्त औचित्यपूर्ण विवरण सहित प्रस्ताव उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद को उपलब्ध करायेगा।

5– राज्य में पर्यटन व्यवसाय में निवेश की सम्भावनाओं एवं वीरचन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के अधीन स्थापित होने वाली इकाईयों के दृष्टिगत माह में न्यूनतम एक बार जनपद पर्यटन मित्र की बैठक अवश्य आयोजित की जाएगी। जनपद स्तरीय पर्यटन मित्र की बैठकें जिलाधिकारी अपनी सुविधानुसार जिला उघोग मित्र के साथ ही आमंत्रित कर सकते हैं, जिससे अधिकारियों के समय व श्रम की बचत हो सकेगी।

कृपया उपरोक्तानुसार जनपद स्तरीय पर्यटन मित्र के गठ न एवं संचालन हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्या– /VI /2006–3(60)2005,तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तरांचल।
2— निजी सचिव, मा0 पर्यटन मंत्री, उत्तरांचल।
3— निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
4— समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
5— मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद,देहरादून।
6— समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
7— समस्त जिला पर्यटन विकास अधिकारी, उत्तरांचल।
8— प्रदेश के प्रमुख ट्रेवल ट्रेड संघ/होटल एसोसिएशन (उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद के माध्यम से)।
9— निदेशक एन0आई0सी0,सचिवालय परिसर को उत्तरांचल पर्यटन बैवसाईट पर प्रकाशनार्थ।
10— गार्ड फाइल।

आज्ञा से
ह0/—
(सतोष बडोनी)
अनु सचिव।

foHkkx& 35 lgdkfjrk¼'kklukns'k vizkIr½

foHkkx& 36 lekt dY;k.k

संख्या 265/XVII(1)–2/2005–321(समाज कल्याण)/2005

प्रेषक,

राधा रतूडी,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1–निदेशक,
समाज कल्याण उत्तरांचल।
हल्द्वानी (नैनीताल)
2–समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

समाज कल्याण अनुभाग–2 देहरादून 21 जुलाई,2005

विषय– भिक्षवृत्ति के निराकरण के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त सचिव समाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या 6–3/2005 –CW दिनांक 21.4.2005 की छायापति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तरांचल (उ0प्र0 भिक्षावृत्ति प्रतिषेध अधिनियम 1975) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 के प्रावधानों का प्रयोग करते हुए भिक्षावृत्ति की प्रथा पर प्रभावी रोक लगाने का कष्ट करें।

संलग्न –यथोक्त।

भवदीय
(राधा रतूडी)
सचिव।

संख्या 265(1)/XVII(1)–2/2005तददिनांक।

प्रतिलिपि–समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारियों को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने स्तर से कुप्रथा पर रोक लगाने मे जिलाधिकारियों का सहायोग करें।

आज्ञा से
(के0एस0दरियाल)
अपर सचिव।

संख्या 2840 / XXVII(2) / 05–90 / 2005

प्रेषक,

राधा रतूडी,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

सचिव,
भारत सरकार,
मनव संसाधन विकास मंत्रालय,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
शास्त्री नगर नई दिल्ली।

महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास अनुभाग देहरादून दिनांक 22 अगस्त,2005

विषय– विशखा बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 666 / 1992 में उच्चतम न्यायालय द्वारा परित आदेश दिनांक 13 अगस्त 1997 का अनुपालन के क्रम में जनपद स्तर पर समिति का गठन।

महोदया,

शासनादेश संख्या 550 / स0क0शा0 / नि0स0 / 2004 दिनांक 18–12–2004 में संशोधन करते हुए विशाखा बनाम राजस्थान रात्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 666 / 1992 में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश दिनांक 13 अगस्त 1997 के राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत महिला अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कार्यस्थल पर यौन उतपीडन के सम्बन्धित शिकायतों की सुनवाई तथा ऐसी शिकायतों के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही की संस्तुति करने के लिये निम्न प्रकार शिकायत निवारण समिति का गठन जनपद स्तर पर किया जाता है :–

1–	श्रेणी क की महिला अधिकरी (यदि उपलब्ध नहीं है तो जिलाधिकारी)	अध्यक्ष
2–	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक	सदस्य
3–	राज्य महिला आयोग की मनोनीत सदस्या	सदस्य
4–	जिला शासकीय अधिवक्ता	सदस्य
5–	मुख्य चिकित्साधिकारी	सदस्य
6–	सचिव,स्वैच्छिक संगठन (निर्विवाद महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्यरत)	सदस्व
7–	जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
8–	जिला कार्यक्रम अधिकारी	सदस्य / सचिव

2– समिति में नामित अधिकारियों / संस्थाओं के प्रतिनिधियों में किसी भी समय शासन द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। स्वैच्छिक संगठन के सदस्य के रूप में समिति में कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। स्वैच्छिक संगठन के सदस्य को समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए कोई मानदेय, भत्ता आदि देय नहीं होगा।

3– समिति द्वारा शिकायतों की सुनवाई के सम्बन्ध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का निर्धारण स्वंय किया जायेगा। समिति द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत प्रत्येक मामले में अपनी संस्तुति शासन के सम्बन्धित विभाग को की जायेगी ।

भवदीय,
(राधा रतुडी)
सचिव।

संख्या 2840 / (1) / XVII–90(2) / 04 तददिनांक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
2– अपर मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
3– मण्डलायुक्त गढ़वाल / कुमांयू।
4– समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
5– समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल।

6– निदेशक,आई0सी0डी0एस0,उत्तरांचल।
7– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक /पुलिस अधीक्षक।
8– सचिव, राज्य महिला आयोग, उत्तरांचल देहरादून।
9– जिला शासकीय अधिवक्ता।
10– मुख्य चिकित्साधिकारी।
11– जिला समाज कल्याण अधिकारी ।
12– जिला कार्यक्रम अधिकारी।

आज्ञा से ,
(हेमलता ढोडियाल)
अपर सचिव।

संख्या 310 / XVII(1)–2 / 2005–144(समाज कल्याण) / 2005

प्रेषक,

राधा रतूडी,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण उत्तरांचल,
हल्द्वानी (नैनीताल)

समाज कल्याण अनुभाग–2 देहरादून 23 जुलाई,2005

विषय– वृद्वजन हितार्थ कानूनी प्रावधानों के प्रचार प्रसार के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या D.O 15(13) / 11 / 2005–AG दिनांक 12.5.2005 की छायाप्रति संलग्नकों सहित संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हिन्दू भरण पोषण अधिनियम 1956 एवं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के वृद्वजन हितार्थ कानूनी प्रावधानों का व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोक्त।

भवदीय,
(राधा रतूडी,)
सचिव।

संख्याः 310(1) / XVII(1)–2 / 2005 तददिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
2– अधिशासी निदेशक,सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,उत्तरांचल।
3– मा0 उपाध्यक्ष,राज्य स्तरीय वरिष्ठ नागरिक एवं वृद्वजन कल्याण समिति,उत्तरांचल।

आज्ञा से
(के एस दरियाल)
अपर सचिव।

foHkkx&37

सरकारी गजट उत्तरांचल
उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित
देहरादून मंगलवार 20 जुलाई 2004 ई0
उत्तरांचल शासन
श्रम सेवायोजन वि0एवं प्रौ0विभाग
संख्या 514 / श्रम सेवा / 105 रिट / 2004
देहरादून 20 जुलाई,2004
अधिसूचना

चूंकि मा0 उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 13 अगस्त, 1997 के निर्णय द्वारा विशाखा एवं अन्य बनाम राजस्थान एवं अन्य (रिट पिटीशन संख्या–666–70 / 1992) में कामकाजी महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन रोकने के लिए दिशा निर्देश एम मानक निर्धारित किये है –

और चूंकि जनहित में यह समीचीन है की राज्य के औद्यौगिक एवं वाणिज्यिक प्रातिष्ठानों में कार्यरत कामकाजी महिलाओं में यौन उत्पीडन की शिकायतों की जांच पडताल करने और उन्हें रोकने या निवारण करने तथा यौन उत्पीडन की घटनाओं के समाधान एवं निपटारे तथा अभियोजन की कार्यवाही हेतु राज्य स्तर पर सतर्कता समिति का गठन किया जाये।

अतएव अब श्री राज्यपाल महोदय राज्य स्तर पर उक्त प्रयोजन हेतु सतर्कता समिति का निम्नवत् गठन करने के सहर्ष आदेश प्रदान करते है :–

राज्य स्तरीय सतर्कता समिति :–

1– श्रीमती सीमा भाटिया, माधोराम क्वार्टर्स ,डालनवाला देहरादून
श्रमिक प्रतिनिधि :– अध्यक्ष

2– सुश्री पुष्पा ाकाण्डपाल,सहकारी चीनी मिल्स गदरपुर ऊधमसिंहनगर सदस्य

3– सुश्री नीना गुलेरिया ,आंगनवाडी कुठालगेट देहरादून सदस्य

4– सुश्री राधा पिलख्वाल ,हिमालयन सेंन्टर ,सर्कुलर रोड बागेश्वर सदस्य

गैर सरकारी संस्था के प्रतिनिधि :–

5– सुश्री शैलबाला नेगी अधिवक्ता देहरादून (बार ऐसोसिएशन दे0दून) सदस्य

चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित प्रतिनिधि :–

6– डा0 आशा रावल, रावल नर्सिंग होम ,ई0सी0रोड देहरादून सदस्य

सेवायोजक प्रतिनिधि :–

7– श्री अतुल कुमार कारखाना प्रबन्धक टाईटन वाचेस लि0 सदस्य

8– श्री पूरण सिंह विष्ट ,द्रोण पब्लिक स्कूल , म्यूनिसिपल रोड,देहरादून सदस्य

राज्य सरकार के प्रतिनिधि :–

9– निदेशक महिला कल्याण उत्तरांचल सदस्य

10– अपर महानिदेशक ,पुलिस ,(शन्ति व्यवस्था / अपराध) उत्तरांचल अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि सदस्य

11– श्रमायुक्त / अपर श्रमायुक्त उत्तरांचल सदस्य–सचिव

सतर्कता समिति के कार्य :–

1– कार्यस्थलों पर यौन उत्पीडन की घटनाओं पर कडी निगरानी रखना।

2– यौन उत्पीडन की शिकार महिला अथवा अन्य व्यक्तियों द्वारा की गयी शिकायत पर तरन्त प्रभावी कार्यवाही करना, उन्हें सहायता और सुरक्षा पहुंचाने का कार्य।

3– उत्पीडक के विरूद्व अनुशासनात्मक एवं कानूनी कार्यवाही करने की अनुशंसा उनके सेवायोजको को प्रेषित करना तथा अनुशंसाओं का प्रतिपालन सुनिश्चित कराना।

4– यदि प्रथम दृष्टया सावित हो जाये कि यौन उत्पीडन में प्रतिष्ठान के सोवायोजक स्वंय लिप्त है तो सतर्कता समिति ऐसे मामलों को शासन के संज्ञान मे लायेगी और आवश्यक कार्यवाही करेगी ।

5– मण्डल स्तरीय सतर्कता समितियों के कार्यो का अनुश्रवण करना और यौन उत्पीडन के मामलों में कृत कार्यवाही /प्रस्तावित कार्यवाही की वार्षिक रिपोर्ट राजय सरकार को प्रेषित करना।

6– समय–समय पर राज्य सरकार को यौन उत्पीडन की रोकथाम के लिए सुझाव देना।

सतर्कता समिति का कार्यकला एवं रिक्त स्थानों की पूर्ति :–

सतर्कता समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल इस अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि से तीन वर्ष होगा लेकिन किसी सदस्य की मृत्यु या सदस्यता से त्यागप. अथवा राज्य सरकार द्वारा पद से हटाये जाने की दशा में राजय सरकार द्वारा तुरन्त रिक्त पद की पूर्ति की जायेगी। सतर्कता समिति का सदस्य उक्त तीन वर्ष की अवधि के बाद भी तब तक कार्य करता रहेगा , जब तक राज्य सरकार द्वारा उसके स्थान पर अन्य किसी सदस्य को नामित नहीं किया जाता है।

आज्ञा से

(नृपा ासिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

उत्तरांचल शासन
श्रम एवं सेवायोजन विभाग
संख्या /VIII/– श्रम/2005
देहरादून दिनांक 23 नवम्बर,2005
अधिसूचना

श्री राज्यपाल ,भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकरण अधिनियम 1996(1996 का 28) की धारा 11 एवं उसके अन्तर्गत बनाए गए भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियम 1998 के नियम 2 के खण्ड (ज) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तरांचल राज्य में तैनात समस्त जिला मजिस्ट्रेट या अपर जिला मजिस्ट्रेटों को उनकी अधिकारिता की सीमा के भीतर उक्त अधिनियम एवं नियमों के संगत उपबन्धों के प्रयोजनार्थ अपील प्राधिकारी नियुक्त करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(नृपसिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठाकन संख्या 2279 /VIII/680–श्रम /2005 TC तददिनांक।

प्रतिलिपि –निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रमुख सचिव, वित्त उत्तरांचल शासन।
2– समस्त प्रमुख सचिव, /सचिव उत्तरांचल शासन।
3– समस्त विभागाध्यक्ष उत्तरांचल।
4– अध्यक्ष/सयचिव उत्तरांचल भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड।
5– समस्त सदस्य,उत्तरांचल भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड।
6– समस्त जिलाधिकारी,उत्तरांचल।
7– समस्त परगना मजिस्ट्रेट उत्तरांचल।
8– समस्त मण्डलायुक्त उत्तरांचल।
9– श्रमायुक्त उत्तरांचल हल्द्वानी।
10– अपर श्रमायुक्त उत्तरांचल देहरादून।
11– समस्त उप/सहायक श्रमायुक्त उत्तरांचल।
12– उप निदेशक ,राजकीय मुद्रणालय रूडकी को उक्त अधिसूचना असाधारण गजट में प्रकाशित कर 300 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने हेतु ।
13– गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(सोहन लाल)
अपर सचिव।

उत्तरांचल शासन
श्रम एवं सेवायोजन अनुभाग,
संख्या– /VIII/463–सेवा/2005
देहरादून दिनांक 22 नवम्बर, 2005
कार्यालय ज्ञाप

प्रदेश के शिक्षित /अशिक्षित बेरोजगारों के रोजगार प्रदान किए जाने के उद्वेश्य से राज्य की दस सूत्रीय रोजगार नीति–2005 विधिवत् तैयार कर ली गयी है, प्रश्नगत नीति की एक प्रति विभाग से सम्बन्धित विन्दुओं पर अग्रेत्तर कार्यवाही किए जाने हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

(नृपसिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या –2198(1)/VIII/463–सेवा/2005 तददिनांक।
प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
2– समस्त मण्डलायुक्त उत्तरांचल।
3– समस्त जिलाधिकारी उत्तरांचल।
4– निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन ,उत्तरांचल हल्द्वानी जिला नैनीताल।
5– निदेशक सूचना,सूचना निदेशालय,देहरादूनको व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।
6– निजी सचिव मा0 मुख्यमंत्री।
7– निजी सचिव मा0 श्रम मंत्री,उत्तरांचल शासन को मा0मंत्री जी के संज्ञानार्थ लाये जाने हेतु।
8– गोपन (मंत्रिपरिषद) अनुभाग–1 उत्तरांचल शासन।
9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से
(सोहन लाल)
अपर सचिव।

उत्तरांचल की रोजगार नीति '2005

परिशिष्ट–1

भूमिका–

देश में आर्थिक दृष्टि से अन्य पिछडे राज्यों की भांति उत्तरांचल में भी बेरोजगारी एक गम्भीर समस्या है। प्रत्येक राज्य की एक प्राथमिकता होती है कि वह अधिक से अधिक आन्तरिक रोजगार सृजन कराते हुए प्रदेश के बेरोजगार नवयुवकों को बेरोजगारों में परम्परागत रूप से सरकारी नौकरी की आकांक्षाए अधिक रहती है, परन्तु रोजगार के सीमित अवसर ,उद्योगों क कमी आदि जैसे आदि जैसे कारणों के कारण बेरोजगारी की यह समस्या अधिक ज्वलन्त बन गयी है । राज्य में जहॉ तेजी से रोजगार के अवसर सृजित करने की आवश्यकता है, वही इस दिशा में एक सभी सम्भावित क्षेत्रों का समावेश कर एक रोजगार सृजन की वृहत रणनीति बनानी होगी, जिससे पर्यटन ,सूचना प्रौद्योगिकी,सामुदायिक सेवाए परिवहन ,कृषि उद्यान ,खाद्य प्रसंस्करण ,उद्योग एवं ऐसे क्षेत्र जो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से बडी संख्या में रोजगार का सृजन उपलब्ध कराते है, में रोजगार सृजन की सम्भावनाओं को चिन्हित किया जाय।

2– वर्तमान परिदृश्य :–

वर्तमान में प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों में लगभग 3.5 लाख व्यक्ति रोजगार की प्रत्याशा में पंजीकृत है, परन्तु समस्त बेरोजगार व्यक्ति न तो सेवायोजन कार्यालय में अपना नाम पंजीकृत कराते है और न ही सेवायोजन कार्यालयों के माध्यम से रोजगार प्राप्त करते है। सार्वजनिक क्षेत्रों को छोडकर निजी क्षेत्र एवं असंगठित क्षेत्र में लोग बडी संख्या में रोजगार प्राप्त करते है। अतः सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकृत व्यक्तियों के अतिरिक्त इससे दोगुने संख्या में व्यक्ति बेरोजगार होना सम्भावित हैं अतः प्रदेश में लगभग 9 से 10 लाख व्यक्ति बेरोजगार है। जिसमें शिक्षित बेरोजगारों के अतिरिक्त भूमिहीन कृषि मजदूर तथा शहरी क्षेत्रों के बेरोजगार व्यक्ति भी सम्मिलित है। इस प्रकार राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 12 प्रतिशत बेरोजगार होना सम्भावित है, जिनके लिये प्रभावी रोजगार नीति बनाया जाना आवश्यक है।

3– आर्थिक उदारीकरण तथा अर्थव्यवस्था के विस्तारीकरण एवं विविधिकरण के परिणामस्वरूप कृषि एवं उस पर आधारित अन्य क्षेत्रों तथा उ़द्योग ,खनन,आदि के अतिरिक्त छोटे व्यापार एवं सेवा क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का प्रसार हुआ है। अतः रोजगार नीति बनाते समय इस तथ्य को भी ध्यान में रखे जाना अतिआवश्यक है।

4– इस प्रकार रोजगार नीति के मुख्य तत्वों में जहॉ वर्तमान विकास योजनाओं कों प्रभावी एवं उत्पादक तौर से क्रियान्वित किए जाने की आवश्यकता है, वही इन योजनाओं के माध्यम से रोजगार सृजन को एक अनिवार्य परिणाम के रूप में रखा जाना आवश्यक है। इस प्रकार उ़द्योग एवं सेवाओं में रोजगार सृजन हेतु जहॉ कौशल विकास ,उद्यमिता विकास किया जाना आवश्यक है वही दूसरी ओर सुलभ ऋण एवं वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया जाना तथा ऐसे वित्तीय एवं कर प्रौत्साहन भी दिया जाना आवश्यक हो जाता है , जिससे उततरांचल के उद्यमियों को स्वस्थ प्रतिस्पार्धात्मक लाभ प्राप्त हो सके।

5– कौशल एवं उद्यमिता विकास के लिए युवाओं को शैक्षिक अवसर तथा तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षा के माध्यम से सक्षम बनाया जाना भी आवश्यक हैं इस हेतु प्रदेश में जहॉ शिक्षा के स्तर का उन्नयन किया जाता एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है वही तकनीकी /व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं को नीतिगत /संस्थागत तथा वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाना भी आवश्यक है।

6– अतः रोजगार नीति में विकास योजनाओं का कार्यान्वयन एवं प्रदेश के सम्पूर्ण आर्थिक एवं संस्थागत ढ़ाचे के अन्तर्गत रोजगार सृजन के लक्ष्य को केन्द्रीय महत्व प्रदान किया जाना अतिआवश्यक है।

इस नीति का मुख्य उद्वेश्य प्रदेश में रोजगार सृजन के त्वरित अवसरों का सृजन कर तथा प्रदेश से प्रतिभाशाली युवा शक्ति का पलायन को रोकना एवं बेरोजगारी को उत्तरोत्तर कम कर प्रदेश की अर्थ व्यवस्था को सुद्वढ एवं रोजगारोन्मुख बनाना है।

7– प्रदेश में प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन में शासकीय विभागों ,सार्वजनिक उपक्रमों /निगमों ,निजी क्षेत्र ,असंगठित क्षेत्र एवं गैर सरकारी संगठनों के साथ–साथ बैकों तथा संस्थागत

वित्तीय संस्थाओं का एक महत्वपूर्ण स्थान है। अतः सभी क्षेत्रों की आवश्यकता को ध्यान में रखतें हुए निम्नलिखित नीति प्रस्तावित है :–

7.1 सरकारी विभागों तथा सार्वजनिक उपक्रमों /निमगमों में सीधी भर्ती के रिक्त पदों को तत्काल भरा जाये :–'प्रदेश के लगभग सभी विभागों तथा सार्वजनिक उपक्रमों /निगमों मे सीधी भर्ती के पद बडे पैमाने पर अभी भी रिक्त है। राज्य पुनर्गठन के पश्चात अधिकांश विभागों में संवर्गो का विभाजन लगभग पूर्ण हो चुका है तथा अधिकांश विभागों द्वारा अपनी विभागीय संरचनाओं को अंतिम रूप दिया जा चुका हैं अतः सीधी भर्ती के रिक्त पदों को समस्त विभागों तथा उपक्रमों के द्वारा प्राथमिकता के आधार पर भरा जाये। इससे जहॉ एक ओर विभागों में कार्मिकों की कमी की समस्या दूर होगी वही दूसरी ओर प्रदेश के बेरोजगार युवको को सरकारी विभागो /निगमों में रोजगार का अवसर उपलब्ध होगा, इस हेतु विशेषकर अनुसूचित जाति /जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की रिक्तियों को उनके ''cd&ykx** सहित विशेष अभियान के अन्तर्गत प्राथिमिकता से भरा जायेगा जैसा कि राज्य सरकार निःशक्त व्यक्तियों /राज्य आन्दोलनकारियों के लिए नियुक्तियों का विशेष अभियान चला रही है।

उक्त के अतिरिक्त रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदेश के नौजवानों को सेना एवं अर्द्धसैनिक बलों में नियुक्ति किए जाने हेतु समय–समय पर भर्ती –केन्द्र लगाये जाते हे, इस क्रम में शासन का यह प्रयास होगा कि इन केन्द्रों को प्रदेश के सभी जनपदों में स्थापित किये जाने हेतु राज्य की ओर से विशेष पहल की जायेगी। साथ ही साथ भूतपूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड को ओर अधिक सक्रिय करते हुए बोर्ड के माध्यम से भी विशेषकर निजी क्षेत्र में भी रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा। राज्य में युवावर्ग के साथ–साथ भूतपूर्व सैनिकों को भी रोजगार दिलाने में प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।

7.2 विभिन्न विभागों में मजदूरी आधारित रोजगार की परियोजनाओं का प्रभाव कार्यानवयन तथा उनके माध्यम से रोजगार सृजन के लक्ष्यों को पूर्ण किया जाना :–

प्रदेश में बडे पैमाने पर निर्माण कार्य चल रहे है, मुख्य रूप से लोक निर्माण विभाग ,सिचांई ,लघु सिंचाई,ऊर्जा ,जलागम पिरयोजनायें ,ग्राम विकास विभाग की योजनाये तथा वन विभाग में मजदूरी आधारित वृक्षारोपण कार्यो का कार्यान्वयन किया जा रहा है। अतः इन कार्यो को स्वीकृत करते समय इनके माध्यम से सृजित किए जाने वाले मजदूरी –आधारित रोजगार का अनिवार्य रूप से आंकलन किया जायेगा, तथा इन योजनाओं की वित्तीय /भौतिक प्रगति की समीक्षा के साथ साथ इन योजनाओं के माध्यम से सृजित मानव दिवसों की भी समीक्षा की जायेगी ताकि जो लोग मजदूरी पर आश्रित है, अथवा अस्थाई रूप से बेरोजगार है विशेषकर खेतिहर मजदूरों को भी इन परियोजनाओं में रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। रोजगार सृजन के इस महत्वपूर्ण सोत्र का रोजगार सृजन की रणनीति में प्रमुखता प्रदान करते हुए इन योजनाओं के आय व्ययक में प्राविधान के समय ही इनके माध्यम से सृजित किए जाने वाले मानव दिवसों का आंकलन कर लिया जायेगा तथा योजना की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के साथ भौतिक /वित्तीय प्रगति के अनुश्रवण के साथ मानव दिवस सृजन के लक्ष्य की समीक्षा सभी स्तर पर आवश्यक रूप से की जायेगी। उक्त के अतिरिक्त केन्द्र सरकार द्वारा विगत दिनों घोषित योजना '' राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना '' जिसका उद्देश्य गांव में निवास करने वाले ग्रामीणो को वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना है , का प्रदेश में व्यापक रूप से प्रचार प्रसार कर उसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा।

7.3 प्रदेश में स्वतः रोजगार से समबन्धित योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना तथा स्वतः रोजगार सृजन को इन योजनाओं के प्रमुख लक्ष्यों के रूप में रखा जाना :–

प्रदेश के सभी विकास विभागों के द्वारा विभिनन स्वतः रोजगार के कार्यक्रम चलाए जा रहें है , जिनमें बैंको से वित्त पोषण के अतिरिक्त सम्बन्धित विभागों के द्वारा वित्तीय अनुदान मार्जिन9 मनी,तथा व्याज उपादान आदि की सुविधायें उपलब्ध करायी जाती है। ऐसी समस्त योजनाओं के बजट व्यवस्था के समय ही योजनाओं के इकाई मानकों के अुनसार वित्तीय प्राविधानों के सापेक्ष स्वतः रोजगार सृजन के लक्ष्य भी निर्धारित किए जायेगें तथा वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के पश्चात् वित्तीय/भौतिक प्रगति की समीक्षा समय–समय पर करने के साथ–साथ उक्त योजनाओं के माध्यम से स्वतः रोजगार सृजन के लक्ष्य की उपलब्धियों की समीक्षा सुनिश्चित की जायेगी। इन योजनाओं में मुख्य रूप से प्रधानमंत्री रोजगार योजना खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग की मार्जिन मनी योजना व्यक्तिगत व्याज उपादन योजना ,वीर चन्द्र सिंह गढवाली पर्यटन स्वरोजगार योजना ईको –टूरिज्य के अन्तर्गत योजनायें ,स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजना ,स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना ,अनुसूचित जाति/जनजाति ,पिछडी जाति ,अल्पसंख्यक सफाई कर्मचारियों ,स्वच्छकारों तथा विकलांगों के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को राष्ट्रीय निगमों से सस्ती दर पर ऋण प्राप्त करना,

अशं पूजी ऋण उपलब्ध कराना तथा बैकों के माध्यम से स्वरोजगार हेतु ऋण सुविधा प्रदान करना है इस निगम के अन्तर्गत मुख्य रूप से निम्न योजनायें संचालित की जा रही है :–

0 अनुसूचित जाति के लिए स्वतः रोजगार योजना ,अनुसूचित जाति के लिए शहरी क्षेत्र दुकान निर्माण योजना,अनुसूचित जाति के लिए कौशल बृद्धि योजना मियादी ऋण योजना लघु वित्त ऋण योजना जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना शिल्पी ग्राम योजना स्वच्छकार विमुक्ति एवं पुर्नवास योजना राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम की योजना ,पिछडी जाति मार्जिन मनी ऋण योजना ,राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम की योजनायें ,राष्ट्रीय अल्पसंख्याक वित्त एवं विकास निगम की योजनायें प्रमुख है ।

विभिन्न विभागों के द्वारा स्वंय सहायकता समूह गठित कर उनके माध्यम से स्वतः रोजगार योजनायें संचालित की जा रही है, उनके कियान्वयन को भी स्वतः रोजगार सृजन के लक्ष्यों से जोडकर समीक्षा/अनुश्रवण किया जायगा । इन योजनाओं को व्यापक बनाने एवं दूरस्थ क्षेत्रों के बेरोजगार नवयुवकों को इन योजनाओ का लाभ पहुॅचाने के लिए इनका प्रचार प्रसार व्लाक /ग्राम स्तर पर किया जायेगा तथा यथासम्भव पंचायती राज की संस्थाओं का इनके कार्यान्वयन एवं प्रचार प्रसार में सहायोग प्राप्त किया जायेगा। इसके अतिरिक्त विभिन्न विकास योजनाओं में भी रोजगार सृजन को कार्यान्वयन का केन्द्रीय उद्देश्य बनाया जायेगा।

7.4 प्रदेश में त्वरित औद्योगिकरण के साथ स्थानीय रोजगार सृजन को जोडा जाना :– राज्य की आद्यौगिक नीति के अन्तर्गत विशेष प्रोत्साहन के फलस्वरूप अनुमानतः 1800 औद्यौगिक इकाईयों विभिन्न औद्योगिक आस्थानों में स्थापित होगी ,जिनमें लगभग एक लाख से अधिक राज्य के बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त होने की सम्भावना है। इस क्रम में केन्द्रीय औद्योगिक इकाईयों को राज्य सरकार द्वारा भूमि क्रय करने की अनुमति प्रदान की जा रही है साथ ही साथ ऐसी औद्योगिक इकाईयों जिन्हें राज्य के विभिन्न औद्योगिक आस्थानों में भू–आंबटन किया जा रहा है कि द्वारा हिमाचल प्रदेशकी भॉति अपने कुल जन संसाधन का नयूिनतम 70 प्रतिशत का नियोजन उत्तरांचल के निवासियों को उपलबध कराना अनिवार्य होगा। इससे जहॉ एक ओर स्थानीय बेरोजगार युवाओं को उत्तरांचल में स्थापित औद्योगिक इकाईयों में सीधे रोजगार उपलब्ध होगा , वहीं दूसरी ओर इससे बेरोजगार युवाओं का राज्य से पलायन रोकने में सहायता प्राप्त होगी , साथ ही साथ औद्यौगिक पैकेज का उत्तरांचल की जनता को सीधे लाभ मिल सकेगा। इस हेतु राज्य की औद्योगिक नीति में आवश्यक प्राविधान किया जायेगा, तथा इस प्राविधान को हिमाचल प्रदेश की भॉति उत्तरांचल राज्य में भी बाध्यकारी किया जायेगा।

7.5 विज्ञान एवं आधुनिक तकनीक के क्षेत्र में प्रदेश के युवाओं को रोजगार दिलाये जाने के विशेष प्रयास किया जाना :– इस हेतु सूचना प्रोद्यौगिकी ,जैव प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में रोजगार सृजन का सक्रिय प्रयास किया जायेगा तथा विभिन्न प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों एवं संस्थाओं से सहयोग प्राप्त करके प्रदेश के युवाओं को उच्चतम प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जायेगा। प्रदेश में स्थापित किए जाने वाले आई0टी0पार्क ,बायोटक्नोलोजी पार्क ,अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र ,तथा प्रदेश में पूर्व से स्थापित संस्थाओं में प्रशिक्षण सुविधा का अधिकाधिक लाभ यहॉ के युवाओं को उपलब्ध कराने हेतु सुविधियें जैसे छात्रवृत्ति प्रशिक्षण शुल्क में सहायता ,आदि की योजना भी गठित की जायेगी। ऐसी संस्थाओं के साथ राज्य सरकार द्वारा आवश्यक कराकर भी किया जायेगा।

7.6 शिक्षा का उन्नयन कर गुणात्मक सुधार को प्रोत्साहन दिया जाना :– प्रदेश में मानव संसाधन विकास में गुणात्मक सुधार लोने के लिए प्राथमिक स्तर से विश्वविद्यालय स्तर तक शिक्षा का उन्न्यन किया जायेगा साथ हो शिक्षा के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्र में शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्र –छात्राओं को अत्याधुनिक जानकारी उपलब्ध करायी जायेगी। रोजगार की आवश्यकता के सन्दर्भ में छात्र छात्राओं को कम्प्यूटर शिक्षा का अवसर व्यापक स्तर पर प्रदान किया जायेगा तथा प्रारम्भिक स्तर से ही अंग्रेजी भाषा सिखाने की भी सुव्यवस्थित प्रबन्ध सुनिश्चित किए जायेगें ताकि अखिल भारतीय एवं वेश्विक स्तर पर उत्तरांचल के नवयुवकों को रोजगार प्राप्त करने हेतु सक्षम बनाया जा सके।

7.7 रोजगारपरक तकनीकी शिक्षा एवं व्यवसायिक शिक्षा के प्रसार हेतु प्रोत्साहन की नीति बनायी जयेगी :– प्रदेश के युवाओं की क्षमता का विकास तथा उनकों व्यवसायिक एवं तकनीकी शिक्षा का अवसर प्रदान करने हेतु प्रदेश में इजीनियरिंग कालेज,मेडिकल कालेज ,प्रबन्ध संस्थान डेन्टल संस्थान ,नर्सिंग एवं काल सेन्टर प्रशिक्षण केन्द्र आदि निजी क्षेत्र में स्थापित करने में सहयोग दिये जाने एवं आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु शासकीय स्वीकृति दिये जाने में शीघ्रता लाने के लिए प्रभावी व्यवस्था की जायेगी। पर्वतीय जनपदों में ऐसे संस्थानों को खोले जाने पर विशेष प्रोत्साहन योजना गठित किये जाने पर भी विचार किया जायेगा साि ही ऐसे समस्त स्थापित संस्थाओं में अवस्थापना सुविधाओं एवं प्रभावी शेक्षणिक व्यवस्था को सुनिश्चित करने हेतु शासन द्वारा

कारगर विनियमन की व्यवस्था भी की जायेगी जिससे जहां एक ओर उत्तरांचल के छात्रों का तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करेने का प्रचुर अवसर प्राप्त हो सकेगा वहीं ऐसे संस्थानों की शैक्षणिक उत्कृष्टता को भी सुनिश्चित किया जा सकेगा।

शासकीय क्षेत्र में प्रत्येक जनपद में एक राजकीय पालीटेकनिक एवं प्रत्येक विकास खण्ड में एक आई0टी0आई0 खोली जायेगीं यथा सम्भव केन्द्रीय स्थानों में क्षेत्रीय स्तर पर महिलाओं के लिए भी ऐसा सस्थान खोलने का प्रयास किया जायेगा। महिलाओं को सशक्त/आत्मनिर्भर बनाये जाने हेतु समाज कल्याण विभाग द्वारा स्वयसिद्व, स्वशक्ति एवं इन्दिरा महिला समेकित योजना संचालित की जा रही है। राजकीय पालीटेकनिक एवं आई0टी0आई0 में अवस्थापना सुविधाओं में सुधार आवश्यक एवं आधुनिक उपरकणों की व्यवस्था ,कार्यशालाओं में कच्चे माल/उपकरणों व संयत्रों की व्यवस्था तथा शिक्षको की समुचित व्यवस्था समयबद्वरूप से की जायेगी। साथ ही साथ इन संस्थानों में उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप पाठ्यक्रमों में परिवर्तन लाया जायेगा। समस्त इंजीनियरिंग कालेज ,पोलीटैक्निक एवं आई0टी0आई0 के छात्रों को औद्योगिक सम्बन्धीकरण भी सुनिश्चित किया जायेगा। इसके लिए क्षेत्रीय स्तर पर प्लेसमेंट इकाई भी गठित की जायेगी। उद्योग से बेहतर समवन्य के लिए सभी संस्थानों में उत्तरोत्तर रूप में क्षेत्रीय उद्यमियों की अध्यक्षता में संस्थान प्रबन्धन समिति (I.M.C) गठित की जायेगी ।

प्रदेश के तकनीकी प्रशिक्षण संस्थानों में महिलाओं हेतु आज के परिवेश में रोजगारोन्मुख पाठयक्र जैसे सूचना प्रौद्यौगिकी फैशन टेक्नालाजी ,व्यूट केयर,काल सेन्टर, इत्यादि का संचालन किया जायेगा , साथ ही साथ राज्य के तकनीकी प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु महिलाओं को 20 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जायेगा।

यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि राज्य के विभिन्न प्राविधिक शिक्षण संस्थानों में प्लेसमेंट एजेंसीज को समय–समय पर आंमत्रित किया जायेगा, जिनके माध्यम से प्राविधिक शिक्षा प्राप्त स्थानीय अर्ह अभ्यर्थियों की नियुक्तियॉ सुनिश्चित हो सके।

7.8 प्रदेश में उपलब्ध रोजगार स्तर को गुणात्मक बनाने एवं श्रमिकों के हितों को सुरक्षित रखने हेतु श्रम कल्याण की योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू किया जानाः– विभिन्न श्रमिक वर्गो के लिए सामाजिक सुरक्षा हेतु भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मचार नियोजन तथा सेवा शर्त विनियम अधिनियम 1996 के प्राविधानों के अन्तर्गत गठित किए जाने वाले Building and Other Construction Workers Welfare Board की तर्ज पर श्रम कल्याण निधि का गठन किया जायेगा जिससे अधिक से अधिक श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा सके । इस क्रम में कर्मचारी भविष्य निधि योजना कर्मचारी राज्य बीमा योजना का विस्तार भी किया जायेगा साथ ही साथ स्वास्थय बीमा योजना एवं जनश्री बीमा योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को आच्छादित किया जायेगा।

7.9 प्रदेश के समस्त सेवायोजन कार्यालयों के स्वरूप मे मूलभूत परिवर्तन लाया जायेगा :– इस हेतु समस्त सेवायोजन कार्यालयों को कैरियर काउसिंलिग केन्द्र के रूप में विकसित करते हुए उनका आधुनिकीकरण किए जाने के साथ–साथ समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षित भी किया जायेगा। सेवायोजन कार्यालयों की नेटवकिंग करने के साथ–साथ सेवायोजकों से उन्हें सक्रिय रूप से जोडा जायेगा। इसके अतिरिक्त राज्य मुख्यालय में एक स्टेट रिसोर्स सेंटर स्थापित कर सभी सेवायोजन कार्यालयों एवं बेरोजगारों को सीधे इस केन्द्र से जोडा जायेगा, जिससे सेवायोजन कार्यालयों एवं बेरोजगारों को सीधे इस केन्द्र से जोडा जायेगा। जिससे सेवायोजन से सम्बन्धित अद्यावधिक सूचनायें एक ही स्थान पर प्राप्त हो सकें एवं सेवायोजकों से सीधा सम्पर्क किया जा सके । इस हेतु निजी क्षेत्र के विशेषज्ञ संस्थाओं से करार करके व्यवस्था को प्रभावी बनाया जायेगा।

कैरियर काउसिंलिग केन्द्रों में समस्त पंजीकृतद अभ्यर्थियों एवं छात्र छात्राओं को रोजगार सम्बन्धी जानकारियॉ अद्यावधिक रूप से उपलब्ध करायी जायेगी साथ ही दूरस्थ क्षेत्र के विद्यालयों मे जाकर तकनीकी एवं व्यावसायिक अवसरों एवं रोजगार सम्बन्धी जानकारियॉ भी संचालित करने की व्यवस्था की जायेगी। प्रदेश के समस्त इण्टरमीडिएट कालेज तथा महाविद्यालयों में कैरियर कार्नर खोलकर कैरियर एवं रोजगार सम्बन्धी जानकारियॉ उपलब्ध करायी जायेगी ताकि दूरस्थ क्षेत्रों के छात्रों को जागरूक बनाया जा सके। निःशक्त व्यक्तियों के लिए रोजगार कार्यालयो में विशेष व्यवस्था की जायेगी ताकि उन्हें आसानी से रोजगार सम्बन्धी सूचनायें प्राप्त हो सके।

अनुसूचित जाति /जनजाति तथा अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए विभिन्न प्रतियोगात्मक परीक्षाओं एवं अन्य रोजगार हेतु परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्दों का विस्तार एवं सुद्वढीकरण /आधुनिकीकरण किया जायेगा। तथा कम्प्यूटर प्रशिक्षण की विशेष व्यवस्था इन केन्द्रो में की जायेगी।

8. प्रदेश में रोजगार सम्बन्धी स्थिति की सही जानकारी हेतु विशेषकर असंगठित क्षेत्र में व्यापक सर्वेक्षण कराया जायेगा तथा लेबर व्यूरो शिमला एवं अर्थ एवं संख्या विभाग उत्तरांचल शासन के माध्यम से रोजगार सृजन के अद्यावधिक आंकडों का एक संकलन तैयार किया जायेगा ताकि रोजगार नीति निर्धारण करने में बेरोजगारी का सही –सही आंकलन किया जा सके।

9. हिमाचल प्रदेश व अन्य प्रदेशो के इस सन्दर्भ में उठाये गये सकारात्मक कदमों का भी समावेश किया जायेगा।

10. प्रदेश में मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय राज्य रोजगार समन्वय एवं अनुश्रवण सपरिषद का भी गठन किया जायेगा जिसके द्वारा रोजगार सृजन सम्बन्धी समग्र नीति एवं रणनीति की समीक्षा की जायेगी। विभिन्न विभागों के द्वारा रोजगार सृजन के सम्बनध में किए गये प्रयासो का समन्वयन तथा कियान्वयन की भी समीक्षा की जायेगी तथा रोजगार सृजन हेतु विभिनन नीतिगत /ढाचागत /संस्थागत व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु कार्यवाही की जायेगी । परिषद द्वारा रोजगार के सृजन के लक्ष्यों /पुर्ति का अनुश्रवण किया जायेगा। इस परिषद में रोजगार सृजन सम्बन्धित विभागों को प्रतिनिधित्व देने के अतिरिक्त बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं की भी भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी।

foHkkx& 38 df"k

foHkkx& 39 i'kqikyu

foHkkx&40 ¼[kk|½ ¼'kk lukns'k vikslr½

[kk| ,oa jln foHkkx
foHkkx&40

उत्तरांचल शासन
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग,
संख्या–140/XIX/एस0सी0पी0सी0/2005
देहरादून दिनांक 15 अक्टूबर,2005
अधिसूचना

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा –7के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महामहिम श्री राज्यपाल तत्काल प्रभाव से ''राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद'' का गठन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– उक्त जिला परिषद में सम्प्रति निम्न सदस्य होगें :–

(1)	राज्य सरकार में उपभोक्ता मामलों के प्रभारी मंत्री	अध्यक्ष,
(2)	राज्य सरकार में उपभोक्ता मामलों के विभाग से नामित एक प्रतिनिधि	सदस्य
(3)	भारत मान व्यूरो (B.I.S)/राष्ट्रीय परीक्षण गृह (N.T.H.) निकटस्थ कार्यालय का प्रतिनिधि	सदस्य
(4)	भारत सरकार के के सूचना एवं प्रसारण विभाग के निकटस्थ क्षेत्रीय कार्यालय से नामित एक व्यक्ति	सदस्य
(5)	भारत सरकार के माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग के निकटस्थ क्षेत्रीय कार्यालय में से नामित एक व्यक्ति	सदस्य
(6)	भारत सरकार के युवा मामलों तथा खेल विभाग के निकटस्थ क्षेत्रीय कार्यालय के नामित एक व्यक्ति	सदस्य

3– भारत सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले अशासकीय सदस्यों तथा राज्य सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले शासकीय व अशासकीय सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित अधिसूचना शीघ्र पृथक से जारी की जायेगी।

(मदन सिंह)
सचिव।

संख्या –140(1)/XIX/डी0सी0पी0सी0/2005 तददिनांक।

उपरोक्त की प्रति निदेशक मुद्रण एवं लेखा सामग्री ,रूडकी को इस अभियुक्ति के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को 2005 के असाधारण गजट में विधायी परिशिष्ठ भाग–4 खण्ड (ख) परिनियत आदेश में प्रकाशित करने का कष्ट करें और अधिसूचना की 100 प्रतियॉ इस अनुभाग को भेजने का कष्ट कें।

(मदन सिंह)

सचिव।

संख्या –140(2)/XIX/डी0सी0पी0सी0/2005 तददिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– निबंधक,राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग नई दिल्ली।
2– संयुक्त सचिव,उपभोक्ता संरक्षण,खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय,भारत सरकार।
3– अध्यक्ष, राज्य आयोग उपभोक्ता संरक्षण उत्तरांचल।
4– समस्त जिलाधिकारी उत्तरांचल।
5– अध्यक्ष, समस्त जिला उपभोक्ता फोरम उत्तरांचल।
6– आयुक्त, खद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग,उत्तरांचल देहरादून।
7– समन्वयक,एन0आई0सी0,सचिवालय परिसर,उत्तरांचल।

(मदन सिंह)

सचिव।

उत्तरांचल शासन
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग,
संख्या–137 / XIX / ड0सी0पी0सी0 / 2005
देहरादून दिनांक 15 अक्टूबर,2005
अधिसूचना

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा –8''ए'' के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महामहिम श्री राज्यपाल तत्काल प्रभाव से राज्य के प्रत्येक जिले के '' जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद'' के गठन की तथा सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी को ''जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद '' का अध्यक्ष नियुक्त करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– उक्त जिला परिषद हेतु शासकीय एवं अशासकीय सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित अधिसूचना शीघ्र ही पृथक से जारी की जायेगी।

(मदन सिंह)
सचिव।

संख्या –137(1) / XIX / डी0सी0पी0सी0 / 2005 तददिनांक

उपरोक्त की प्रति निदेशक मुद्रण एवं लेखा सामग्री ,रूडकी को इस अभियुक्ति के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को 2005 के असाधारण गजट में विधायी परिशिष्ठ भाग–4 खण्ड (ख) परिनियत आदेश में प्रकाशित करने का कष्ट करें और अधिसूचना की 100 प्रतियॉ इस अनुभाग को भेजने का कष्ट कें।

(मदन सिंह)
सचिव।

संख्या –137(1) / XIX / डी0सी0पी0सी0 / 2005 तददिनांक

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– निबंधक,राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग नई दिल्ली।
2– संयुक्त सचिव,उपभोक्ता संरक्षण,खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय,भारत सरकार।
3– अध्यक्ष, राज्य आयोग उपभोक्ता संरक्षण उत्तरांचल।
4– समस्त जिलाधिकारी उत्तरांचल।
5– अध्यक्ष, समस्त जिला उपभोक्ता फोरम उत्तरांचल।
6– आयुक्त, खद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग,उत्तरांचल देहरादून।
7– समन्वयक,एन0आई0सी0,सचिवालय परिसर,उत्तरांचल।
8– गार्ड फाईल।

(मदन सिंह)
सचिव।

vkcdkjh vuHkkx
foHkkx&42

संख्या 110–122/सात–लाईसेंस / बार –नीति/2001–2002/उत्तरांचल।

प्रेषक,

सुभाष कुमार,
सचिव/आयुक्त,
आबकारी विभाग,
उत्तरांचल।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

दिनांक देहरादून मार्च 06 2001

विषय– होटल एवं रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञापनों को वर्ष 2001–2002 हेतु व्यवस्थित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

होटल एवं रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञापन (एफ0एल0–6 समिश्र,एफ0एल0–7) के सृजन/पुनर्व्यवस्थापन के सम्बन्ध में अभी तक उत्तर प्रदेश राज्य के शासनादेश संख्या 3339 ई–2/तेरह –413/87 दिनांक 20 जनवरी 1988 में मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय समिति की अनुशंसाये प्राप्त किये जाने का प्राविधान है। उपरोक्त समिति द्वारा जिला स्तर पर प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार कर होटल विशेष की उपयुक्ता के परीक्षणोपरान्त दी गयी संस्तुतियों पर शासन का अनुमोदन मिलने के बाद अनुज्ञापन वयवस्थापित किया जाता रहा है।

उत्तरांचल प्रदेश में उत्तर प्रदेश से परिस्थितियां बदली हुई है । जिला चयन समिति में पूर्व में उप आबकारी आयुक्त प्रभार भी सदस्य के रूप में होते थें। वर्तमान में उत्तरांचल में उप आबकारी आयुक्त प्रभार के पदों पर कोई नियुक्ति नही है अतः बदली हुई परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए होटल एवं बार रेस्टोरेंट अनुज्ञापन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में अब निम्नानुसार प्रक्रिया अपनायी जायेगी।

1– शासन स्तर पर चार व पांच तारा श्रेधी के होटल/रेस्टोरेन्ट अथवा उच्च श्रेणी के होटल /रेस्टोरेन्ट को बार अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने पर निर्णय लिया जायेगा।

2– उपरोक्त के अतिरिक्त शेष होटल/रेस्टोरेन्ट के सम्बन्ध में जिला स्तर पर जिला आबकारी अधिकारी द्वारा आवेदन विशेष पर जांचोपरान्त की गयी संस्तुति को दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी द्वारा अपने स्तर से जांचोपरान्त अपनी संस्तुति आबकारी आयुक्त को प्रेषित की जायेगी तथा आबकारी आयुक्त/शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त होटल/रेस्टोरेन्ट को बार अनुज्ञापन प्रदान किये जाने पर निर्णय लिया जायेगा।

3–(1) अनुज्ञापनों के संस्तुति के समय आबकारी नियमों के अनुसार होटल/रेस्टोरेन्ट की स्थिति जिसके लिए बार अनुज्ञापन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया हो अनुरूप है या नही आवश्य देख लिया जाय । इसके साथ साथ यह भी देख लिया जाय कि होटल/रेस्टोरेन्ट में गाडी खडी करने के लिए पर्याप्त स्था है या नहीं।

(2) बार/रेस्टोरेन्ट में कम से कम 20 ग्राहको के एक साथ बैठने की समुचित व्यवस्था हो ।

(3) रेस्टोरेन्ट में बार कख व फेमिली कख अलग–अलग उपलब्ध हो।

(4) बार में मदिरा की किस्मों के प्रदर्शन के लिए शो केस की व्यवस्था हो।

(5) पुरूषो एवं महिलाओं के लिए अलग–अलग टायलेट की व्यवस्था होटल/रेस्टोरेन्ट मे हो।

(6) पर्यटन/शान्ति व्यवस्था की दृष्टि से बार/रेस्टोरेन्ट को बार अनुज्ञापन दिये जाने की उपयोगिता के सम्बन्ध में आख्या दी जाय।

(7) बार अनुज्ञापन दिये जाने से क्या निकटवर्ती विदेशी मदिरा/देशी मदिरा की दुकानो के राजस्व पर क्या प्रभाव पडेगा इस सम्बन्ध में भी सम्यक विचार किया जाय।

(8) प्रस्तावित होटल/बार अनुज्ञापन के सन्निकट कोई अन्य होटल अथवा बार अनुज्ञापन है अथवा नहीं।
(9) बार अुनज्ञापनों की संस्तुति के सम्बन्ध में विचार करते हुए समय अन्य विन्दुओं को ध्यान में रखने के साथ साथ स्थान की उपयुक्तता ,पात्रता,स्तर ,भोजन का स्तर ,स्थिति के बारे में विशेष ध्यान दिया जाय तथा होटल/रेस्टोरेन्ट का टर्न ओवर एवं आवेदक अनुज्ञापी का पूर्ववृत्त एवं ख्याति भी देखी जाय।
4. (1) एफ0एल0–6ए समिश्र अनुज्ञापन के लिए अनुज्ञापन शुल्क 5,00,000/–रूपये प्रतिवर्ष का वर्ष के किसी भाग के लिए देय होगी।
(2) एफ0एल0–6 (समिश्र) एवं एफ0एल0–7 अनुज्ञापनों के लिए अनुज्ञापन शुल्क 2,00,000/– रूपये प्रतिवर्ष या वर्ष के किसी भाग के लिए देय होगी।
5. (1) उत्तरांचल में उत्तर प्रदेश परमिट फार पजेशन आफ फारेन लीकर बाई क्लब रूल्स 1980 यथा संशोधित के अन्तर्गत ही अनुज्ञापन शुल्क की वसूली अग्रिम रूप से निम्नानुसार की जायेगी :–
(1) ऐसे क्लब जिनमें सदस्यों की संख्या 100 तक हो के किसी भाग के लिए। रू0 55,000/– प्रतिवर्ष या वर्ष
(2) ऐसे क्लब जिनमें सदस्यों की संख्या 100 से अधिक एवं 500 तक हो के किसी भाग के लिए। रू0 82,500/– प्रतिवर्ष या वर्ष
(3) ऐसे क्लब जिनमें सदस्यों की संख्या 501 या उससे अधिक हो के किसी भाग के लिए। रू0 1,10,000/– प्रतिवर्ष या वर्ष

2– प्रत्येक परमिट धारक के लिए सिक्योरिटी पूर्व से नियमानुसार यथावत अर्थात 2,000/–रूपया नकद राजकोष में जमा करायी जायेगी जो कि आबकारी नियमों अधिनियमों के प्राविधानों एवं परमिट की शर्तो के अनुपालन हेतु होगी।

3– एफ0एल0–7(सी) क्लब बार परमिट जिलाधिकारी की संस्तुति के आधार पर आबकारी आयुक्त द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।

4– शेष प्राविधान व नियम यथावत लागू रहेगा।

6– बार अनुज्ञापनों के नवीनीकरण के सम्बन्ध में निर्देश दिये जाते कि वर्तमान में कार्यरत अनुज्ञापनों को जिला आबकारी अधिकारी की संस्तुति जिसमें विदेशी मदिरा की बिक्री व परोसेआने के परिसर का प्रमाणित नीलपत्र गत वित्तय वर्ष की बिक्र का विवरण आदि विन्दुओं पर विस्तृत स्पष्ट आख्या भी सम्मिलित हो के साथ जिलाधिकारी अपनी संस्तुति आबकारी आयुक्त को प्रेषित की जायेगी और नवीनीकरण आयुक्तालय से किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(सुभाष कुमार)
सचिव/आयुक्त,
आबकारी उत्तरांचल।

संख्या 123–137/सात लाईसेन्स/बार–नीति/2001–2002/उत्तरांचल।
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–
1– समस्त जिला आबकारी उत्तरांचल।
2– समस्त सहायक आबकारी आयुक्त,प्रवर्तन अधिकारी।

(सुभाष कुमार)
सचिव/आयुक्त,
आबकारी उत्तरांचल।

उत्तरांचल शासन
आबकारी अनुभाग
संख्या– 370 /xxiii / 06 /115/ 2005
दिनांक : दिनांक 06 मार्च, 2006

vf/klpuk

श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) (उत्तरांचल में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 के साथ पठित उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 की धारा 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तरांचल राज्य में देशी एवं विदेशी मदिरा एवंबियर की फुटकर बिक्री को विनियमित करने की दृष्टि से वित्तीय वर्ष 2006–07 के लिए निम्नवत् आबकारी नीति घोषित करते है:–

यह नीति दिनांक 1 अप्रैल, 2006 से 31 मार्च, 2007 तक प्रभावी रहेगी।

1& ykbZlUl Qhl dk fu/kkZj.k%&

वित्तीय वर्ष 2006–07 की लाईसेन्स फीस के निर्धारण हेतु वित्तीय वर्ष 2005–06 के लिए निर्धारण देशी एवं विदेशी मदिरा की दुकानों की श्रेणी देशी मदिरा के लिए बल्क लीटर में एवं विदेशी मदिरा के लिये बोतलों में वित्तीय वर्ष 2005–06 की भांति स्लैवबार यथावत रखी जायेगी तथा प्रत्येक स्लैब के लिये निर्धारित लाईसेन्स फीस में 15 प्रतिशत की वृद्वि की जायेगी एवंइसे एक हजार के पूर्णाक में (राउण्ड अप) करते हुए निर्धारित की जायेगी।

2- U;wure iR;kHkwr M;wVh dk fu/kkZj.k%&

देशी / विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी में वर्ष 2006–07 में निम्नानुसार वृद्वि की जायेगी–

क0स0	वर्ष 2005–06 हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	वृद्वि लक्ष्य
1	जिन दुकानों पर 1400 से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त हुए ।	20 प्रतिशत
2	जिन दुकानों पर 1000 या उससे अधिक परन्तु 1400 से कम आवेदन पत्र प्राप्त हुए।	19 प्रतिशत
3	जिन दुकानों पर 500 या उससे अधिक परन्त 1000 से कम आवेदन पत्र प्राप्त हुए	18 प्रतिशत
4	जिन दुकानों पर 200 या उससे अधिक परन्तु 500 से कम आवेदन पत्र प्राप्त हुए ।	17 प्रतिशत
5	जिन दुकानों पर 50 या उससे अधिक परन्तु 200 से कम आवेदन पत्र प्राप्त हुए ।	16 प्रतिशत
6	जिन दुकानों पर 50 से कम आवेदन पत्र प्राप्त हुए।	15 प्रतिशत

वर्ष 2005–6 में दुकान पर अतिरिक्त उठान की राशि को दुकान के वार्षिक निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी में जोडकर वृद्वि की गणना की जायेगी।

3- jktLo fu/kkZj.k%&

प्रस्तावित नीति के उपरोक्त बिन्दु 2 के अनुसार दुकानवार निर्धारित किये गये न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी तथा उपरोक्त बिन्दु 1 के अनुसार निर्धारित लाईसेन्स फीस की राशि को जोकर दुकानवार राजस्व की राशि का आंगणन किया जायेगा।

इसके अतिरिक्त वर्ष के दौरान दुकानवार निर्धारित न्यूनतम वार्षिक प्रत्याभूत ड्यूटी की राशि के 10 प्रतिशत तक अतिरिक्त उठान पर अतिरिक्त लाईसेन्स फीस की छूट प्रदान की जायेगी परन्तु

10 प्रतिशत से अधिक मदिरा का उठान करने पर यदि कोई दुकान लाईसेन्स फीस के अगले स्लैब में आ जाती है, तो उसे बढी दर से लाईसेन्स फीस देनी होगी।

4- n'kh ,o fon'kh efnjk dh nqdkuks d s jktLo dk fu/kkj.k %&

बिन्दु 1,2 व 3 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार दुकानवार राजस्व को जोडते हुए जनपद का वर्ष 2006–07 हेतु राजस्व निर्धारित किया जायेगा।

5- n'kh ,o fon'kh efnjk dh QVdj nqdkuks dk vkoVu %&

उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार दुकानवार राजस्व निर्धारित हो जाने के उपरान्त जिलाधिकारियों द्वारा गढवाल मण्डल विकास निगम, कुमायूॅ मण्डल विकास निगम, पूर्व सैनिक कल्याण उद्यम लि0, भूतपूर्व सैनिकों की पंजीकृत सहकारी समितियों, सहकारी संस्थाओं तथा निजी आवेदकों से निर्धारित राजस्व पर देशी एवंविदेशी मदिरा की फुटकर दुकान चलाने हेतु निर्धारित प्रारूप, (जिसे सम्बन्धित क्षेत्र के दो प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जायेगा) पर आवेदन पत्र आंमत्रित किये जायेगे, प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ 200/– रू की फीस नगद अथवा किसी अनुसचित अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राप्ट प्रक्रिया शुल्क के रूप में सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के नाम से ज मा कराना होगा, जो प्रार्थना पत्र निर्धारित प्रारूप में नही होगे उन्हें निरस्त कर दिया जायेगा। जहा एक दुकान के लिये एक ही आवेदन हो उसे दुकान आंवटित की जा सकेगी तथा एक से अधिक आवेदकों की दशा में लाटरी द्वारा आंवटन किया जायेगा। देशी एवं विदेशी मदिरा की दुकानों के व्यवस्थापन हेतु उपरोक्त प्रक्रिया तब तक अपनाई जायेगी, जब तक कि समस्त दुकानें व्यवस्थापित नही हो जाती है।

परन्तु यदि वित्तीय वर्ष 2006–07 की किसी अवधि में दुकान व्यवस्थापन की प्रक्रिया में समय लगता है तो व्यवस्थापन की अवधि में दुकान दैनिक आधार पर चलायी जायेगी। इसके लिए भूतपूर्व सैनिकों कोउनके द्वारा आवेदन करने पर निर्धारित राजस्वके सापेक्ष दैनिक मूल्य पर दुकान संचालित करने की अनुमति प्रदान किये जाने पर भी विचार किया जा सकेगा।

परन्तु यह और कि उपरोक्त दोनों निगमों, पूर्व सैनिक कल्याण उद्यम लि0, भूतपूर्व सैनिकों की पंजीकृत सहकारी समितियों, सहकारी संस्थाओं को छोडकर उपरोक्त प्रक्रिया में निजी अनुज्ञापी को एक जनपद में देशी एवं विदेशी मदिरा की एक से अधिक दुकान आंवटित किये जाने पर विचार नही किया जायेगा, अर्थात देशी मदिरा अथवा विदेशी मदिरा में सेकेवल एक ह ी दुकान आंवटित की जायेगी।

परन्तु यह भी कि यदि उपरोक्त प्रक्रिया में कोई देशी या विदेशी मदिरा की दुकान अव्यवस्थापित रह जाती है तोउनके व्यवस्थापन के सम्बन्ध में आवकारी आयुक्त द्वारा शासन के अनुमोदनोपरान्त निर्णय लिया जायेगा।

6- ik=rk %&

देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के आंवटन के सम्बन्ध में पात्रता की शर्ते वित्तीय वर्ष 2004–05 के अनुरूप होगी।

अनुज्ञापी को दुकान आवंटित होने केतीस दिन के भीतर जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र तथा तीन माह के भीतर हैसियत प्रमाण –पत्र लाईसेसिंग प्राधिकारी (कलक्टर) के पास प्रस्तुत करना होगा। पावर आफ अटार्नी के आधार पर दुकान संचालित करने की अनुमति दिये जाने पर विचार नही किया जायेगा।

7- n'kh ,o fon'kh efnjk dh fudklh e s U;wure izR;kHkr M;wVh dh x.kuk %&

निकासी हेतु वर्ष 2006–07 के लिये निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत डयूटी की राशि के विपरीत देशी मदिरा की प्रति बल्क लीटर तथा विदेशी मदिरा की प्रति बोतल न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की राशि के आधार पर दुकानवार मदिरा की निकासी प्राप्त की जा सकेगी।

8- n'kh ,o fon'kh efnjk ij mRikn 'kYd dh nj %&

विदेशी मदिरा पर संदेय उत्पाद शुल्क की दर रू0 55.00 प्रति अल्कोहलिक लीटर होगी। देशीमदिरा (36 वी0/ वी0 तीव्रता) पर डयूटी गत वर्ष के समान रू0 70.00 प्रति बल्क लीटर रहेगी।

9- fon'kh efnjk dh fudklh ij U;wure izR;kHkr M;wVh dh x.kuk%&

fon'kh efnjk dh fudklh ij U;wure izR;kHkr M;wVh dh x.kuk grq nj s fuEu izdkj fu/kkfjr dh tkrh g S%&

1. रू0 22.00 प्रति बोतल तक एक्स आसवनी मूल्य पर रू0 55.00
2. रू0 22.01 से रू0 55.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर रू0 65.00
3. रू0 35.01 से रू0 55.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर रू0 75.00
4. रू0 55.01 से रू0 75.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर रू0 85.00
5. रू0 75.01 से रू0150.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर रू0 100.00
6. रू0 150.01 से अधिक एक्स आसवनी मूल्य पर रू0 110.00

10- lU; dUVhuk }kjk fcdh ij M;Vh rFkk ,lLeV Qhl dh nj %&

सैन्य कैन्टीनों की व्यवस्था गत वर्ष के अनुरूप रहेंगी ।

11- efnjk dk fodz; eY; %&

वित्तीय वर्ष 2005–06 की भांति मदिरा के विक्रय मूल्य के परिप्रेक्ष्य में अवांछनीय प्रति स्पर्धा की प्रवृत्ति को नियंत्रित किया जायेगा। अवाछनीय प्रतिस्पर्धा की स्थिति में अनुज्ञापन निरस्त किया जा सकेगा।

12- fons'kh efnjk dh Fkkd ¼,Q0,y0&2½ vuqKkiu %&

वित्तीय वर्ष 2006–07 में गढवाल मण्डल में गढवाल मण्डल विकास निगम एवं कुमायॅू मण्डल में कुमायॅू मण्डल विकास निगम के साथ– साथ दोनों मण्डलों के जनपदों में पूर्व सैनिक कल्याण उद्यम लि0 को भी आवेदन करने पर लिया जाने वाला लाभांश गत वर्ष आबकारी आुक्त द्वारा निर्धारित 5 प्रतिशत से अधिक नही होगा।

एफ0एल0–2 के अन्तर्गत 500 एम0एल0 एवं 330 एम0एल0 के पैक में भरी बियर की बिक्री की अनुमति भी दी जायेगी। विदेशी मदिरा भी 90 एम0एल0 के पैक में बेचीजा सकेगी।

वर्ष 2006–07 हेतु विभिन्न जनपदों के एफ0एल0–2 अनुज्ञापनों की लाईसेन्स फीस को उनकी विदेशी मदिरा की श्खपत के आधार पर पुन निर्धारित किया जायेगा।

सबसे कम प्रति बोतल न्यूनतम प्रत्याभूत डयूटी की विदेशी मदिरा को प्रदेश के बाहर से आयात करने की अनुमति नही दी जायेगी।

इसके अतिरिक्त प्रदेश के बाहर के विदेशी मदिरा के निर्माता विदेशी मदिरा के केवल अपनी आसवनी के विदेशी मदिरा के ब्रान्डस ही उत्तरांचल स्थित अपने बाण्ड लाईसेन्सों/ के माध्यम से उत्तरांचल में बेच सकेगें। यदि कोई निर्माता किसी अन्य आसवानी / निर्माता के ब्रान्डस की बाटलिंग अपनी ईकाई में करता है तो दूसरे विनिर्माता के इन बान्डस को अपने बाण्ड से बेचने की अनुमति ऐसे बाण्ड धारक निर्माता को नही दी जायेगी। इसके लिए उत्पादकवार अलक से बाण्ड लाईसेन्स लेना होगा। 13- x<oky e.My dk ikp tuinks e nsf'kh efnjk dh nqdkuks dk lapkyu %&

गढवाल मण्डल के पांच जनपदों पौडी,चमोली,उत्तरकाशी, टिहरी व रूद्रप्रयाग में वित्तीय वर्ष 2005–06 की भांति केवल विदेशी मदिरा की फुटकर दुकाने ही संचालित किये जायेगें तथा इन जनपदों में फुटकर दुकानों सेविदेशी मदिरा की पूर्व में जारी परमिट से बिक्री की व्यवस्था को समाप्त कर दिया जायेगा।

14- tuinks e nqdku dk LFkku ifjorZu %&

जिलाधिकारियों द्वारा दुकान रहित स्थानों में स्वविवेकानुसार दुकान खोलने के निर्णय लिये जा सकेगें परन्तु दुकानों को खोलने से पूर्व दुकान का राजस्व एवं दुकान खोलने के आधार सहित आबकारी आयुक्त का पूर्वानुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा। स्थान परिवर्ततन की जाने वाली दुकान का राजस्व जनपद की अन्य दुकानों के राजस्व के अतिरिक्त होगा।

15. जनपदों में देशी एवं विदेशी मदिरा की दुकानों को बन्द करने के सम्बन्ध में भी जिलाधिकारियों को जनपद की आवश्यकतानुसार स्वविवेकानुसार निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया जायेगा। ऐसी स्थिति में न तो सम्बन्धित जनपद का आवंटित राजस्व कम होगा और न ही क्षेत्र दुकान रहित होगा। जनपद की सीमान्तर्गत दुकान किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित किया जाना अपेक्षित हो तो इस सम्बन्ध में भी जिलाधिकारी स्वविवेकानुसार आबकारी अधिनियम में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत निर्णय ले सकेगे।परन्तु ऐसी स्थिति में किसी दुकान के राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव नही पडेगा तथा कोई क्षेत्र दुकान रहित जोन नही हो सकेगा।

16- ckj ,oa Dyc ckj ykblsUl %&

बार अनुज्ञापन के फलस्वरूप दी जाने वाली विदेशी मदिरा की निकासी पर डयूटी की दर निम्न्ाुनसार होगी :–

1. रू0 22.00 प्रतिबोतल तक एक्स आसवनी मूल्य पर रू0 55.00
2. रू0 22.01 या उससे अधिक रू0 35.00 तक प्रति

बोतल एक्स आसवनी मूल्य पर रू0 65.00

3. रू0 35.01 या उससे अधिक प्रति बोतल एक्स आसवनी मूल्य पर रू0 80.00

होटल एवं रेस्त्राओं के अलावा गढवाल मण्डल विकास निगम एवं कुमायू मण्डल विकास निगम के पर्यटक आवास गृहों द्वारा मांग किये जाने पर बार लाईसेन्स निर्गत किये जायेगे। अनुज्ञापन से सम्बन्धित अन्य व्यवस्था एवं शर्ते वित्तीय वर्ष 2004–05 के अनुरूप यथावत रहेगी।

बडे व्यवसायिक होटलों को दृष्टिगत रखते हुए ऐसे होटलों एवं रेस्त्राओं को भी बार लाईसेन्स देने पर विचार किया जायेगा, यदि आवेदन किये जाने वाले वर्ष में आवेदन किये जाने की तिथि तक उनके होटल / रेस्त्राओं में पके हुए भोजन की विक्री रू0 5.50 लाख अथवा उससे अधिक हो।

17- fc;j ckj ykbZlUl %&

बियर बार लाईसेन्स स्वीकृत किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2004–05 की नीतियों काअनुकरण किया जायेगा। पर्यटन उद्योग को बढावा देने की दृष्टि से उन होटल एवं रेस्त्राओं, जिनकी विगत वर्ष में पके हुए भोजन की बिक्री 3.00 लाख रूपये (तीन लाख रूपये) वार्षिक या उससे अधिक रही हो उन्हें रू0 20,000 /– (बीस हजार रूपये) प्रतिवर्ष की दर से अनुज्ञापन शुल्क के आधार पर बियर बार लाईसेन्स स्वीकृत किया जायेगा। इस अनुज्ञापन के अन्तर्गत वह केवल बियर की बिक्री के पात्र होगे।

सीजनल पर्यटक स्थलों के लिये छ' माह की अवधि के लिये भी लाईसेन्स दिये जा सकेगें एवंसीजनल बियर बार हेतु लाईसेन्स फीस, बियर बार हेतु निर्धारित लाईसेन्स फीस की आधी अर्थात रू0 10,000 /– (दस हजार रूपये मात्र) होगी।

बडे व्यवसायिक होटलों को दृष्टिगत रखते हुए ऐसे होटलों एवं रेस्त्राओं को भी बियर बार लाईसेन्स देने पर विचार किया जायेगा, जिनके आवेदन किये जाने की तिथि तक उनके होटल / रेस्त्राओं में पकें हुए भोजन की बिक्री रू 3.00 लाख अथवा उससे अधिक हो।

18 vklofu;k] ckVfyx IykUV] cqvjh] fcUVujh ,o ckbujh dh LFkkiuk %&

आसवनियों, बाटलिंग प्लान्ट, ब्रुअरी, विन्टनरी एवं वाईनरी की स्थापना के सम्बन्ध में निम्न व्यवस्था रखी जायेगी:–

(क) आसवनियो की स्थापना हेतु अनुज्ञापन देने पर विचार नही किया जायेगा।

(ख) बाटलिंग प्लान्ट लगाने के लिये पूर्व वर्ष की नीति के अन रूप इस व्यवसाय में पूर्व से ही प्रतिष्ठित एवं ख्यातिप्राप्त निर्माताओं से प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा।

एफ0एल0–3 ए लाईसेन्स के अन्तर्गत विदेशी मदिरा की बोतल भराई पर एफ0एल0एम0–3 के समान लाईसेन्स फीस संदेय होगी । इन लाईसेन्सों के अन्तर्गत भरी गयी विदेशी मदिरा की प्रत्येक बोतल / अद्वा / पव्वा पर क्रमशः रू0 4.50/–, रू0 2.25/– एवं रू0 1.15 /– बाटलिंग फीस देय होगी। विदेश मदिरा विनिर्माणशाला की स्थापना नियमावली, 1997 के अन्तर्गत मदिरा की बोतल भराई सीमा को बढाने के लिए आबकारी आयुक्त शासन की पूर्वानुमति से इस नियमावली को संशोधित कर सकेंगे।

प्रदेश के बाहर निर्यात हेतु विदेशी मदिरा पैट (Polyethylene Tetra Phthalate) बोतलों में भरी जा सकेगी परन्तु अनुज्ञापी को इस सम्बन्ध में सक्षम संस्था का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि इन बोतलों में भरी गयी मदिरा मानव उपभोग हेतु सुरक्षित होगी।

(ग) ब्रुअरी, बिन्टनरी एवं वाईनरी की स्थापना हेतु गत वित्तीय वर्ष के अनुरूप लाईसेन्स देने पर विचार किया जायेगा तथा बाईन किन धारिता की बोतलों में भरी जायेगी इसके निर्धारण हेतु आबकारी आयुक्त अधिकृत होगे। ऐसे ख्याति प्राप्त जनरल मर्चेन्ट्स जिनका वार्षिक टर्न ओवर वाणिज्य कर विभाग द्वारा कम से कम पांच लाख रूपये वार्षिक प्रमाणित हो, उन्हें पांच हजार रूपये वार्षिक लाईसेन्स फीस पर केवल उत्तरांचल में बनी बाईन बेचने हेतु लाईसेन्स दिये जायेगे। इसके अतिरिक्त उत्तरांचल मं बनी ड्राप्ट बियर की बिक्री की अनुमति बारों तथा कैन्टीनों में दी जायेगी।

19- xSlkgky @ bFkukky IykUV %&

उत्तरांचल के शीरा डेफिसिट राज्य होने के कारण गैसोहोल / इथेनाल प्लान्ट स्थापित करने हेतु अनुमति नही दी जायेगी।

20. देशी एवं विदेशी मदिरा की बोतलों पर वर्तमान में होलोग्राम लगाये जाने की व्यवस्था यथावत रखी जायेगी। राजस्व सुरक्षा की दृष्टि से फुटकर दुकानों से बेची जाने वाली बियर की बोतलों पर भी

सुरक्षा होलोग्राम लगाये जाने की व्यवस्था की जायेगी, परन्तु होलोग्राम के वर्तमान डिजाईन को बदल दिया जायेगा।

21. देशी मदिरा की शत प्रतिशत भराई वर्ष 2005–06 के अनुरूप कांच की नई बोतलो में ही की जायेगी। पॉली पाउचों तथा पैट बोतलो में भरी देशी मदिरा की बिक्री पर पूर्णतया प्रतिबन्ध रहेगा।

22. जनहित में देशी मदिरा की गुणवत्ता में सुधार हेतु भविष्य में देशी मदिरा का निर्माण केवल एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल (ई0एन0ए0) से ही कराया जायेगा। देशी मदिरा के वर्तमान आवंटन क्षेत्र को वर्ष 2005–06 के अनुरूप ही रखा जायेगा।

23. विदेशी मदिरा एवं बियर की पॉली पाउचों / प्लास्टिक की बोतलो में बिक्री पर पूर्णतया प्रतिबन्ध रहेगा। यह प्रतिबन्ध उत्तरांचल राज्य में स्थित सैन्य कैन्टीनों पर भी लागू रहेगा, परन्तु जिन प्रदेशों में पैट बोतलों में भरी विदेशी मदिरा पैट बोतलों में इस शर्त के साथ भरी जा सकेगी। कि मदिरा निर्माता को सक्षम संस्था का प्रमाण– पत्र प्रस्तुत करना होगा कि इन बोतलों मे भरी गयी मदिरा मानव उपभोग हेतु सुरक्षित होगी।

24. भांग के अनुज्ञापन में वर्ष 2002–03 की नीति यथावत रहेगी।

25. बार लाईसेन्सों की फीस में कोई बढोत्तरी नही होगीं ।

26. वर्ष 2006–07 में केवल दिसम्बर व जनवरी माह में ही मदिरा की दुकानें प्रातः 10.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक खोली जायेगी शेष अवधि में दुकानें प्रातः 10.00 बजे से रात्रि 11.00 तक खोले जाने की अनुमति दी जायेगी।

27. फुटकर अनुज्ञापियों द्वारा वर्ष के प्रारम्भ में एडवान्स में जमा की गयी राशियों को वर्ष के अन्तिम माहों में अनुज्ञापी की देयता के विरूद्व समायोजित कर लिये जाने की बाध्यता नियमों में रखी जायेगी।

28. अन्य व्यवस्थायें विगत वित्तीय वर्ष 2005–06 के अनुरूप यथावत रहेगी।

29. उपरोक्त नीति के क्रियान्वयन हेतु आबकारी आयुक्त द्वारा आवश्यकतानुसार शासन के अनुमोदन से संशोधित नियम उपबंधित किये जायेगे।

(गोविन्द बल्लभ ओली)
संयुक्त सचिव,

संख्या– 370 (1) / 115 / xxiii -2005 तद्दिनांकित

प्रतिलिपिः– संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन, राजकीय मुद्रणालय, रूडकी को अधिसूचना की प्रति इस आशय से प्रेषित कि कृपया अधिसूचना का प्रकाशन उत्तरांचल शासन के असाधारण गजट के दिनांक 06 मार्च, 2006 के विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड–क में मुद्रित कराते हुए इसकी 100 प्रतियां सचिव, आबकारी विभाग, उत्तरांचल शासन, देहरादून तथा 500 प्रतियां आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करे।

आज्ञा से

(गोविन्द बल्लभ ओली)
संयुक्त सचिव,

संख्या– 370 (2) / xxiii -2005 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल।
2– निजी सचिव, मा0 आबकारी मंत्री जी को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ ।
3– निजी सचिव, मुख्य सचिव, को मुख्य सचिव, महोदय के संज्ञानार्थ ।
4– समस्त प्रमुख सचिव / सचव, उत्तरांचल शासन।
5– आबकारी आयुक्त उत्तरांचल देहरादून।
6– आयुक्त गढवाल मण्डल एवं कुमाऊ मण्डल।
7– आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग, उत्तरांचल, देहरादून।
8– समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
9– गोपन (मंत्रि– परिषद) अनुभाग।
10– एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से

(गोविन्द बल्लभ ओली)
संयुक्त सचिव,

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
उत्तरांचल शासन
आबकारी अनुभाग
संख्या 72/सात लाई0–1टैक्स/30 ए
देहरादून 10 अप्रैल,2006

विभिन्न मादक पदार्थो के विनिर्माणशालाओं तथा थोक एवं फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के लिए वर्ष 2006–07 की उत्तरांचल प्रदेश की लाईसेसिंग प्रणाली के अन्तर्गत अनुज्ञापन शुल्क ,उत्पाद शुल्क, निर्या,आयात,एसेस्ट फीस आदि का संक्षिप्त विवरण :–

क्र0सं0	मादक पदार्थ का नाम	लाईसेंस के प्रकार	लाईसेंस फीस की दर
1	2	3	4
1.	देशी मदिरा थोक बिक्री प्रणाली	थोक देशी मदिरा सप्लाई के सी0एल0–1 लाईसेंस (क) 10लाख ब0ली0तक देशी मदिरा सप्लाई वाले जनपद (ख) 10लाख से अधिक किन्तु 20लाख ब0ली0तक देशी मदिरा सप्लाई वाले जनपद (ग) 20लाख से अधिक किन्तु 40लाख ब0ली0तक देशी मदिरा सप्लाई वाले जनपद (घ) 40लाख से अधिक किन्तु 60लाख ब0ली0तक देशी मदिरा सप्लाई वाले जनपद (ड.) 60लाख से अधिक किन्तु 80लाखब0ली0तक देशी मदिरा सप्लाई वाले जनपद	 रू03,76,417/– रू07,52,834/– रू012,54,723/– रू016,72,963/– रू020,91,204/–
2.	विदेशी मदिरा थोक बिक्री प्रणाली	1. बी0डव्लू0एफ0एल0–2(बाण्ड) (विदेशी मदिरा एवं वियर) प्रदेश के बाहर की आसवनियों के लिए	रू0 334593/–(तीन लाख चौतीस हजार पांच सौ तिरानवे रू0)प्रति वर्ष या वर्ष के भाग के लिए
		2. बी0डव्लू0एफ0एल0–2(बाण्ड) (विदेशी मदिरा एवं वियर) प्रदेश के बाहर की ब्रिवरीज के लिए	रू0 167297/–(एक लाख सडसठ हजार दो सौ सत्तानवे रू0)प्रति वर्ष या वर्ष के भाग के लिए
		3.एफ0एल0–1(प्रदेश की आसवनियों को स्वंय निर्मित विदेशी मदिरा एवं बियर एफ0एल0–2 को बेचने हेतु देय लाइसेंन्स)	रू0 83649/–(तिरासी हजार छः सौ उन्नचास रू0)प्रति वर्ष या वर्ष के भाग के लिए
		4.एफ0एल0–2(बाण्ड) (ड्यूटी पैड विदेशी मदिरा एवं वियर की थोक लाईसेंस)	वार्षिक या वर्ष के किसी भाग के लिए
		1 देहरादून	रू0 4687500/–
		2 पौडी गढ़वाल	रू0 2700000/–
		3 टिहरी गढ़वाल	रू0 1650000/–
		4 उत्तरकाशी	रू0 825000/–
		5 चमोली	रू0 1925000/–
		6 रूद्रप्रयाग	रू0 750000/–
		7 नैनीताल	रू0 3600000/–
		8 ऊधमसिंह नगर	रू0 1475000/–
		9 अल्मोडा	रू0 7550000/–
		10 पिथौरागढ	रू0 1500000/–
		11 बागेश्वर	रू0 625000/–

12	चम्पावत	रू0 650000/–
13	हरिद्वार	रू0 1700000/–
5–	एफ0एल0–2बी (केवल ड्यूटी पेड वियर की थोक बिक्री लाइसेन्स)	रू0 8,36,482/– प्रति वर्ष या वर्ष के भाग के लिए
6–	एफ0एल0–2ए (सैन्य इकाईयों को मदिरा एवं वियर की सप्लाई हेतु थोक बिक्री लाईसेन्स)	रू0 3307/– प्रति वर्ष या वर्ष के भाग के लिए

3– पी0डी0–2 अनुज्ञापन (आसवनी में स्प्रिट के उत्पादन हेतु दिया जाने वाला रू0 25.0953 प्रति किलोलीटर अनुज्ञापन)

4– एफ0एल0 एम0 –3 अनुज्ञापन (विदेशी मदिरा की बोतल भराई इकाई को दिया जाने वाला अनुज्ञापन)

प्रतिवर्ष 15 लाख मानक बोतलों से कम भराई	रू0 836482/– वर्ष या वर्ष के भाग हेतु
प्रतिवर्ष 15 लाख से अधिक परन्तु 20 लाख से कम बोतलों मे भराई हेतु	रू0 1672963/– वर्ष या वर्ष के भाग हेतु
प्रतिवर्ष 20 लाख से अधिक परन्तु 50 लाख तक बोतलों मे भराई हेतु	रू0 2509444/– वर्ष या वर्ष के भाग हेतु

5– देशी व विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के लाईसेन्स फीस के स्लैब के निर्धारित (सी0एल0–5सी व एफ0एल0–5 डी)

देशी मदिरा

क्र0सं0	न्यूनतम गारन्टी मात्र बल्क लीटर	2005–06	2006–07(15%बढोतरी के साथ पूर्णक में)
1	0 से 12000 तक	76.044	88000
2	12001 से 30000 तक	152088	175000
3	30001 से 6000 तक	304175	350000
4	60001 से 100000 तक	608350	700000
5	100001 से 150000 तक	912525	1050000
6	150001 से 300000 तक	1216700	1400000
7	300000 से अधिक	1520875	1750000

बिदेशी मदिरा

क्र0सं0	न्यूनतम गारन्टी मात्र बल्क लीटर	2005–06	2006–07(15%बढोतरी के साथ पूर्णक में)
1	0 से 6000 तक	76.044	88000
2	6001 से 12000 तक	152088	175000
3	12001 से 25000 तक	304175	350000
4	25001 से 50000 तक	608350	700000
5	50001 से 75000 तक	912525	1050000
6	75001 से 100000 तक	1216700	1400000
7	100000 से अधिक	1520875	1750000

6–(अ) होटल एण्ड रेसटोरेन्ट बार

(1)	तीन सितारा होटलों तक	रू0 200000/–प्रति वर्ष के भाग के लिए
(2)	चार सितारा होटलों में स्थित बार	रू0 400000/– प्रति वर्ष के भाग के लिए
(3)	पांच सितारा होटलों में स्थित बार	रू0 500000/– प्रति वर्ष या वर्ष वर्ष के भाग के लिए
(4)	सीलनल पर्यटकों हेतु छः माह के लिए दिये जाने	रू0 1,00,000/– प्रति सीजन

	वाले बार लाईसेन्स तीन सितारा होटलों तक के स्तर के लिए	अधिकतम छः माह के लिए

6(ब) वियर बार अनुज्ञापन –

(1)	वियर बार अनुज्ञापन	रू0 200000/–प्रति वर्ष या वर्ष के भाग के लिए
(2)	सीलनल पर्यटकों हेतु छः माह के लिए दिये जाने वाले वियर बार लाईसेन्स	रू0 10,000/– प्रति सीजन अधिकतम छः माह के लिए

6(स) क्लब बार परमिट

(1)	ऐसे क्लब जहॉ सदस्यों की संख्या 100 तक हो	रू0 60,500/–प्रति वर्ष या वर्ष के भाग के लिए
(2)	ऐसे क्लब जहॉ सदस्यों की संख्या 101 से 500 तक हो	रू0 90,750/–प्रति वर्ष या वर्ष के भाग के लिए
(3)	ऐसे क्लब जहॉ सदस्यों की संख्या 500 से अधिक हो	रू0 1.21000/–प्रति वर्ष या वर्ष के भाग के लिए

7– बार व क्लब बार लाईसेन्स के अन्तर्गत बिक्री की जाने वाली विदेशी मदिरा पर डयूटी की दर (अ) बार अनुज्ञापन के फलस्वरूप दी जाने वाली विदेशी मदिरा की निकासी पर डयूटी की दर निम्नानुसार होगी :–

(1)	रू0 22.00 प्रति बोतल तक एक्स आसवनी मूल्य पर	रू0 55.00
(2)	रू0 22.01 या उससे अधिक रू0 35.00 तक प्रति बोतल तक एक्स आसवनी मूल्य पर	रू0 65.00
(3)	रू0 35.01 या उससे अधिक प्रति बोतल तक एक्स आसवनी मूल्य पर	रू0 80.00

मदिरा पर देय परमिट फीस
(ब) 20000 बोतल वार्षिक की सीमा से अधिक प्रत्येक 10 प्रतिशत वृद्धि पर बोतलों की बिक्री पर रू0 5/– प्रति बोतल की बढ़ी दर से
8. उत्पात शुल्क की दरें –

(1)	विदेशी मदिरा (स्प्रिट)की अभिकर की दर	रू0 55.00 प्रति एल्कोहल लीटर
(2)	वियर (5प्रतिशत तक अल्कोहल तीब्रता वाली)की अभिकर की दर	रू011.55 प्रति बल्क लीटर
(3)	वियर 5 प्रतिशत से अधिक परन्तु 8 प्रतिशत तक अल्कोहल तीब्रता वाली की अभिकर की दर	रू0 23.10 प्रति बल्क लीटर
(4)	सैन्य कैन्टीन को दी जाने वाली रियायती रम	रू0 45.00 प्रति एल्कोहल लीटर
(5)	भारतीय सेना एवं भारत तिब्बत सीमा पुलिस को दी जाने वाली रम उत्तरांचल राज्य के भारत तिब्बत सीमा क्षेत्र में तैनात भारतीय सेनिकों एवं भा0ति0सी0 पुलिस को प्रति वर्ष दी जाने वाली क्रमशः 1.80,180 ली0एवं 41,168 ली0 की सीमा तक रम	शासकीय अधिसूचना सं0 27/आब/2002/दिनांक 14.1.2002 के द्वारा सीमा तक रम अभिकर मुक्त कर दी गई है।

9. एसेसमेंट शुल्क की दरें –

एफ0एल0 –9/9ए :– निश्चित लाइसेंन्स फीस रू092/–प्रति लाइसेन्स वार्षिक देय होगी व विदेशी मदिरा ,रियायती रम तथा बियर की बिक्री पर निम्नानुसार एसेसमेंन्ट फीस देय होगी

(1)	विदेशी मदिरा (विस्की,ब्राण्डी एवं जिन)	रू0 32.00 प्रति बोतल
(2)	रियायती रम	रू0 20.00 प्रति बोतल
(3)	वियर (5 प्रतिशत अल्कोहल तीब्रता तक)	रू0 2.00 प्रति बोतल
(4	वियर (5 प्रतिशत से अधिक परन्तु 8 प्रतिशत तक अल्कोहल तीब्रता वाली	रू0 3.00 प्रति बोतल

10–आयात की दरें –

1–	विदेशी मदिरा बोतलों में	रू0 5.00 प्रति बोतल
2–	विदेशी मदिरा बल्क लीटर में	रू0 2.00 प्रति एल्कोहल लीटर
3–	वियर	रू0 1.00 प्रति बोतल
4–	माल्ट स्प्रिट	रू0 2.00 प्रति एल्कोहल लीटर
5–	रेक्टिफाईट स्प्रिट	रू0 1.00 प्रति एल्कोहल लीटर
6–	विकृत सुरा/विशेष विकृत सुरा अ–उत्तरांचल स्थित औद्योगिक रासायनिक इकाईयों द्वारा विशेषतः विकृत स्प्रिट (एस0डी0एस0) व विकृत स्प्रिट (डी0एस0)आयात किये जाने पर के लिए भी छूट पूर्ववत जारी रहेगी।	शून्य

6–	विकृत सुरा/विशेष विकृत सुरा अ–उत्तरांचल स्थित औद्योगिक रासायनिक इकाईयों द्वारा विशेषतः विकृत स्प्रिट (एस0डी0एस0) व विकृत स्प्रिट (डी0एस0)आयात किये जाने पर के लिए भी छूट पूर्ववत जारी रहेगी।	शून्य

ब–	थोक व फुटकर विक्रेताओं तथा प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा विशेषतः विकृत स्प्रिट एस डी एस व विकृत स्प्रिट डी एस आयात किये जाने पर	रू0 1.10 (रूपये एक एवं दस पैसे मात्र प्रति वर्ग लीटर)

11– निर्यात फीस की दरें –

1–	शोधित आसव(पेय मदिरा अथवा आद्योगिक प्रायोजनार्थ)	रू0 1.00 प्रति बल्क लीटर दिनांक 31.03.2006 तक प्रभावी है, तथा आगामी वर्ष में संशोधन होने पर सूचित किया जायेगा।

विभाग– 43

संख्या–952/सू0 एव0 ज0 स0 वि0 (विज्ञापन)
लखनऊ : दिनांक 24 फरवरी, 1982

प्रिय महोदय,

मुझे आपको यह सूचित करना है कि उत्तर प्रदेश विज्ञापन मान्यता समिति, लखनऊ की संस्तुतियों के आधार पर स्वीकृत साप्ताहिक/पाक्षिक पत्रों के लिये निम्नलिखित शर्तें निर्धारित की गई हैं :–

1. प्रदेश के पर्वतीय जनपदों से प्रकाशित हिन्दी तथा अंग्रेजी साप्ताहिक व पाक्षिक समाचार पत्रों एवं अन्य जनपदों से प्रकाशित केवल उर्दू साप्ताहिक/पाक्षिक समाचार पत्रों की न्यूनतम सशुल्क प्रसार संख्या 500 तथा अन्य जनपदों से प्रकाशित हिन्दी, अंग्रेजी समाचार पत्रों की न्यूनतम सशुल्क प्रसार संख्या–1000 होनी चाहिये।

2. समाचार पत्रों में स्थानीय समाचारों के अतिरिक्त देश तथा विदेश के सम्बन्ध में भी कुछ सामयिक व प्रमुख समाचारों का प्रकाशन होना आवश्यक है।

3. समाचार पत्र में सम्पादकीय लेख का प्रकाशन अनिवार्य है।

4. पत्र का कम से कम 90 प्रतिशत प्रकाशन होने पर ही उसे नियमित माना जायेगा तथा समाचार पत्र का प्रकाशन मान्यता से पूर्व 6 माह नियमित होना आवश्यक है।

5. विज्ञापन मान्यता प्राप्त समाचार पत्रों को प्रति वर्ष अपनी विज्ञापन मान्यता का नवीनीकरण कराना आवश्यक होगा। समाचार पत्र द्वारा नवीनीकरण की मांग किये जाने पर प्रतिवर्ष फरवरी/मार्च तक प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर नवीनीकरण की संस्तुति की जायेगी।

6. समाचार पत्रों के प्रकाशन में भार सरकार और प्रेस काउन्सिल द्वारा निर्धारित आचरण संहिता का अनुपालन किया जाना आवश्यक है।

7. समाचार पत्र में समचार उपयुक्त होने चाहिये और सामान्यतः राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा जिले की प्रगति विषयक होने चाहिये।

8. समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापनां का औसत 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। 60 प्रतिशत समचार आवश्यक है।

9. समाचार पत्र में प्रयुक्त भाषा मर्यादित एवं संयमित होनी आवश्यक है। समाचारों तथा लेखां में साम्प्रदायिक कटुता, वर्ग विद्वेष, जातिवाद, हिंसा, अश्लीलता, कुरूचि चरित्र हनन आदि की भावना को प्रश्रय नहीं मिला चाहिये।

10. साप्ताहिक व पाक्षिक पत्र का आकार 25X58 सेन्टीमीटर तथा न्यूनतम पृष्ठ संख्या होना चाहिये।

अतः आपसे अनुरोध है कि विज्ञापन मान्यता बनी रहने के लिये उल्लिखित शर्तों के अनुसार आप अपने समचार पत्र का प्रकाश करें। 6 माह की अवधि तक यदि उल्लिखित के अनुसार प्रकाश नहीं पाया जाता है तो समचारों पत्रों की विज्ञापन मान्यता समाप्त करने पर समिति विचार करेगी।

भवदीय,
(जय प्रकाश अवस्थी)
सहायक निदेशक,
कृते सूचना निदेशक।

सेवा में,

प्रकाशन / सम्पादक,
साप्ताहिक / पाक्षिक,
————————————
————————————

संख्या–852 / (।) / सू0 एवं जं0 सं0 वि (विज्ञापन)–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त जिलाधिकारी।
2. समस्त जिला सूचना अधिकारी।

(जय प्रकाश अवस्थी)
सहायक निदेशक,
कृते सूचना निदेशक।

महत्वपूर्ण

संख्या–भा0त0–76 / तीन–97–34(1) / 96

प्रेषक,

श्री चन्द्रमा प्रसाद,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त मण्डलायुक्त एवं समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयध्यक्ष, उ0प्र0।

सामान्य प्रशासन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 31 जुलाई, 1997

विषय : गणतंत्र दिवस / स्वतंत्रता दिवस तथ अन्य राजकीय समारोहों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के सम्बन्ध मं राष्ट्रीय ध्वज संहिता का अनुपालन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा गणतंत्र दिवस परेड, स्वतंत्रता दिवस एवं ऐसे ही अन्य राजकयी समारोंहों के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज में फूल बांधकर फहराये जाने की प्रथा को समाप्त किये जाने के निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश शासनादेश संख्या–29 / तीन –96–34(1) / 96 दिनांक 15 फरवरी, 1996 के द्वारा प्रदान किये गये थे।

2– इस सम्बन्ध में गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या–15 / 13 / 95–पब्लिक दिनांक 24 जनवरी, 1997 की प्रति संलग्न करते हुये मुझे यह कहने का दिनेश हुआ है कि संलग्न पत्र में दिये गये संशोधित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

सलग्न : यथोक्त।

डा0 आर0 सी0 श्रीवास्तव,
सचिव।

संख्या–भा0त0–76(1) / तीन–97–34(1) / 96 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :– संलग्नक सहित निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, माननीया मुख्यमंत्री।
2. सचिव, विधान परिषद / विधान सभा।
3. निबंधक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद / लखनऊ।
4. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।
5. मुख्य सुरक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
6. सचिवालय, प्रशासन (अधिष्ठान) अनुभाग–3।

आज्ञा से,

(चन्द्रमा प्रसाद)
विशेष सचिव।

उत्तरांचल प्रदेश शासन,
पर्यटन एवं परिवहन शाखा (सूचना विभाग)
संख्या–432 / सूचना / 2001
देहरादून : दिनांक : 28 मार्च, 2001

vf/kl puk

तात्कालिक प्रभाव से उत्तरांचल राज्य के सूचना एवं लोक सर्म्पक निदेशालय, जिसका प्रधान कार्यालय, देहरादून में होगा, की स्थापना तथा सूचना विभाग के पुर्नगठन की राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते है।

2– निदेशालय की संरचना एवं पदों की संख्या संलग्न कर ली गई है।

संलग्न – यथोक्त।

आज्ञा से,

(सुभाष कुमार)
सचिव।

संख्या–432(1) / सूचना / 2001, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ्ज्ञ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) राजकीय मुद्रणालय रूड़की, हरिद्वार को गजट के प्रकाशनार्थ।
(2) शासन के समस्त प्रमुख सचिव / सचिव।
(3) मण्डलायुक्त कुंवाऊ / गढ़वाल, उत्तरांचल।
(4) समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
(5) सचिवालय के समस्त अनुभाग।
(6) समस्त जिला सूचना अधिकारी, उत्तरांचल।
(7) राज्य सम्पादक, जिला गजेटियर।

आज्ञा से,

(सुभाष कुमार)
सचिव।

e=h ifj"kn d Lrj ij fy;s x;s fu.k;

मंत्री परिषद द्वारा निम्न बिन्दुओं पर निर्णय दिया गया ।

(1) उत्तरांचल के सम्बन्ध में गठित सूचना विभाग का नाम ''सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तरांचल'' रखें जाने एवं इसका मुख्यालय/निदेशालय, देहरादून में स्थापित किये जान का अनुमोदन प्रदान किया गया।

(2) मुख्यालय/निदेशालय के गठन हेतु संलग्नक ''एक'' एवं ''दो'' में दिये गए व्यवस्था के अनुसार मुख्यालय/निदेशालय की स्थापना तथा कार्यप्रणाली गठन की प्रक्रिया के सम्बन्ध में अनुमोदन प्रदान किया गया।

(3) विभाग के जिला स्तरीय कार्यालयों के सुसंचालन हेतु नवसृजित जनपद बागेश्वर, चम्पावत एवं रूद्रप्रयाग के जिला सूचना कार्यालयों के लिए संलग्नक ''चार'' में दी गयी न्यूनतम व्यवस्थ को दृष्टि में रखते हुए फिल्हाल जिला सूचना अधिकारी के पद के सृजन का अनुमोदन प्रदान किया गया।

(सुभाष कुमार)
सचिव, सूचना,
उत्तरांचल शासन।

सूचना विभाग, उत्तरांचल,
देहरादून।

पत्रावली संख्या–66प / 2001

सलंग्नक : 4

जिला सूचना कार्यालयों के पुनर्गठन हेतु पदों की न्यूनतम आवश्यकता

क्रमांक	पदनाम	वेतनमान	न्यूनतम आवश्यक पद	जिलों में तात्कालिक पद सृजन की आवश्यकता		
				जिला रूद्रप्रयाग	जिला बागेश्वर	जिला चम्पावत
01	02	03	04	05	06	07
1.	जिला सूचना अधिकारी	6500–10500	01	01	01	01
2.	आफिस असिस्टेंट	4500–7000	01	–	–	–
3.	लेखा लिपिक	4000–6000	01	–	–	–
4.	वाहन चालक	3050–4590	01	–	–	–
5.	टेक्नीकल असिस्टेंट	2550–3200	01	–	–	–

टिप्पणी :– जिला सूचना कार्यालयों के पुनर्गठन की कार्यवाही निदेशालय के गठन के उपरान्त की जायेगी।

संख्या–79/सू0लो0स0/53 सूचना/2002

प्रेषक,

श्री एन0एन0 प्रसाद,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
सूचना निदेशालय,
देहरादून।

सूचना अनुभाग देहरादून : दिनांक : 16 दिसम्बर, 2002

विषय : उत्तरांचल में आपदाग्रस्त पत्रकारों एवं उनके आश्रितों के लिये उत्तरांचल पत्रकार कल्याण कोष से वित्तीय सहायता की नियमावली का प्रख्यापन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–1443/सू0एवं लो0स0वि/प्रैस/2002 दिनांक 01 अगस्त,2002 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तरांचल में आपदाग्रस्त पत्रकारों और उनके आश्रितों को संलग्न आपदाग्रस्त पत्रकारों/आश्रितों के लिये उत्तरांचल राज्य कल्याण कोष से वित्तीय सहायता दिये जाने से सम्बन्धित नियमावली को प्रख्याप्ति किये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– कृपया सलग्न नियमावली की व्यवस्थाओं के अधीन उत्तरांचल पत्रकार कल्याण कोष के गठन एवं इस कोष के अन्तर्गत पत्रकारों को सहायता प्रदान किये जाने हेतु अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करान का कष्ट करें।

भवदीय,

(एन0एन0 प्रसाद)
सचिव।

i0i0l0& @l0yk0l0@53 lpuk@2002 rnfnukfdrA

प्रतिलिपि नियमावली की प्रति सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी।
2. निजी सचिव माननीय सूचना मंत्री जी को माननीय मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव के अवलोकनार्थ।
4. समस्त प्रमुख्य सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
6. समस्त जिला सूचना अधिकारी, उत्तरांचल।
7. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि कृपया संलग्नक नियमावली को परिशिष्ठों सहित सरकारी गजट, असाधारण विधायी परिशिष्ठ, भाग–4 खण्ड–ख में दिनांक 30 दिसम्बर, 2002 प्रकाशित करने एवं उसकी 100 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
(एन0एन0 प्रसाद)
सचिव।

आपदाग्रस्त पत्रकारों/आश्रितों के लिये उत्तरांचल पत्रकार कल्याण कोष से वितीय सहायता के एि नियमावली।

1. इन नियमों को आपदाग्रस्त पत्रकारों/आश्रितों के लिए उत्तरांचल राज्य कल्याण कोष से वित्तीय सहायता के नियम कहा जायेगा।

2. ये नियम आपदाग्रस्त पत्रकारों और उनके आश्रितों के लिए लागू होंगें।

3. ये नियम दिसम्बर 2002 से प्रभावी होंगें।

4. (1) मृत पत्रकारों के आश्रितों को वित्तीय सहायता निम्न प्राथमिकता के क्रम में दी जायेगी।

(अ) विधवा।
(ब) 28 वर्ष से कम आयु का बेरोजगार पुत्र।
(स) अविवाहिता और बेरोजगार पुत्री।
(द) पिता।
(य) माता।
(र) मानसिक रूप से अल्प विकसित पुत्र/पुत्री।

एक समय में एक ही व्यक्ति को सहातया दी जायेगी।

(2) जीवित आपदाग्रस्त पत्रकारों को निम्न प्राथमिकता के क्रम में वित्तीय सहायता दी जायगी :–

(अ) ऐसे पत्रकार जो अस्वस्थता के कारण बेरोजगार है।
(ब) ऐसे पत्रकार जो अधिक आयु के कारण बेरोजगार है।
(स) अन्य मानवीय आधार।

5. इन नियमों के उद्देश्य हेतु शब्द ''पत्रकार'' का अर्थ ऐसा व्यक्ति होगा जिसकी मुख्य वृति पत्रकारिता थी या है।

6. पत्रकार पत्रकारिता के पेशे मे कम से कम 10 वर्ष से हो।

7. इन नियमों के अन्तर्गत दी जाने वाली वित्तीय सहायता 250 रूपये से 400 रूपये प्रति माह या एक मुश्त धनराशि होगी। जो 20,000 रूपये से अधिक न हो। विशेश मामलों में कारणों का उल्लेख करते हुए नियम 13 गठित समिति इस सीमा को बढ़ा भी सकती है।

8. मासिक सहायता केवल उन पत्रकारों को दी जायेगी, जिनेंने कोष में पांच वर्ष तक अभिदान किया हो।

9. नियम 4, 11 अ,ब,स के अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति वित्तीय सहातया का पात्र न होगा जिसकी वार्षि आय 60,000 रूपये से अधिक हो।

10. यह योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता का भुगतान किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा पत्रकारों के लिए उत्तरांचल राज्य कल्याण कोष पर मिलने वाले ब्याज से किया जायेगा।

11. आपदाग्रस्त पत्रकारों के आश्रितों के लिए उत्तरांचल पत्रकार कल्याण कोष का सृजन सरकार द्वारा प्रदत्त अभिदान एवं विभाग द्वारा जारी विज्ञापन बीजकों से क्रमशः सा समाचार पत्रों से 1 प्रतिशत, छोट मझौले/दै0 समाचार पत्रों से 2 प्रतिशत, क्षेत्रीय दैनिक समचार पत्रों से 5 प्रतिशत, राष्ट्रीय दै0 समाचार पत्रों से 8 प्रतिशत तथा विज्ञापन एजेन्सियों से 5 प्रतिशत की कटौती के अभिदान से किया जायेगा।

12. स्वीकृत वित्तीय सहायता यह पता चलने पर किसी भी समय समाप्त की जा सकती है कि स्वीकृति गलत आधार पर दी गई थी या लाभार्थी की वित्तीय दशा में सुधार हो गया है वित्तीय सहायता जालसाजी से प्राप्त की गई है। जालसाजी साबित होने पर समिति कानूनी कायर्यवाही करने में सक्षम होगी।

13. कोष का प्रबंधन एक समिति द्वारा किया जायेगा, जिसके निम्न सदस्य होंगें।

(अ) मा0 मंत्री सूचना विभाग–अध्यक्ष पदेन।
(ब) सचिव, सूचना/महानिदेशक, सूचना–उपाध्यक्ष पदेन।
(स) प्रेस काउन्सिल द्वारा अधिकृत पत्रकार संगठनों के राज्य स्तरीय अध्यक्ष या मंत्री।
(द) समाचार एजेन्सी तथा इलैक्ट्रांनिक मीडिया के पूर्णकालिक एक–एक प्रतिनिधि।

(य) अधिशासी निदेशक सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग (सदस्य सचिव) पदेन।

(र) पत्रकारिता के पेशे वाले दो विधायक (जिनका आमेलन प्रबंध समिति द्वारा किया जायेगा।)

(ल) इस समिति में राज्य में कार्यरत स्तरीय साप्ताहिक/पाक्षिक /मासिक/त्रैमासिक (गढ़वाली, कुमाऊंनी) पत्र–पत्रिकाओं से जुड़े पत्रकारों का भी एक–एक प्रतिनिधि शामित किया जायेगा।

14. इन नियमों के अन्तर्गत वित्तीय सहायता की स्वीकृति के लिए आवेदन परिशिष्ट (1) मं दिए गये प्रारूप में अधिशासी निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तरांचल, देहरादून को प्रस्तुत किया जायेगा तथा आवेदन के साथ परिशिष्ट (2) में दिये गये प्रारूप मे।

(अ) अभ्यर्थी के जनपद के जिला मजिस्ट्रेट अथवा।

(ब) प्रेस परिषद भारत सरकार द्वारा पंजीकृत पत्रकार संगठनों के राज्य स्तरीय अध्यक्ष/मंत्री की आख्या संलग्न होनी चाहिये।

15. सभी आवेदन पत्रां की जांच आपदाग्रस्त पत्रकारों/आश्रितों के लिए उत्तरांचल राज्य कल्याण कोष की प्रबंध समिति द्वारा की जायेगी। समिति पात्रता और अन्य बातों के संबंध में संतुष्ट होने के बाद आवेदन पत्रों पर आदेश पारित करेगी।

16. विशेष मामलों में इन नियमों के अन्तर्गत 5,000 रूपये तक वित्तीय सहायता स्वीकृत करने के लिये उपाध्यक्ष/सचिव, सूचना/महानिदेशक सक्षम होंगें। ऐसे सभी मामलों को बाद में समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

17. यदि वितीय सहायता की स्वीकृति के आदेश में इसके प्रभावी होने की तिथ का उल्लेख नहीं किया गया है, तो वित्तीय सहायता उस तिथि से देय होगी जिस तिथि को वित्तीय सहायता की स्वकृति का आदेश जारी हुआ है।

18. लाभार्थी तीन मास से अधिक के लिए अपने निवास परिवर्तन की सूचना सदस्य सचिव को देगा।

19. जिन विषयों का इन नियमों में स्पष्ट उल्लेख नहीं है, उन पर प्रबंध समिति निर्णय करेगी।

20. समिति अपनी बैठक, कोरम आदि से सम्बन्धित प्रक्रिया एवं नियम स्वयं बनायेगी।

21. अनुदान की प्रक्रिया और ''अन्य मानवीय आधार'' के अर्न्तगत गठित समिति शासन की अनुमति के साथ स्वयं निर्धातिर करेगी।

22. उत्तरांचल के मान्यता प्राप्त वर्किंग जर्नलिस्टों को उनके परिवार सहित उत्तरांचल के राजकीय अस्पतालों में किये गये चिकित्सा सम्बन्धी व्यय की प्रतिपूर्ति इसी कोष से की जायेगी। चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के लिये वहीं नियम लागू होंगे, जो राजकीय कर्मचारियों के मामलें में शासन द्वारा व्यवस्था की गई है।

राज्य पत्रकार कल्याण कोष से आपदाग्रसत पत्रकारों/ उनके आश्रितों के लिए वित्तीय सहायता की योजना।

ifjf'k"B&A
vkonu&i=

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग,
उत्तरांचल शासन, देहरादून।

1. पूरा नाम (बड़े अक्षरों में).....

.....

2. आयु तथा जन्म–तिथि.....

3. पूरा पता.....

.....

.....

4. जीवित पत्रकारों के सम्बन्ध में
(अ) अभ्यर्थी द्वारा पत्रकारा के रूप में की गयी सेवा का विस्तृत विवरण
(ब) क्या अस्वस्थता के कारण बेरोजगार है ?
(स) क्या आयु अधिक होने के कारण बेरोजगार है ?
(द) अनय कोई कारण ?

5. मृत पत्रकारों के परिवारों/आश्रितों के संबंध मे
(अ) दिवंगत पत्रकार का पत्रकारिता के क्षेत्र में योगदान।
(ब) अभ्यर्थी का दिवंगत पत्रकार से संबंध–विधुवा/पुत्र/अविवाहिता पुत्री/पिता/माता।

6. मैं प्रमाणित करता /करती हूं कि
(अ) समस्त स्रोतों से मेरी वार्षिक आय.....रू0 है।
(ब) परिवार के अन्य सदस्यों की आय (पत्नी/पति/पुत्र/पुत्री)
(स) क्या किसी अन्य निधि से भी सहायता ली जा रही है ?
(द) मेरे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त सभी विवरण मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य और सही है।

जिलाधिकारी/प्रेस परिषद भारत सरकार द्वारा पंजीकृत पत्रकार संगठनों के राज्य स्तरीय अध्यक्ष/मंत्री की आख्या

मेंने श्री/श्रीमती.....के आवेदन पत्र दिये गये तथ्यों की आवश्यक जांच की है और इस सम्बन्ध में निम्न आख्या प्रस्तुत करता/करती हूं।

(क) अभ्यर्थी आपदाग्रस्त पत्रकार/उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता देने की योजना के अन्तर्गत आता है।

(ख) पत्रकार अस्वस्थता/अधिक आयु/अन्य कारणों से बेरोजगार है।

(ग) अभ्यर्थी की आयु (अभ्यर्थी द्वारा जन्म तिथि के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रमाण–पत्रों अथवा अन्य अभिलेखों जिनका स्पष्ट उल्लेख किया जाय के आधार पर सत्यापित).....वर्ष है।

(घ) अभ्यर्थी स्वर्गीय.....

की/का विधवा/पुत्र/अविविाहित पुत्री/पिता/माता है।

(ड) दोवदार की कुल वार्षिक आय.....है।

(च) दावेदार की अन्य स्त्रोतों से आय.....है।

(छ) अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत विवरण सही है/नहीं है।

(ज) अन्य टिप्पणी, यदि कोई हो।

स्थान.....

तिथि.....

हस्ताक्षर,

नाम तथा पता.....

पद तथा कार्यालय की मुहर के साथ

सरकारी गजट, उत्तरांचल
उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
देहरादून, बुधवार, 11 फरवरी, 2004 ई0
माघ 22, 1925 शक सम्वत्
उत्तरांचल शासन
सूचना अनुभाग
संख्या 17 / सू0लो0स0 / 2004–34 सूचना / 2003
देहरादून, 11 फरवरी, 2004

अधिसूचना

उत्तरांचल के नैसर्गिक सौन्दर्य एवं विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं के साथ–साथ बॉलीवुड की विभिन्न फिल्मों के फिल्मांकन के दीर्घ इतिहास के दृष्टिगत एवं उत्तरांचल में फिल्म व्यवसाय के विास की संभावनाओं को देखते हुये श्री राज्यपाल महोदय राज्य में फिल्म व्यवसाय के सुनियोजित विकास हेतु निम्नानुसार राज्य फिल्म विकास परिषद् के गठन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

1.	माननीय सूचना मंत्री जी, उत्तरांचल शासन	अध्यक्ष
2.	फिल्म व्यवसाय से जुड़े राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के के व्यक्ति / विशेषज्ञ	उपाध्यक्ष
3.	मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन	सदस्य
4.	प्रमुख सचिव / सचिव, वित्त विभाग, उत्तरांचल शासन	सदस्य
5.	सचिव, सूचना विभग, उत्तरांचल शासन	सदस्य
6.	सचिव, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग, उत्तरांचल शासन	सदस्य
7.	सचिव, वन विभाग, उत्तरांचल शासन	सदस्य
8.	बॉलीवुड अथवा देश के अन्य क्षेत्रों के फिल्मकार / विषय विशेषज्ञ अधिकतम पांच	सदस्य
9.	उत्तरांचल के क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों व अन्य फिल्मों से जुड़े फिल्मकार / विषय विशेषज्ञ अधिकतम पांच	सदस्य
10.	अधिशासी निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तरांचल	सदस्य / सचिव

2– फिल्म विकास परिषद्–उत्तरांचल में हिन्दी फिल्मों, क्षेत्रीय भाषा की फिल्मों एवं अन्य सभी फिल्मों के फिल्मांकन एवं फिल्म व्यवसाय से सम्बन्धित अन्य विधाओं के विकास के साथ–साथ इस व्यवसाय में आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु मार्ग–निर्देश गठित करेगी। परिषद् द्वारा राज्य के बेरोजगार युवकों / युवतियों को तकनीकी रूप से सुदृढ़ करने व फिल्म व्यवसाय के माध्यम से उन्हें रोजगार / स्वरोजगार प्रदान करने हेतु भी नीति का निर्धारण करेगी।

3– राज्य फिल्म विकास परिषद् राज्य में फिल्मों के विकास के सम्बन्ध में निर्णय लेने हेतु शीर्षस्थ संस्था होगी व इस विषय में समस्त निर्णय परिषद द्वारा लिये जायेंगें। यथा आवश्यकता परिषद द्वारा अपनी संस्तुतियां शासन को प्रस्तुत की जायेंगी।

आज्ञा से,
एन0एन0 प्रसाद
सचिव।

उत्तरांचल शासन,
राजस्व विभाग
पत्रांक संख्या–530 / 18(1) / 2005
देहरादून : दिनांक : 6 अगस्त, 2005

dk;ky; Kki

शासनादेश संख्या–177 / XXII / 2005 दिनांक 29.07.2005 के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा–2(एच) के अन्तर्गत उत्तरांचल शासन के समस्त विभागों एवं विभागाध्यक्षों को लोक प्राधिकारी घोषित किया गया है। इस अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु राजस्व विभाग के अर्न्तत धारा–5(1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी, धारा–5(2) सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं धारा–19 के अन्तर्गत विभागीय अपीलीय अधिकारी को निम्न प्रकार नामित किया जाता है।

1& dk;ky; e[; jktLo vk;Dr

(I)	लोक सूचना अधिकारी	अपर मुख्य राजस्व आयुक्त उत्तरांचल।
(II)	विभागीय अपीलीय अधिकारी	मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तरांचल।

2& vk;Dr] x<oky e.My@dek; e.My

(I)	लोक सूचना अधिकारी	अपर आयुक्त, गढ़वाल / कुमायूं
(II)	विभागीय अपीलीय अधिकारी	आयुक्त, गढ़वाल / कुमायू।

3& dk;ky; ftykf/kdkjh

(I)	लोक सूचना अधिकारी	जिलाधिकारी
(II)	सहायक लोक सूचना अधिकारी	उप–जिलाधिकारी–संबंधित सब डिविजन
(III)	विभागीय अपीलीय अधिकारी	आयुक्त, गढ़वाल / कुमायूं।

4& rglhy Lrj

(I)	लोक सूचना अधिकारी	तहसीलदार,
(II)	विभागीय अपीलीय अधिकारी	उप जिलाधिकारी,

(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव

पंजीकृत संख्या–यूए0/डी0एन0–30/03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट
संख्या–188/XXII/2005

प्रेषक,

डी0के0 कोटिया,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय।
देहरादून।

समस्त जिला सूचना अधिकारी,
उतरांचल।

सूचना अनुभाग देहरादूनःदिनांक 06 अगस्त, 2005

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु जनपदों में जिला सूचना अधिकारियों को समन्वय कार्यों हेतु नोडल अधिकारी नामित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रकरण पर मुझे यहकहने का निदेश हुआ है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के क्रियान्वयन हेतु सभी विभागों/संस्थाओं (लोक प्राधिकारी) द्वारा समयबद्ध कार्यवाही की जायेगी। जनपद स्तर पर इन कार्यों के समन्वय हेतु जिला सूचना अधिकारियों को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है। यह कार्य समस्त जिला सूचना अधिकारी सम्बन्धित जिलाधिकारी के पर्यवेक्षण में करेंगें। कृपया उपरोक्त अधिनियम से सम्बन्धित सभी उपलब्ध विवरण समस्त जिला सूचना अधिकारियों को तत्काल उपलब्ध करा देंगें।

भवदीय,

(डी0के0 कोटिया)
सचिव।

संख्या– /XXII/2005 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल एवं कुमाऊँ मण्डल।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल शासन।

आज्ञा से,

(डी0के0 कोटिया)
सचिव।

उत्तरांचल शासन,
सूचना अनुभाग
संख्या–252 / XXII / 2005–1(20)2005
सचिवालय, देहरादून
दिनांक 03 अक्टूबर, 2005

अधिसूचना

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों के अधीन श्री राज्यपाल डा0 आर0एस0 टोलिया को राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त करते हैं।

2– यह नियुक्ति अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (6) के अधीन डा0 टोलिया के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।

3– यह नियुक्ति उपरोक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (1) के अनुरूप डा0 टोलिया द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पॉच वर्ष के लिये होगी।

4– राज्य मुख्य सूचना आयुक्त को संदेय वेतन और भत्ते एवं सेवा के अन्य निर्बधन और शर्तें उक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (5) के अधीन होंगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(डी0के0 कोटिया)
सचिव।

संख्या– / XXII / 2005 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तरांचल।
2. सचिव, विधान सभा, विधान भवन, देहरादून।
3. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल शासन।
4. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल।
5. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल।
6. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
7. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
8. सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
9. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तरांचल शासन।
10. समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालध्यक्ष, उतरांचल।
11. आयुक्त, कुमाऊँ एवं गढ़वाल मण्डल।
12. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
13. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।

(डी0के0 कोटिया)
सचिव।

पंजीकृत संख्या–यूए0/डी0एन0–30/03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट

सरकारी गजट, उत्तरांचल
उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)
देहरादून, बृहस्पतिवार, 13 अक्टूबर, 2005 ई0
आश्विन 21, 1927 शक सम्वत्
उत्तरांचल शासन
सूचना अनुभाग
संख्या 266/XXII/2005–9(31) 2005
देहरादून, 13 अक्तूबर, 2005

vf/klpuk

प0आ0–109

राज्यपाल सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 22/2005) की धारा 27 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) तथा (ग) के अधीन प्रदत्त शक्तियां का प्रयोग करते हुए निम्नलिखत नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1– संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ :

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सूचना का अधिकार (फीस एवं लागत का विनियमन) नियम, 2005 है

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगें।

2– परिभाषायें :

इन नियमों में जब तक कि संनदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :

(क) ''अधिनियम'' से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 अभिप्रेत है,

(ख) ''धारा'' से अधिनियम की धरा अभिप्रेत है,

(ग) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है, किन्तु सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में परिभाषित है, वही अर्थ होंगें जो इस अधिनियम में है।

3– अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सूचना मांगे जाने हेतु आवेदन–पत्र के साथ लोक प्राधिकारी के वित्त/लेखा अधिकारी के नाम देय रू0 दस की फीस, उचि रसीद के प्रति नकद या डिमान्ड ड्राफ्ट, या बैंकर्स चेक के माध्यम से भुगतान किया जायेगा।

4– धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन सूचना दिये जाने हेतु लोक प्राधिकारी के वित्त/लेखा अधिकारी के नाम देय निम्न दरों के अनुरूप फीस, उचित रसीद के प्रति नकद या डिमान्ड ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक के माध्य से भुगतान किया जाना होगा।

(क) ए–3 या ए–4 आकार के पृष्ठ (छायाप्रति या तैयार सूचना) हेतु रू0 दो प्रति पृष्ठ और इससे बड़े आकार के पृष्ठ हेतु वास्तविक लागत,

(ख) अभिलेखों के निरीक्षण हेतु प्रथम घण्टा हेतु कोई फीस देय नहीं होगी, उसके उपरान्त प्रत्ये पन्द्रह मिनट (अथवा उसके भाग) हेतु रू0 पांच की फीस का भुगतान किया जाना होगा।

(ग) प्रदर्शो एवं नमूनों की वास्तविक लागत का भुगतान किया जाना होगा।

5— अधिनियम की धारा 7 की उपाधारा (5) के अधीन सूचना दिये जाने हेतु लोक प्राधिकारी के वित्त/लेखाधिकारी के नाम देय निम्न दरों के अनुरूप फीस, उचित रसीद के प्रति नकद या डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक के माध्यम से भुगतान किया जाना होगा।

(क) डिस्केट अथवा फ्लापी पर सूचना दिये जाने हेतु रू0 पचास प्रति फ्लापी/डिस्केट और

(ख) किसी मुद्रित प्रकाशन की दशा में, उसका निर्धारित मूल्य या ऐसे प्रकाशन से उद्धरणों की फोटों प्रति प्रति पृष्ठ के लिये दो रूपये।

आज्ञा से,

डी0के0 कोटिया,
सचिव।

अध्याय..............

tu lkekU; rd lpukvk ,o vfHkys[kk dh igp

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 परिशिष्ट–1

प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के संवर्द्धन के लिए लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों के सूचना के अधिकार की व्यावहारिक शासन पद्धति स्थापित करने के उद्देश्य से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 दिनांक 12 अक्तूबर, 2005 से अस्तित्व में है।

लोक सूचना अधिकारी सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी परिशिष्ट–2

2. राजस्व विभाग के जिला कार्यालय चमोली सहित जनपद के सभी उपजिलाधिकारी व तहसील कार्यालयों में अधिनियम की धारा 5 (1) धारा 5 (2) एवं 19 (1) के अंतर्गत क्रमशः लोक सूचना अधिकारियों, सहायक लोक सूचना अधिकारियों एवं विभागीय अपीलीय अधिकारियों का नामांकन किया गया है।

3. नागरिकों से प्राप्त सूचना के अनुरोधों का पंजीकरण यथास्थिति पार्श्वांकित शासनादेश में दिए गए किसी एक प्रारूप में किया जाएगा। सहायक लोक सूचना अधिकारी स्तर पर सूचना के अनुरोधों को प्राप्त करने की स्थिति में उस लोक सूचना अधिकारियों को शीघ्रातिशीघ्र परन्तु विलंबतः पांच दिन के अन्दर निर्धारित प्रारूप पर अग्रेषित करेगा।

सूचना हेतु प्राप्त अनुरोध पत्रों का पंजीकरण एवं निस्तारण

3.1 अनुरोधकर्ता को सूचना का अनुरोध की प्राप्ति पत्र आवेदन शुल्क की रसीद सहित दिया जाएगा। यदि अनुरोधकर्ता गरीबी रेखा से निम्न आय वर्ग का हो तो उससे किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा।

शासनादेश सं0 146/सू0/XXXI(3)–जी/2006 दि0 22 मार्च, 2006 परिशिष्ट–3

3.2 अधिनियम की धारा 6 के अधीन सूचना का अनुरोध प्राप्त होने पर लोक सूचना अधिकारी यथासंभव शीघ्रता से और किसी भी दशा में अनुरोध प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए या तो सूचना उपलब्ध करायेगा या धारा 8 और धारा 9 में विनिर्दिष्ट कारणों से अनुरोध को अस्वीकार करेगा। यदि लोक सूचना अधिकारी विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना के लिए अनुरोध पर विनिश्चय करने में असफल है तो यह समझा जाएगा कि उसने अनुरोध को नामंजूर कर दिया है।

सूचना का अधिकार (फीस एवं लागत का विनियमन) नियम, 2005 अधिसूचना ए–266/XXII/205- 9 (31) दि0 13 अक्तूबर, 2005 एवं संशोधित अधिसूचना संख्या–165/मु0/XXXI(3)–जी–2 (2)/2006 दि0 31 मार्च, 2006 परिशिष्ट 4 एवं 5

4. अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सूचना मांगे जाने हेतु आवेदन पत्र के साथ देय फीस एवं अभिलेखों की छायाप्रतियां अनुरोधकर्ता को उपलब्ध कराने हेतु पार्श्वांकित अधिसूचना के अनुसार शुल्क देय होगा।

5. यदि लोक सूचना अधिकारी के पास किसी ऐसी सूचना दिए जाने का अनुरोध प्राप्त होता है, जो तीसरे पक्षकार से संबंधित है और तीसरे पक्षकार द्वारा उसे गोपनीय माना

गया है तो ऐसी दशा में लोक सूचना अधिकारी अनुरोध प्राप्त होने के पांच दिनों के भीतर ऐसे तीसरे पक्षकार को इस तथ्य की लिखित रूप से सूचना देगा और इस बारे में कि सूचना प्रकट की जानी चाहिए या नहीं लिखित रूप में या मौखिक रूप में निवेदन करने के लिए तीसरे पक्षकार को आमंत्रित करेगा एवं सूचना के प्रकटन के बारे में कोई निर्णय करते समय तीसरे पक्षकार के उत्तर को ध्यान में रखेगा।

पर व्यक्ति सूचना

5.1 तीसरे पक्षकार को ऐसी सूचना के प्रस्तावित प्रकटन के विरूद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर दिया जाएगा। लोक सूचना अधिकारी द्वारा तीसरे पक्षकार से संबंधित सूचना के अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात 40 दिन के भीतर इस बारे में निर्णय लिया जाएगा कि उक्त सूचना का अभिलेख या उसके भाग को प्रकट किया जाए या नहीं और अपने निर्णय की सूचना लिखित में तीसरे पक्षकार को भी देगा। लोक सूचना अधिकारी तीसरे पक्षकार को यह भी सूचित करेगा कि उससे निर्णय से असंतुष्ट होने पर विभागीय अपीलीय अधिकारी के यहां तीस दिन के अन्दर अपील करने का अधिकार है।

6. अपील करने वाला व्यक्ति सूचना प्राप्ति के लिए निर्धारित समय सीमा की समाप्ति की तिथि से तीस दिन के अन्दर अथवा लोक सूचना अधिकारी के आदेश की प्राप्ति की तिथि के तीस दिनों अन्दर विभागीय अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है। संबंधित अपीलीय अधिकारी को यदि यह विश्वास हो जाता है कि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से अपीलकर्ता अपनी अपील की याचिका निर्धारित समय में प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा हो तो वह उक्त समय सीमा बाद भी अपील स्वीकार कर सकता है।

प्रथम अपील धारा 19(1)

6.1 लोक सूचना अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत यदि तीसरे पक्षकार से संबंधित सूचना अनुरोधकर्ता को देने के संबंध में निर्णय दिया गया है तो इस आदेश से प्रभावित तीसरा पक्ष आदेश की तिथि से तीस दिनों के अन्दर विभागीय अपील अधिकारी के यहां अपील कर सकता है।

6.2 विभागीय अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील का निस्तारण याचिका की तिथि से तीस दिनों के अन्दर किया जाएगा।

सूचनाओं का स्वैच्छिक प्रकटन (उत्तरांचल सूचना आयोग परिपत्र संख्या–65/उ0सू0आ0/मु0सू0आ0/2005 दि0 6 दिसंबर, 2005 परिशिष्ट–6

7. अधिनियम की धारा 4 (1)(ख) के अधीन विभाग की सभी प्रशासनिक इकाईयां, जो लोक प्राधिकारी घोषित हैं के द्वारा 17 बिन्दुओं पर सूचनायें संकलित हैं वह प्रत्येक बिन्दु पर मैनुअल बनाये जाएंगे। उक्त सभी मैनुअल पर सी0डी0 तैयार कर राष्ट्रीय सूचना केंद्र को उपलब्ध कराई जाएगी। विभाग के प्रत्येक लोक प्राधिकारी स्तर पर उक्त मैनुअल की हार्ड प्रति एवं साफ्ट प्रति उपलब्ध रहेगी।

7.1 उक्त मैनुअल यथास्थिति प्रत्येक वर्ष के अंत में अध्यावधिक किए जाएंगे तथा मैनुअल सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जनसाधारण के अवलोकनार्थ बराबर उपलब्ध रहेंगे।

मासिक प्रगति प्रतिवेदन

8. सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 25(3) के अधीन उपबन्ध (क) से (ड़ं) के संबंध में पांच बिन्दुओं पर विभाग के प्रत्येक लोक प्राधिकारी का एक मासिक प्रगति प्रतिवेदन अपने उच्च लोक प्राधिकारी को प्रेषित करेंगे, विभाग, निदेशालय स्तर से ऐसे प्राप्त प्रगति प्रतिवेदन संकलित कर उत्तरांचल सूचना आयोग को प्रत्येक माह 10 वीं तिथि तक प्रेषित किया जाना होगा।

8.1 सूचना आयोग इन मासिक प्रगति प्रतिवेदन का उपयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार

करने में करेगा।

सूचना पट्टों को प्रदर्शित करना।

9. जन सामान्य की सुविधा हेतु प्रत्येक लोक प्राधिकारी स्तर पर अपने कार्यालयों के प्रमुख स्थान पर नामित लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के नाम पदनाम तथा दूरभाष नंबर प्रदर्शित करते हुए सूचना पट्ट लगाये जाएंगे।

लोक प्राधिकारियों द्वारा आयोग स्तर से प्राप्त शिकायतों एवं अपीलों पर कार्यवाही

10. आयोग में धारा 18 (1) के अधीन प्राप्त शिकायतों एवं धारा 19(3) के अंतर्गत प्राप्त दूसरी अपील पर लोक प्राधिकारी को जारी नोटिस को प्रत्येक लोक प्राधिकारी स्तर पर एक पृथक पंजिका में दर्ज किया जाएगा। इस पंजिका में प्राप्त शिकायतों एवं अपीलों पर लोक प्राधिकारी स्तर पर समय–समय पर की गई कार्यवाही का दिनांक सहित अंकन किया जाएगा।

द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग (अपील प्रक्रिया) नियम 2005 अधिसूचना संख्या 305 / XXII / 2005–9 (33)2005 दि0 13 दिसंबर, 2005 परिशिष्ट–7

11. अधिनियम की धारा 19 (3) में राज्य सूचना आयोग को द्वितीय अपील दायर करने हेतु राज्य सूचना आयोग (अपील प्रक्रिया) नियम 2005 का पालन किया जाएगा।

ifjf'k"V&1

(लोक सभा द्वारा तारीख 11 मई, 2005 को पारित रूप में)

2004 का विधेयक

संख्यांक–107–सी

सूचना का अधिकार विधेयक, 2005

खंडों का क्रम

अध्याय–1

प्रारंभिक

खंड

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ
2. परिभाषाएं

अध्याय–2

सूचना का अधिकार और लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं

3. सूचना का अधिकार
4. लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं।
5. लोक सूचना अधिकारियों का पदनाम।
6. सूचना अभिप्राप्त करने के लिए अनुरोध।
7. अनुरोधों का निपटारा।
8. सूचना के प्रकट किये जाने से छूट
9. कतिपय मामलों में पहुंच को अस्वीकृत करने के आधार।
10. पृथक्करणीयता।
11. केंद्रीय सूचना आयोग का गठन।

अध्याय–3

12. केंद्रीय सूचना आयोग का गठन।
13. पदावधि और सेवा शर्तें।
14. सूचना आयुक्त या सूचना उपायुक्त को हटाया जाना।
15. आयोग की शक्तियां और कृत्य।
16. अपील।
17. शास्ति।

अध्याय 4

18. सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण
19. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना।
20. न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन।
21. अधिनियम का कतिपय संगठनों को लागू न होना।
22. निगरानी और रिपोर्ट करना।
23. केंद्रीय सरकार द्वारा कार्यक्रम तैयार किया जाना।
24. नियम बनाने की केंद्रीय सरकार की शक्ति।
25. .... बनाने की सक्षम प्राधिकारी की शक्ति
26. नियमों का रखा जाना।
27. कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति।
28. निरसन

पहली अनूसची

दूसरी अनुसूची।

(लोक सभा द्वारा तारीख 11 मई, 2005 को पारित रूप में)

2004 का विधेयक संख्यांक–107–सी

(दि राईट टु इनफारमेशन बिल, 2005 का हिन्दी अनुवाद)

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

(2005 का अधिनियम संख्यांक 22)

प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के संवर्धन के लिए लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों के सूचना के अधिकार की व्यावहारिक शासन पद्धति स्थापित करने, एक केंद्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोगों का गठन करने और उनसे संबंधित या उनसे आनुषंगिक विषयों पर उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत के संविधान ने लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना की है

और लोकतंत्र शिक्षित वर्ग तथा ऐसी सूचना की पारदर्शिता की अपेक्षा करता है, जो उसके कार्यकरण तथा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भी और सरकारों तथा उनके परिकरणों को शासन के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए अनिवार्य है।

और वास्तविक व्यवहार में सूचना के प्रकटन से संभवतः अन्य लोकहितों जिनके अंतर्गत सरकारों के दक्ष प्रचालन सीमित राज्य वित्तीय संसाधनों के अधिकतम उपयोग और संवदनशील सूचना की गोपनीयता को बनाये रखना भी है, के साथ विरोध हो सकता है।

और लोकतंत्रात्मक आदर्श की प्रभुता को बनाए रखते हुए इन विरोधी हितों के बीच सामंजस्य बनाना आवश्यक है।

अतः अब यह समीचीन है कि ऐसे नागरिकों को, कतिपय सूचना देने के लिए जो उसे पाने के इच्छुक हैं, उपबन्ध किया जाए।

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित होः–

v/;k;&1
ikjfHkd

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ

1.(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 है।

(2) इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है।

(3) धारा 4 की उपधारा (1) धारा 5 की उपधारा (1) और उपधारा (2), धारा 12, धारा 13, धारा 15, धारा 16, धारा 24, धारा 27 और धारा 28 के उपबन्ध तुरन्त प्रभावी होंगे और इस अधिनियम के शेष उपबन्ध इसके अधिनियम के 120 वें दिन को प्रवृत्त होंगे।

परिभाषाएं

2. इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :–

(क) '' समुचित सरकार'' से किसी ऐसे लोक प्राधिकरण के संबंध में जो :–

(1) केंद्रीय सरकार या संघ राज्य क्षेत्र द्वारा स्थापित, गठित उसके स्वामित्याधीन नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा पूर्णतया वित्तपोषित किया जाता है। केंद्रीय सरकार अभिप्रेत हैः

(2) राज्य सरकार द्वारा स्थापित गठित उसके स्वामित्वाधीन नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा पूर्णतया वित्तपोषित किया जाता है। केंद्रीय सरकार अभिप्रेत हैः

(ख) ''केंद्रीय सूचना आयोग'' से धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन गठित केंद्रीय सूचना आयोग अभिप्रेत हे।

(ग) '' केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी'' से उपधारा (1) के अधीन नियुक्त केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रकार पदाभिहित कोई केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी भी है।

(घ) '' मुख्य सूचना आयुक्त'' और ''सूचना आयुक्त'' से धारा 12 की उपधारा (3) के अधीन नियुक्त मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त अभिप्रेत हैं।

(ड़ं) ''सक्षम प्राधिकारी से अभिप्रेत हैः–

(1) किसी राज्य की विधान सभा या ऐसी सभा वाले किसी राज्य क्षेत्र की दशा में अध्यक्ष और राज्य सभा या विधान परिषद की दशा में सभापति

(2) उच्चतम न्यायालय की दशा में भारत का मुख्य न्यायमूर्ति

(3) किसी उच्च न्यायालय की दशा में उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति।

(4) संविधान द्वारा या उसके अधीन स्थापित या गठित अन्य प्राधिकरणों की दशा में यथास्थिति, राष्ट्रपति, राज्यपाल

(5) संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त प्रशासक

(च) '' सूचना'' के किसी इलेक्ट्रानिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई–मेल, मत, सलाह–विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागत–पत्र, नमूने, मॉडल, आंकड़ों संबंधी सामग्री और किसी प्राइवेट निकाय से संबंधित ऐसी सूचना सहित, जिस तक तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी लोक प्राधिकारी की पहुंच हो सकती है किसी रूप में कोई सामग्री अभिप्रेत है।

(छ) ''विहित'' से यथास्थिति, समुचित सरकार या सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत हैः

(ज) ''लोक प्राधिकारी'' से–

(क) संविधान द्वारा या उसके अधीन :

(ख) संसद द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा

(ग) राज्य विधान मंडल द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा

(घ) समुचित सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना या किए गए आदेश द्वारा स्थापित या गठित कोई प्राधिकारी या निकाय या स्वायत सरकारी संस्था अभिप्रेत है।

और इसके अंतर्गत–

(1) कोई ऐसा निकाय है जो केंद्रीय सरकार स्वामित्वाधीन नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा वित्तपोषित है।

(2) कोई ऐसा गैर सरकारी संगठन जो समुचित सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा वित्त पोषित है।

(झ) अभिलेख में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :–

(क) कोई दस्तावेत, पांडुलिपि और फाइल।

(ख) किसी दस्तावेज की कोई माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिश और प्रतिकृति प्रति।

(ग) ऐसी माइक्रोफिल्म में सन्निविष्ट, प्रतिबिम्ब या प्रतिबिम्बों का पुनरूत्पादन (चाहे वर्धित रूप में हो या न हो) और

(घ) किसी कंप्यूटर द्वारा या किसी अन्य युक्ति द्वारा उत्पादित कोई अन्य सामग्री।

() '' सूचना का अधिकार'' से इस अधिनियम के अधीन पहुंच योग्य सूचना का, जो किसी लोक प्राधिकारी द्वारा या उसके नियंत्रणाधीन धारित है, अधिकार अभिप्रेत है और जिसमें निम्नलिखित का अधिकार सम्मिलित है।

(1) कृति, दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण।

(2) दस्तावेजों या अभिलेखों के टिप्पण, उद्धरण या प्रमाणित प्रतिलिपि।

(3) सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना।

(4) डिस्केट, फ्लापी, टेप, वीडियो कैसेट के रूप में या किसी अन्य इलेक्ट्रानिक रीति से या प्रिंटआउट के माध्यम से सूचना को, जहां ऐसी सूचना किसी कंप्यूटर या किसी अन्य युक्ति से भंडारित है, अभिप्राप्त करना।

(ट) '' राज्य सूचना आयोग'' से धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन गठित राज्य सूचना आयोग अभिप्रेत है।

(ठ) '' राज्य मुख्य सूचना आयुक्त'' और ''राज्य सूचना आयुक्त'' से धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन नियुक्त राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त अभिप्रेत है।

(डं) '' राज्य लोक सूचना अधिकारी'' से उपधारा (1) के अधीन पदाभिहित राज्य लोक सूचना अधिकारी अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन उस रूप में पदाभिहित राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी भी है।

(ढ) '' पर व्यक्ति'' से सूचना के लिए अनुरोध करने वाले नागरिक से भिन्न कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत कोई लोक प्राधिकारी भी है।

v/;k;&2

lpuk dk vf/kdkj vkj ykd ikf/kdkfj;k dh ck/;rk,a

सूचना का अधिकार

3. इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा।

लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं

4.(1) प्रत्येक लोक प्राधिकारी

(क) सम्यक रूप से सूचीपत्रित और अनुक्रमणिकाबद्ध अपने सभी अभिलेखों को किसी ऐसी रीति और रूप में रखेगा, जो इस अधिनियम के अधीन सूचना के अधिकार को सुकर बनाता है और सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सभी अभिलेख जो कंप्यूटरीकृत किए जाने के लिए समुचित है, युक्तियुक्त समय के भीतर है और संसाधनों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए है, कंप्यूटरीकृत और विभिन्न प्रणालियों पर संपूर्ण देश में नेटवर्क के माध्यम से संबद्ध है, जिससे कि ऐसे अभिलेख तक पहुंच को सुकर बनाया जा सके।

(ख) इस अधिनियम के अधिनियमन से एक सौ बीस दिन के भीतर–

(1) अपने संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य।

(2) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य।

(3) विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया, जिसमे ंपर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है।

(4) अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान।

(5) अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन, धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख।

(6) ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है, प्रवर्गों का विवरण।

(7) किसी व्यवस्था की विशिष्टियां जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है।

(8) ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी।

(9) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका।

(10) अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसमें उसके निनियमों में यथाउपबन्धित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित है।

(11) सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट।

(12) साहियिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति, जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्रहियों के ब्यौरे भी सम्मिलित हैं।

(13) अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां।

(14) किसी इलेक्ट्रानिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरे, जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हों।

(15) सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिनके अंतर्गत किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं।

(16) लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां

(17) ऐसी अन्य सूचना, जो विहित की जाए।

प्रकाशित करेगा और तत्पश्चात इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ग में अद्यतन करेगा।

(ग) महत्वपूर्ण नीतियों की विरचना करते समयया ऐसे विनिश्चयों की घोषणा करते समय, जो जनता को प्रभावित करते हों, सभी सुसंगत तथ्यों को प्रकाशित करेगा।

(घ) प्रभावित व्यक्तियों को अपने प्रशासनिक या न्यायिककल्प विनिश्चयों के लिए कारण उपलब्ध कराएगा।

(2) प्रत्येक लोक सूचना अधिकारी का निरंतर यह प्रयास होगा कि वह स्वप्रेरणा से संसूचना के विभिन्न साधनों के माध्यम से, जिसके अंतर्गत इनटरनेट भी है, नियमित अंतरालों पर जनता को उतनी सूचना उपलब्ध कराने के लिए उपधारा (1) के खंड (ख) की अपेक्षाओं के अनुसार उपाय करे, जिससे कि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम का कम से कम अवलम्व हो।

(3) उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए प्रत्येक सूचना को विस्तृत रूप से और ऐसे प्ररूप और रीति में प्रसारित किया जायेगा, जो जनता के लिए सहज रूप मसे पहुंच योग्य हो सके।

(4) सभी सामग्री को, उस क्षेत्र में लागत, प्रभावशीलता, स्थानीय भाषा और संसूचना की अत्यंत प्रभावी पद्धति को ध्यान में रखते हुए प्रसारित किया जाएगा तथा सूचना तक, यथास्थिति, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य सूचना अधिकारी के पास इलेक्ट्रानिक प्रारूप में संभव सीमा तक निःशुल्क या माध्यम की ऐसी लागत पर या ऐसी मुद्रण लागत कीमत पर, जो विहित की जाए, सहज पहुंच होनी चाहिए।

स्पष्टीकरणः– उपधारा (3) या उपधारा (4) के प्रयोजन के लिए '' प्रसारित'' से सूचना पट्टों, समाचार पत्रों, लोक उद्घोषणाओं, मीडिया प्रसारणों, इंटरनेट या किसी अन्य युक्ति के माध्यम से जिससे किसी लोक प्राधिकारी के कार्यालयों का निरीक्षण सम्मिलित है जनता को सूचना की जानकारी देना या संसूचित करना अभिप्रेत है।

लोक सूचना अधिकारियों का पदनाम

5.(1) प्रत्येक लोक प्राधिकारी, इस अधिनियम के अधिनियमन के सौ दिन के भीतर उतने अधिकारियों को, जितने इस अधिनियम के अधीन सूचना के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्तियों को सूचना प्रदान करने के लिए आवश्यक हों, सभी प्रशासनिक एककों या उसके अधीन कार्यालयों, यथास्थित, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों या राज्य सूचना अधिकारियों के रूप में अभिहित करेगा।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रत्येक लोक प्राधिकारी इस अधिनियम के अधिनियमन के सौ दिन के भीतर किसी अधिकारी को प्रत्येक उपमंडल स्तर या अन्य उप जिला स्तर पर इस अधिनियम के अधीन सूचना या अपीलों के लिए आवेदन प्राप्त करने और तुरन्त उसे या धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट वरिष्ठ अधिकारी या यथास्थिति, केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को अग्रेसित करने के लिए यथास्थिति, केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक सूचना अधिकारी के रूप में पदाभिहित करेगा।

परन्तु यह कि जहां सूचना या अपील के लिए कोई आवेदन यथास्थिति किसी केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या किसी राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी को दिया जाता है वहां धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट उत्तर के लिए अवधि की संगणना करने में पांच दिन की अवधि जोड़ दी जाएगी।

(3) प्रत्येक लोक सूचना अधिकारी, सूचना की मांग करने वाले व्यक्तियों के अनुरोधों पर कार्यवाही करेगा और ऐसी सूचना की मांग करने वाले व्यक्तियों को युक्तियुक्त सहायता करेगा।

(4) यथास्थिति, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, ऐसे किसी अन्य अधिकारी की सहायता की मांग कर सकेगा, जिसे वह अपने कृत्यों के समुचित निर्वहन के लिए आवश्यमक समझे।

(5) कोई अधिकारी जिसकी उपधारा (4) के अधीन सहायता चाही गई है उसकी सहायता चाहने वाले यथास्थिति, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकीर को सभी सहायता प्रदान करेगा और इस अधिनियम के उपबंधों के किसी उल्लंघन के प्रयोजनों के लिए ऐसे अन्य अधिकारी को यथास्थिति, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी समझा जाएगा।

सूचना अभिप्राप्त करने के लिए अनुरोध

6.(1) कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन कोई सूचना अभिप्राप्त करना चाहता है, लिखित में या इलेक्ट्रानिक युक्ति के माध्यम से अंग्रेजी या हिंदी में या क्षेत्र की राजभाषा, जिसमें आवेदन किया जा रहा है, ऐसी फीस के साथ, जो विहित की जाए–

(क) संबंधित लोक प्राधिकरण के यथास्थिति, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी।

(ख) यथास्थिति, केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी।

को उसके द्वज्ञरा मांगी गई सूचना की विशिष्टियां विनिर्दिष्ट करते हुए अनुरोध करेगाः–

परन्तु जहां ऐसा अनुरोध लिखित में नहीं किया जा सकता है, वहां यथास्थिति, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को सभी युक्तियुक्त सहायता मौखिक रूप से देगा, जिससे कि उसे लेखबद्ध किया जा सके।

(2) सूचना के लिए अनुरोध करने वाले आवेदक से सूचना का अनुरोध करने वाले अनुरोध के लिए किसी कारण को या किसी अन्य व्यक्तिगत ब्यौरे को, सिवाय उसके जो उससे संपर्क करने के लिए आवश्यक हो देने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(3) जहां किसी ऐसी सूचना के लिए अनुरोध करते हुए कोई आवेदन किसी लोक प्राधिकारी को किया जाता हैः–

(1) जो किसी अन्य लोक प्राधिकारी द्वारा धारित की गई है या

(2) जिसकी विषय वस्तु किसी अन्य लोक प्राधिकारी के कृत्यों से अधिक निकट रूप से संबंधित हे।

वहां वह लोक प्राधिकारी, जिसको ऐसा आवेदन किया जाता है ऐसे आवेदन या उसके ऐसे भाग को जो समुचति हो, उस अन्य लोक प्राधिकारी को अंतरित करेगा और ऐसे अंतरण के संबंध में आवेदक को तुरन्त सूचना देगा।

परन्तु यह कि इस उपधारा के अनुसरण में किसी आवेदन का अंतरण यथासाध्य शीघ्रता से किया जाएगा, किन्तु किसी भी दशा में आवेदन की प्राप्ति की तारीख से पांच दिनों के पश्चात नहीं किया जाएगा।

अनुरोधों का निपटारा

7.(1) धारा 5 की उपधारा (2) के परंतुक या धारा 6 की उपधारा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए धारा 6 के अधीन अनुरोध प्रापत होने पर, यथास्थिति, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथासंभवशीघ्रता से, और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर, जो विहित की जाए, या जो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 व धारा 9 में विनिर्दिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा।

परन्तु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।

(2) यदि लोक सूचना अधिकारी उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना के लिए अनुरोध पर विनिश्चय करने में असफल रहता है, यथास्थिति, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने अनुरोध को नामंजूर कर दिया।

(3) जहां सूचना उपलब्ध कराने की लागत के रूप में किसी और फीस के संदाय पर सूचना उपलब्ध कराने का विनिश्चय किया जाता है वहां यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को–

(क) उपधारा (1) के अधीन विहित फीस के अनुसरण मे रकम निकालने के लिए की गई संगणनाओं के साथ उसके द्वारा यथाअवधारित सूचना उपलब्ध कराने की लागत के रूप में और फीस के ब्यौरे देते हुए उससे उस फीस को जमा करने का अनुरोध करते हुए कोई संसूचना भेजेगा और उक्त संसूचना के प्रेषण और फीस के संदाय के बीच मध्यवर्ती अवधि को उस धारा में निर्दिष्ट तीस दिन की अवधि की संगणना करने के प्रयोजन के लिए अपवर्जित किया जाएगा।

(ख) प्रभावित फीस की राशि या उपलब्ध कराई गई पहुंच के प्ररूप के बारे में जिसके अंतर्गत अपील प्राधिकारी की विशिष्टियां, समय–सीमा, प्रकिया और कोई अन्य प्ररूप भी है, विनिश्चय के पुनर्विलोकन के संबंध में उसके अधिकार से संबंधित सूचना देते हुए कोई संसूचना भेजेगा।

(4) जहां इस अधिनियम के अधीन अभिलेख या उसके किसी भाग तक पहुंच अपेक्षित है और ऐसा व्यक्ति जिसको पहुंच उपलब्ध कराई जानी है, संवेदनात्मक रूप से निःशक्त है, वहां यथास्थिति, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी सूचना तक पहुंच को समर्थ बनाने के लिए सहायता उपलब्ध कराएगा जिसमें निरीक्षण के लिए ऐसी सहायता करना सम्मिलित है जो समुचित हो।

(5) जहां सूचना तक पहुंच मुद्रित या किसी इलेक्ट्रानिक प्ररूप में उपलब्ध कराई जानी है वहां आवेदक उपधारा (6) के अधीन रहते हुए ऐसी फीस का संदाय करेगा जो विहित की जाए।

परन्तु धारा 6 की उपधारा (1) और धारा 7 की उपधारा (1) और उपधारा (5) के अधीन विहित फीस युक्तियुक्त होगी और ऐसे व्यक्तियों से, जो गरीबी की रेखा से नीचे के हैं कोई फीस प्रभारित नहीं की जाएगी जैसा समुचित सरकार द्वारा अवधारित किया जाए।

(6) उपधारा (5) में किसी बात के होते हुए भी जहां कोई लोक प्राधिकारी उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट समय–सीमा का पालन करने में असफल रहता है वहां सूचना के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्ति को प्रभार के बिना सूचना उपलब्ध कराई जाएगी।

(7) उपधारा (1) के अधीन कोई विनिश्चय करने से पूर्व यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य सूचना अधिकारी धारा 11 के अधीन पर व्यक्ति द्वारा किए गए अभ्यावेदन को ध्यान में रखेगा।

(8) जहां किसी अनुरोध की उपधारा (1) के अधीन अस्वीकृत किया गया है वहां यथास्थिति, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को–

(1) ऐसी अस्वीकृत के लिए कारण,

(2) यह अवधि जिसके भीतर ऐसी अस्वीकृति के विरूद्ध कोई अपील की जा सकेगी, और

(3) अपील प्राधिकारी की विशिष्टियां,

संसूचित करेगा।

(9) किसी सूचना को साधारणतः उसी प्रारूप में उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें उसे मांगा गया है जब तक कि वह लोक प्राधिकारी के श्रोतों को आननुपाती रूप से विचलित न करता हो या प्रश्नगत अभिलेख की सुरक्षा या संरक्षण के लिए प्रतिकूल न हो।

8.(1) इस अधिनियम में अतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी व्यक्ति को निम्नलिखित सूचना देने की बाध्यता नहीं होगी–

(क) सूचना जिसके प्रकटन से भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, रणनीति, वैज्ञानिक या आर्थिक हित, विदेश से संबंध पर प्रतिकूल पड़ता हो या किसी अपराध को करने का उद्धीपन होता हो।

(ख) सूचना जिसके प्रकाशन को किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा अभिव्यक्त रूप से निषिद्ध किया गया है या जिसके प्रकटन से न्यायालय का अवमान होता है।

(ग) सूचना जिसके प्रकटन से किसी संसद या किसी राज्य के विधान मंडल के विशेषाधिकार कर भंग कारित होगा।

(घ) सूचना जिसमें वाण्ज्यिक विश्वास, व्यापार, गोपनीयता या वौद्धिक संपदा सम्मिलित है जिसके प्रकटन से किसी पर व्यक्ति की प्रतियोगी स्थिति को नुकसान होता है जब तक कि सक्षम

प्राधिकारी का राह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना के प्रकटन से विस्तृत लोकहित का समर्थन होता है।

(ड़ं) किसी व्यक्ति को उसकी वैश्वासिक नातेदारी में उपलब्ध सूचना जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना के प्रकटन से विस्तृत लोकहित का समथ्रन होता है।

(च) किसी विदशी सरकार के विश्वास में प्राप्त सूचना

(छ) सूचना जिसकी प्रकट करना किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डालेगा या जो विधि प्रवर्तन या सुरक्षा प्रयोजनों के लिए विश्वास में दी गई किसी सूचना या सहायता के श्रोत की पहचान करेगा

(ज) सूचना जिसके प्रकट करने से अन्वेषण या अपराधियों को गिरफ्तार करने या अभियोजन की क्रिया में अड़चन पड़ेगी।

(झ) मंत्रीमंडल के कागजपत्र जिसमें मंत्री परिषद, सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार विमर्श के अभिलेख सम्मिलित हैं।

परन्तु यह कि मंत्रि परिषद के विनिश्चय उसके कारण तथा वह सामग्री जिसके आधार पर विनिश्चय किए गए थे विनिश्चय किए जाने और विषय के पूरा या समाप्त होने के पश्चात जनता को उपलब्ध कराये जाएंगे।

परन्तु यह और कि वे विषय जो इस धारा में विनिर्दिष्ट छूटों के अंतर्गत आते हैं प्रकट नहीं किए जाएंगे।

() सूचना जो व्यक्ति सूचना से संबंधित है, जिसका प्रकटन किसी लोक क्रियाकलाप या हित से संबंध नहीं रखता है या जिससे व्यष्टि की एकांतता पर अनावश्यक अतिक्रमण नहीं होता है,

परन्तु यह कि ऐसी सूचना प्रकट की जा सकेगी यदि यथास्थिति सूचना अधिकारी या अपील प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी सूचना का प्रकटन विस्तृत लोक हित में न्यायोचित है।

(2) ऐसी सूचना से जिसको यथास्थिति, संसद या किसी राज्य विधान मंडल को देने से इनकार नहीं किया जा सकता है किसी व्यक्ति को इनकार नहीं किया जएगा।

(3) कोई लोक प्राधिकारी उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट छूटों में किसी बात के होते हुए भी सूचना तक पहुंच को अनुज्ञात कर सकेगा, यदि सूचना के प्रकटन में लोक हित लोक प्राधिकारी को..... .....से अधिक है।

(4) उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ञ) के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी भी वृतांत या विषय से संबंधित कोई सूचना जो उस तारीख से जिसकी धारा 6 के अधीन कोई अनुरोध किया जाता है दस वर्ष पूर्व हुई है या होती है उस धारा के अधीन अनुरोध करने वाले व्यक्ति को उपलब्ध कराई जाएगी।

कतिपय मामलों में पहुंच को अस्वीकृत करने के आधार

9. धारा 8 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कोई यथास्थिति, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, सूचना के किसी अनुरोध को अस्वीकार कर सकेगा जहां पहुंच उपलब्ध कराने के ऐसे अनुरोध में राज्य से भिन्न किसी व्यक्ति के विद्यमान प्रतिलिप्यधिकार का उल्लंघनअंतर्वलित है।

पृथककरणीयता

10. (1) जहां सूचना तक पहुंच के अनुरोध को इस आधार पर अस्वीकार किया जाता है कि यह ऐसी सूचना के संबंध में है जो प्रकट किए जाने से छूट प्राप्त है वहां इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी अभिलेख के उस भाग तक पहुंच के अनुदत्त की जा सकेगी, जिसमें कोई ऐसी सूचना अंतर्विष्ट नहीं है जो इस अधिनियम के अधीन प्रकट किए जाने से छूट प्राप्त है और जो ऐसे भाग से जिसमें छूट प्राप्त सूचना अंतर्विष्ट है उचित रूप से पृथक की जा सकती है।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन अभिलेख के किसी भाग तक पहुंच अनुदत्त की जाती है वहां यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी निम्नलिखित सूचना देते हुए आवेदक को एक सूचना देगा–

(क) अनुरोध किए गए अभिलेख का केवल एक भाग ही उस अभिलेख से उस सूचना को जो प्रकटन से छूट प्राप्त है पृथक करने के पश्चात उपलब्ध कराया जा रहा है।

(ख) विनिश्चय के कारण जिनके अंतर्गत तथ्य के किसी महत्वपूर्ण प्रश्न पर उस सामग्री का निर्देश देते हुए देश पर वे विनिश्चय आधारित थे, कोई निष्कर्ष भी है।

(ग) विनिश्चय करने वाले व्यक्ति का नाम और पदनाम

(घ) उसके द्वारा संगणित फीस के ब्यौरे और फीस की वह रकम जिसकी आवेदक से निक्षेप करने की अपेक्षा है और

(ड़) सूचना के भाग के अप्रकटन के बाबत विनिश्चय के पुनर्विलोकन के संबंध में उसके अधिकार, प्रभारित फीस की रकम या उपलब्ध कराई गई पहुंच का रूप जिसके अंतर्गत यथास्थ्िज्ञति धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट वरिष्ठ अधिकारी या केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी की विशिष्टियां, समय–सीमा और कोई अन्य रूप भी है।

केंद्रीय सूचना आयोग का गठन

11.(1) जहां किसी यथास्थिति, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का इस अधिनियम के अधीन किए गए अनुरोध पर कोई ऐसी सूचना या अभिलेख या उसके किसी भाग को प्रकट करने का आशय है जो किसी पर व्यक्ति से संबंधित है या उसके द्वारा प्रदाय किया गया है और उस पर व्यक्ति द्वारा उसे गोपनीय माना गया है वहां यथास्थिति, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकीर अनुरोध,पज्ञपत होने के पांच दिन के भीतर ऐसे पर व्यक्ति को अनुरोध की और इस तथ्य की लिखित रूप में सूचना देगा कि यथास्थिति, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का उक्त सूचना का अभिलेख या उसके किसी भाग को प्रकट करने का आशय है और इस बाबत कि सूचना प्रकट की जानी चाहिए या नहीं, लिखित में या मौखिक रूप से निवेदन करने के लिए पर व्यक्ति को आमंत्रित करेगा तथा सूचना के प्रकटन की बाबत कोई विनिश्चय करते समय व्यक्ति के ऐसे निवेदन को ध्यान में रखा जाएगा।

परन्तु विधि द्वारा संरक्षित व्यापार या वाणिज्यिक गुप्त बातों की दशा में के सिवाय यदि ऐसे प्रकटन में लोकहित ऐसे पर व्यक्ति के हितों की किसी संभावित अपहानि या क्षति से अधिक महत्वपूर्ण है तो प्रकटन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन यथास्थिति, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा पर व्यक्ति पर किसी सूचना या अभिलेख या उसके किसी भाग की बाबत कोई सूचना तामील की जाती है वहां ऐसे पर व्यक्ति को ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से दस दिन के भीतर, प्रस्तावित प्रकटन के विरूद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर दिया जाएगा।

(3) धारा 7 में किसी बात के होते हुए भी यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी धारा 6 के अधीन अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात चालीस दिन के भीतर यदि पर व्यक्ति को उपधारा 2 के अधीन अभ्यावेदन करने का अवसर दे दिया गया है तो इस बारे में विनिश्चय करेगा कि उक्त सूचना या अभिलेख या उसके भाग का प्रकटन किया जाए या नहीं और अपने विनिश्चय की सूचना लिखित रूप में पर व्यक्ति को देगा।

(4) उपधारा (3) के अधीन दी गई सूचना में यह कथन भी सम्मिलित होगा कि वह पर व्यक्ति जिसे सूचना दी गई है धारा 19 के अधीन उक्त विनिश्चय के विरूद्ध अपील करने का हकदार है।

v/;k;&3

केंद्रीय सूचना आयोग का गठन

12. (1) केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग के नाम से ज्ञात इस अधिनियम के अधीन उसको प्राप्त शक्तियों का प्रयोग और उसे समनुदेशित कृत्यों का पालन करने के लिए कए निकाय का गठन करेगी।

(2) केंद्रीय सूचना आयोग में निम्नलिखित से मिलकर बनेगा–

(क) मुख्य सूचना आयुक्त और

(ख) दस से अनधिक उतने केंद्रीय सूचना उपायुक्त, जितने आवश्यक समझे जाएं

(3) मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना उपायुक्तों की नियुक्ति, राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित से मिलकर बनी समिति की सिफारिश पर की जाएगी–

(1) प्रधानमंत्री, जो समिति का अध्यक्ष होगा।

(2) लोक सभा में विपक्ष का नेता और

(3) प्रधानमंत्री द्वारा नामनिर्दिष्ट संघ मंत्रिमंडल का एक मंत्री।

स्पष्टीकरण– शंकाओं के निवारण के लिए यह घोषित किया जाता है कि जहां लोक सभा में विपक्ष के नेता को उस रूप में मान्यता नहीं दी गई है वहां लोक सभा में सरकार के विपक्षी दल के सबसे बड़े एकल समूह के नेता को विपक्ष का नेता समझा जाएगा।

(4) केंद्रीय सूचना आयोग के कार्यों का साधारण अधीक्षण, निर्देशन और प्रबन्धन, केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त में निहित होगा, जिसकी सहायता सूचना आयुक्तों द्वारा की जाएगी और वह ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे सभी कार्य और बातें कर सकेगा जो इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी के निर्देशों के अधीन रहे बिना केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा स्वतंत्रत रूप से की जा सकती है।

(5) मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त विधि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबन्धन, पत्रकारिता, जन माध्यम या प्रशासन तथा शासन का व्यापक ज्ञान और अनुभव रखने वाले जनजीवन में प्रख्यापित व्यक्ति होंगे।

(6) मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त यथास्थिति संसद का सदस्य या किसी राज्य व संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा या कोई अन्य लाभ वाला पद धारित नहीं करेगा या किसी राजनैतिक दल से संबद्ध नहीं होगा अथवा कोई कारबार नहीं हरेगा या कोई वृत्ति नहीं करेगा।

(7) केंद्रीय सूचना आयेाग का मुख्यालय दिल्ली में होगा और आयोग केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से भारत के अन्य स्थानों पर अपने कार्यालय स्थापित कर सकेगा।

पदाविध और सेवा शर्तें

13.(1) सूचना आयुक्त उस तारीख से जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है पांच वर्ष की अवधि के लिए अपना पद धारण करेगा और पुनः नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

परन्तु यह और कि कोई मुख्य आयुक्त पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात उस रूप में पद धारण नहीं करेगा।

(2) प्रत्येक सूचना आयुक्त उस तारीख से जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है पांच वर्ष की आयु के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक इसमें से जो भी पूर्वतर हो पद धारित करेगा और ऐसे सूचना आयुक्त के रूप में पुर्ननियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

परन्तु प्रत्येक सूचना आयुक्त इस उपधारा के अधीन अगला पद रिक्त करने पर धारा 12 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट रीति में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त के लिए पात्र होगा।

परन्तु और कि जहां सूचना आयुक्त को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है वहां उसकी पदावधि सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में कुल मिलाकर पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(3) मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष पहली अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए उपवर्णित प्रारूप के अनुसार एक शपथ या प्रतिज्ञा लेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा।

(4) मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त किसी भी समय राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा।

परन्तु मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त को धारा 14 में विनिर्दिष्ट रीति से हटाया जा सकेगा।

5(क) मुख्य सूचना आयुक्त को संदेह, वेतन और भत्ते और उनकी सेवा की अन्य निबन्धन और शर्तें वे होंगी जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की हैं।

(ख) सूचना आयुक्त को संदेह,वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबन्धन और शर्तें वे होंगी जो निर्वाचन आयुक्त की हैं।

परन्तु यदि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त अपनी नियुक्ति के समय भारत सरकार के अधीन या राज्य सरकार के अधीन किसी पूर्व सेवा के संबंध में कोई पेंशन (अक्षमता या क्षति पेंशन से भिन्न) प्राप्त कर रहा है तो मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त के रूप में सेवा के संबंध में उसके वेतन में से उस पेंशन की जिसके अंतर्गत पेंशन का ऐसा कोई भाग भी है, जिसे सारांशकृत किया गया था और सेवानिवृत्त उपदान के समतुल्य पेंशन को छोड़कर सेवानिवृत्त फायदों के अन्य रूपों के समतुल्य पेंशन भी है रकम को कम कर दिया जाएगा।

परन्तु यह और कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त अपनी नियुक्ति के समय किसी केंद्रीय या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके द्वारा स्थापित किसी निगम में या केंद्रीय सरकार या राज्य के सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी सरकारी कंपनी में की गई किसी पूर्व सेवा के संबंध में सेवानिवृत्त फायदे प्राप्त कर रहा है तो सूचना आयुक्त या सूचना उपायुक्त के रूप में सेवा की बाबत उसके वेतन में से सेवानिवृत्त फायदों के समतुल्य पेंशन की रकम कम कर दी जाएगी।

परन्तु यह भी कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त के वेतन, भत्तों और सेवा की अन्य शर्तों में जिसकी नियुक्ति के पश्चात उसको अलाभकर रूप मे परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

(6) केंद्रीय सरकार मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त को इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के अनुपालन के लिए उतने अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराएगी जितने आवश्यक हों और इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए नियुक्त किए गए अधिकारियों और कर्मचारियों को संदेह वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्ते ऐसी होंगी जो विहित की जाएं।

सूचना आयुक्त या सूचना उपायुक्त का हटाया जाना

14. (1) उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उसके पद से तभी हटाया जाएगा जब उच्चतम न्यायालय में राष्ट्रपति द्वारा उसे किए गए निर्देश पर जांच के पश्चात यह रिपोर्ट दी हो कि वह अद्य स्थिति मुख्य सूचना आयुक्त व सूचना आयुक्त को उस आधार पर हटा दिया जाना चाहिए।

(2) राष्ट्रपति उस मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त को जिसके विरूद्ध उपधारा (1) के अधीन उच्चतम न्यायालय को निर्देश दिया गया है ऐसे निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट प्राप्त होने पर राष्ट्रपति द्वारा आदेश पारित किए जाने तक पद से निलंबित कर सकेगा और यदि आवश्यक समझे तो जांच के दौरान कार्यालय में उपस्थित होने से भी प्रतिषिद्ध कर सकेगा।

(3) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति किसी मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त को पद से हटाने का आदेश कर सकेगा। यदि यथास्थिति मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त–

(क) दिवालिया न्यायनिर्णित है या

(ख) वह ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है, जिसमें राष्ट्रपति की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है या

(ग) अपनी पदावधि के दौरान अपने कर्तव्यों से परे किसी वैतनिक नियोजन में लगा हुआ है या

(घ) राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक अक्षमता के कारण पद पर बने रहने के अयोग्य है या

(ड़) उसने ऐसे वित्तीय और अन्य हित अर्जित किए हैं जिससे किसी सूचना आयुक्त या सूचना उपायुक्त के रूप में उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

(4) यदि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त किसी रूप में भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से की गई किसी संविदा या करार से संबद्ध या उसमें हितबद्ध रहा है या किसी नियम कंपनी के किसी सदस्य से अन्यथा किसी रूप में और उसके अन्य सदस्यों के साथ संयुक्त रूप में उसके लाभ में या उससे प्रोद्भूत होने वाले किसी फायदे या परिलब्धियों में हिस्सा लेता है तो वह उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए कदाचार या दोषी समझा जाएगा।

v/;k;&4
jkT; lpuk vk;ksx

राज्य सूचना आयोग का गठन

15. (1) प्रत्येक राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा– (राज्य का नाम) सूचना आयोग के नाम से ज्ञात एक निकाय का इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और उसे सौंपे गए कृत्यों का पालन करने के लिए गठन करेगी।

(2) राज्य सूचना आयुक्त निम्नलिखित से मिलकर बनेगा–

(क) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और

(ख) दस से अनधिक उतने राज्य सूचना आयुक्त जितने आवश्यक समझे जाएं।

(3) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित से मिलकर बनी समिति की सिफारिशों पर की जाएगी–

(1) मुख्यमंत्री जो समिति का अध्यक्ष होगा।

(2) विधान सभा में विपक्ष का नेता और

(3) मुख्यमंत्री द्वारा नामनिर्दिष्ट मंत्रिमंडलीय मंत्री।

स्पष्टीकरण– शंकाओं को दूर करने के प्रयोजन के लिए यह घोषित किया जाता है कि जहां विधान सभा में विपक्षी दल के नेता को उस रूप में मान्यता नहीं दी गई है वहां विधान सभा में सरकार के विपक्षी एकल सबसे बड़े समूह के नेता को विपक्षी दल का नेता माना जाएगा।

(4) राज्य सूचना आयोग के कार्यों का साधारण अधीक्षण, निदेशन और प्रबन्धन राज्य मुख्य सूचना आयुक्त में निहित होगा, जिसकी राज्य सूचना आयुक्तों द्वारा सहायता की जाएगी और वह सभी ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे सभी कार्य और बातें कर सकेगा जो राज्य सूचना आयोग द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी के निर्देशों के अधीन रहे बिना स्वतंत्रत रूप से की प्रयोग की जाए या की जा सकती है।

(5) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त विधि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबन्धन, पत्रकारिता, जन माध्यम या प्रशासन तथा शासन में ज्ञान व्यापक और अनुभव वाले समाज में प्रख्यापित व्यक्ति होंगे।

(6) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त यथास्थिति संसद या संसद का सदस्य या किसी राज्य व संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा या कोई अन्य लाभ वाला पद धारण नहीं करेगा या किसी राजनैतिक दल से संबद्ध नहीं होगा या कोई कारबार नहीं हरेगा या कोई वृत्ति नहीं करेगा।

(7) राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय राज्य में ऐसे स्थान पर होगा जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें और राज्य सूचना आयोग राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से भारत के अन्य स्थानों पर अपने कार्यालय स्थापित कर सकेगा।

पदावधि और सेवा की शर्तें

16 .(1) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त उस तारीख से जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारित करेगा और पुनः नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

परन्तु यह कोई राज्य मुख्य आयुक्त पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात उस रूप में पद धारण नहीं करेगा।

(2) प्रत्येक राज्य सूचना आयुक्त उस तारीख से जिसको वह अपना पद धारण करता है पांच वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक इसमें से जो भी पूर्वतर हो पद धारित करेगा।

परन्तु प्रत्येक राज्य सूचना आयुक्त इस उपधारा के अधीन अपने पद रिक्त करने पर धारा 15 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट रीति में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त के लिए पात्र होगा।

परन्तु यह और कि जहां राज्य सूचना आयुक्त को राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त दी जाती है वहां उसकी पदावधि सूचना आयुक्त और राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में कुल मिलाकर पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(3) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या कोई राज्य सूचना आयुक्त अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष पहली अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए उपवर्णित प्रारूप के अनुसार शपथ या प्रतिज्ञान लेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा।

(4) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या कोई राज्य सूचना आयुक्त किसी भी समय राज्यपाल को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने पद का त्याग कर सकेगा।

परन्तु राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या किसी राज्य सूचना आयुक्त को धारा 17 में विनिर्दिष्ट रीति से हटाया जा सकेगा।

5(क) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त को संदेह, वेतन और भत्ते और उनकी सेवा की अन्य निबन्धन और शर्तें वही होंगी जो भारत के निर्वाचन आयुक्त की हैं।

(ख) राज्य सूचना आयुक्त को संदेह,वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबन्धन और शर्तें वही होंगी जो राज्य के मुख्य सचिव की हैं।

परन्तु यदि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या कोई राज्य सूचना आयुक्त अपनी नियुक्ति के समय भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पूर्व सेवा के संबंध में कोई पेंशन (अक्षमता या क्षति पेंशन से भिन्न) प्राप्त कर रहा है तो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त के रूप में सेवा के संबंध में उसके वेतन में से उस पेंशन की रकम को जिसके अंतर्गत पेंशन का ऐसा भाग भी है, जिसे सारांशकृत किया गया था और सेवानिवृत्त उपदान के समतुल्य पेंशन

को छोड़कर अन्य प्रकार के सेवानिवृत्त फायदों के समतुल्य पेंशन भी है रकम को कम कर दिया जाएगा।

परन्तु यह और कि जहां राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त अपनी नियुक्ति के समय किसी केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम में या केंद्रीय सरकार या राज्य के सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी सरकारी कंपनी में की गई किसी पूर्व सेवा के संबंध में सेवानिवृत्त फायदे प्राप्त कर रहा है वहां राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना उपायुक्त के रूप में सेवा के संबंध में उसके वेतन में से सेवानिवृत्त फायदों के समतुल्य पेंशन की रकम कम कर दी जाएगी।

परन्तु यह भी कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त के वेतन, भत्तों और सेवा की अन्य शर्तों में उनकी नियुक्ति के पश्चात उसके लिए अलाभकारी रूप में परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

(6) राज्य सरकार राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त को इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के अनुपालन के लिए उतने अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराएगी जितने आवश्यक हों और इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए नियुक्त किए गए अधिकारियों और कर्मचारियों को संदेह वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्ते ऐसी होंगी जो विहित की जाएं।

राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त का हटाया जाना

17. (1) उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त को राज्यपाल के आदेश द्वारा साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उसके पद से तभी हटाया जाएगा जब उच्चतम न्यायालय ने राज्यपाल द्वारा उसे किए गए निर्देश पर जांच के पश्चात यह रिपोर्ट दी हो कि यथास्थिति राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त को उस आधार पर हटा दिया जाना चाहिए।

(2) राज्यपाल/ उस राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त को जिसके विरूद्ध उपधारा (1) के अधीन उच्चतम न्यायालय को निर्देश किया गया है ऐसे निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट की प्राप्ति होने पर राज्यपाल द्वारा आदेश पारित किए जाने तक उसके पद से निलंबित कर सकेगा और यदि आवश्यक समझे तो ऐसी जांच के दौरान कार्यालय में उपस्थित होने से प्रतिषिद्ध भी कर सकेगा।

(3) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्यपाल किसी राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और किसी राज्य सूचना आयुक्त को पद से हटा सकेगा। यदि यथास्थिति राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त–

(क) दिवालिया न्यायनिर्णित है या

(ख) वह ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है, जिसमें राज्यपाल की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है या

(ग) अपनी पदावधि के दौरान अपने कर्तव्यों से परे किसी वैतनिक नियोजन में लगा हुआ है या

(घ) राज्यपाल की राय में मानसिक या शारीरिक अक्षमता के कारण पद पर बने रहने के अयोग्य है या

(ड़ं) उसने ऐसे वित्तीय और अन्य हित अर्जित किए हैं जिससे किसी राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना उपायुक्त के रूप में उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

(4) यदि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त किसी रूप में भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से की गई किसी संविदा या करार से संबद्ध या उसमें हितबद्ध है या किसी निगमित कंपनी के सदस्य से अन्यथा किसी रूप में और उसके अन्य सदस्यों के साथ संयुक्त रूप में उसके लाभ में या उससे प्रोद्भूत होने वाले किसी फायदे या परिलब्धियों में हिस्सा लेता है तो वह उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए कदाचार या दोषी समझा जाएगा।

v/;k;&5

lpuk vk;kx dh 'kfDr;k vkj dR; vihy rFkk 'kkfLr

आयोग की शक्तियां और कृत्य

18. (1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए यथास्थिति केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह निम्नलिखित किसी ऐसे व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करें और उसकी जांच करें–

(क) जो यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को इस कारण से अनुरोध प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा है कि इस अधिनियम के अधीन ऐसे अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई है या यथास्थिति केंद्रीय सहायक लोक सूचूना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी ने इस अधिनियम के अधीन सूचना या अपील के लिए धारा 19 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अथवा ज्येष्ठ अधिकारी या यथास्थिति केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग उसके आवेदन को भेजने के लिए:

(ख) जिसे इस अधिनियम के अधीन अनुरोध की गई कोई जानकारी तक पहुंच के लिए इनकार कर दिया गया है।

(ग) जिसे इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट समय–सीमा के भीतर सूचना के लिए या सूचना तक पहुंच के लिए अनुरोध का उत्तर नहीं दिया गया है।

(घ) जिससे ऐसी फीस की रकम का संदाय करने की अपेक्षा की गई है, जो वह अनुचित समझता है।

(ड़ं) जो यह विश्वास करता है कि उसे इस अधिनियम के अधीन अपूर्ण, भ्रम में डालने वाली या मिथ्या सूचना दी गई है और

(च) इस अधिनियम के अधीन अभिलेखों के लिए अनुरोध करने या उन तक पहुंच प्राप्त करने से संबंधित किसी अन्य विषय के संबंध में।

(2) जहां यथास्थिति, केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग का यह समाधान हो जाता है कि उस विषय में जांच करने के लिए युक्तियुक्त आधार है, वहां वह उसके संबंध में जांच आरंभ कर सकेगा।

(3) आयोग को, इस धारा के अधीन किसी मामले में जांच करते समय वहीं शक्तियां प्राप्त होंगी जो निम्नलिखित मामलों के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में निहित होती है अर्थातः

(क) किन्हीं व्यक्तियों को समन करना और उन्हें उपस्थित करना तथा शपथ पर मौखिक या लिखित साक्ष्य देने के लिए और दस्तावेज या चीजें पेश करने के लिए उनको विवश करना।

(ख) दस्तावेजों के प्रकटीकरण और निरीक्षण की अपेक्षा करना।

(ग) शपथ पत्र पर साक्ष्य का अभिग्रहण करना।

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतियां मंगाना।

(ड़ं) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए समन जारी करना और

(च) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए।

(4) यथास्थिति संसद में या राज्य विधानमंडल के किसी अन्य अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी असंगत बात के होते हुए भी यथास्थिति केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग इस अधिनियम के अधीन किसी शिकायत की जांच करने के दौरान ऐसे किसी अभिलेख की परीक्षा कर सकेगा जिसे यह अधिनियम लागू होता है और जो लोक प्राधिकारी के नियंत्रण में है और उसके द्वारा ऐसे किसी अभिलेख को किन्हीं भी आधारों पर रोका नहीं जाएगा।

19 (1) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसे धारा 7 की उपधारा (1) या उपधारा (3) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर कोई विनिश्चय प्राप्त नहीं हुआ है या जो यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के किसी विनिश्चय से व्यथित है उस अवधि की समाप्ति से या ऐसे किसी विनिश्चय की प्राप्ति से तीस दिन के भीतर ऐसे अधिकारी को अपील कर सकेगा, जो प्रत्येक लोक प्राधिकारी में लोक सूचना अधिकारी की पंक्ति से ज्येष्ठ पंक्ति का है।

परन्तु ऐसा अधिकारी तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात अपील को ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका समाधान हो जाता हे कि अपीलार्थी समय पर अपील फाइल करने में निवारित हुआ था।

(2) जहां अपील धारा 11 के अधीन यथास्थिति किसी केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या किसी राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा पर व्यक्ति की सूचना के प्रकटन के लिए किए गए किसी आदेश विरूद्ध की जाती है वहां संबंधित पर व्यक्ति द्वारा अपील उस आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर की जाएगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन विनिश्चय के विरूद्ध दूसरी अपील उस तारीख से जिसको विनिश्चय किया जातना है या वास्तव में प्राप्त किया गया था नब्बे दिन के भीतर केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को होगा।

परन्तु यथास्थिति केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग नब्बे दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात आयोग को ग्रहण कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय पर अपील फाइल करने में पर्याप्त कारण से निवारित हुआ था।

(4) यदि यथास्थिति केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग का विनिश्चय जिसके विरूद्ध अपील की गई है पर व्यक्ति की सूचना से संबंधित है तो यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचनू आयोग या राज्य सूचना आयोग उस पर व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा।

(5) अपील संबंधी किन्हीं कार्यवाहियों में यह साबित करने का भार कि अनुरोध को अस्वीकार करना न्यायोचित था यथास्थिति उस केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी पर होगा जिसने अनुरोध को अस्वीकार किया था।

(6) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन किसी अपील का निपटारा लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से अपील की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर किया जाएगा जो उसके फाइल किए जाने की तारीख से कुल पैंतालीस दिन से अधिक न हो।

(7) आयोग का विनिश्चय आबद्धकर होगा–

(8) अपने विनिश्चय में यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को निम्नलिखित की शक्ति है।

(क) लोक प्राधिकारी से ऐसे उपाय करने की अपेक्षा करना जो इस अधिनियम के उपबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो जिनके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं–

(1) सूचना तक पहुंच उपलब्ध कराना, यदि विशिष्ट प्ररूप में ऐसा अनुरोध किया गया है।

(2) किसी यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को नियुक्त करना।

(3) कतिपय सूचना या सूचना के प्रवर्गों को प्रकाशित करना।

(4) अभिलेखों को रखे जाने, प्रबन्ध और उनके विनाश से संबंधित अपनी पद्धतियों में आवश्यक परिवर्तन करना।

(5) अपने अधिकारियों के लिए सूचना के अधिकार के संबंध में प्रशिक्षण के उपबन्ध को बढ़ाना।

(6) धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अनुसरण में अपनी एक वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध कराना।

(ख) लोक प्राधिकारी से शिकायतकर्ता को उसके द्वारा सहन की गई किसी हानि या अन्य नुकसान के लिए प्रतिपूरित करना।

(ग) इस अधिनियम के अधीन उपबन्धित शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित करना।

(घ) आवेदन को नामंजूर करना।

(9) यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग शिकायतकर्ता और लोक प्राधिकारी को अपने विनिश्चय की जिसके अंतर्गत अपील या कोई अधिकारी भी है सूचना देगा।

(10) आयोग अपील का विनिश्चय ऐसी प्रक्रिया के अनुसार करेगा जो विहित की जाए।

शक्ति

20 (1) धारा 23 में किसी बात के होते हुए भी जहां किसी शिकायत या अपील का विनिश्चय करते समय यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोगकी वह राय है कि यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी है या राज्य लोक सूचना अधिकारी के बिना किसी युक्तियुक्त कारण के कोई आवेदन लेने से इनकार किया है या धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन सूचना के लिए विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना नहीं दी गई है या असद्भावपूर्वक सूचना के लिए अनुरोध से इनकार किया है या जानबूझकर गलत अपूर्ण या भ्रामक सूचना दी है या ऐसी सूचना नष्ट कर दी गई है जो अनुरोध के विषय थी या सूचना देने में किसी रीति से बाधा डाली है तो वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जब तक आवेदन प्राप्त किया जाता है या सूचना दी जाती है दो सौ पचास रूपये की शास्ति अधिरोपित करेगा तथापि ऐसी शास्ति की कुल रकम पच्चीस हजार रूपये से अधिक नहीं होगी।

परन्तु यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को उस पर कोई शास्ति अधिरोपित किए जाने से पूर्व सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा।

परन्तु यह और कि यह साबित करने का भार कि उसने युक्तियुक्त रूप से और तत्परतापूर्वक कार्य किया है यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी पर होगा।

(2) जहां किसी शिकायत या अपील का विनिश्चय करते समय यथास्थिति केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग की यह राय है कि यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी बिना किसी युक्तियुक्त कारण के और लगातार सूचना के लिए कोई आवेदन प्राप्त करने में असफल रहा है या धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना नहीं दी है या असद्भावपूर्वक सूचना के लिए अनुरोध से इनकार किया है या जानबूझकर गलत अपूर्ण या भ्रामक सूचना दी है या ऐसी सूचना नष्ट की है जो अनुरोध का विषय थी या सूचना देने में किसी भी रीति से बाधा डाली है वहां वह यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध उसे लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही के लिए सिफारिश करेगा।

v/;k;&6
idh.k

सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण

21. कोई वाद अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी भी ऐसी बात के बारे में जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई हो या की जाने के लिए आशयित है किसी व्यक्ति के विरूद्ध न होगी।

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होगा

22. इस अधिनियम के उपबन्धों का शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम के अन्यथा किसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखत में असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभाव होगा।

न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन

23. कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी आदेश की बाबत कोई वाद आवेदन या अन्य कार्यवाही ग्रहण नहीं करेगा और ऐसे किसी आदेश को इस अधिनियम के अधीन अपील से भिन्न किसी रूप में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

अधिनियम का कतिपय संगठनों को लागू न होना

24 (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई बात केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित आसूचना और सुरक्षा संगठनों को जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है या ऐसे संगठनों द्वारा उस सरकार को प्रस्तुत की गई किसी सूचना को लागू नहीं होगी।

परन्तु भ्रष्टाचार और मानवाधिकारों के अतिक्रमण के अभिकथनों से संबंधित सूचना इस उपधारा से अपवर्जित नहीं होगी।

परन्तु यह और कि मानव अधिकारों के अतिक्रमण के आरोपों के मामले में मांगी गई जानकारी केवल संबंधित सूचना आयुक्त के अनुमोदन से ही दी जाएगी और धारा 7 में किसी बात के होते हुए भी ऐसी जानकारी अनुरोध की प्राप्ति के पैंतालीस दिन के भीतर प्रदत्त की जाएगी।

(2) केंद्रीय सरकार राजपत्र में किसी अधिसूचना द्वारा अनुसूची का उस सरकार द्वारा स्थापित किसी अन्य आसूचना या सुरक्षा संगठन को उसमें सम्मिलित करके या उसमें पहले से विनिर्दिष्ट किसी संगठन का उससे लोप करके संसोधन कर सकेगी और ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन पर ऐसे संगठन को अनुसूची में यथास्थिति सम्मिलित किया गया या उसे लोप किया गया समझा जाएगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।

(4) इस अधिनियम की कोई बात ऐसे आसूचनू और सुरक्षा संगठनों को लागू नहीं होगी जो समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाए।

परन्तु भ्रष्टाचार के अभिकथनों से संबंधित सूचना इस धारा के अधीन अपवर्जित नहीं की जाएगी।

परन्तु यह और कि मानव अधिकारों के अतिक्रमणों के आरोपों के मामले में मांगी गई जानकारी केवल संबंधित सूचना आयुक्त के अनुमोदन से ही दी जाएगी और धारा 7 में किसी बात के होते हुए भी ऐसी जानकारी अनुरोध की प्राप्ति के पैंतालीस दिन के भीतर प्रदत्त की जाएगी।

(5) उपधारा (4) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना राज्य विधान मंडल के समक्ष रखी जाएगी।

निगरानी और रिपोर्ट करना

25 (1) यथास्थिति केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग प्रत्येक वर्ष के अंत के पश्चात यथासाध्यशीघ्रता से वर्ष के दौरान इस अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसकी एक प्रति समुचित सरकार को भेजेगा।

(2) प्रत्येक मंत्रालय या विभाग अपनी अधिकारिता के भीतर लोक प्राधिकरणों क संबंध में ऐसी सूचना एकत्रित करेगा और उसे यथास्थिति केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को उपलब्ध कराएगा जो इस धारा के अधीन रिपोर्ट तैयार करने के लिए अपेक्षित है और इस धारा के प्रयोजन के लिए उस सूचना को प्रस्तुत करने तथा अभिलेख रखने से संबंधित अपेक्षाओं का पालन करेगा।

(3) प्रत्येक रिपोर्ट में उस वर्ष के संबंध में कथन होगा जिसमें रिपोर्ट निम्नलिखित से संबंधित है–

(क) प्रत्येक लोक प्राधिकारी को किए गए अनुरोधों की संख्या।

(ख) ऐसे विनिश्चयों की संख्या जहां आवेदक, अनुरोधों के अनुसरण में दस्तावेजों तक पहुंच के लिए पात्र नहीं थे इस अधिनियम के वे उपबंध जिनके अधीन ये विनिश्चय किए गए थे और ऐसे समयों की संख्या जब ऐसे उपबंधों का अवलंब लिया गया था।

(ग) पुनर्विलोकन के लिए यथास्थिति केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को निर्दिष्ट की गई अपीलों के स्वरूप और अपीलों के निष्कर्ष।

(घ) इस अधिनियम के प्रशासन के संबंध में किसी अधिकारी के विरूद्ध की गई अनुशासनिक कार्यवाही की विशिष्टियां।

(ड़ं) इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक लोक प्राधिकारी द्वारा एकत्र की गई प्रभारों की रकम।

(च) कोई ऐसे तथय जो इस अधिनियम की भावना और आशय को ग्रहण कराने या कार्यान्वित कराने के लिए लोक प्राधिकारियों के प्रवास को उपदर्शित करते हों

(छ) सुधार के लिए सिफारिशें, जिनके अंतर्गत इस अधिनियम या अन्य विधान या सामान्य विधि के विकास, अभिवृद्धि आधुनिकीकरण, सुधार या संशोधन के लिए विशिष्ट लोक प्राधिकारियों की बाबत सिफारिशें या सूचना तक पहुंच के अधिकार को प्रवर्तनशील बनाने के सुसंगत कोई अन्य विषय भी है।

(4) यथास्थिति केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष के अंत के पश्चात यथासाध्य शीघ्रता से उपधारा (1) में निर्दिष्ट यथास्थिति केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग की रिपोर्ट की एक प्रति संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष या जहां राज्य विधान मंडल के दो सदन है वहां प्रत्येक सदन के समक्ष और जहां राज्य विधान मंडल का एक सदन है वहां उस सदन के समक्ष रखवाएगी।

(5) यदि आयोग को ऐसा प्रतीत होता है कि इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का प्रयोग करने के संबंध में किसी लोक प्राधिकारी की पद्धति इस अधिनियम के उपबंधों या भावना के अनुरूप नहीं हे तो यह प्राधिकारी को ऐसे उपाय विनिर्दिष्ट करते हुए सिफारिश कर सकेगी जो उसकी राय में ऐसी अनुरूपता को बढ़ाने के लिए किए जाने चाहिए।

केंद्रीय सरकार द्वारा कार्यक्रम तैयार किया जाना

26 (1) केंद्रीय सरकार वित्त और अन्य संसाधनों की उपलब्धि की सीमा तक–

(क) जनता को जिस विशेष रूप से उपेक्षित समुदायों की इस अधिनियम के अधीन अनुध्यात अधिकारों का प्रयोग करने के ज्ञान में वृद्धि करने के लिए शैक्षिक कार्यक्रम बना सकेगी और आयोजित कर सकेगी।

(ख) लोक प्राधिकारियों की खंड (क) में निर्दिष्ट कार्यक्रमों और आयोजनों में भाग लेने और उनके लिए ऐसे कार्यक्रम करने के लिए बढ़ावा दे सकेगी।

(ग) लोक प्राधिकारियों द्वारा उनके कियाकलापों के बारे में सही जानकारी का समय से और प्रभावी रूप से प्रसारित किए जाने को बढ़ावा दे सकेगी।

(घ) लोक प्राधिकरणों की यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों या राज्य लोक सूचना अधिकारियों को प्रशिक्षित कर सकेगी और लोक प्राधिकरण द्वारा अपने प्रयोग के लिए सुसंगत प्रशिक्षण सामग्री पेश कर सकेगी।

(2) समुचित सरकार इस अधिनियम के प्रारंभ से अठारह मास के भीतर अपनी राजभाषा में सहज व्यापक रूप और रीति से ऐसी सूचना वाली एक मार्गदर्शिका संकलित करेगी

जिसकी ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा युक्तियुक्त रूप से अपेक्षा की जाए जो अधिनियम में विनिर्दिष्ट किसी अधिकार का प्रयोग करना चाहता है।

(3) समुचित सरकार यदि आवश्यक हो तो उपधारा (2) में निर्दिष्ट मार्गदर्शी सिद्धांतों को नियमित अंतरालों पर अद्यतन और प्रकाशित करेगी जिनमें विशिष्टितयां और उपधारा (2) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निम्नलिखित सम्मिलित होगा।

(क) इस अधिनियम के उद्देश्य

(ख) धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्रत्येक लोक प्राधिकारी की यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकार का डाक और गली का पता फोन और फैक्स नंबर और यदि उपलब्ध हो तो उनका इलेक्ट्रानिक डाक पता।

(ग) वह रीति और प्ररूप जिसमें किसी यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को किसी सूचना तक पहुंच का अनुरोध किया जाएगा।

(घ) इस अधिनियम के अधीन लोक प्राधिकारी के किसी यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी से उपलब्ध सहायता और उसके कर्तव्य

(ड) आयोग से उपलब्ध सहायता।

(च) इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त या अधिरोपित किसी अधिकार या कर्तव्य की बाबत किसी कार्य या कार्य करने में असफल रहने के संबंध में विधि में उपलब्ध सभी उपचार जिनके अंतर्गत आयोग को अपील फाइल करने की रीति भी है।

(छ) धारा 4 के अनुसार अभिलेखों के प्रवर्गों के स्वैच्छिक प्रकटन के लिए उपबंध करने वाले उपबंध।

(ज) किसी सूचना तक पहुंच के लिए अनुरोधों के संबंध में संदत की जाने वाली फीसों से संबंधित सूचनाएं।

(झ) इस अधिनियम के अनुसार किसी सूचना तक पहुंच प्राप्त करने के संबंध में बनाए गए जारी किए गए कोई अतिरिक्त विनियम या परिपत्र।

(4) समुचित सरकार को यदि आवश्यक हो नियमित अंतरालों पर मार्गदर्शी सिद्धांतों को अद्यतन और प्रकाशित करना चाहिए।

नियम बनाने की केंद्रीय सरकार की शक्ति

27 (1) समुचित केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी विषय के लिए उपंबंध कर सकेंगे।

अर्थात–

(क) धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन प्रसारित की जाने वाले मीडियम की लागत या मीडियम का प्रिन्ट लागत मूल्य।

(ख) धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन संदेय फीस।

(ग) धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन संदेह फीस।

(घ)धारा 13 की उपधारा (6) और धारा 16 की उपधारा (6) के अधीन अधिकारियों और कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के निबंधन और शर्ते।

(ड़ं) धारा 16 की उपधारा (10) के अधीन अपीलों का विनिश्चय करते समय यथास्थिति केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया।

(च) कोई अन्य विषय जो विहित किए जाने के लिए अपेक्षित हो या विहित किया जाए।

नियम बनाने की सक्षम प्राधिकारियों की शक्ति

28 (1) सक्षम प्राधिकारी इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगा।

(2) विशिष्टितया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी विषय के लिए उपबंध कर सकेंगे अर्थात–

(1) धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन प्रसारित की जाने वाली सामग्रियों के माध्यम की लागत या प्रिंट लागत मूल्य

(2) धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन संदेह फीस और

(3) कोई अन्य विषय जो विहित किए जाने के लिए अपेक्षित हों या विहित किया जाए।

29 (1) इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह ऐसी कुल तीस दिन की अवधि के लिए सत्र में हो जो एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी/समाविष्ट हो सकेगी रखा जाएगा और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाते हैं अथवा दोनों सदन सहमत हो जाते हैं कि वह नियम नहीं बनाना चाहिए तो तत्पश्चात वह नियम यथास्थिति केवल ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभाव होगा या निष्प्रभावी हो जाएगा, किन्तु ऐसे परिवर्तन या निष्प्रभाव से उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन किसी राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम अधिसूचित किए जाने के पश्चात यथाशीघ्र राज्य विधान मंडल के समक्ष रखा जाएगा।

कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति

30 (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध जो इस अधिनियम के उपबंधों के असंगत न हो बना सकेगी जो कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक और समीचीन प्रतीत होते हों।

परन्तु इस अधिनियम के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

निरसन

31. सूचना स्वातंत्रय अधिनियम 2002 इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

पहली अनुसची

(धारा 13(3) और धारा 6 (3) देखिए

मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्त, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयुक्त द्वारा ली जाने वाली शपथ या किए जाने वाले प्रतिज्ञान का प्रारूप

'' मैं, जो .....मुख्य सूचना आयुक्त/ सूचना आयुक्त/राज्य मुख्य सूचना/राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त हुआ हूं। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत

सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं

के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धा पूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा।

दूसरी अनुसूची
(धारा 24 देखिए

केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित आसूचना और सुरक्षा संगठन

1—आसूचना ब्यूरो।
2— मंत्रिमंडल सचिवालय के अनुसंधान और विश्लेषण खंड।
3— राजस्व आसूचना निदेशालय
4— केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो
5— प्रर्वतन निदेशालय
6— स्वापक नियंत्रक ब्यूरो।
7— वैमानिक अनुसंधान केंद्र।
8— विशेष सीमांत बल।
9— सीमा सुरक्षा बल।
10— केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल।
11— भारत तिब्बत सीमा बल।
12— केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल।
13— राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड।
14— असम राइफल।
15— विशेष सेवा ब्यूरो।
16— विशेष शाखा (सीआईडी), अंडमान और निकोबार।
17— अपराध शाखा— सीआईडी—सीबी, दादरा और नागर हवेली।
18— विशेष शाखा लक्षद्धीप पुलिस।

.....

टी0के0विश्वनाथन
सचिव, भारत सरकार

ifjf'k"V&2

<u>ykd lwpuk vf/kdkjh] lgk;d ykd lwpuk vf/kdkjh ,oa vihyh; vf/kdkjh</u>

जिला स्तर पर इस अधिनियम के कियान्वयन हेतु राजस्व विभाग के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं विभागीय अपीलीय अधिकारियों को निम्नवत् नामित किया गया हैः–

ftykf/kdkjh dk;kZy;&

(1) लोक सूचना अधिकारी– अपर जिला अधिकारी।

(2) सहायक लोक सूचना अधिकारी– 1–उपजिलाधिकारी, हरिद्वार।
2– उपजिलाधिकारी, रूड़की।
3–उपजिलाधिकारी, लक्सर।

(3) विभागीय अपीलीय अधिकारी– जिलाधिकारी, हरिद्वार।

mifty vf/kdkjh@rglhy dk;kZy; %&

rglhy gfj}kj&
लोक सूचना अधिकारी – नायब तहसीलदार,
अपीलीय अधिकारी– तहसीलदार हरिद्वार

rglhy :Mdh&
लोक सूचना अधिकारी – नायब तहसीलदार
अपीलीय अधिकारी– तहसीलदार रूड़की

rglhy yDlj&
लोक सूचना अधिकारी – तहसीलदार
अपीलीय अधिकारी– उप जिलाधिकारी लक्सर

ifjf'k"V&3

संख्या–146 / सू0 / XXXI(13) जी– / 2006

प्रेषक,

एम0रामचन्द्रन,
मुख्य सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सामान्य प्रशासन अनुभाग दिनांक 22 मार्च, 2006

विषय– सूचना के अनुरोधों पर समुचित कार्यवाही हेतु प्रक्रिया संबंधी दिशा–निर्देश।

सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्तूबर, 1005 से प्रभावी हो चुका है। शासन स्तर पर इसके क्रियान्वयन के लिए व्यापक तैयारियां पहले ही की जा चुकी है। विभागों व अन्य लोक प्राधिकरणों में अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी और विभागीय अपील अधिकारियों का नामांकन हो चुका है। सभी स्तरों पर अधिकारियों को अधिनियम के प्राविधानों की जानकारी देने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं। इसके अतिरिक्ति अधिकारियों की सुविधा के लिए शासन द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005–मार्गदर्शिका का भी प्रकाशन किया गया है, जिसकी प्रतियां सभी विभागों को प्रेषित कर दी गई हैं।

इन तैयारियों को दृष्टिगत रखते हुए लोक प्राधिकारियों द्वारा सूचना के अनुरोधों का निस्तातरण सुगमता से किये जाने की अपेक्षा की गई है, लेकिन प्रारंभिक अनुभवों से प्राप्त जानकारी के अनुसार अधिनियम के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराने में कुठ कठिनाईयां आ रही है, जिनका मुख्य कारण प्रक्रिया की अस्पष्टता व विभाग एवं लोक प्राधिकारी स्तर पर इस संबंध में समुचित व्यवस्था का नहीं होना माना जा रहा है। इसलिए यह आवश्यक समझा गया कि सूचना के अनुरोधों पर व्यवस्थित, तत्काल व सुगम कार्यवाही करने की कार्यविधि संबंधी निर्देश जारी किये जाएं, जिससे इस संबंध में किसी भी तरह की अनिश्चितता न बनी रहे और सूचना का अधिकार अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही सुनिश्चित कर प्रक्रिया से संबंधी अस्पष्टता दूर हो सके। इस संदर्भ में कृपया अपने अधीन लोक प्राधिकारी इकाईयों एवं लोक सूचना अधिकारियों व सहायक लोक सूचना अधिकारियों के स्तर पर निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

1– सूचना के अनुरोधकर्ताओं के लिए सुविधा कक्ष की स्थापना :–

अधिकाशं शंकायें सूचना के इच्छुक व्यक्तियों से वार्ता कर दूर की जा सकती है। संभव है कि बातचीत के बाद सूचना के औपचारिक अनुरोधों की आवश्यकता ही न पड़े। इसके लिए प्रत्येक कार्यालय में जहां भी लोक सूचना अधिकारी या सहायक लोक सूचना अधिकारी नामांकित हैं, सूचना के अनुरोधकर्ताओं की सुविधा के लिए सूचना का अधिकार नाम का एक पृथक मार्गदर्शन या सुविधा कक्ष (Facilitation Counter) की स्थापना की जानी आवश्यक है। जिन कार्यालयों में स्वागत कक्ष पहले ही स्थापित है उनमें इन्हीं स्वागत कक्षों में सूचना का अधिकार संबंधी जानकारी देने की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके लिए स्वागत कक्ष के एक हिस्से में सूचना के अनुरोधकर्ताओं से बातचीत कर यह मालूम कर सकते हैं कि वह क्या जानना चाहते हैं। तदनुसार सूचना के अनुरोध का आवेदन तैयार करवाकर वांछित सूचना उपलब्ध कराई जा सकती है। आवश्यकता यह सुनिश्चित करने की है कि अविश्वास या अनभिज्ञता के कारण कोई भी व्यक्ति अनावश्यक सूचनाओं के लिए अनुरोध न करे। स्वागत कक्ष के अतिरिक्त पुस्तकालय, वाचनालय, प्रतीक्षा कक्ष या कार्यालय में उपलब्ध कॉमन स्पेश (Common Space) को भी सुविधा कक्ष के रूप में विकसित किया जा सकता है। इसमें

विभागीय सूचनाओं से संबंधित 17 मैनुअलस,विभाग का वार्षिक प्रतिवेदन, कार्यपूर्ति दिगदर्शिका व आम जनता के उपयोग की अन्य सूचनायें भी रखी जा सकती हैं।

2– अनुरोध पत्रों के पंजीकरण का प्रारूप :–

सूचना के अनुरोधों का विधिवत पंजीकरण किया जाना आवश्यक है। इसके आधार पर ही सूचना के अधिकार संबंधी कार्यकलापों की प्रगति रिपोर्ट लोक प्राधिकारियों, प्रशासकीय विभाग एवं राज्य स्तर पर तैयार की जा सकेगी। इसके लिए प्रदेश के सभी विभागों एवं लोक प्राधिकरणों में सूचना के अनुरोधों के पंजीकरण की समान व्यवस्था लागू करने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य से अनुरोधों के पंजीकरण के लिए तीन प्रारूप संलग्न किए जा रहे हैं (संलग्नक– 1, 2 व 3)। प्रथम प्रारूप सहायक लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर पंजीकरण के लिए, दूसरा प्रारूप लोक सूचना अधिकारी स्तर पर पंजीकरण के लिए तथा तीसरा प्रारूप अपील के अनुरोधों के पंजीकरण के लिए विहित है। सभी विभागाध्यक्षों व लोक प्राधिकारियों को चाहिये कि सूचना के अनुरोधों के पंजीकरण के लिए विभाग/ लोक प्राधिकरण स्तर पर विहित प्रारूपों के अनुसार ''सूचना का अनुरोध पंजीकरण पंजिका'' व ''सूचना के लिए अपील पंजीकरण पंजिका'' छपवा ली जाए। यथासंभव अनुरोधों का पंजीकरण कंप्यूटरीकृत किया जाना चाहिए, ताकि स्वतः प्रगति रिपोर्ट तैयार हो सके एवं अधिनियम की व्यवस्था के अनुरूप राज्य सूचना आयोग को प्रगति विवरण भेजा जा सके।

3– अनुरोधपत्रों के पंजीकरण की व्यवस्था :–

प्रारंभिक अनुभवों से यह भी ज्ञात हुआ है कि कुछ कार्यालयों में लोक सूचना अधिकारियों की अनुपस्थिति में सूचना के अनुरोधों को प्राप्त करने के लिए कोई अधिकारी या कर्मचारी उपलब्ध नहीं होता है या उपस्थित व्यक्ति अनुरोध पत्र लेने से मना कर देता है। इसलिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सूचना का अधिकार सुविधा कक्ष में हर समय कोई न कोई अधिकारी या कर्मचारी सूचना के अनुरोधों को प्राप्त करने के लिए उपस्थित रहे। अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार सूचना का अनुरोध पत्र सहायक लोक सूचना अधिकारी अथवा लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जाना है तथापि जहां पर कार्यालयाध्यक्ष या वरिष्ठ अधिकारी लोक सूचना अधिकारी नामित है वहां वे अपनी सहायता के लिए किसी दूसरे अधिकारी/कर्मचारी या स्वागत अधिकारी को सूचना के अनुरोध पत्र को प्राप्त करने व उनके पंजीकरण की जिम्मेदारी दे सकते हैं। यह सुनिश्चित करना लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी का दायित्व होगा कि उनकी अनुपस्थिति में सूचना के अनुरोध पत्रों को प्राप्त व पंजीकृत किया जाए इस दिशा में समुचित व्यवस्था करे लोक सूचना अधिकारी अपने स्तर पर ही ऐसी शिकायतों को दूर कर दें ताकि किसी को भी सूचना के अनुरोध पत्रों के प्राप्त न किए जाने की शिकायत किसी अन्य स्तर पर करने की आवश्यकता न पड़े तथा सुगमता से आवेदन पत्र आगन्तुकों द्वारा जमा कराये जा सकें।

4– सूचना शुल्क लेखांकन की प्रक्रिया :–

सूचना के अनुरोध पत्रों के साथ 10/– रू0 आवेदन शुल्क प्राप्त किया जाना है। गरीबी रेखा से नीचे के अनुरोधकर्ताओं से कोई शुल्क नहीं लिया जाना है। मार्गदर्शिका में दिए गए निर्देशों के अनुसार आवेदन शुल्क नकद, बैंक ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक के माध्यम से ही दिया जा सकता है। इस विषय पर वित्त विभाग द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या–1/XXVII(7)/2005 दिनांक 14 अक्तूबर, 2005 द्वारा शुल्क प्राप्त करने और उसके लेखांकन की विस्तृत प्रक्रिया सुझाई गई है। फिर भी इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि सूचना के अनुरोधकर्ता द्वारा नकद अथवा विभाग/लोक प्राधिकरण के लेखा अधिकारी के नाम पर बैंक ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक प्रस्तुत कर शुल्क दिया जा सकता है। शुल्क प्राप्त होने पर लोक सूचना अधिकारी द्वारा ट्रेजरी फार्म 385पर शुल्क प्राप्ति की रसीद निर्गत की जानी है। इसके लिए सभी लोक सूचना अधिकारियों को चाहिए कि अपने जनपद की ट्रेजरी से उक्त प्रपत्र की रसीद बुक प्राप्त कर लें और विभागीय आहरण वितरण अधिकारी की ओर से शुल्क प्राप्त रसीद निर्गत करें। यही प्रक्रिया अतिरिक्त शुल्क को प्राप्त करने के लिए अपनाई जाएगी। शुल्क से

प्राप्त धनराशि लोक सूचना अधिकारी या सहायक लोक सूचना अधिकारी विभागीय आहरण वितरण अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे जो कि विभाग की रोकड़ बह (Cash Book) में प्रविष्टि के बाद प्रत्येक सप्ताह/सुविधानुसार उस धनराशि को विभागीय राजस्व लेखाशीर्षक के अधीन राजकोष में जमा करेंगे।

इस अधिनियम के अंतर्गत शुल्क जमा करने की प्रक्रिया को और सरलीकृत किए जाने की कार्यवाही की जा रही है।

5– सूचना के अनुरोधों पर कार्यवाही :–

सूचना का अनुरोध प्राप्त होने के बाद मार्गदर्शिका में दी गई प्रक्रिया के अनुसार उस पर आगे की कार्यवाही सुनिश्चित कर यथा स्थिति 30,35 या 45 दिनों के अन्दर अनुरोधकर्ता को वांछित सूचना उपलब्ध करा दी जानी है। इस प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में संभावित पत्राचार को समरूप बनाने के लिए निम्नलिखित प्रपत्र निर्धारित कर संलग्न किये जा रहे हैं:–

संलग्नक 4– सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना के अनुरोधों के अग्रेषण का प्रपत्र।
संलग्नक 5– सूचना के अनुरोध का पावति प्रपत्र का।
संलग्नक 6– अतिरिक्त शुल्क के लिए सूचना का प्रपत्र।
संलग्नक 7– तीसरे पक्षकार को सूचना का प्रपत्र
संलग्नक 8– सूचना के अनुरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तांतरण के लिए प्रपत्र
संलग्नक 9– अनुरोधों को अस्वीकार करने की सूचना का प्रपत्र
संलग्नक 10– अनुरोधकर्ता को सूचना प्रेषित करने संबंधी प्रपत्र।

यथा संभव पत्राचार में इन प्रपत्रों का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। इस संबंध में लोक सूचना अधिकारी यदि आवश्यक समझे तो विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रयास किया जाए कि किसी भी स्थिति में सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अनुरोधकर्ताओं को सूचना उपलब्ध कराने में कोई गतिरोध उत्पन्न न हो। सभी विभागाध्यक्षों/लोक प्राधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे सूचना के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करने व सूचना देने व उसके पंजीकरण आदि की उपरोक्त प्रक्रिया को यदि आवश्यक हुआ तो विभागीय विशिष्टिताओं/व्यावहारिकता के अनुरूप संशोधित कर उपयोग करेंगे, जिससे सूचना देने की प्रक्रिया में कोई भ्रम विभागीय अधिकारियों में न रहे साथ ही अनुरोधकर्ताओं को भी निश्चित प्रक्रिया व प्रारूप का ज्ञान होने में कम से कम कठिनाई हो।

भवदीय

(एम0 रामचन्द्रन)
मुख्य सचिव।

संख्या–146(1)/सू0/XXXI (13) जी– /2006 तद्दिनांक
प्रतिलिपि– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–
1–मंडलायुक्त, गढ़वाल/कुमायू, उत्तरांचल।
2– समस्त अपर सचिव, उत्तरांचल शासन।
3– समस्त विभागाध्यक्ष/लोक प्राधिकारी, उत्तरांचल शासन।
4– समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
5– स्टाफ आफिसर–मुख्य सचिव।
6– निदेशक, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, उत्तरांचल देहरादून।
7– राज्य समन्वयक सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ।

8– गार्ड फाइल।

आज्ञा से
(राजीव गुप्ता)
प्रमुख सचिव

संलग्नक–1

सहायक लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर सूचना के अनुरोधों के पंजीकरण का प्रस्तावित प्रारूप

क्र.सं.	अनुरोध प्राप्ति तिथि	अनुरोधकर्ता का नाम	पत्राचार का पूर्ण पता	दूरभाष संख्या (यदि हो)	मांगी गई सूचना का विवरण	संबंधित विभाग /अनुभाग का नाम	आवेदन शुल्क का भुगतान (रू0)	लोक सूचना अधिकारी अग्रेषण की तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9

संलग्नक–2

लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना के अनुरोधों के पंजीकरण का प्रस्तावित प्रारूप

क्र.सं.	अनुरोध प्राप्ति तिथि	अनुरोधकर्ता का नाम	पत्राचार का पूर्ण पता	दूरभाष संख्या	मांगी गई सूचना का विवरण	आवेदन शुल्क (रू0)	अतिरिक्त
1	2	3	4	5	6	7	8

कुल शुल्क रू0	अनुरोध अस्वीकार करने पर उसका कारण	अतिरिक्त शुल्क की सूचना की तिथि	अतिरिक्त शुल्क प्राप्ति की तिथि	तीसरे पक्ष को सूचित करने की तिथि (यदि आवश्यक समझा जाए)	तीसरे पक्ष से उत्तर प्राप्ति की तिथि	अनुरोध पर अंतिम आदेश	आदेश निर्गत करने की तिथि
9	10	11	12	13	14	15	16

संलग्नक–3

विभागीय स्तर पर अपील के अनुरोधों के पंजीकरण का प्रस्तावित प्रारूप

सं.	अपील के लिए अनुरोध पत्र प्राप्ति की तिथि	विभाग/अनुभाग का नाम	अपील से संबधित तथ्यों का संक्षिप्त विवरण।	लो0सू0अ0 के आदेश का संक्षिप्त विवरण।	अपील स्वीकृत/ अस्वीकृत	विभागीय अपील अधिकारी के आदेश की तिथि	अपीलकर्ता को आदेश निर्गत करने की तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8

संलग्नक–4

सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना के अनुरोध को अग्रेषित करने का प्रपत्र

कार्यालय का नाम व पता

पत्रावली संख्या ..... दिनांक.....

प्रेषक,

.....

.....

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी

.....

.....

अनुरोधकर्ता का नाम.....

पत्राचार का पता .....

वर्ग बी0पी0एल0 / ए0पी0एल0 .....

अनुरोध प्राप्ति की तिथि .....

अग्रेषण की तिथि .....

मांगी गई सूचना का विवरण .....

संबंधित विभाग / अनुभाग का नाम .....

सूचना शुल्क की मात्रा रू0 .....

अन्य विवरण (यदि कोई हों) .....

संलग्नक अनुरोध पत्र की मूल प्रति

सहायक लोक सूचना अधिकारी

कार्यालय मुहर

संलग्नक 5

अतिरिक्त शुल्क के लिए सूचना का प्रपत्र

पत्रावली संख्या..... दिनांक.....

विषय– अतिरिक्त शुल्क जमा करने के संबंध में।

श्री/श्रीमती.....

.....

.....

कृपया अपने दिनांक..... के सूचना के अनुरोध पत्र का संदर्भ ग्रहण करें। आपके द्वारा मांगी गई सूचना सामग्री को एकत्रित करने और इच्छित रूप से उपलब्ध करने पर सरकार द्वारा निम्नलिखित निर्धारित दरों पर रू0..... अतिरिक्त शुल्क देय होता है।

अतिरिक्त शुल्क का विवरण

क्र0सं0	सामग्री या व्यय की मद	दर	कुल धनराशि

अतः उक्त धनराशि को यथाशीघ्र बैंक ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक, जो विभाग के लेखा/ वित्त अधिकारी के नाम बना हो प्रेषित करें /अथवा कार्यालय में नकद जमा करें /करवा दें।

मांगी गई सूचना को उपलब्ध करने संबंधी कार्यवाही उक्त अतिरिक्त शुल्क जमा करने के बाद ही प्रारंभ होगी। इस पत्र की तिथि से अतिरिक्त शुल्क प्राप्त होने की तिथि तक का समय सूचना उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित 30 दिनों में नहीं गिना जाएगा।

हस्ताक्षर

लोक सूचना अधिकारी

कार्यालय मुहर

संलग्नक–6
तीसरे पक्षधर की सूचना के लिए प्रपत्र
कार्यालय का नाम व पता

पत्रावली संख्या..... दिनांक .....

.....
.....
.....

संलग्न श्री/श्रीमती .....से प्राप्त सूचना के अनुरोध पत्र की एक प्रति आपको इस आशय से भेजी जा रही है कि इस विषय में आपको कुछ कहना हो तो आप अपना पक्ष इस पत्र की तिथि के दस दिन के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को लिखकर अथवा स्वयं कार्यालय में उपस्थित होकर मौखिक रूप से प्रस्तुत करें। यदि आपकी ओर से इस पत्र के विषय में हमे 10 दिन के अन्दर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो यह मान लिया जाएगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है।

संलग्नक अनुरोध पत्र की प्रतिलिपि।

भवदीय

लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय की मुहर

संलग्नक–7

सूचना के अनुरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तांतरण के लिए प्रपत्र

कार्यालय का नाम व पता

पत्रावली संख्या..... दिनांक.....

लोक सूचना अधिकारी

.....

.....

संलग्न सूचना का अनुरोध पत्र आपको इस आशय से प्रेषित है कि इसमें मांगी गई सूचना आपके विभाग/उपक्रम से संबंधित है। कृपया अनुरोधकर्ता को वांछित सूचना अपने स्तर से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

इस पत्र की एक प्रति अनुरोधकर्ता को सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक सूचना का अनुरोध पत्र मूल रूप में

भवदीय

लोक सूचना अधिकारी

कार्यालय की मुहर

प्रतिलिपि सूचनार्थ

श्री/श्रीमती.....

लोक सूचना अधिकारी

संलग्नक 8

कार्यालय का नाम व पता

सूचना का अनुरोध प्राप्ति पत्र

पत्रावली संख्या..... दिनांक.....

श्री / श्रीमती.....
निवासी.....
.....

से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 के अंतर्गत सूचना का अनुरोध पत्र रूपये.....आवेदन शुल्क के साथ प्राप्त किया।

अनुरोधकर्ता गरीबी रेखा से निम्न आय वर्ग का है। अतः आवेदन शुल्क देय नहीं है। संलग्नक शुल्क रसीद।

लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय की मुहर

संलग्नक 9

अनुरोध को अस्वीकार करने की सूचना प्रपत्र

कार्यालय का नाम व पता

पत्रावली संख्या..... दिनांक.....

.....

.....

.....

कृपया अपने दिनांक .....के सूचना के अनुरोध पत्र का संदर्भ ग्रहण करें। आपके अनुरोध को निम्नलिखित कारणों से अस्वीकृत किया गया है।

(1).....

(2).....

(3).....

इस आदेश के विरूद्ध यदि आप चाहे तों विभाग के उच्च अधिकारी / अपील अधिकारी जिनका पता नीचे दिया गया है से इस पत्र की प्राप्ति की तिथि के 30 दिनों के अन्दर अन्दर अपनी अपील कर सकते हैं।

अपील अधिकारी का पता

.....

.....

भवदीय

लोक सूचना अधिकारी

कार्यालय की मुहर

संलग्नक 10
अनुरोधकर्ता को सूचना देने संबंधी प्रपत्र
कार्यालय का नाम व पता

पत्रावली संख्या..... दिनांक.....
श्री / श्रीमती.....
.....
.....

कृपया अधोहस्ताक्षरी को संबोधित अपने सूचना के अनुरोध संख्या ..... .दिनांक .....का संदर्भ ग्रहण करें।

2. आपके द्वारा मांगी गई सूचना का विवरण संलग्न है।

3. निम्नलिखित आंशिक सूचनायें संलग्न की जा रही हैं।

(1)
(2)
(3)

4. इस आदेश के अंतर्गत दी गई जानकारी से यदि असंतुष्ट हो तों आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के अन्दर विभाग के अपील अधिकारी जिनका पता निम्नवत है अपील दायर कर सकते हैं

अपील अधिकारी का पता
.....
.....
.....

संलग्नक उपर्युक्त के अनुसार सूचना का विवरण

भवदीय

लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय की मुहर

परिशिष्ट– 4

पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0एन0–30 / 03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट

सरकारी गजट, उत्तरांचल
उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)
देहरादून, बृहस्पतिवार, 13 अक्टूबर, 2005 ई0
आश्विन 21, 1927 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन
सूचना अनुभाग
संख्या 266 / XXII / 2005–9(31) 2005
देहरादून, 13 अक्तूबर, 2005

vf/k lpuk

प0आ0–109

राज्यपाल सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 22 / 2005) की धारा 27 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) तथा (ग) के अधीन प्रदत्त शक्तियां का प्रयोग करते हुए निम्नलिखत नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1– संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ :

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सूचना का अधिकार (फीस एवं लागत का विनियमन) नियम, 2005 है

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगें।

2– परिभाषायें :

इन नियमों में जब तक कि संनदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :

(क) ''अधिनियम'' से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 अभिप्रेत है,

(ख) ''धारा'' से अधिनियम की धरा अभिप्रेत है,

(ग) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है, किन्तु सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में परिभाषित है, वही अर्थ होंगें जो इस अधिनियम में है।

3– अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सूचना मांगे जाने हेतु आवेदन–पत्र के साथ लोक प्राधिकारी के वित्त / लेखा अधिकारी के नाम देय रू0 दस की फीस, उचि रसीद के प्रति नकद या डिमान्ड ड्राफ्ट, या बैंकर्स चेक के माध्यम से भुगतान किया जायेगा।

4– धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन सूचना दिये जाने हेतु लोक प्राधिकारी के वित्त / लेखा अधिकारी के नाम देय निम्न दरों के अनुरूप फीस, उचित रसीद के प्रति नकद या डिमान्ड ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक के माध्य से भुगतान किया जाना होगा।

(क) ए–3 या ए–4 आकार के पृष्ठ (छायाप्रति या तैयार सूचना) हेतु रू0 दो प्रति पृष्ठ और इससे बड़े आकार के पृष्ठ हेतु वास्तविक लागत,

(ख) अभिलेखों के निरीक्षण हेतु प्रथम घण्टा हेतु कोई फीस देय नहीं होगी, उसके उपरान्त प्रत्ये पन्द्रह मिनट (अथवा उसके भाग) हेतु रू0 पांच की फीस का भुगतान किया जाना होगा।

(ग) प्रदर्शो एवं नमूनों की वास्तविक लागत का भुगतान किया जाना होगा।

5– अधिनियम की धारा 7 की उपाधारा (5) के अधीन सूचना दिये जाने हेतु लोक प्राधिकारी के वित्त/लेखाधिकारी के नाम देय निम्न दरों के अनुरूप फीस, उचित रसीद के प्रति नकद या डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक के माध्यम से भुगतान किया जाना होगा।

(क) डिस्केट अथवा फ्लापी पर सूचना दिये जाने हेतु रू0 पचास प्रति फ्लापी/डिस्केट और

(ख) किसी मुद्रित प्रकाशन की दशा में, उसका निर्धारित मूल्य या ऐसे प्रकाशन से उद्धरणों की फोटों प्रति प्रति पृष्ठ के लिये दो रूपये।

आज्ञा से,

डी0के0 कोटिया,
सचिव।

परिशिष्ट–5

उत्तरांचल शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
संख्या–165 / सू0 / XXXI(13) जी- 2(2) / 2006
देहरादूनः दिनांक 31 मार्च, 2006

अधिसूचना

राज्यपाल, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) की धारा 27 की उपधारा (2) के खंड (ख) तथा (ग) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके शासन की अधिसूचना दिनांक 13 अक्तूबर, 2005 को निम्नवत् संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं अर्थात्–

विद्यमान प्राविधान	संशोधित प्राविधान
प्रस्तर–3, अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सूचना मांगे जाने हेतु आवेदन पत्र के साथ लोक प्राधिकारी के वित्त / लेखा अधिकारी के नाम देय रू0 10 / – की फीस, उचित रसीद के प्रति नगद या डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक के माध्यम से भुगतान किया जाएगा	प्रस्तर–3, अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सूचना मांगे जाने हेतु आवेदन पत्र के साथ लोक प्राधिकारी के अधीन चिन्हित लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी या लोक प्राधिकारी के वित्त / लेखा अधिकारी के नाम देय रू0 10 / – (रू0 दस मात्र) की फीस उचित रसीद के प्रति नगद, डिमांड डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक भारतीय पोस्टल ऑर्डर,ट्रेजरी चालान या नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।

(राजीव गुप्ता)
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्या– 165 / सू0 / XXXI(13) जी- 2(2) / 2006 तद्दिनांक
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सचिव महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तरांचल।
2– सचिव, विधान सभा, विधान भवन, देहरादून।
3– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल शासन।
4– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड, देहरादून, उत्तरांचल।
5– रजिस्ट्रार, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल।
6– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
7– समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तरांचल शासन।
8– आयुक्त गढ़वाल / कुमायूं मंडल, उत्तरांचल।
9– समस्त विभागाध्यक्ष उत्तरांचल शासन।
10– प्रदेश के समस्त सार्वजनिक निगम / उपक्रम / स्वायत्तशासी संस्थायें / परिषद।
11– समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
12– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
13– सचिवालय के समस्त अनुभाग।
14– निदेशक,एल0आई0सी0सचिवालय परिसर।

15—उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को राजकीय गजट असाधारण के विधायी परिशिष्ट भाग—4, खंड—ख में दिनांक 29 मार्च, 2006 में प्रकाशित कर 200 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
16— राज्य समन्वयक, सूचना प्रकोष्ठ, सचिवालय।
17— महानिदेशक, सूचना एवं लोक संपर्क निदेशालय को इस अनुरोध के साथ कि कृपया इस संदर्भ में प्रेस विज्ञप्ति जारी करने का कष्ट करें।
18— गार्ड फाइल।

आज्ञा से

संतोष बडोनी
अनुसचिव

परिशिष्ट–6
महत्वपूर्ण / तत्काल

उत्तरांचल सूचना आयोग
सेक्टर–1 सी–10 डिफैंस कालोनी
देहरादून।

संख्या–65 / उ0सू0आ0 / मु0सू0आ0 / 2005 दि0 6 दिसंबर, 2005

प्रेषक,

मुख्य सूचना आयुक्त,
उत्तरांचल सूचना आयोग

सेवा में,

विषय– उत्तरांचल सूचना आयोग द्वारा राज्य सरकार के माध्यम से विधान सभा को प्रस्तुत की जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट– लोक प्रधिकारियों द्वारा सूचना के स्वैच्छिक रूप से प्रकट करने के उपबन्ध की प्रगति तथा विभागीय जानकारी का स्वतः (Suo Motto) प्रकटीकरण।

प्रिय महोदय / महोदया,

उत्तरांचल सूचना आयोग द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 25 (1) जो इस अधिनियम की निगरानी तथा रिपोर्ट के आंकड़ों से संबंधित है के ऊपर राज्य सरकार के समस्त विभागों द्वारा लोक प्राधिकारी के रूप में आयोग की वार्षिक रिपोर्ट के लिए माह की प्रगति रिपोर्ट उक्त पत्र में निर्धारित बिन्दुओं के अनुसार को अगले माह की दस तारीख तक आयोग को प्रेषित करने के लिए अनुरोध किया गया है का कृपया संदर्भ ग्रहण करें। आशा है कि लोक प्राधिकारी के रूप में प्रत्येक विभाग द्वारा अपने द्वारा तैनात सभी लोक सूचना अधिकारियों से इस संबंध में आवश्यक सूचना प्राप्त की जा रही होगी। आयोग द्वारा उनकी विभागवार तथा लोक सूचना अधिकारीवार विवरण जो माहवार प्रगति के रूप मे संकलित कर उसका अपना वार्षिक रिपोर्ट में उपयोग किया जाना प्रस्तावित है।

2. आपका ध्यान सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 25 (5) तथा धारा 4 की ओर आकर्षिक करना है, जिसमें सभी लोक प्राधिकारियों द्वारा सूचना को स्वैच्छिक रूप से प्रकट (Pro Active disclosure) करने का प्राविधान है अधिनियम की धारा 1 (3) के अनुसार प्रत्येक लोक प्राधिकारी को अधिनियम की धारा 4 (1) के अंतर्गत कुछ अभिलेखों को अधिनियम के बजट नोटिफिकेशन के 120 दिन के अन्दर अर्थात 12.10.2005 तक पूर्ण कर लेना अपेक्षित था, जिससे इस अधिनियम के अंतर्गत सूचना का अधिकार जनसामान्य को आसानी से सुलभ हो सके।

3. राज्य सरकार का प्रत्येक विभाग तथा निदेशालय लोक प्राधिकारियों के रूप में कार्यरत है तथा प्रत्येक विभाग से अपेक्षित है कि वह विभाग के आकार तथा कार्यों की प्रगति के अनुसार लोक प्राधिकारी इकाई को स्वयं चिन्हित करेगा।

4. उत्तरांचल सूचना आयोग के द्वारा यह सूचना एकत्रित की जा रही है कि प्रत्येक विभाग के अंतर्गत लोक प्राधिकारियों द्वारा इस अधिनियम की धारा–4 (1) के अंतर्गत निर्धारित अभिलेखों को तैयार कर लिया है अथवा नहीं और यदि तैयार कर लिया गया है तो वह किस रूप में सुरक्षित रखे गए हैं और यदि उनका कंप्यूटरीकरण कर लिया गया है तब उन्हें राज्य की या विभागीय बेबसाइट में सम्मिलित किया गया है अथवा नहीं ? कृपया अवगत कराने का कष्ट करें कि आपके विभाग से संबंधित लोक प्राधिकारियों द्वारा सूचना के स्वैच्छिक रूप से प्रकट करने के उत्तरदायित्वों के सापेक्ष निम्न अभिलेखों में से कितने अभिलेखों को विभागीय स्तर पर यह सूचना प्रेषण करने की तिथि तक पूर्ण कर लिया गया है तथा कितने अभिलेखों को पूर्ण किया जाना अवशेष है तथा इन अपूर्ण अभिलेखों को कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा ?

5. विभाग के द्वारा जिन अभिलेखों के संबंध में सूचना जैसा अधिनियम की धारा 4(1) (ख) में दिया गया है आयोग को प्रेषित की जानी है वे निम्नलिखित हैंः–

1– संगठन की विशिष्टियां कृत्य और कर्तव्य।

2– अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य।

3– लोक प्राधिकारी अथवा उसके कर्मियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए धारित तथा प्रयोग किए जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेखों की सूचना।

4– नीति बनाने या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उसके प्रतिनिधित्व के लिए विद्यमान व्यवस्था के संबंध में सूचना।

5– दस्तावेजों, जो लोक प्राधिकारी द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं श्रेणियों (Categories) के अनुसार विवरण।

6– बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का विवरण साथ ही विवरण की क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी।

7– लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां।

8– निर्णय करने की प्रक्रिया (पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व के स्तर सहित)।

9– अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका।

10– अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्धति।

11– प्रत्येक अभिकरण (Agency) को आवंटित बजट (सभी योजनाओं, व्यय, प्रस्तावों तथा धनविरण की सूचनाओं सहित)

12– अनुदान/राजसहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति, जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं।

13– रियायतों, अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्तिकताओं के संबंध में विवरण।

14– कृत्यों के निर्वहन के लिए स्थापित मानक/ नियम।

15– किसी इलेक्ट्रानिक रूप में उलपब्ध सूचना के संबंध में ब्यौरे।

16– सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण। किसी पुस्तकालय या वाचनालय की यदि लोक उपयोग के लिए व्यवस्था की गई हो तो उसका भी विवरण।

17– ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाए।

6. आपका ध्यान विशेष रूप से इस ओर आकर्षित करना है कि अधिनियम के अनुसार धारा 4 (1)(ख) के उपरोक्त अभिलेखों को 12.10.2005 तक पूर्ण कर लिया जाना था। अतः जिन विभागों में यह अभिलेख अब तक पूर्ण न किए गए हों उन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करते हुए इस पत्र के उत्तर में उसकी प्रगति भी आयोग को अवगत करा दी जाएगी।

7. उत्तरांचल सूचना आयोग के द्वारा अभिलेखीकरण के कार्य को भी सर्वोच्च वरीयता के आधार पर लिया गया है तथा इसके अभिलेख केंद्र (Library and Documentation Center) द्वारा प्रत्येक विभाग के लोक प्राधिकारियों द्वारा अधिनियम की धारा 4 (1) की बाध्यता के अंतर्गत तैयार किए गए अभिलेखों की हार्ड एवं साफ्ट प्रति के रूप में सुरक्षित रखा जाना है। अतः अनुरोध है कि अपने विभाग से संबंधित सभी अभिलेखों की एक प्रति आयोग के अभिलेख केंद्र के लिए उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

8. स्वैच्छिक रूप से प्रकट की जाने वाली सूचना (Pro- Active Disclosure) तथा स्वतः रूप से (Suo Mutto) सूचना प्रकटीकरण ही इस अधिनियम की मुख्य भावना है। अतः आयोग के द्वारा वार्षिक रूप में विभाग तथा विभाग द्वारा घोषित लोक प्राधिकारियों का मूल्यांकन करते समय मुख्य रूप से विभागीय Pro- Active Disclosure तथा Suo Mutto Disclosure की प्रगति को ही प्रमुखता दी जाएगी। अतः अनुरोध है कि अधिनियम की धारा 4(1) की बाध्यता को समय से

पूर्ण करने तथा विभागीय कार्यपद्धति के अंतर्गत ऐसी सूचना के स्वतः प्रकटीकरण की ओर आप स्वयं ध्यान दें तथा इसमें विशेष रूचि लेने का कष्ट करें।

9. आयोग को यह जानने में प्रसन्नता होगी कि आपके द्वारा लोक प्राधिकारी के रूप में Pro-Active Disclosure तथा Suo Mutto Disclosure के संबंध में अब तक क्या कार्य किए गए हैं तथा इस दशा में अन्य कौन से क्षेत्र, गतिविधियां और पद्धतियां लाई जानी प्रस्तावित हैं। इन विवरणों का आयोग की वार्षिक रिपोर्ट में अनिवार्य रूप से उपयोग किया जाना प्रस्तावित है तथा इसके लिए वार्षिक रिपोर्ट में एक स्वतंत्र अध्याय भी चिन्हित किया गया है।

10. सूचना का अधिकार अधिनियम के उपबन्धों तथा भावना के अनुरूप कार्यवाही को तब तक समुचित रूप दिया जाना संभव नहीं है जब तक कि प्रत्येक विभाग तथा लोक प्राधिकारी के स्तर पर अभिलेखों एवं पत्रावलियों के निरीक्षण की समुचित व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराई जाती है। इस संबंध में आपका विशेष ध्यान अधिनियम की धारा 2 (ञ) (1) की ओर किया जाता है जिसमें सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कृति, दस्तावेजों तथा अभिलेखों का निरीक्षण, दस्तावेजों या अभिलेखों के टिप्पण, उद्धरण या प्रमाणित प्रतिलिपि देना तथा सामग्री के प्रमाणित नमूने लेने सम्मिलित किया गया है। आयोग यह जानने को इच्छुक है कि आपके विभाग के अंतर्गत विभिन्न लोक प्राधिकारियों के स्तर पर अभिलेखों के निरीक्षण, प्रमाणित प्रतियों तथा नमूने देने के लिए क्या व्यवस्था की गई है तथा यह सुनिश्चित किया गया है अथवा नहीं कि किसी भी प्रार्थी को उपरोक्त सुविधाएं अधिनियम के प्राविधानों के अंतर्गत सुगमता से प्राप्त हो रही हैं।

11. आयोग उपरोक्त निरीक्षणों तथा प्रमाणित प्रतियां देने की जो वास्तविक व्यवस्था विभाग के स्तर पर उपलब्ध कराई गई है उसकी जानकारी लेने का इच्छुक है जिससे इस संबंध में जो व्यवस्था की गई है उसका समुचित प्रचार– प्रचार किया जा सके तथा दूसरी ओर यदि उक्त व्यवस्था करने में कोई कठिनाई हो रही हो तो उसके लिए राज्य सरकार को आवश्यक सुझाव एवं निर्देश दिए जा सके।

12. लोक प्राधिकारी के रूप में तथा विभागीय प्रमुख सचिव/सचिव के रूप में आयोग आपसे अपेक्षा करता है कि आप सूचना का अधिकार अधिनियम के अध्याय – 2 में धारा 3 से धारा 10 तक जो उपबन्ध तथा बाध्यताएं दी गई हैं उनका स्वयं अपने स्तर पर गहनता से परीक्षण करें तथा फील्ड में भी इसके क्रियान्वयन के लिए समुचित व्यवस्था की गई है इसके लिए स्वयं तथा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी स्तर पर पुष्टिकरण भी करा लें।

13. अनुरोध है कि इस पत्र में उठाए गए बिन्दुओं तथा दिए गए सुझावों का आप अपने स्तर पर परीक्षण कराकर आयोग को शीघ्रताशीघ्र उत्तर प्रेषित करने का कष्ट तथा संबंधित अधिकारियों से अपेक्षा करें कि वे अधिनियम की धारा 4 (1) (ख) में वर्णित सभी अभिलेखो की हार्ड एवं साफ्ट प्रति का एक सैट आयोग के अभिलेख केंद्र को भी उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी सुनिश्चित करें।

14. कृपया पत्र की प्राप्ति स्वीकार करें।

भवदीय

(आर0एस0टोलिया)
मुख्य सूचना आयुक्त

उत्तरांचल शासन,
सूचना अनुभाग
संख्या–305/XXII/2005–9(33)2005
सचिवालय, देहरादून
दिनांक 13 दिसम्बर, 2005

अधिसूचना

नियम

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 22, वर्ष 2005) की धारा 27 की उपधारा (2) (ड़) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल निम्नलिखित नियम बनाते हैं :–

नाम व प्रारम्भ

नियमों का संक्षिप्त नाम राज्य सूचना आयोग (अपील प्रक्रिया) नियम, 2005 है। राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगें।

परिभाषायें :– इन नियमों में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :–

(क) ''अधिनियम'' से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 अभिप्रेत है,

(ख) ''धारा'' से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है,

(ग) ''आयोग'' से राज्य सूचना आयोग अभिप्रेत है,

(घ) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं, और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगें जो उस अधिनियम में है।

vihy dh fo"k;oLrq :– आयोग को प्रस्तुत की जाने वाली अपील में सूचना की निम्नलिखित विषयवस्तु अर्थातः–

(i) अपीलार्थी का नाम व पता–

(ii) राज्य लोक सूचना अधिकारी का नाम व पता, जिसके निर्णय के विरूद्ध अपील की गयी है।

(iii) आदेशों के विवरण संख्या सहित यदि कोई हो, जिसके विरूद्ध अपील की गयी है,

(iv) अपील के मुख्य संक्षिप्त तथ्य,

(v) यदि अपील इन्कार समझी गयी हो तो ऐसे आवेदन पत्राों का विवरण, संख्या सहित तारीख राज्य लोक सूचना अधिकारी का नाम और पता जिसको आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था,

(vi) ईप्सित अनुतोष या प्रार्थना

(vii) ईप्सित अनुतोष या प्रार्थना के आधार

(viii) अपीलार्थी द्वारा सत्यापन, और

(ix) अन्य कोई सूचना जिसे आयोग अपील के निर्णय के लिए आवश्यक समझे।

4& vihy d lkFk iLrqr fd;s tkus okys nLrkost %& आयोग को की जाने वाली प्रत्येक अपील में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, अर्थात–

(i) उन आदेश व दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियां जिनके विरूद्ध अपील प्रस्तुत की जा रही है,

(ii) अपीलार्थी द्वारा अपील के निर्दिष्ट और सम्बन्धित दस्तावेजों की प्रतिलिपि जिनका अपील में आधार लिया गया है, और

(iii) अपील में निर्दिष्ट दस्तावेजों की अनुक्रमणिका।

vihy dh fu.k; dh izfdz;k %& vk;ksx %&

(i) सम्बन्धित या हितबद्ध व्यक्ति से शपथ या शपथ पत्र पर मौखिक या लिखित साक्ष्य सुनेगा,

(ii) दस्तावेजों, लोक अभिलेखों या उनकी प्रतिलिपियों का परिशीलन या निरीक्षण कर सकेगा,

(iii) अधिकृत अधिकारी द्वारा अग्रेत्तर विवरण या तथ्यों की जांच कर सकेगा

(iv) राज्य लोक सूचना अधिकारी, राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी या ऐसा वरिष्ठ अधिकारी जो प्रथम अपील निर्णित करता हो या ऐसा व्यक्ति जिसके विरूद्ध शिकायत की गयी हो जैसी स्थिति हो, को सुन सकेगा,

(v) तीसरे पक्ष को सुनेगा, और

(vi) किसी तीसरे पक्ष या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी, राज्य लोक सूचना अधिकारी या ऐसे वरिष्ठ अधिकारी जिसने प्रथम अपील सुनी हो या ऐसा व्यक्ति जिसके विरूद्ध शिकायत हो से शपथ पत्र पर साक्ष्य ले सकेगा।

vk;ksx }kjk ukfVl rkehy fd;k tkuk %& आयोग द्वारा जारी नोटिस निम्न में से किसी भी प्रकार से अपील किया जा सकेगा :–

(i) स्वयं पक्षकार के माध्यम से,

(ii) तामील कर्ता के माध्यम से दस्ती,

(iii) पावती के साथ पंजीकृत डाक द्वारा, या

(iv) कार्यालयाध्यक्ष या विभागाध्यक्ष के माध्यम से

अपीलार्थी या परिवादी जैसी भी स्थिति हो, को सुनवाई के लिए पूर्ण सात दिवसों के पूर्व सूचित किया जायेगा।

(2) अपीलार्थी या परिवादी जैसी भी स्थिति हो, आयोग विवेकानुसार अपील या परिवार की सुनवाई के समय व्यक्तिगत रूप से या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित रह सकेगा या उपस्थित न होने का विकल्प ले सकेगा।

(3) जहां आयोग का यह समाधान हो जाय कि ऐसी परिस्थितियां है, जिनके कारण अपीलार्थी या परिवादी, जैसी भी स्थिति हो, को आयोग की सुनवाई में उपस्थित होने से रोका गया है, तब आयोग अपीलार्थी या परिवादी जैसी भी स्थिति हो, को अंतिम निर्णय लेने से पूर्व सुनवाई का अवसर देगा, या जैसा उचित समझे सम्यक कार्यवाही कर सकेगा।

(4) अपीलार्थी या परिवादी, जैसी स्थिति हो, आवेदन की प्रक्रिया में अपना पक्ष रखने में किसी भी व्यक्ति का सहयोग ले सकेगा और सम्बन्धित व्यक्ति का अधिवक्ता होना आवश्यक नहीं होगा।

6– आयोग के आदेश :– आयोग के आदेश खुले में सुनाये जायेंगें और आयोग द्वारा इस निमित प्राधिकृत अधिकारी या निबन्धक द्वारा लिखित में अभिप्रमाणित किये जायेंगें।

(डी0के0 कोटिया)
सचिव।